खण्ड-365, अंक-6
मंगलवार, 23 फाल्गुन, शक संवत् 1905
(13 मार्च, 1984 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 365 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–4
प्रश्नोत्तर	5–86
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	
श्री मोनिस, निवासी घसीयारी मंडी, लखनऊ का पुलिस द्वारा फर्जी चालान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86–89
सीतापुर जनपद में राजकीय नलकूपों को चालू कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	89
देवरिया जनपद में चेचक जैसा रोग फैलने तथा दवा का प्रबन्ध न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	89
पूर्वांचल चीनी मिल मजदूर यूनियन द्वारा किये जा रहे क्रमिक अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	89–90
शाहजहांपुर जनपद में बढ़ रहे अपराधों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
मितई (बाराबंकी) में डा0 भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा गायब किये जाने से उत्पन्न रोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90–91
अतरौलिया (आजमगढ़) बस स्टेशन पर स्थित दुकानों में लगी आग से हुई क्षति तथा क्षतिपूर्ति दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
विभिन्न प्रकार की गाड़ियों के लिये टैक्सी परमिट दिये जाने के सम्बन्ध में परिवहन मंत्री का वक्तव्य	91–92
दिनांक 12 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 171 को सात बार स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	92–93
माध्यमिक शिक्षा परिषद् के परीक्षा केन्द्रों के बदलने से उत्पन्न कठिनाई के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	93–96
आदर्श जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, टान्डा के अध्यापकों को वेतन न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	96
गोरखपुर में स्वीकृत अस्पतालों को न खोले जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	97
श्री मुलायम सिंह यादव काण्ड की जांच सी0 बी0 आई0 को अभी तक न सौंपे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	97–101

विषय	पृष्ठ-संख्या
दिनांक 7 मार्च, 1984 को गंगापुर स्थित कालोनी के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन की पूर्ति न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	101-104
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1984--(पुरः स्थापित किया गया)	104
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	105-115
1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 44-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, अनुदान संख्या 56-शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 59--संसदीय कार्य विभाग (विधान मंडल) तथा अनुदान संख्या 68-सांस्कृतिक कार्य विभाग--(जारी)	115-147
सदन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव--(स्वीकृत) ..	148
1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 44--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, अनुदान संख्या 56-शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 59-संसदीय कार्य विभाग (विधान मंडल) तथा अनुदान संख्या 68--सांस्कृतिक कार्य विभाग--(जारी)	148-154
वित्तीय वर्ष 1983-84 के तृतीय अनुपूरक अनुदान--(प्रस्तुत किया गया)	154
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	154
1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 44-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, अनुदान संख्या 56-शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 59-संसदीय कार्य विभाग (विधान मंडल) तथा अनुदान संख्या 68-सांस्कृतिक कार्य विभाग--(स्वीकृत)	155-166
बुलन्दशहर मुख्यालय में एक कोतवाल द्वारा एक आई० ए० एस० अधिकारी को पीटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य	166-169
विक्रम काटन मिल, लखनऊ में मजदूरों द्वारा हड़ताल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य	169-172
टांडा (फैजाबाद), बहराइच तथा गोन्डा के निवासियों को साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने पर बधाई का प्रस्ताव--(अस्वीकृत) ..	172-193
विधान सभा की विभिन्न समितियों के लिये निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना	193-194
प्रदेश के ग्रामों में जल निगम द्वारा लगाये गये हस्तचालित पम्प उचित रख-रखाव के अभाव में खराब होने के विषय में दिनांक 25 फरवरी, 1984 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 16 नत्थी 'ध' के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा--(चर्चा नहीं हुई) ..	194
नत्थियां	195-208

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 13 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—331

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवर मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुल्तन भैय्या) (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम रत्नाकर, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव एडवोकेट, श्री (एटा)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान ज हिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खवाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गेन्दा देवी श्रीमती (बस्ती)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैया, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्र भान सिंह, श्री (बांदा)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)

जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटा शंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जितेन्द्र शाह, श्री (जालौन)
जियाराम शुक्ल, विकल संकेती, श्री (फैजाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थक्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीप नरायन बन महन्थ, श्री (गोंडा)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पान्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुव प्रसाद राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री (पौड़ीगढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री (एटा)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद बिशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह बिशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)

महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, (मिर्जापुर)
यमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्र, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राज मंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायन सिंह (एडवोकेट), श्री (गाजीपुर)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरामणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियाज अहमद, श्री (पीलीभीत)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणिजी) (इलाहाबाद)

लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डक्टर (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विश्वनाथ, श्री (देवरिया)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शम्भू नाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी-गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीष अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बख्श रावत, श्री (लखनऊ)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमनलता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)

नोट--गन्ना विकास मंत्री श्री सुरेन्द्र पाल सिंह एवं पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास राज्य मंत्री श्री राम सजीवन भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 13 मार्च, 1984 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

संस्कृत विद्यालयाध्यापक समिति

का क्रमिक अनशन एवं मांग

**1--श्री भगवती सिंह विशारद तथा श्री सूबेदार सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि दिनांक 15 फरवरी, 1984 को दारुलशफा, लखनऊ की (चहारदीवारी) की सीमा के अन्दर मान्यता एवं अनुदान प्राप्त संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक क्रमिक अनशन कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या है और उनको पूरा करने में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा एवं सांस्कृतिक कार्य राज्य मन्त्री (श्री राम सिंह)--

प्रादेशिक संस्कृत विद्यालयाध्यापक समिति, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 1984 को अनशन समाप्त किया जा चुका है। उनकी मांगें संलग्न सूची में अंकित हैं। मांगों पर विचार किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 195 पर।)

श्री भगवती सिंह विशारद--

मान्यवर, क्या शिक्षा मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन मांगों में शासन कब तक निर्णय ले लेगा और इन स्वीकृत मांगों को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, 3 माह का समय हमने निर्धारित किया है और हम सहानुभूति-पूर्वक मांगों पर विचार कर रहे हैं और तीन महीने के अन्दर यथासंभव निर्णय ले लेंगे।

श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या मन्त्री जी को यह ज्ञात है कि मार्च, 1983 को उप शिक्षा निदेशक, संस्कृत के पद से पूर्व प्रवेश में संस्कृत विद्यालयों में नियुक्तियों के सम्बन्ध में जो नियम बने थे, उन्हीं के अन्तर्गत 1981-82 में नियुक्त अनुमोदित और विधिवत् कार्यरत अध्यापकों को वेतन अबतक क्यों नहीं दिया जा रहा है और क्या वेतन देने के आदेश मन्त्री जी देंगे ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, यह भी एक बिन्दु मांगों में था, इस पर भी विचार किया जा रहा है और हम यथासंभव 31 मार्च तक निर्णय ले लेंगे ?

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, उत्तर में 22 फरवरी, 1984 को अनशन समाप्त हो गया है और यह भी जानकारी है कि मन्त्री जी ने हस्तक्षेप किया तब अनशन समाप्त हुआ, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब अनशन समाप्त हुआ उस समय इन्होंने कोई अध्यापकों को आश्वासन दिया था, वार्ता के दौरान, यदि हां, तो वह आश्वासन क्या थे ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, जैसा मैंने पहले बताया है कि उनसे वार्ता हुई थी और मांगों पर समुचित विचार करके तीन महीने में यथासंभव निर्णय ले लेंगे।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत अध्यापक और संस्कृत इस देश की आर्य भाषा है, तो इन अध्यापकों में कौन सा विभेद है कि संस्कृत अध्यापकों का स्तर उनसे विभिन्न है ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य किस सम्बन्ध में स्तर जानना चाहते हैं ?

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं । जैसा कि प्रदेश के अन्य विद्यालयों के अध्यापकों की वेतन और सुविधायें नियमित हैं, उनको देखते हुये संस्कृत अध्यापको के प्रति ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है ?

श्री राम सिंह—

माननीय, परिस्थितियां अलग-अलग हैं और संस्कृत अध्यापक ट्रेन्ड नहीं होते हैं जबकि दूसरे विद्यालयों में ट्रेन्ड अध्यापक रखे जाते हैं, इसके अलावा उनको पढ़ाने के लिये कितने लड़के हैं और किस प्रकार की परिस्थितियां होंगी, तो अलग-अलग संदर्भ में अलग-अलग परिस्थितियां हैं । बाकी इनकी मांगें, सेवा शर्तें, उनका वेतनक्रम आदि सभी चीजें हैं, उन पर विचार किया जा रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, सौतेला व्यवहार के सम्बन्ध में मैं शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित करूंगा कि उनकी मांग संख्या 5 को देखें जिसमें दिया गया है—"अन्य शिक्षा संवर्गों की भांति संस्कृताध्यापकों को भी "वेतन वितरण अधिनियम" के अन्तर्गत मासिक वेतन भुगतान किया जाये । तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शासन ने अनुभव किया कि प्रबन्धीकरण अध्यापकों का शोषण करता है, पूरा वेतन और समय पर वेतन नहीं देते हैं, इसलिये अन्य शिक्षा संवर्गों में इंटरमीडिएट, हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित कालेजों आदि सभी को वेतन वितरण के अन्तर्गत ले लिया, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो संस्कृत अध्यापक हैं उनको वेतन वितरण अधिनियम के तहत न लेने का क्या कारण है और इस पर विचार करने की जो बात सरकार ने कही है, उस पर विचार करके कबतक इसमें निर्णय ले लिया जायेगा, जिससे उनको नियमित वेतन प्राप्त हो सके ?

श्री राम सिंह—

शासन का प्रयास है कि इनको वेतन वितरण निश्चित रूप से विधिवत् होता रहे । उनकी यह भी मांग है और सहानुभूतिपूर्वक हम इस पर विचार कर रहे हैं और निर्णय शीघ्रातिशीघ्र करने जा रहे हैं ।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

संस्कृत प्राच्य भाषा है और इसके सम्बन्ध में यह माना जाता है कि यह हिन्दी की जननी है, तो मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इसको सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सभी संस्कृत अध्यापकों को नियमित एवं पूर्ण वेतन तुरन्त दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह—

मैंने तो अभी कहा है, हम लोग इनको पूरा वेतन और समय से वेतन वितरण का प्राविधान करने पर विचार कर रहे हैं और यह इनकी मांग है और इस पर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करके शीघ्र निर्णय लेने जा रहे हैं ।

श्री भोला लाल—

क्या मन्त्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जिस तरह से बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों को सीधे बैंक से चेक द्वारा वेतन दिया जाता है, उसी तरह से उनको भी वेतन चेक द्वारा वितरित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह—

माननीय, यह बेसिक शिक्षा अधिकारी के अन्तर्गत विद्यालय नहीं चलते हैं, यह संस्कृत विश्वविद्यालय, बनारस के अन्तर्गत चलते हैं । तो किस प्रकार की व्यवस्था की जायेगी, इसमें बहुत से विन्दु इन्वाल्वड हैं, उन पर निर्णय लेने से पहले यह कैसे कहा जा सकता है कि किसके द्वारा किये जायेंगे ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा अभी मन्त्री जी ने कहा है कि यह अन्य अध्यापकों के बारे में है और वह प्रशिक्षित होते हैं, इसका उससे भिन्न है, तो संस्कृत शिक्षा के बारे में सरकार का दृष्टिकोण क्या है ? वह किस रूप से संस्कृत शिक्षा का संचालन करना चाहते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ?

श्री राम सिंह--

उनके अलग डिप्टी डायरेक्टर हैं, इंस्पेक्टर्स अलग हैं और संस्कृत विषय से वह सम्बद्ध हैं, तो उस तरह से उनका संचालन हम कर रहे हैं ।

श्री सूबेदार सिंह--

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से दो चीजें जानना चाहता हूं, नम्बर-1 अभीतक संस्कृत अध्यापकों के लिए कोई इस प्रकार की नियमावली नहीं है, जिसके अन्तर्गत उनकी सेवायें गवर्न होती हों । तो जबतक उनके लिए यह नियमावली नहीं बनती है, उस वक्त तक जो माध्यमिक शिक्षकों की नियमावली है, उसके अनुसार उन्हें गवर्न करने के लिए निर्देश देंगे और भविष्य में क्या उनकी सेवाओं के लिए सम्पूर्ण नियमावली बनाने की वह सदन में घोषणा करेंगे ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, मैंने बताया है कि इस प्रकार की कार्यवाही अति शीघ्र हो रही है । इस हेतु अभी हमने शिक्षा निदेशक, संस्कृत, महोदय को 23 फरवरी, 1984 व 3 मार्च, 1984 को यहां शासन में बुलाया था और कार्यवाही कर रहे हैं, सेवा नियमावली भी बनवा रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

भीखा लाल जी के प्रश्न के उत्तर के सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह से शासन के द्वारा विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री कालेज के अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों को वेतन वितरण चेक द्वारा किया जाता है, तो ठीक वही विधि अपनाते हुए, उनको भी वेतन वितरण चेक द्वारा न कराने का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह--

इस पर विचार किया जा रहा है और विचार किया जायेगा ।

प्रदेश में सिंचाई हेतु विद्युत् आपूर्ति में वृद्धि किये जाने की मांग

**2--श्री विश्वनाथ, श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री हरिवंश सहाय--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु बीस घंटा प्रतिदिन विद्युत् देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त एवं ऊर्जा मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

जी नहीं ।

वर्तमान समय में प्रदेश में इतनी विद्युत उपलब्ध नहीं है कि किसानों को सिंचाई हेतु 20 घंटे प्रतिदिन विद्युत् आपूर्ति की जा सके ।

श्री विश्वनाथ--

इस बात को देखते हुये कि पूरी बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही है, सरकार बिजली के रेट कम करने पर विचार करेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

बिजली जिस रेट पर दी जाती है वह 2 घंटे के लिये पूरी हो जाती है ।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या माननीय मन्त्री जी बिजली उत्पादन की क्षमता को बढ़ाकर बिजली सप्लाई को भी और बढ़ायेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

उसके लिये तो हमारा प्रयास निरन्तर जारी है ।

श्री धम्मन सिंह गहलौत--

माननीय मन्त्री जी ने देहात में जो 8 घंटे बिजली देने की घोषणा की है वह कहीं नहीं दी जा रही है । कहते यह हैं कि बिजली की उपलब्धता नहीं है । जब कि शहरों में 24 घंटा बिजली दी जा रही है तथा 5 स्टार और 3 स्टार वाले होटलों को बराबर बिजली मिलती रहती है । तो शहर की बिजली काट कर देहात की बिजली की सप्लाई को और बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

शहरों की बिजली बन्द करके देना सम्भव नहीं होगा । लेकिन फिर भी उत्पादन का 42 प्रतिशत बिजली हम गांवों में दे रहे हैं । हमने अपने अधिकारियों को यह आदेश भी दे रखे हैं कि वे अपने क्षेत्र में जाकर दौरा करें और देखें कि बिजली पहुंच रही है या नहीं । जहां की शिकायत आती हैं, मैं उनको विशेष तौर से देखता भी हूं ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

यह देखते हुये कि आजकल कटाई का सीजन आ गया है और किसान चाहेगा कि वह शीघ्र से शीघ्र अपना अनाज काट कर घर ले आये, इसको देखते हुये क्या मन्त्री जी और अधिक बिजली देने पर विचार करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मड़ाई आदि के लिये भी हम बिजली उपलब्ध करायेंगे । उसके लिये भी व्यवस्था कर रहे हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिय क्या मन्त्री जी इस प्रकार के आदेश देंग कि जहां पर वायर कटिंग के कारण यदि किसी नलकूप को बिजली की सप्लाई बन्द हो गई है, तो वह 15 दिन के अन्दर वायरिंग करके बिजली उपलब्ध करा दी जायेगी, या बिजली की खराबी के कारण नलकूपों को बिजली नहीं जा रही है तो एक हफ्ते में वह उपलब्ध करा दी जायेगी, तथा अगर कहीं पैसे के अभाव में, स्टेट ट्यूब वैल्स को बिजली देना सम्भव नहीं हो रहा है, वायरिंग आदि का काम रुका है, तो तुरन्त कहीं से पैसे की व्यवस्था करा कर एक माह के अन्दर बिजली उन नलकूपों को उपलब्ध हो जायेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

माननीय सदन ने तीन बातें कहीं हैं । जहां तक स्टेट ट्यूबवेल का सवाल है मैंने हर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहा है कि वह पूरी रिपोर्ट दें कि कहां ट्यूबवेल बिजली की वजह से खराब हैं और कहां पर मैकेनिकल डिफेक्ट्स की वजह से खराब हैं । यह भी कहा है कि अगर बिजली के डिफेक्ट की वजह से खराब है तो 15 दिन के अन्दर उसकी मरम्मत करानी चाहिये और अगर मैकेनिकल डिफेक्ट है तो उसके लिये इरीगेशन विभाग से कहा जाय । जहां तक कारपोरेशन के ट्यूब वेल्स का सवाल है, उसके बारे में पूरी लिस्ट मांगी है । मैं विश्वास दिलाता हूं कि बिजली देने के लिये धन की कमी नहीं होने पायेगी ।

श्री रियासत हुसैन--

मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री यशपाल सिंह (बुलन्दशहर)--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के संदर्भ में, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि रात में 8 घंटे तथा दिन में 6 घंटे बिजली सुनिश्चित कर दी गयी है और बिजली किसानों को मिल रही है । मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जो आप 8 घंटे बिजली दे रहे हैं, उसमें कम

कम 50--60--70 तक टिपिंग आते हैं। इसका कारण यह है कि जो सब स्टेशन हैं, उनकी छमाही और वार्षिक ओवरहालिंग तथा देखरेख, जो होनी चाहिये वह कर्मचारी लोग नहीं कर पाते हैं, तो क्या इन सब-स्टेशन्स की देखभाल करने के लिये कोई तानक बनायेंगे और उस पर कार्यवाही करेंगे ताकि टिपिंग न बढ़े और जो टाइम आपने सुनिश्चित किया है, उस टाइम के अनुसार किसानों को बिजली मिलती रहे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हमारे सब-स्टेशनों की मरम्मत होनी चाहिये, जहां-जहां नये सब स्टेशन बन रहे हैं, उनको शीघ्र पूरा होना चाहिये, जहां पर सब स्टेशन नहीं हैं वहां बनने चाहिये इसके अलावा कैपेसिटर्स की व्यवस्था होनी चाहिये। मैं सारे मामले को देखकर तर्कसंगत कार्यक्रम बना रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि इसको लागू करने से स्थिति में सुधार होगा।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय उर्जा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों का आधे से अधिक योगदान है, वहां पर 80 प्रतिशत जनता निवास करती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक योगदान देखते हुये कुल विद्युत उत्पादन का उतना भाग उनको मिलना चाहिये, जितना उनका आर्थिक योगदान है। तो जितना उनका योगदान है उतने प्रतिशत बिजली कृषि क्षेत्र को देने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, यह योगदान का फारमूला इतना साधारण नहीं है मैंने निवेदन किया कि 40 से 42 फीसदी बिजली दे रहे हैं। योगदान तो 55 फीसदी जरूर है, लेकिन बहुत सारे उद्योग हैं जिनके ऊपर कृषि आधारित है। जैसे पंपसेट, उर्वरक, इन सबको बिजली देना जरूरी है ताकि कृषि की आवश्यकता पूरी हो सके।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, जेतली साहब के प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बताया कि रबी की फसल की कटाई हो रही है। अगर माननीय सदस्य ने रबी की फसल को बोने की बात पूछी होती तो उसका उत्तर मंत्री जी दे देते। फसल किस स्थिति में इस समय है यह मंत्री जी को पता नहीं है। मंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक समय तक बिजली देने से साफ इंकार कर दिया है। मेरी सुनिश्चित जानकारी है और शिकायत के रूप में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बुलन्दशहर के अन्दर 2, ढ़ाई या तीन घंटे से ज्यादा रात या दिन में बिजली नहीं आ रही है। तो क्या मंत्री जी आज ही ऐसा आदेश करेंगे कि लखनऊ से एक विशेष दल जाकर जांच करे और विद्युत सप्लाई को नियमित कराये ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, बुलन्दशहर में जब पहली पलेवा हो रही थी, तो मैं मौजूद था। मुझे खुशी है कि अच्छी तरह पलेवा हुई और गेहूं बोया गया। बुलन्दशहर के लोगों को आभार प्रगट करना चाहिये और आभार प्रगट भी किया। लेकिन बुलन्दशहर की शिकायत जो आप कर रहे हैं, तो मैं हर जिले की देखभाल कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी मैं यह चाहता था, बहुत से प्रश्न किये गये हैं, जहां तक सिंचाई आदि का सम्बन्ध है, मैं पश्चिमी जिलों का रहने वाला हूं बहुत से विधायकों ने इस सम्बन्ध में शिकायत की है। श्री किरन पाल सिंह की सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। क्या आप इस बात को पसन्द करेंगे कि एक घंटे की चर्चा इस मामले पर किसी दिन रख दी जाए।

श्री ब्रह्म दत्त--

मैं तैयार हूं मान्यवर, एक निवेदन मैं करना चाहता हूं।

श्री जटाशंकर सिंह—

मान्यवर, आपका आदेश हो गया है ।

श्री ब्रह्म दत्त—

मैं एतराज नहीं कर रहा हूं । यह चर्चा मैंने स्वीकार की है । एक साधारण सी बात कह रहा हूं । यह चर्चा तो मैंने स्वीकार किया, लेकिन किसी भी ऐसे विषय में जो सार्वजनिक हित की बात है, उस पर चर्चा की मैं हमेशा स्वागत करता हूं, उससे मुझे सुझाव प्राप्त होते हैं और अपनी बात कहने का मौका मिलता है ।

श्री अध्यक्ष—

जिन-जिन जिलों में बिजली के बारे में समस्यायें हैं, वे माननीय सदस्य मंत्री जी को लिखकर दे दें, ताकि वह सूचना प्राप्त कर सकें और अच्छी तरह से जवाब दे सकें ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बेरोजगार ग्रेजुएट्स को बेकारी भत्ता दिये जाने की मांग

1—*श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी बेरोजगार ग्रेजुएट्स को बेकारी भत्ता देने की योजना पर शासन विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो योजना कब तक लागू हो जायेगी ?

प्राविधिक शिक्षा एवं श्रम राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

जी नहीं ।

बेरोजगारी समस्या का सार्थक निदान कृषि उद्योग तथा अन्य व्यवसायों में उत्पादन बढ़ाकर किया जाना है । छठीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है । इस पृष्ठ-भूमि में ग्रामीण रोजगार योजनायें चलाने के लिए छठीं पंचवर्षीय योजना में विशेष बल दिया जा रहा है । साथ ही स्वतः रोजगार योजना को प्रभावी बनाने का निरन्तर प्रयास है ।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, यह बड़ी ज्वलंत समस्या है और हमारे देश के अन्य प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता देना शुरू हो गया है । अभी जो माननीय मंत्री जी ने उपाय बताये हैं, वह स्वागत के योग्य हैं, लेकिन उनको लागू करने में अभी समय लगेगा, जब तक माननीय मंत्री जी द्वारा बताये गये उपाय कारगर हो पायें, तब तक बेरोजगार ग्रेजुएट्स को बेरोजगार भत्ता देने की कृपा करेंगे, बेरोजगारों का उनके परिवारों पर बहुत बड़ा भार पड़ रहा है । तो इसके लिए इस प्रकार का कोई भत्ता देने का प्राविधान करेंगे, जब तक उनको रोजगार न मिले, ताकि उनका काम चलता रहे ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, बेरोजगारी बहुत बड़ी गम्भीर समस्या है । बेरोजगारी भत्ता देने से आने वाले समयों मे इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, बल्कि प्रयास यह किया जा रहा है कि अधिक से अधिक हम नवजवानों को रोजगार उपलब्ध करायें, क्योंकि शिक्षित बेरोजगारों की ही समस्या नहीं है, बल्कि अशिक्षित बेरोजगारों का समस्या अधिक है । हमारी जो प्लान है, जो हमारा बजट है, उसके मुताबिक हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक हम रोजगार उपलब्ध करा कर उनके भविष्य को उज्जवल बनायें ।

श्री सरदार सिंह--

अभी-अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अशिक्षित, अनपढ़ लोगों में बेरोजगारी अधिक ह और शिक्षित लोगों में बेरोजगारी कम हैं, तो मान्यवर, आंकड़ों के अनुसार मैं जानना चाहता हूं कि कितने ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं ।

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, हमारे प्रदेश में 89 सेवा-योजन कार्यालय हैं और 2, 40, 679 (बेरोजगार) ग्रेजुएट्स पंजीकृत हैं ।

श्री राम कुमार भार्गव--

मान्यवर, जैसे ग्रामीण अंचल में 100 दिवस रोजगार देने के लिए योजना बनाई है, क्या ऐसे ही शहर में भी बनायेंगे, यहां के बेरोजगारों के लिए ? यह मैं इस परिपेक्ष्य में कह रहा हूं, परिपेक्ष्य यह है कि कई फैक्टरियों और आफिस में ओवर टाइम वाली बात होती है, तो वहां पर बेरोजगार नवजवानों के लिए एक रोजगार दिवस की ऐसी योजना बनाने का विचार करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, जहां तक ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों का कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत कम से कम एक व्यक्ति को एक परिवार में 100 दिन का रोजगार प्राप्त कराने की बात है, शहरों में हर एक व्यक्ति यह चाहता है कि उसको सेलरी जाब प्राप्त हो जाय और जो पार्ट-टाइम कुछ समय के लिए काम करने की बात है, वह भी बहुत प्रतिष्ठानों में ऐसी बात है, तो मैं समझता हूं कि उसके लिए कोई विशेष योजना बनाने की बात नहीं है । हम शहरों में स्वतः रोजगार देने पर बल दे रहे हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, यह देखते हुए कि मन्त्री जी ने सिद्धान्तः इस चीज को स्वीकार किया, लेकिन संसाधन की कमी की वजह से बेरोजगारी भत्ता देने में असमर्थ हैं । क्या कोई बंटवारा करेंगे, हाईस्कूल या इन्टरमीडिएट या ग्रेजुयेट तक जैसे संसाधान हों, जिनके नाम सेवा-योजन कार्यालय में रजिस्टर्ड हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता देना प्रारम्भ करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

बेरोजगारी भत्ता देने का इस समय शासन का कोई विचार नहीं है । लेकिन जो प्रशिक्षित रोजगार ह इस बात पर विशेष बल दिया जा रहा है कि उन्हें स्वतः रोजगार के माध्यम से नियोजित कराया जाय ।

बेरोजगार, अप्रेन्टिस एसोसिएशन का क्रमिक अनशन

*2--श्री राम सागर तथा श्री मोती लाल देहलवी--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के समक्ष दिनांक 3-2-84 से बेरोजगार अप्रेंटिस आई0 टी0 आई0 एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश का क्रमिक अनशन चल रहा है ? यदि हां, तो अप्रेंटिस बेरोजगारों की क्या मांगें हैं तथा उस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां, बेरोजगार अप्रेन्टिस एसोसिएशन का बैनर लगाये कुछ व्यक्तियों द्वारा क्रमिक अनशन किया जा रहा है । उनकी प्रमुख मांगें आई0 टी0 आई0 से प्रशिक्षित सीधे अथवा अन्यथा लिये गये अप्रेन्टिस को उनकी अप्रेन्टिसशिप की अवधि समाप्त होने पर जिन प्रतिष्ठानों में उन्होंने व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, सेवायोजित किये जाने हेतु आरक्षण किये जाने तथा जब तक उन्हें सेवायोजित नहीं किया जाता, अन्य अप्रेन्टिसों को प्रशिक्षण हेतु न लिये जाने के सम्बन्ध में है । उनकी उपर्युक्त मांग राज्य विद्युत् परिषद् के सन्दर्भ में विशेष रूप से है । साथ ही उनकी

मांगें अप्रेन्टिस ट्रेनिंग के दौरान शारीरिक क्षति का मुआवजा दिये जाने तथा अप्रेन्टिसों के लिये सेवा में नियुक्ति की अधिकतम सीमा बढ़ाये जाने की हैं ।

अप्रेन्टिसों की भरती और उनकी सेवा सम्बन्धी शर्तें अप्रेन्टिस एक्ट, 1961 से बन्धित हैं । यह केन्द्रीय शासन का अधिनियम के अनुसार सेवा-योजकों के लिए अप्रेन्टिसों को सेवा में रखना अनिवार्य नहीं हैं । किसी अधिष्ठान को रिक्तियों की पूर्ति हेतु अप्रेंटिसों की सेवायोजित करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता । राज्य शासन द्वारा राजकीय विभागों एवं प्रतिष्ठानों तथा अन्य सेवायोजकों को यह सुझाव दिये गये हैं कि वे अपने अधिष्ठान में प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए अप्रेंटिसों को सेवा में वरीयता दें । कानून की स्थिति देखते हुए इससे अधिक दबाव सेवायोजकों पर नहीं डाला जा सकता ।

यह उल्लेखनीय हैं कि अप्रेंटिसशिप योजना व्यवहारिक प्रशिक्षण की योजना हैं । किसी भी प्रतिष्ठान को एक निर्धारित संख्या में अप्रेंटिसशिप का प्रशिक्षण देना होता हैं । इस व्यवहारिक प्रशिक्षण का लाभ न केवल वेतन भोगी सेवा के लिए हैं वरन् यह अनुभव आना कारोबार खोलने के लिए कहीं अधिक लाभदायक हैं । अतः अप्रेंटिसों की भरती की संख्या कम करना अथवा उसे रोक देना नवयुवकों के हित में न होगा ।

दुर्घटना आदि की क्षतिपूर्ति का प्राविधान अप्रेंटिस ऐक्ट में हैं और अप्रेंटिसों को सामान्य श्रमिकों के समान ही दुर्घटना क्षतिपूर्ति की जाती हैं । इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन वांछित नहीं हैं । अप्रेन्टिस ऐक्ट के अधीन सीधी भरती से लिए जाने वाले अप्रेंटिस की आयु सीमा 14 वर्ष रखी गई हैं । सबसे अधिक लम्बी अवधि का प्रशिक्षण 4 वर्ष का होता हैं । अतः ऐसी स्थिति मे अप्रेंटिसों के लिए सेवा में नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने का औचित्य नहीं हैं ।

अप्रेंटिसों को नियुक्ति प्रतिष्ठानों में उनकी योग्यता, स्थान की उपलब्धता तथा उनकी उपयोगिता पर निर्भर करती हैं और जैसा ऊपर कहा गया हैं इनके लिए स्थानों का आरक्षण संवैधानिक न होगा ।

श्री अध्यक्ष--

इतना लम्बा उत्तर नहीं आना चाहिये । प्रतिलिपि संलग्न कर देना चाहिये ।

श्री सुनील शास्त्री--

3-2-84 से हड़ताल हैं । मैंने सोचा कि इस पर पूरी तरह से सदन को अवगत करना आवश्यक हैं ।

श्री राम सागर--

मान्यवर, यह बेरोजगार 2 माह से आमरण अनशन पर हैं । पहले क्रमिक अनशन पर थे । वह इतने लम्बे समय से आमरण अनशन पर हैं । उनकी हालत चिन्ताजनक हैं । अभी तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ । 1978 से बेरोजगार आई0 टी0 आई0 ...

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें ।

श्री राम सागर--

मैं यह जानना चाहता हूं कि सन् 78 के आई0 टी0 आई0 बेरोजगारों को कहीं नौकरी नहीं दी गई, इसका क्या कारण हैं ?

श्री सुनील शास्त्री--

माननीय सदस्य इस समय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से जो छात्र प्रशिक्षित होते हैं, उनके बारे में प्रश्न कर रहे हैं । यह अपना नाम सेवायोजन कार्यालय में रजिस्टर्ड कराते हैं । और जहां रिक्तियां होती हैं, इनको भेजा जाता ह । सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करा दिया जाता हैं । साथ ही साथ एप्रेन्टिस जिन्होंने किया वह अलग प्रकार का प्रशिक्षण हैं और भारत सरकार इसको

पूर्ण रूप से देखती है। इसमें अलग-अलग प्रकार के कोर्सेज हैं और इसको पूरा करना और इम्तिहान में बैठना आवश्यक है। सन् 1962 से यह योजना चल रही है और केवल चार हजार छात्रों ने इसमें प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इम्तिहान दिया है। इनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे रोजगार न मिला हो। अधिकतर व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो गया है। जो यहां पर आमरण अनशन कर रहे हैं, इन्होंने अपना इम्तिहान पूरा नहीं किया है, इन्हें आवश्यकता इस बात की है कि प्रशिक्षण के बाद जो इम्तिहान आयोजित किये जाते हैं, उनमें बैठें और पास करें। जब यह पास कर लेंगे तो इनको हम स्वतः रोजगार योजना है, इसमें भी हम इनको दे सकते हैं।

श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय अध्यक्ष जी, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि भारत सरकार के ऐक्ट का हवाला दिया गया। क्या केन्द्र सरकार ने पत्र संख्या डी0 जी0 टी0 डी0 9 जुलाई, 1982 ए0 पी0 9 मार्च, 1983 द्वारा कोई आदेश राज्य सरकार के पास भेजा है, यदि हां, और वह आदेश प्राप्त हुआ है? तो वह आदेश क्या है?

श्री सुनील शास्त्री--

माननीय, सरकार द्वारा गठित एक केन्द्रीय शिशिक्षु का परिषद् है, जिसने इस बात को बताया था कि 50 प्रतिशत एप्रेन्टिस का प्रशिक्षण सेवायोजन के लिये किया जाये।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मन्त्री जी क्या यह कहते हुये कि बेरोजगार एप्रेन्टिस आई0 टी0 आई0 के लोग बहुत अरसे से क्रमिक अंनशन और आमरण अंनशन चला रहे हैं उनके इस आन्दोलन को समाप्त करने पर उनकी मांगों पर विचार करेंग?

श्री सुनील शास्त्री--

इसमें हम प्रयत्नशील हैं और इस पर विचार कर रहे हैं। इनसे अनुरोध किया जा रहा है कि स्वतः रोजगार योजना है. अगर यह योगदान दें तो स्वतः रोजगार योजना में दिया जा सकता है।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) श्री शिव प्रसाद पांडेय, फर्रुखाबाद का चिकित्सीय अवकाश

*3--श्री दूधनाथ राजभर (अनुपस्थित) तथा श्री सन्त बख्श रावत--

क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अपर जिलाधिकारी, फाइनेंस रेवेन्यू, फर्रुखाबाद के लगातार 7 माह से चिकित्सीय अवकाश पर रहने तथा उनके स्वास्थ्य में सुधार न होने के कारण फर्रुखाबाद जनपद में अपर जिलाधिकारी (फाइनेंस रेवेन्यू) की जगह रिक्त चल रही है तथा अपर जिलाधिकारी (फाइनेंस रेवेन्यू) के कार्य को देखने वाले अपर जिलाधिकारी (परियोजना), जिनका स्थानान्तरण जनरल मैनेजर, शुगर मिल (कायमगंज), फर्रुखाबाद हो जाने के फलस्वरूप दो अपर जिलाधिकारियों की जगह खाली चल रही है, परिणामस्वरूप रजिस्ट्री आदि का कार्य न होने के कारण जनता को अत्यधिक परेशानी उठानी पड़ रही है? ऐसी परिस्थिति में शासन जनहित में किसी अन्य योग्य अपर जिलाधिकारी (फाइनेंस रेवेन्यू) की जनपद फर्रुखाबाद में शीघ्र नियुक्ति कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

सूचना एवं सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)--

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) फर्रुखाबाद श्री शिव प्रसाद पांडेय राजकीय कार्य से दिनांक 1 जुलाई, 1983 को जीप से लखनऊ गये थे। वापसी में जीप दुर्घटना में

अत्यन्त गम्भीर रूप से घायल होने पर दिनांक 3 जुलाई, 1983 से चिकित्सीय अवकाश पर है। अतः फर्रुखाबाद जनपद में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के पद पर वह सम्प्रति कार्यरत नहीं है। परिणाम स्वरूप अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के पद का कलेक्ट्रेट से सम्बन्धित कार्य जनपद के अन्य अधिकारियों को वितरित कर दिया गया है तथा उक्त पद का स्टाम्प एवं रजिस्ट्री से सम्बन्धित कार्य अपर जिलाधिकारी (परियोजना) श्री राम राज सिंह, जिनकी नियुक्ति जनरल मनेजर, कायमगंज सहकारी चीनी मिल, फर्रुखाबाद के पद पर दिनांक 31-10-1983 से हुई है, अपने कार्य के साथ-साथ अभी भी कर रहे हैं। जनपद में रजिस्ट्री आदि का कार्य नियंत्रित ढंग से सुचारु रूप से चल रहा है। ऐसी स्थिति में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के पद पर किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

श्री सन्त बख्श रावत--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि 7 मार्च से निरन्तर अपर विद्युत एवं राजस्व का पद रिक्त है, इस कार्य को अभी तक जो अपर जिला अधिकारी परियोजना थे, यह देख रहे थे। परियोजना में भी कार्य बहुत अधिक होता है। ऐसी स्थिति में मान्यवर, उनका स्थानान्तरण भी सहकारी चीनी मिल में हो गया ? तो क्या जनपद में कोई अपर जिला अधिकारी नहीं था जिससे कार्य कराया जाता ? क्या माननीय मंत्री महोदय जो जनपद में अपर जिलाधिकारी हैं, उनसे कार्य कराने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, वहां पर 6 पी0 सी0 एस0 अधिकारी पहले से मौजूद हैं और उनके बीच कार्य का वितरण कर दिया गया है और काम सुचारु रूप से चल रहा है

श्री सन्त बख्श रावत--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद में रजिस्ट्री से सम्बन्धित कार्य सुचारु रूप से नहीं हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से निश्चित रूप से जानना चाहता हूं कि जब वहां का कार्य प्रभावित हो रहा है, तो वहां जनपद के किसी अन्य योग्य अधिकारी से कार्य कराने में क्या आपत्ति है ? क्या माननीय मंत्री जी जनपद के किसी अन्य अधिकारी को यह कार्य करने के लिए देंगे ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी कि कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। विगत वर्ष में 306 वाद सामने आए थे, जबकि इस वर्ष 469 वाद निस्तारित कर दिये गये, अतः कार्य सुचारु रूप से चल ही नहीं रहा है बल्कि उसमें पहले से वृद्धि हुई है। जहां तक दूसरे ए0 डी0 एम0 या जिलाधिकारी की बात है, वहां के जिलाधिकारी की रिपोर्ट आयी है कि कार्य सुचारु रूप से चल रहा है और किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी पाण्डे जी शीघ्र स्वस्थ होने वाले हैं और जल्दी ही कार्य प्रारम्भ कर देंगे।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्प संख्यक वर्ग के राजपत्रित अधिकारी

*1--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि 31 दिसम्बर, 1983 को उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजपत्रित अधिकारी थे, उनमें से कितने अनुसूचित

जाति के एवं कितने जनजाति के, कितने पिछड़े वर्ग के और कितने अल्पसंख्यक वर्ग के थे ?

श्री राम सिंह--

अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग के राजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में वांछित सूचना अभी भी अधिकांश विभागों से उपलब्ध नहीं हो सकी है । इसे उपलब्ध करने में समय लगेगा ।

अल्पसंख्यक वर्ग के सम्बन्ध में स्थिति दिनांक 28 फरवरी, 1984 को दिये गये उत्तर में स्पष्ट की जा चुकी है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, वह सूचना साल डेढ़ साल से उपलब्ध करायी जा रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब राजपत्रित अधिकारियों की लिस्ट यहीं पर रहती है और उनकी पत्रावली व चरित्र-पंजिका भी यहीं रहती है, तो अब तक सूचना देने में विलम्ब होने का क्या कारण है ? यह प्रश्न पहले आया और अब फिर आया है । तो इसमें विलम्ब का क्या कारण है ? क्या सरकार सूचना इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि शिड्यूल्ड कास्ट एवं शिड्यूल्ड ट्राइब्स की काफी जगहें भरी नहीं हैं और यह झूठ साबित हो रहा है ?

श्री राम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, 28-2-84 को यह प्रश्न इस सम्मानित सदन में आया था और मान्यवर, इस तरह से यह अपेक्षा की गयी थी कि इसके बाद दो माह का समय मिलता । आप देख लीजिये 28-2-84 से दो माह का समय नहीं हुआ है । हम प्रयास कर रहे हैं । हमने 14-3-84 को अधिकारियों की बैठक भी बुलाई है, उसमें यह सूचना एकत्र करेंगे । दो माह का समय आपने स्वयं दिया था ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, पहले देखें यह प्रश्न 17-1-84 को आया हुआ है । आपने जो कहा कि 28-2-84 का है, तो यह 17-1-84 का प्रश्न है । पुस्तकें आपके पास सेक्रेटेरियट में रहती हैं । आपको सब बातें मालूम रहती हैं । मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इतना समय क्यों लग रहा है ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, थोड़ा सा समय और दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

कितने दिन और चाहिये ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, डेढ़ माह का समय और दे दीजिये ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब शासनादेश है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आरक्षण की जो बात है, हर विभाग में उसकी अधिकतम भर्ती की जाय और उसके सालाना आंकड़े रहने चाहिये । यह प्रश्न दिसम्बर में पूछा गया था, सरकार के पास आ गया होगा कि कितने अधिकारी राजपत्रित शिड्यूल्ड कास्ट के हैं । इसमें सरकार जानबूझ कर डिले क्यों कर रही है, यह बतावें । आपके पास सूचना तो रहती है, यह सूचना कि हर जिले में कितने राजपत्रित अधिकारी हैं और कितने प्रतिशत आरक्षण का कोटा पूरा है, वह सूचना आपको देने में क्या कठिनाई है ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, शासन की यह नीति है कि जितने भी, चाहे वह जनजाति के कोटे के हों या अनुसूचित जाति के हों, जितना भी उनका निर्धारित रिजर्वेशन है, उसको पूरा करने का शासन का सदैव प्रयास रहता है और रहेगा । यहां पर समय की बात है । मैंने पहले ही निवेदन किया कि डेढ़ महीने का

समय और दे दिया जाय । हम निश्चित रूप से सूचना इस सदन को उपलब्ध करवा देंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न तो उठा नहीं रहा हूं, केवल आपका ध्यान नियमों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । नियमों में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी प्रश्न को दो बार से ज्यादा स्थगित नहीं किया जा सकता है । श्रीमन्, यह प्रश्न पहले ही दो बार स्थगित किया जा चुका है और आज भी माननीय मंत्री जो इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे हैं । जानबूझकर माननीय मंत्री जी इसका सही उत्तर नहीं दे रहे हैं । मान्यवर, हमें एक पुस्तक दी गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों आदि के प्रतिनिधित्व के बारे में लिखा गया है और इसमें पुरानी जानकारी दी गई है । हमने जो प्रश्न किया था, उसमें हमने लेटेस्ट जानकारी चाही थी । इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इस प्रश्न को संदर्भ समिति के सुपुर्द कर दें ताकि वहां पर बैठकर इस पर विचार किया जा सके कि किन कारणोंवश माननीय मंत्री जी इसका उत्तर देने में विलम्ब कर रहे हैं या फिर आप अपने विवेक से घोषित करें । डेढ़ महीने का समय यह सदन देने को तैयार नहीं है । जैसा कि माननीय श्री मोहन सिंह जी अभी संकेत कर रहे थे कि नियमतः 15 दिन के अन्दर उत्तर आ जाना चाहिये । आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें ?

श्री अध्यक्ष--

इस प्रश्न को मैं प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के सुपुर्द करता हूं और सरकार को आदेश देता हूं कि 3 हफ्ते के अन्दर इस प्रश्न का उत्तर सदन में आ जाना चाहिये ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, नियमतः 15 दिन के अन्दर उत्तर आना चाहिए ।

(माननीय श्री राम सिंह द्वारा नियमों का पालन न करते हुए कुर्सी से उठकर सदन से बाहर जाने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

श्री राम सिंह जी कृपया वापस आयें तथा भविष्य में शिष्टाचार के नियमों का ध्यान रखें ।

माघवाकिया रेंज (गोरखपुर) के रेंजर, श्री एस0 पी0 यादव का निलम्बन

*2--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या वन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि माघवाकिया रेंज (गोरखपुर) के रेंजर (श्री एस0 पी0 यादव) को गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप में चन्द माह पूर्व निलम्बित किया गया था ? क्या यह सच है कि उन्हें अब बहाल कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रमुख आरोप क्या थे ? उनकी जांच कब एवं किस अधिकारी ने की ? क्या यह भी सच है कि जांच के समय आरोपकर्त्ता को सूचना नहीं दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

वन एवं पशुधन राज्य मंत्री (श्री संजय सिंह)--

जी हां । श्री एस0 पी0 यादव को कतिपय आरोपों के सम्बन्ध में निलम्बित किया गया था ।

श्री यादव के प्रत्यावेदन तथा उसके सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति पर विचार करने के उपरांत मुख्य वन संरक्षक (नि0) ने श्री यादव को इस शर्त के साथ बहाल कर दिया कि इससे

उनके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही किसी प्रकार प्रभावित नहीं होगी ।

निलम्बन के समय श्री यादव के विरुद्ध आदेशों की अवहेलना करने तथा लाटों में बिना राजस्व जमा कराये उधार निकासी दिये जाने के आरोप थे ।

उक्त आरोपों की प्रारम्भिक जांच 20-7-1982 को सहायक वन संरक्षक, निचलौल व उप वन संरक्षक उत्तरी गोरखपुर ने की ।

चूंकि आरोपों की रिपोर्ट सहायक वन संरक्षक, निचलौल, ने दी थी, अतः आरोपकर्ता को जांच के समय सूचना न देने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रभागीय वन अधिकारी की संस्तुति क्या थी, जिस आधार पर आपने उसे बहाल कर दिया ?

श्री संजय सिंह--

मान्यवर, उन्होंने संस्तुति की थी कि इस व्यक्ति श्री एस० पी० यादव ने खेद व्यक्त किया है और यह आश्वासन दिया है कि उनके जरिये जो बकाया धनराशि जमा होनी थी, वह उन्होंने दिनांक 25-10-1982 को जमा कर दी है । अब शेष धनराशि 10 हजार 22 रुपये रह गई है । इस पर भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि यह राशि जमा कर दी जायेगी । इस आधार पर उन्हें बहाल कर दिया गया था ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि दिनांक 20-7-1982 को इस मामले की जांच करायी गयी । माननीय मंत्री जी क्या उस जांच अधिकारी का रिपोर्ट को इस सदन में पढ़कर सुनायेंगे कि वह रिपोर्ट क्या थी ?

श्री संजय सिंह—

मान्यवर, उनके खिलाफ 3 चार्जेज थे । एक तो उन्होंने एक वन दरोगा, श्री अवतार सिंह को उनकी तैनाती के लिए कार्य मुक्त नहीं किया और अनुशासनहीनता की । दूसरा एक गेट-मैन था, जिसकी वहां से सेवायें समाप्त कर दी गयी थी, किन्तु उसे फिर रख लिया और तीसरा आरोप यह था कि लाटों में बिना राजस्व जमा कराये उधार निकासी दे दी गयी । इन 3 आरोपों की वजह से उन्हें निलम्बित किया गया । 18 अगस्त, 1983 को इन्हें चार्जशीट दी गयी और उसके बाद मुख्य वन संरक्षक ने इसकी जांच करायी । बहाल इनको इस शर्त पर किया गया जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था । 15 अक्तूबर, 1982 तक उन्होंने वायदा किया था कि वसूली पूरी कर देंगे । 2,28,270 05 रु० यह पूरा बकाया था, 25-10-1982 को उसमें से अधिकांश पैसा उन्होंने भुगतान किया था और बाकी 10,022 रु० 50 पै० अवशेष रह गया था । इन मामलों की प्रारम्भिक जांच उप वन संरक्षक, उत्तरी गोरखपुर तथा सहायक वन संरक्षक, निचलौल ने दिनांक 20 जुलाई, 1982 को की । इससे अलावा भी श्री यादव के विरुद्ध एक अन्य मामला भी सामने आया था जो कि अटकहवा पाइल ब्रिज से सम्बन्धित था । उन पर इस मामले में 3,750 रु० की क्षति पहुंचाने का आरोप था । यह जो आरोप हैं, इन पर आधारित आरोप पत्र प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा 27 जनवरी, 1984 को अनुमोदित करके वह संरक्षक, पूर्वी वृत्त को जांच अधिकारी उसका बनाया गया वन संरक्षक, पूर्वी वृत्त ने दिनांक 2-2-1984 को श्री यादव को उक्त आरोप पत्र दिया और जिसके जवाब के लिये श्री यादव ने 20-3-84 तक का समय मांगा है । अनुशासनिक कार्यवाही की बाबत कार्यवाही चल रही

हैं और उनके खिलाफ यह जांच हो जायेगी और आरोप अगर सिद्ध होंगे तो उसके खिलाफ जो भी कार्यवाही होनी होगी, वह निश्चित की जायेगी ।

(तारांकित प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर)

श्री रियासत हुसैन––

मान्यवर, अक्तूबर, 1982 तक जमा होना था, शेष इसमें 10 हजार रुपये के लगभग हैं, तो अब तो इसमें दो साल की अवधि बीत गयी उस 10 हजार रुपए का क्या हुआ ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

[दिनांक 13 मार्च, 1984 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1––श्री कुंवर सिंह नेगी––

[18वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या–1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष एवं राज्य वन्य जन्तु के चयन पर विचार

*2––श्री जयदीप सिंह बरार––

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष एव राज्य वन्य जन्तु के चयन पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो तो इस पर अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायगा ?

श्री संजय सिंह––

राज्य वन्य जीव सलाहकार परिषद् की दिनांक 30-7-1983 को हुई बैठक में राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष एवं राज्य पशु के चयन पर की गयी संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अपनी अनुशंसा भारत सरकार के पर्यावरण विभाग को भेज दी है । भारत सरकार द्वारा इस पर अन्तिम निर्णय लिया जाना है । उनके निर्णय की प्रतीक्षा है ।

श्री जयदीप सिंह बरार––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्य वन्य जीव सलाहकार परिषद् ने कौन–कौन से राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष एवं राज्य वन्य जन्तु की बाबत संस्तुति की थी और इन संस्तुतियों को ध्यान में रख कर के सरकार ने कौन–कौन सी अनुशंसा भारत सरकार के पर्यावरण विभाग को भेजी है ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जब राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष एवं राज्य वन्य जन्तु का चयन होना था और यह प्रदेश की संस्कृति और प्रदेश के जन जीवन एवं और सब बातें इससे जुड़ी हैं, तो क्या कारण है कि उनके बारे में राय जानने के लिये सरकार ने कोई भी ऐसा प्रयास नहीं किया और जन प्रतिनिधियों तथा अन्य लोगों में इन संस्तुतियों को प्रचलित नहीं किया ?

श्री संजय सिंह––

मान्यवर, आपकी आज्ञा से, राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष एवं राज्य वन्य जन्तु के चयन पर राज्य वन्य जीवन सलाहकार परिषद् की 30–7–1983 को जो बैठक हुई थी एक बात माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जन प्रतिनिधियों से राय नहीं ली गयी, तो इसकी बाबत कहना चाहूंगा कि जो वन जन्तु बोर्ड है, उसमें हमारे जन प्रतिनिधि भी हैं, हमारे अधिकारी भी हैं और जो भी वन जन्तुओं का शौक रखते हैं, उनको भी उसमें रखा गया है और जो अनुशंसा की गयी है, उसकी बाबत बताना चाहूंगा कि उसमें पक्षी के रूप में सारस, बाज, बंगाल फ्लोरिकन, जिसे लोग या खरमोर कह सकते हैं और राज्य वृक्ष के रूप में कदम्ब, अशोक, पाकड़ व पीपल एवं आम तथा राज्य वन्य जीव के रूप में हाथी, बारहसिंघा, चौसिंघा, काला हिरन इनकी संस्तुति की थी । मैं आपके जरिये से माननीय सदस्य को अवगत करना चाहता हूं कि जो यह दिया गया

हैं, यह देखकर के कि हमारे प्रदेश में कौन से वृक्ष, कौन से पक्षी और या कौन से वन्य जन्तु विशेष तौर पर पाये जाते हैं। उनके संरक्षण व उनको बढ़ाने का प्रयास करना है। और उनकी भारत सरकार के लिये प्रस्तुत की गयी है, यह अनुशंसा।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी और राज्य वन्य जन्तु की सूची बतायी। मैं यह जानना चाहता हूं कि "भालू" को इन्होंने राज्य वन्य जन्तु में क्यों नहीं माना है? इसका विशेष कारण बताने की कृपा करेंगे?

(हंसी)

श्री संजय सिंह--

मान्यवर, जैसा मैंने बताया बोर्ड है, देहरादून में बैठक हुई, जैसा सर्व सम्मति से निश्चय किया गया, वैसा ही हुआ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

क्या माननीय मन्त्री जी को यह बात मालूम है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे देवदार हैं उत्तर काशी में, जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहां से उसका बीज और पौधा दुनिया के दूसरे देशों में ले जाया गया है। हमारे प्रदेश में, अगर माननीय मन्त्री जी को मालूम हो तो बतायें कि बाज का जो पेड़ है, क्या वह पर्वतीय क्षेत्र में किसानों का सबसे बड़ा दोस्त नहीं है? फिर देवदार और बाज का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? इसे सूची में क्यों नहीं शामिल किया गया?

[× × ×]

[× ×]

श्री अध्यक्ष--

इस प्रश्न को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

श्री संजय सिंह--

जैसा माननीय सदस्य ने सलाह दी बाज के लिए, तो जो निर्णय लिए जाते ह, वह पूरे उत्तर प्रदेश की निगाह में रखकर लिए जाते हैं, हिल्स के लिए कोई विशेष बात नहीं है। पेड़, वन और वन्य जन्तु हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह प्रसिद्ध हैं, उसी हिसाब से निर्णय लिया गया है।

सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों के कर्मचारियों की सेवा नियमावली

*3--श्री पंचानन राय तथा श्री रेवती रमण सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कोई सेवा नियमावली बना ली गई है? यदि नहीं, तो क्यों? अब तक इन कर्मचारियों की सेवाएं किन नियमों के अन्तर्गत संचालित होती है?

श्री प्रमोद कुमार--

प्रदेश के अधिकांश सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावलियां बन चुकी हैं। शेष उद्यमों में सेवा नियमावली बनाने की कार्यवाही प्रगति में है। ऐसे उद्यमों जिनकी सेवा नियमावली बनाई जा रही है, के कर्मचारियों की सेवा निगम के कार्यकारी आदेशों तथा शासन के सामान्य नियमों से विनियमित होती है।

श्री पंचानन राय--

मैं जानना यह चाहता हूं कि कितने सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम हैं? कितनों में सेवा नियमावली बना दी गई है? किन में प्रक्रिया चल रही है? और किनमें बनाना प्रारम्भ नहीं हुआ है?

श्री प्रमोद कुमार--

कुल 57 निगम हैं, 38 में सेवा नियमावली बना ली गई है, 19 जो बचे

नोट--[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हैं, उनमें सेवा नियमावली का बनाना विचाराधीन है । कोई ऐसा नहीं है जिसमें प्रक्रिया न चल रही हो ।

श्री मुख्तार अनीस--

जो सरकारी कर्मचारी निगमों में हैं, उनका यह तबादला करते हैं ? यदि करते हैं, तो कितने तबादले हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष--

इसको यह कैसे बता सकेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार--

इसके लिए तो सूचना की आवश्यकता होगी । इसको प्रशासकीय विभाग चलाता है, हम नहीं चलाते हैं ।

श्री डी0 के0 पण्डा, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, बलिया का स्थानान्तरण एवं उनके साथ गाली-गलौज की घटना

*4--श्री मोहन सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि मई, 1982 में पुलिस अधीक्षक, बलिया, श्री पण्डा जब सपरिवार स्थानान्तरण के बाद बलिया से जा रहे थे तो कतिपय असामाजिक तत्वों ने उन्हें तथा उनके परिवार को मारा-पीटा ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)--

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना के सम्बन्ध में श्री सूर्यनाथ शुक्ला, प्रतिसार निरीक्षक की प्रथम सूचना के आधार पर दिनांक 30-5-82 की धारा 143/341 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत थाना कोतवाली, बलिया पर अपराध पंजीकृत किया गया ।

विवेचना से श्री डी0 के0 पण्डा उनके परिवार के सदस्यों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार अथवा मार-पीट करने का तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ । अभियुक्तों द्वारा केवल श्री पण्डा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने, गाली-गलौज व नारेबाजी करने तथा उनका पीछा करने की बात प्रकाश में आई । विवेचनोपरांत सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजे जा चुके हैं ।

श्री मोहन सिंह--

30-5-82 को बलिया की कोतवाली में जो मुकदमा पंजीकृत हुआ, उसके मुख्य बिन्दु क्या हैं और उसमें किन-किन व्यक्तियों का नाम दिया है ? जो एफ0 आई0 आर0 लिखाई गई है, वह क्या लिखाई गई है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, एफ0 आई0 आर0 में यह दिया गया कि कांग्रेस आई0 के विधायक, श्री भोला पाण्डेय और उनके 10-15 समर्थक जिनके नाम सर्वश्री दिग्विजय पाण्डेय, सुभाष राय, राम जी पाण्डेय और चन्द्रशेखर उपाध्याय घटना के समय थे और विवेचना के समय 4 व्यक्तियों के नाम आए सर्वश्री महेन्द्र शुक्ला, शिवानन्द उपाध्याय, सहदेव चौबे तथा अजय कुमार ।

कई सदस्य--

दफाएं कौन-कौन सी लगाई गयी थीं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

दफाएं 143/341 भा0दं0वि0 की लगाई गयीं थी ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैंने पहले भी यही प्रश्न किया था कि जो अपराध पंजीकृत कर या गया है और जो एफ0आई0आर0 लिखाई गई है, वह क्या है और मान्यवर, यह मामला बहुत ही संगीन है कि एक पुलिस कर्मी के साथ उस वक्त विशेष कर गाली-गलौज, नारेबाजी और उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना

जबकि वह तबादले पर अपने परिवार के साथ जा रहा था । यदि इस मामले में गम्भीरता से विचार करके इस धृष्टता को रोका नहीं गया तो प्रदेश में अराजक स्थिति और अधिक खराब हो जायेगी। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम पर, इससे हम सब पर बहुत बड़ा धब्बा लगेगा, इसलिए मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो रपट लिखाई गई है, वह क्या लिखाई गई है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, जो एफ0 आई0 आर0 लिखायी गयी है, उसे मैं पढ़े देता हूं "इन्सपेक्टर इन्चार्ज कोतवाली, बलिया, आज दिनांक 30 मई, 1982, समय करीब 8.00 बजे प्रातः सरकारी गाड़ी से सरकारी कार्य से बनारस जा रहा था । गाड़ी में श्री देवेन्द्र किशोर पंडा, पुलिस अधीक्षक अपने परिवार सहित थे । जब गाड़ी कटहल नाला स्थित चुंगी के पास पहुंची तो श्री भोला पांडेय, विधायक कांग्रेस (आई0) समर्थक दस-पन्द्रह लोग अवैधानिक रूप से एकत्र होकर पूर्व द्वेष के कारण बैरियर को गिरा कर सड़क बन्द कर दिये, जिससे गाड़ी आगे न जा सकी । मैंने गाड़ी में से उतर कर नम्रतापूर्वक कहा कि रास्ता खोल दें और हमें जाने दें, इस पर उन लोगों ने कहा कि हम न जाने देंगे और वे लोग पंडा मुर्दाबाद, भौला पाण्डेय, जिंदाबाद आदि-आदि के नारे लगाने लगे । मैं गाड़ी से उतर कर बैरियर को उठा दिया तथा गाड़ी को आगे लेकर बढ़ा । वे लोग दो गाड़ियों में बैठकर हमारा पीछा करने लगे और नारेबाजी करते रहे । हमारी गाड़ी बढ़ती रही और गाजीपुर पहुंचे हैं और मिले हैं । मैं घटना की सूचना यहां आपको लिखित दे रहा हूं जो रास्ता अवरोध किये, उसमें दिग्विजय पांडेया सुभाष राय, श्री राम जी पांडेय और चन्द्र शेखर उपाध्याय जो नाम से पहिचाना । शेष को सूरत से इस घटना को चुंगी के कर्मचारी तथा आने-जाने वालों ने देखा है । सूरज भानु शुक्ला, पुलिस लाईन, बलिया दिनांक 30 मई, 1982 गाजीपुर ।

फैजाबाद, कचहरी में श्री अरविन्द सिंह पर प्राण घातक हमला

*5--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद की कचेहरी में श्री अरविन्द सिंह पर प्राणघातक हमला दिनांक 25 फरवरी, 1983 को कुछ अधिवक्ताओं द्वारा किय गया जिनकी जांच सी0आई0डी0 को सौंपी गयी थी ? यदि हां, तो क्या जांच पूरी कर ली गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? जांच के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव --

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 25 फरवरी, 1983 को जनपद फैजाबाद की कचेहरी में श्री अरविन्द सिंह पुत्र श्री रामबचन सिंह, बालकराम, कालोनी, कैंट, फैजाबाद तथा श्री अवधेश प्रताप सिंह आदि अधिवक्ताओं के मध्य घटित घटना के सम्बन्ध में दोनों पक्षों द्वारा परस्पर विरोधी सूचना थाना कोतवाली, फैजाबाद पर प्राप्त हुई है । श्री अवधेश प्रताप सिंह की सूचना पर अपराध संख्या 253/83 धारा 307 भा0 दं0 वि0 श्री अरविन्द सिंह के विरुद्ध पंजीकृत हुआ है जबकि श्री अरविन्द सिंह की सूचना पर श्री अवधेश कुमार सिंह आदि अधिवक्ताओं के विरुद्ध अपराध संख्या 253-ए-83 धारा 395 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया है ।

यह सही है कि उपर्युक्त मामलों की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गयी है । जांच अभी पूरी नहीं हुई है, अतः प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि किस तिथि को

यह जांच जांचकर्ता अधिकारी को सौंपी गयी है और उसके पूरे न होने के अब तक क्या कारण है ? जबकि पूरा एक साल हो गया है ।

श्री रणजोत सिंह जूदेव--

26 फरवरी, 1983 को शासन के आदेशों से यह मामला सी0 आई0 डी0 के समक्ष जांच के लिये दे दिया गया है और जल्द से जल्द कोशिश की जायेगी कि जांच पूरी हो जाय ।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, यह जो जांच चल रही है, यह जांच कब तक निश्चिततौर पर पूरी करा लेंगे और दूसरी बात यह कि क्या दोनों पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष कोई राजीनामा पेश किया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

इसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

आप यह न कहकर यह कहिए कि सूचना की आवश्यकता है, क्योंकि जब मैंने इसे स्वीकार कर लिया है, तो इसका उत्तर स्पष्ट दीजिए ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, मैंने इसमें स्पष्ट रूप से यह कहा कि मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि दोनों पक्षों ने कोई राजीनामा पेश किया है या नहीं ?

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी इसकी निश्चित डेट मुझको बतला दें ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, इसमें विस्तृत विवेचना की जा रही है, जानकारी इकट्ठा की जा रही है, प्रयत्न किया जा रहा है कि यह शीघ्र ही पूरी हो जाय ।

बाराबंकी जिले के ग्राम सोहामऊ निवासी श्री मंसा राम अवस्थी की हत्या

*6--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्या गृह मन्त्री को पता है कि ग्राम सोहामऊ, थाना रामनगर, जिला बाराबंकी निवासी श्री मंसाराम अवस्थी का सिर 16-10-83 को कुछ व्यक्ति उनके नलकूप से काटकर भाग गये थे ? यदि हां, तो क्या नामजद अभियुक्त पकड़ गये ? सम्बन्धित मामले में गुप्तचर जाँच किसके आदेश से की जा रही है ? क्या सम्बन्धित मामले में प्रश्नकर्ता ने 1 नवम्बर, 1983 को डी0 आई0 जी0, फैजाबाद को दस्ती पत्र भेजा था यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

जी हां ।

प्रश्नगत घटना के नामजद चार अभियुक्तों में से एक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, दो ने न्यायालय में आत्मसर्पण किया तथा शेष एक अभी तक फरार है । इस मामले में गुप्तचर जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा पुलिस महानिदेशक के आदेश से की जा रही है । प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1 नवम्बर, 1983 प्राप्त हुआ था जिस पर फैजाबाद परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक ने पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को राजपत्रित अधिकारी द्वारा जांच कराये जाने के आदेश भेजे थे । किन्तु पुलिस महानिदेशक के आदेशों के अनुपालन में सम्प्रति इस घटना की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा प्रचलित है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि दिन-दहाड़े 16 अक्तूबर, 1983 को श्री मंसा राम अवस्थी का सिर काट कर हत्या कर दी गयी और जब उस केस में पुलिस

अपना काम कर रही थी और इसके सम्बन्ध में एक मुल्जिम गिरफ्तार भी हुआ, फिर इस सामान्य प्रक्रिया के चलते हुए किन कारणों से इसको जांच गुप्तचर जांच अपराध अनुसंधान विभाग को श्री श्रीशचन्द्र दीक्षित ने सौंपी ? क्या आगे भी इस सामान्य प्रक्रिया के तहत जो जांच चलती है तो अन्य लोगों को भी सी० आई० डी० की जांच की सुविधा प्रदान करने का कष्ट करेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, यह वाजपेयी जी का बड़ा टेढ़ा प्रश्न है । इसमें 4 अभियुक्त थे जिसमें से एक को गिरफ्तार करने की कार्यवाही की गयी थी । उसका कहना था कि इसमें पुलिस की रंजिश है इसलिये इस केस को सी० आई० डी० को जांच के लिये दे दिया गया । उसने जब इच्छा प्रकट की कि यह केस सी० आई० डी० को दे दिया जाय, तभी यह जांच के लिये सी० आई० डी० को दिया गया है ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । आप स्वयं अनुभवी हैं और आपको आई० पी० सी० की सभी धाराओं का भलीभांति ज्ञान है । जांच की प्रक्रिया का जब आप एक आधार ले लेंगे, सम्बन्धित मामले में प्रश्नकर्ता ने डी० आई० जी० को दस्ती पत्र भेजा था और उस पर डी० आई० जी० ने आदेश किये कि जांच किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा करायी जाय । यह जो मंत्री जी कह रहे हैं इसमें कोई बात सत्य नहीं है, श्रीशचन्द्र दीक्षित ने किस प्रयोजन से इसे पुलिस से लेकर सी० आई० डी० से कराये जाने के लिये हस्तक्षेप किया, मैं इसमें आपका संरक्षण चाहता हूं मान्यवर--

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप अपनी बात कहें, किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप न करें ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मैं यह कह रहा था कि श्री श्रीशचन्द्र दीक्षित जो कि एक थानेदार का काम कर रहे हैं, इनका हस्तक्षेप रोककर क्या मंत्री जी उनके इस अवैध आदेश को रद्द करके इस केस में जो जांच पुलिस द्वारा सामान्य प्रक्रिया से हो रही थी, उस आदेश को पुनः लागू करायेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमन्, अभी तक तो ऐसा कोई उदाहरण नजर में नहीं आया है कि किसी केस की जांच सी० आई० डी० को दे दी जाय और फिर उसको वापस लेकर पुलिस के द्वारा जांच करायी जाय ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

जब इस केस में पुलिस अपना काम कर रही थी तो फिर बीच में पुलिस महानिदेशक ने इसमें क्यों हस्तक्षेप किया ? जब डी० आई० जी० के आदेश को वे काट सकते हैं तो क्या इस आदरणीय सदन में माननीय मंत्री जी इस बात को स्वीकार करते हुए कि सी० आई० डी० को जांच के लिये सौंप देना गलत था, इस आदेश को रद्द करते हुए क्या पुनः पुलिस द्वारा जांच कराये जाने के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमन्, माननीय सदस्य का कहना सही है कि पुलिस का जो डाइरेक्टर जनरल होता है वह उस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, पर महानिदेशक ने जब सी० आई० डी० के जांच के आदेश दे दिये हैं तो इस बात पर न्याय विभाग से राय लेकर कि जब सी० आई० डी० की जांच के लिये आवश्यकता नहीं थी तो क्यों न इसे पुनः पुलिस को जांच करने के लिये दे दें, यदि न्याय विभाग की राय होगी तो वैसा किया जायेगा ।

श्री राम औतार दीक्षित--

यह सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराये जाने के आदेश किसके प्रार्थना-पत्र के आधार पर हुए थे ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

कमलेश अभियुक्त के पिता अयोध्या प्रसाद मिश्र के कहने पर हुई ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, सामान्य व्यवस्था है, बड़ी गम्भीर बात है, स्वयं अभियुक्त जो है, उसके प्रार्थना पर सी0 आई0 डी0 की इन्क्वायरी के आदेश नहीं दिये जा सकते हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले की जांच कराने की कृपा करेगी, शासन की प्रक्रिया है कि सी0 आई0 डी0 की जांच नहीं कराई जा सकती है । महानिदेशक इसके दोषी हैं और जानबूझकर मामले को समाप्त करने की कोशिश की है, क्या माननीय मंत्री जी इसकी भी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

सी0 आई0 डी0 को जांच दी जा चुकी है, अब उसको देख लिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा यह सवाल नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

बैठें । मैंने ओझा जी को बुलाया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि सी0 आई0 डी0 की जांच का एक कार्य पूरा हुआ है, एक दो वर्ष और चल सकती है और माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि न्याय विभाग से राय लेकर इस पर पुनर्विचार करेंगे तो मैं जानना चाहता हूं कि सी0 आई0डी0 बड़ी है या शासन या यह आदरणीय सदन । तो माननीय मन्त्री जी को ऐसा उत्तर देने का क्या औचित्य है, क्या वह आश्वासन देंगे कि जांच की प्रक्रिया को बन्द करके जो सामान्य प्रक्रिया चल रही थी, उसी से जांच करा ली जायेगी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

जो माननीय सदस्य ने कहा, अभी तो ऐसा नहीं हुआ है कि सी0 आई0 डी0 को इंक्वायरी दे दी जाये और फिर पुलिस द्वारा करायी जाये । न्याय विभाग से राय लेकर इसको देख लिया जायेगा । मैं वाजपेई जी से सहमत हूं कि इस मामले में सी0 आई0 डी0 से जांच कराने की आवश्यकता नहीं थी । लेकिन जब सी0 आई0 डी0 को जांच सौंप दी है तो कानून को देखते हुए उसको वापस लेने की व्यवस्था की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जो सवाल उत्पन्न हुआ है, उससे इस बात का स्पष्ट सबूत मिलता है कि महानिदेशक, इस मामले में कदाचार के दोषी हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि महानिदेशक उन्हें जान बूझकर इस मामले को सी0आई0डी0 में भेज कर अभियुक्तों को बचाने की चेष्टा की है, तो क्या माननीय मन्त्री जी इस मुद्दे पर जांच करा लेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

माननीय सदस्य का सुझाव स्वीकार है और उसकी जांच करा लेंगे ।

*7--श्री प्रियदर्शी जेतली--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

*8--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[दिनांक 28-2-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 34 द्वारा उत्तरित ।]

मुरादाबाद के थाना मुण्डा पाण्डे की पुलिस द्वारा मोहम्मद अजहर को गोली मार कर की गयी हत्या

*9--श्री रियासत हुसैन--

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि दिनांक 6-10-82 को जब मुरादाबाद गये थे तो श्री मो0 अजहर को पुलिस थाना मुन्डा पान्डे, जनपद मुरादाबाद द्वारा कस्टडी में लिए जाने के बाद हथकड़ी डालकर गोली से मारने के सम्बन्ध में श्रीमती अमीर जहां पत्नी श्री शहजादे का बयान हल्फी, जो उक्त घटना की चश्मदीद गवाह है, मिला था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

जी हां। कथित हलफनामा जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है। प्रश्नगत घटना की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है।

श्री रियासत हुसैन--

यह देखते हुये कि इस घटना में मृतक के सम्बन्धियों की रिक्वेस्ट पर 1-10-82 को सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराने की मांग की गई थी लेकिन जांच मजिस्ट्रेट द्वारा हो रही है। लोगों में इस मजिस्टीरियली इन्क्वायरी से असन्तोष बढ़ रहा है और उन्होंने यह प्रार्थना की है इस घटना की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करा ली जाये, तो क्या माननीय मन्त्री जो इस घटना की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करायेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

चूंकि मजिस्टीरियल जांच हो रही है और अगर माननीय सदस्य उससे सन्तुष्ट नहीं होंगे तो सी0 आई0 डी0 से करा दी जायेगी। उसका रिजल्ट तो आ जाने दें अगर सन्तुष्ट नहीं होंगे तो सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच करा दी जायेगी।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, दो साल हो गये अभी तक मजिस्टीरियल इन्क्वायरी की रिपोर्ट नहीं आयी। मजिस्ट्रेट का तबादला हो गया। इस तरह से एक मजिस्ट्रेट से दूसरे और दूसरे से तीसरे मजिस्ट्रेट के पास यह इन्क्वायरी चली गई। इस तरह से दो साल हो गये हैं। इससे रिपोर्ट भी प्रभावित हो सकती है। इसलिये आप इसको सी0 आई0 डी0 को भेज दें तो यह ट्रांसफर वाला चक्कर भी समाप्त हो जायेगा और रिपोर्ट भी आ जायेगी।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, मेरी राय इसको सी0 आई0 डी0 को भेजने की नहीं है। इस पर मजिस्टीरियल जांच हो रही है। उसकी रिपोर्ट आ जायेगी और उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे...

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य के पास कहां फाइल जायेगी। पत्रावली तो आपके पास होगी। निर्णय तो आपको करना होग।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, उस जांच से अगर मैं सन्तुष्ट नहीं होऊंगा तो सी0 आई0 डी0 से इन्क्वायरी करा देंगे।

विधायकों को प्रदान की गयी अंगरक्षक की सुविधा

*10--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान विधान सभा के कितने विधायकों को 1-8-83 को उनकी सुरक्षा के लिए शैडो दिए गए हैं और शैडो दिए जान के आधार क्या हैं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

दिनांक 1-8-83 को वर्तमान विधान सभा के 131 विधायकों को सुरक्षार्थ अंगरक्षक लगे हुए थे । अंगरक्षक, उनके जीवन को भयंकर भय दृष्टिगत होने के आधार पर दिये गये ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, यह 121 नहीं बल्कि 131 विधायकों के बारे में है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन 131 विधायकों को अंग रक्षक दिये गये हैं उनमें कितने सत्ता पक्ष के हैं और कितने विपक्ष के हैं ? दूसरी बात यह है कि भयंकर भय को सुनिश्चित करने का आपका क्या आधार है जो कि आपने चुना है । किस तरह से आपने यह सुनिश्चित किया कि किसी विधायक को भयंकर भय पैदा हो गया है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, जो मेरे पास 131 विधायकों की सूची है उसमें हमारी सरकार ने भेद-भाव नहीं किया है कि यह सत्ता पक्ष के हैं और यह विपक्ष के हैं । हम लोग माननीय सदन के सदस्यों को एक नजर से देखते हैं । अगर किसी माननीय सदस्य ने यह लिखकर दिया कि उनका जनजीवन खतरे में है तो उनकी बात मानो, उनको अंगरक्षक दिया और पुलिस की रिपोर्ट मांगी ।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन विधायकों ने लिखकर अपनी सुरक्षा के लिये अंगरक्षक की मांग की, उनके अतिरिक्त भी शासन या जिला स्तर द्वारा ऐसे सम्मानित विधायकों को अंगरक्षक दिये गये जिन्होंने मांग नहीं की थी ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से विधायक हैं ? बगैर उनकी मांग के जिला शासन ने क्यों उनको अंगरक्षक दिये हैं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, माननीय सदस्य प्रश्न दुहरा दें ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न दुहरा दें ।

(व्यवधान)

(श्री प्रियदर्शी जेतली के खड़े न होने तथा श्री राम आसरे वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री प्रियदर्शी जेतली—

इसमें आप सूचना मंगाकर उसे सदन को देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

पहले आप बैठिये ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन 131 विधायकों के बारे में उन्होंने सदन में बताया उनकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

श्रीमन्, जनहित में उसको सदन के पटल पर रखना ठीक न होगा । आपके कक्ष में मैं इस सूची को दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है । इसे आप मेरे कक्ष में पहुंचा दें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न सम्बन्धित है विधायकों की सुरक्षा से । क्य

माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस प्रदेश में जब कोई राजपत्रित अधिकारी अपनी सुरक्षा के लिये असलहे की मांग करता है तो पुलिस की रिपोर्ट नहीं ली जाती है लेकिन इस आदरणीय सदन के सदस्य जब इसके लिये आवेदन पत्र देते हैं तो उसकी रिपोर्ट पुलिस को जायेगी जिसको दीवान लिखता है और तब जाकर पुलिस कप्तान विचार करता है कि दिया जाय या न दिया जाय । इस प्रक्रिया को देखते हुये क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि अगर विधायक अपनी सुरक्षा के लिये आवेदन-पत्र देते हैं तो उनको लाइसेंस देने में किसी भी पुलिस कर्मचारी की संस्तुति की आवश्यकता नहीं पड़गी ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, जब-जब आवेदन-पत्र दिया उस पर आदेश दे दिया गया कि अंग-रक्षक दे दिया जाय ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न को शायद सुना नहीं । मैं अंगरक्षक की बात नहीं कर रहा हूं, असलहों, रिवाल्वर आदि के लाइसेंस की बात कर रहा हूं । जब गजेटेड आफिसर इनके लाइसेंस के लिए एप्लाई करता है तो उसमें किसी पुलिस अधिकारी से कमेन्ट नहीं लिया जाता है और लाइसेंस इश्यू कर दिया जाता है लेकिन जब इस आदरणीय सदन के सदस्य लाइसेंस के लिए मांग करते हैं तो पुलिस कानिस्टेबुल से रिपोर्ट ली जाती है । तो क्या माननीय मंत्री जी सदन और माननीय सदस्यों की गरिमा को देखते हुए यह आश्वासन देंगे कि अगर कोई विधायक असलहे का लाइसेंस चाहता है तो बिना किसी की संस्तुति के वह दे दिया जायेगा ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, वैसे इस प्रश्न का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्बन्ध में विचार लूंगा आइंदा ऐसा न हो ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1977 के चुनाव के बाद और 1980 के चुनाव के पूर्व कितने ऐसे विधायक थे जो इस बीच विधायक नहीं रह गये है और उनके पास भी अंगरक्षक बने हुए हैं ? वह किन परिस्थितियों में हैं और कितनों के साथ हैं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, इसके लिए सूचना की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । यह केवल विधायकों के बारे में प्रश्न किया गया है ।

श्री अध्यक्ष--

(श्री गोरे लाल शाक्य के खड़े होने पर) आपके पास तो शैडो है ।

(व्यवधान)

आप कक्ष में मिल लीजिये ।

श्री गोरे लाल शाक्य--

हमारे शैडो ने हमारे ऊपर वार किया । तो जो शैडो विधायकों के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं उनको टरमिनेट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं

*11--श्री मित्रसेन--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

विद्युत् उत्पादन केन्द्रों को कोयले की आपूर्ति के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*12--श्री सरदार सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत् उत्पादन केन्द्रों (ताप गृहों) पर आने वाले

कोयले की होने वाली भारी चोरी के सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र दिनांक 1 मार्च, 1983 को प्रश्नकर्त्ता को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो शासन ने उक्त चोरी को रोकने के लिए अब तक क्या प्रभावी कदम उठाए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)--

जी हां । यह सही है कि उत्तर प्रदेश के तापीय विद्युत् गृहों में कोयला खदानों से प्राप्त कोयले को तौल विद्युत् गृहों में तौलने पर कभी-कभी कम पायी जाती है । इस कमी के लिए समय-समय पर कोल इंडिया लिमिटेड एवं भारतीय रेलवे विभाग को लिखा गया है साथ ही केन्द्रीय सरकार के ऊर्जा विभाग, कैबिनेट सचिवालय (समन्वय) एवं केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण को भी सूचित किया गया है ताकि वह कोयले की कमी को रोकने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड तथा रेलवे विभाग पर दबाव डाल सकें ।

श्री सरदार सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी जानकारी के अनुसार जो कोयला खदानों से चलता है और तापगृहों में आता है तो उसमें बहुत अन्तर होता है क्योंकि इनके अधिकारियों की सांठगांठ से कोयला बीच म रेलवे या खदान वालों से मिलकर बेच दिया जाता है । तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो कोयला खदानों से चलता है और आपके तापगृहों में आता है तो हर बैगन की तौल होती है क्योंकि आपने लिखा है कि कभी--कभी कम पाया गया तो क्या यह कभी-कभी होता है या अक्सर कम पाया जाता है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, कोयला उपलब्ध करने के लिए विभिन्न खदानों से कोयला मंगाया जाता है । शिकायत खासतौर पर हरदुआगंज, अलीगढ़ से कई बार मिली है । समस्या यह है कि कोयला जिन खदानों से मंगाया जाता है वहां पर तौलने की दो विधियां हैं । एक तो कोयला तौलकर भरा जाता है दूसरा वैगन्स में कोयला वैगन्स में लगे चिन्हों के अनुमान से लिया जाता है और जब वह विद्युत् गृहों में आता है तब तौलने पर कम पाया जाता है । इसके लिए कोयला खदानों और रेलवे विभाग को कई बार लिखा गया है, ऊर्जा विभाग और कोयला विभाग को भी लिखा गया है लेकिन उत्तरदायित्व लेने के लिए कोई तैयार नहीं है ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अब तक आपने जो तौल दिया है उसके अनुसार उ० प्र० सरकार को कितने रुपये का लास हुआ है और उसका क्या क्लेम किया है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न, इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ?

महाबीर शुगर मिल्स लि०, सिसवा बाजार, गोरखपुर के कर्मचारियों की भविष्य निधि की धनराशि

*13--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या श्रम मन्त्री को ज्ञात है कि कि महाबीर शुगर मिल, प्रा० लि०, सिसवा बाजार, जिला गोरखपुर द्वारा विगत कई वर्षों से मजदूरों से प्राविडेंट फन्ड, का जो धन काटा गया है वह उनके खाते में जमा नहीं किया गया तथा विगत कई माह का वेतन भी मजदूरों को नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो प्राविडट फन्ड कब से नहीं जमा है तथा मजदूरों के वेतन का कितना धन बकाया है ? इसका भुगतान कब तक हो जायगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

वित्तीय वर्ष 1976–77 से वर्ष 1982–83 तक की अवधि में मेसर्स महाबीर शुगर मिल्स लि0, सिसवा बाजार, गोरखपुर के सेवायोजकों ने कर्मचारी भविष्य निधि को 22,49,406 रु0 की धनराशि जमा नहीं की है जिसकी वसूली की कार्यवाही भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर द्वारा की जा रही है । वित्तीय वर्ष 1983–84 के सम्बन्ध में अवशेष धनराशि की सूचना भविष्य निधि आयुक्त से अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रतिष्ठान के मजदूरों को दिसम्बर, 1983 तक के वेतन का भुगतान हो चुका है । माह जनवरी, 1984 के अर्जित वेतन का 2,87,836·95 पै0 बकाया है । इसके भुगतान हेतु सेवा-योजकों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

*14—श्री थम्मन सिंह गहलोत—

[10वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या–20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

आगरा जिले के ग्राम उदसाना, निवासी श्री कोक सिंह की थाना पिनाहट में हत्या

*15—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मगरी लाल, गांव उरसाना, थाना पिनाहट, जिला आगरा ने गत 15 जुलाई, 1983 को पुलिस द्वारा अपने भाई की हत्या के सम्बन्ध में कोई मुकदमा दर्ज कराया है ? यदि हां, तो दोषी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध तत्काल क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 15 जुलाई, 1983 को श्री मगरी लाल पुत्र पहलवान, निवासी उरसाना, थाना पिनाहट, जिला आगरा ने थाना पिनाहट पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई कि दिनांक 7 जुलाई, 1983 को उसके भाई कोक सिंह को 15 फरवरी, 1983 को पुलिस कर्मचारी व अधिकारी जिनमें सी0 ओ0 साहब भी थे जबरन बिना कुछ बताये गांव के बहुत से आदमियों के सामने थाने ले आये । थाने पर जब कोक सिंह को छोड़ने को कहा गया तो पुलिस ने बताया कि जांच करने के उपरान्त इसको छोड़ा जायेगा । वादी के भतीजे मंगल सिंह ने वादी को बताया कि कोक सिंह उपरोक्त की मृत्यु पुलिस हिरासत में कुंवा में गिरने से हो गई है इस सूचना पर थाना पिनाहट पर अपराध अन्तर्गत धारा 342/302, भा0 द0 वि0 पंजीकृत हुआ । पंजीकृत अपराध की विवेचना की जा रही है तथा मजिस्टीरियल जांच भी प्रचलित है । इस घटना के सम्बन्ध में तत्कालीन थानाध्यक्ष को तत्काल पुलिस लाइन स्थानान्तरित कर दिया गया।

जांच पूर्ण होने पर दोषी पाये गये पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न संख्या 15 जो मुख्य मंत्री से सम्बन्धित है, इसका उत्तर कौन दे रहा है ? उत्तर में लिखा है कि प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 15 जुलाई, तो 1981 1982 या 1983 है, क्या है, उसको बतायें ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

यह 1983 है । मान्यवर, छपाई की गलती हो गयी है, इसलिए विभाग की ओर से मैं क्षमा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

उसके आगे भी इसी प्रकार की गलती है । इसलिए ध्यान रखें कि भविष्य में ऐसी गलती न हो ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

ठीक है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त ।

*16--श्रीमती गौरी देवी, श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

[दिनांक 28-2-84 को नियम 38 (2) के तारांकित प्रश्न संख्या 1 द्वारा उत्तरित ।]

बरेली जिले के ग्राम नन्दौसी निवासी, श्री डालचन्द के घर पर डकैती एवं अपहरण

*17--श्री भीखा लाल--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री डालचन्द पुत्र श्री पवंत लाल, निवासी ग्राम नन्दौसी, थाना सी0 बी0 गंज, जनपद बरेली का प्रार्थना-पत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 1982 प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 1982 के साथ गृह सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ है कि उसके घर में 14-15 दिसम्बर, 1982 की रात में डकैती पड़ी और डकैत उसकी पत्नी को भी ले गए ? यदि हां, तो उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? मुल्जिमान पकड़े गये अथवा नहीं और डाल चन्द की पत्नी बर मद की गयी अथवा नहीं ?

मुख्य मंत्री(श्री श्रीपति मिश्र)--

माननीय प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 1982 गृह सचिव को प्राप्त नहीं हुआ है ।

इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा थाना में दी गई सूचना के आधार पर अभियोग अन्तर्गत धारा 148/364/324, भा0 द0 वि0 अभियुक्तगण सोहन, बांदू तथा 4-5 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है । अभियुक्त सोहन तथा बांदू हाजिर अदालत होकर जेल भेजे गये । अभियुक्तगण सोहन एवं बांदू के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है जो न्यायालय के विचाराधीन है । अपहृता की बरामदगी अथक प्रयास के बाद भी अभी नहीं हो पायी है ।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

फैजाबाद जिले के ग्राम पालपुर में हरिजन हत्याकाण्ड

*18--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 13 फरवरी, 1981 को ग्राम पालपुर, थाना कुमारगंज, जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत हुए हरिजन हत्याकाण्ड के मुकदमे में सत्र न्यायाधीश श्री शर्मा तथा श्री रमन प्रकाश माथुर के निर्णयानुसार तत्कालीन पुलिस कर्मियों (श्री हरिकरन सिंह, थानाध्यक्ष) को गम्भीर रूप से दोषी ठहराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पुलिस कर्मियों की सेवाएं समाप्त की गयीं एवं दंडित किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत निर्णय में विवेचक उपनिरीक्षक, श्री हरि किरन सिंह द्वारा विवेचना में की गयी भूल की आलोचना की गयी है । उप-निरीक्षक श्री हरिकिरन सिंह की भूल के लिए व्यक्तिगत पत्रावली पर चेतावनी दी जा चुकी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली के तृतीय तल के कक्ष का आवंटन

*19--श्री मुईद अहमद--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि नई दिल्ली में स्थित यू0 पी0 भवन में तृतीय तल के कमरे केवल अधिकारियों के लिए सुरक्षित रहते हैं और विधायकों को प्रथम व द्वितीय तल के कमरे भरे रहने के कारण तृतीय तल पर कमरा खाली रहने पर भी आवंटित नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्या

मुख्य मन्त्री जी तृतीय तल पर कमरा खाली रहन की दशा में विधायकों को आवंटित कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं ।

नियमानुसार उत्तर प्रदेश भवन के तृतीय तल के विशेष कक्ष उपलब्धता के आधार पर सचिव तथा विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों की तरह ही माननीय विधायकों को भी इस स्पष्ट शर्त के साथ दिये जा सकते हैं कि शासन को आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कक्ष बिना किसी पूर्व सूचना के खाली करना पड़ेगा ।

*20--श्री मंजूर अहमद--

[दिनांक 28-2-1934 के नियम 38(2) के तारांकित प्रश्न संख्या--1 द्वारा उत्तरित ।]

अतारांकित प्रश्न

बांदा जिले की पुलिस चौकी, खुरहन्ड को रिपोर्टिंग चौकी बनाये जाने की मांग

1--प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि क्या जनपद बांदा के थाना गिरवां के अन्तर्गत खुरहन्ड चौकी को रिपोर्टिंग चौकी बनाए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 13-9-1983 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां, प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है ।

प्रदेश में प्रोन्नति कोटे के रिक्त डिप्टी कलेक्टर के पद

2--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ श्री माता प्रसाद पान्डेय, श्री राम आसरे वर्मा, श्री पंचानन राय--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसीलदारों के प्रोन्नति कोटे से भरे जाने वाले डिप्टी कलेक्टरों के कितने पद वर्तमान समय में रिक्त चल रहे हैं ? क्या उनमें से 79 पद विगत जुलाई, 1983 में मरे गए हैं ; शेष पदों को भरने में क्या कठिनाई है और कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के साधारण वेतनमान में प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत 30 जून, 1984 तक के लिए 251 रिक्तियां आरक्षित हैं, जिनके विरुद्ध 232 तहसीलदार तदर्थ रूप से स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रोन्नति पर हैं, एवं इस प्रकार वर्तमान समय में 19 पद रिक्त हैं । जुलाई 1983 में मरे गये पद उक्त 232 पदों में सम्मिलित हैं । सम्भावित रिक्तियों को देखते हुए 50 और तहसीलदारों को तदर्थ रूप से डिप्टी कलेक्टर के पदों पर प्रोन्नति दिये जाने पर मन्त्रि परिषद् ने स्वीकृत दे दी है तथा राजस्व परिषद् के परामर्श से आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

3--श्रीमती सन्तोष कुमारी--

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया ।]

बस्ती जिले के विधान सभा क्षेत्र डुमरिया गंज के अन्तर्गत चौखड़ा महनुआ, विस्कोहर-सिकौथा मार्ग के निर्माण की मांग

4--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र 170 विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज, जनपद बस्ती में ग्राम चौखड़ा से महतिनिया

होते हुए महमुआ ग्राम तक विस्कोहर से सिकौफा होते हुए नावडीह सिगार जोत घाट तक, पटखोली से इजरहवा, अहरौली पोड़री, पिऊरिया होते हुए सिकौधा तक उपरोक्त तीनों सड़कों पर मिट्टी का काम पुलिया निर्माण को निर्णय स्थायी निर्माण खन्ड, सा0 नि0 वि0, बस्ती द्वारा पिछले वर्ष 1981-82, 1982-83 में किया गया था ? यदि हां, तो इसके अब तक निर्माण न किए जाने का क्या कारण है तथा कब तक निर्माण शुरू कर दिया जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री विद्या भूषण)--

किसी मार्ग के निर्माण का निर्णय खंड के स्तर पर नहीं लिया जाता ।

वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में प्रश्नगत तीनों मार्ग किसी योजना में स्वीकृत नहीं थे । अत: उनके निर्माण का प्रश्न नहीं उठता ।

5--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

[पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

गोरखपुर जिले के पुलिस स्टेशनों के वायरलेस सेट हेतु काठ के बक्सों की कथित खरीद

6--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस स्टेशनों पर लगे वायरलेस सेट में बैटरियों के रख-रखाव के लिए काठ के बक्सों की सप्लाई लेने के आदेश, नवम्बर, 1982 में किये गये थे ? जनपद गोरखपुर के रेडियो मेन्टीनेन्स अधिकारी ने बैट्री के रख-रखाव के लिए काठ के बक्स की सप्लाई बिना निविदा का प्रकाशन कराये ही लाखों रुपये की सप्लाई लेकर पचासों हजार रुपये के घोटाले की शिकायत प्रकाश में आई है ? यदि हां, तो क्या सरकार भारी घोटाले की जांच कर ने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत आशय का कोई सामान्य आदेश माह नवम्बर, 1982 में निर्गत नहीं हुआ ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

7--श्री राज कुमार राय--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु व्यय की जाने वाली धनराशि

8--श्री राज कुमार राय--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन ने कोई योजना ऐसी स्वीकृत की थी जिसमें हरिजन बस्ती में 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रु0 हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण हेतु व्यय का प्राविधान था ? यदि हां, तो कब तक उसे कार्यान्वित कराने का इरादा है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां, अभी हाल में प्रश्नगत कार्य हेतु सीमा 5,000 रुपया कर दी गई है ।

आजमगढ़ जिले के परगनाधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

9--श्री राज कुमार राय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें मुहम्मदाबाद गोहना तथा सगड़ी जिला आजमगढ़ के क्रमशः वर्तमान तथा भूत-पूर्व परगनाधिकारियों के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-9-1982 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई, कितने आरोप सही पाए गये ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । प्रश्नगत शिकायती-पत्र पर जिलाधिकारी, आजमगढ़ की आख्या मांगी गई है जो अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है ।

आजमगढ़ जिले की पुलिस चौकी सूरजपुर को रिपोर्टिंग चौकी किये जाने सम्बन्धी आदेश

10—श्री राजकुमार राय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) ने वर्ष 1980-81 में आजमगढ़ जनपद के सूरजपुर पुलिस चौकी को रिपोर्टिंग पुलिस चौकी बनाने का प्रस्ताव गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन से मांगा था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । इस सम्बन्ध में कुछ सूचनायें पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश से मांगी गई हैं जिनके प्राप्त होने पर शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

आजमगढ़ जिले के बन्दूक के लाइसेंस-धारियों को दी गयी कारण बताओ नोटिस

11—श्री राज कुमार राय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जुलाई, 1980 के बाद से जनपद आजमगढ़ में कितने मामले ऐसे हैं जिनमें बन्दूकधारियों को कारण बताओ नोटिस पुलिस की इस रिपोर्ट के आधार पर दी गई है कि बन्दूकधारियों ने असलहे का दुरुपयोग किया है या सही उपयोग नहीं किया ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार जुलाई, 1980 से दिसम्बर, 1983 तक जनपद आजमगढ़ में बंदूक के 88 लाइसेंसधारियों को कारण बताओ नोटिस पुलिस की इस रिपोर्ट के आधार पर दी गयी कि शस्त्र धारकों ने अपने शस्त्र का दुरुपयोग किया ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय, राज्य सम्पत्ति अनुभाग-दो के प्रवर सहायक, श्री आर0 के0 वर्मा, को क्वार्टर का कथित आवंटन

12—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री कृपा बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2 के स्थानापन्न प्रवर वर्ग सहायक (श्री आर0 के0 वर्मा) जिन्हें अभी प्रवर वर्ग सहायक में कार्य करते हुए दस वर्ष नहीं हुये हैं को महानगर स्थित कालोनी में सचिवालय क्वार्टर नं0 बी0/63 (तीन कमरों वाला) एलाट किया गया है ? यदि हां, तो कैसे और किस नियम के अन्तर्गत आवंटित किया गया है और क्या शासन इस एलाटमेन्ट को निरस्त करने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

13—श्री राज कुमार राय—

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

14—श्री राज कुमार राय—

(दिनांक 6-3-1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या 139 द्वारा उत्तरित ।)

15—श्री राज कुमार राय—

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।)

16—श्री राज कुमार राय—

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।)

आजमगढ़ जिले के ग्राम कुरंगा का विद्युतीकरण

17--श्री राज कुमार राय--

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में घोसी तहसील के कुरम्मा गांव में वर्ष 1971 में कितने लोगों ने और कितनी धनराशि सोमेस्टिक विद्युतीकरण हेतु विभाग को जमा किया था और उसमें कितने व्यक्तियों को विद्युत सम्बन्ध दिया गया ?

श्री ब्रह्म दत्त--

आजमगढ़ जनपद के तहसील घोसी में कुर्मा नाम का कोई ग्राम नहीं है। उक्त तहसील में कुरंगा नाम का ग्राम है। वर्ष 1971 में कुरंगा ग्राम में किसी भी व्यक्ति ने डोमेस्टिक कनेक्शन हेतु अग्रिम धनराशि 25 रु0 आवेदन-पत्र सहित जमा नहीं किया। इसलिए कनेक्शन देने का प्रश्न नहीं उठता। उक्त ग्राम से वर्ष 1978 में 15 सम्भावित उपभोक्ताओं ने (जिसकी तालिका संलग्न है) 25 रु0 सहित अग्रिम धनराशि सहित प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं और ग्राम का विद्युतीकरण मार्च, 1984 तक एल टी0 मेन्स बिछाकर कर दिया जायेगा तत्पश्चात् सम्बन्धित उपभोक्ताओं को निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद कनेक्शन दे दिया जायेगा।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 196 पर)

राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालयों के एस0 टी0 एस0 संघ का पत्र

18--श्री राज कुमार राय--

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या शासन को एस0 टी0 एस0 संघ उत्तर प्रदेश का पत्र प्रश्नकर्ता की संस्तुति दिनांक 24-8-82 के साथ मिला था ? यदि हां, तो उसमें प्रमुख मांगें क्या हैं और उन्हें मान लेने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां। राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालयों में चल रहे तीन वर्षीय एस0 टी0 सी0 पाठ्यक्रम को वर्ष 1982-83 से बदल कर दो वर्षीय हाई स्कूल (टेकनिकल) के समक्ष करने के आदेश पर संघ द्वारा छात्रों के भविष्य एवं गरीब, आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर वर्गों के हित को ध्यान में रखते हुए पुर्नविचार करने का अनुरोध किया गया था।

2--पूर्व निर्गत राजाज्ञा पर पुनः विचारोपरान्त शासन ने स्वयं राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को शासनादेश संख्या 5611 / 18--प्रा0 शि0--2--82, दिनांक 13-9-82 द्वारा यह अधिकार दे दिया है कि जनपदीय नियोजन समिति अथवा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित एक समिति (जिसमें जिला सेवायोजन अधिकारी, जिला उद्योग अधिकारी संस्था के प्रधानाचार्य आदि सदस्य हों।) द्वारा स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन की उपलब्धता की दृष्टि से, यह निर्णय ले लिया जाय कि एस0 टी0 सी0 पाठ्यक्रम अथवा हाई स्कूल (टेकनिकल) पाठ्यक्रम जो भी अधिक उपयोगी हो, संस्था में चलाया जाय। समस्त राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालयों में एस0 टी0 सी0 पाठ्यक्रम ही चल रहा है।

पुलिस फोर्स में अल्प संख्यकों की भर्ती करने सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार का पत्र

19--श्री रियासत हुसैन--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें केन्द्र का कोई पत्र इस सम्बन्ध में प्राप्त हुआ कि प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों को रोकने तथा साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए प्रदेश में पुलिस फोर्स में अल्पसंख्यक वर्ग को उचित नुमायन्दी दी जाय ? यदि हां, तो उस पत्र के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

साम्प्रदायिक दंगों को रोकने और साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार से पत्र अवश्य प्राप्त हुआ है जिसमें दिये गये सुझावों का परीक्षण कर लिया जायेगा ।

श्री हृदय नारायण मौर्य, क्लर्क, मेसर्स ओ0 बी0 टी0 प्रा0 लि0, गोपपुर, जिला वाराणसी की सेवा समाप्ति

20—श्री ऊदल—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ओ0 बी0 टी0 प्रा0 लि0, गोपपुर गोपीगंज, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के प्रबन्धक ने हृदय नारायण मौर्य क्लर्क को एक फर्जी आरोप-पत्र देकर 27-7-81 को उसी दिन अनिश्चित काल के लिये निलम्बित कर दिया है । क्या यह सही है कि इस निलम्बन में इन्डस्ट्रियल एम्प्लायमेन्ट (स्टैण्डिंग आर्डर एक), 1946 की धारा 24(1) तथा धारा 24 (iii) के अनुसार आवश्यक कार्यवाहियां नहीं की गईं ? और हृदय नारायण क्लर्क को ओ0 बी0 टी0 प्रा0 लि0, गोपपुर गोपीगंज वाराणसी ने 29-7-81 को आसिस्टेंट लेबर कमिश्नर नाटी इमली वाराणसी एवं लेबर इन्सपेक्टर को इस सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना-पत्र भी दिया था ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही की है ? क्या पूरे मामले की जांच करायेगी ?

श्री सुनील शास्त्री--

श्री हृदय नारायण मौर्य, क्लर्क, मेसर्स ओ0 बी0 टी0 प्रा0 लि0, गोपपुर, गोपीगंज, जिला वाराणसी को सेवायोजकों ने दिनांक 27-7-81 को एक चार्जशीट देकर निलम्बित कर दिया और जांचोपरान्त श्री मौर्य को सेवायें दिनांक 2-4-1983 को समाप्त कर दी । श्री मौर्य का दिनांक 29-7-81 का कोई भी प्रार्थना पत्र उप श्रमायुक्त वाराणसी अथवा श्रम निरीक्षक को प्राप्त नहीं हुआ । श्री मौर्य ने अपना विवाद संयुक्त कालीन मजदूर सभा, मिर्जापुर के माध्यम से संराधन समिति, वाराणसी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 6-2-1984 को संराधन समिति ने अपनी रिपोर्ट शाखा सचिवालय कानपुर को प्रेषित कर दी है ।

नेहरूस्मृति संघ, भदोही, वाराणसी का जरीना हत्या काण्ड के सम्बन्ध में पत्र

21--श्री ऊदल--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नेहरू स्मृति संघ, भदोही, वाराणसी की ओर से अगस्त, 1963 में एकबाल अहमद खां वगैरा 25 व्यक्तियों ने जरीना हत्या काण्ड की जांच हेतु डी0 आई0 जी0, वाराणसी, जिलाधीश एवं एस0 एस0 पी0, वाराणसी को प्रार्थना पत्र दिया था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी और जांच किस अधिकारी से करायी गयी तथा जांच में क्या परिणाम निकला ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । अतः अन्य प्रश्न नहीं उठता ।

22--श्री ऊदल--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1983 में भी नेहरू स्मृति संघ, भदोही की ओर से एक प्रार्थना पत्र आई0 जी0, उत्तर प्रदेश, डी0 आई0 जी0, वाराणसी एवं जिलाधीश व एस0 पी0 आर0 ए0, वाराणसी को दिया गया है ? इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार दोनों प्रार्थना पत्रों की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

संरक्षक नेहरू स्मृति संघ व अन्य का प्रार्थना-पत्र दिनांक 13-9-83 प्राप्त हुआ था जिसकी जांच करायी गयी। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए। प्रार्थना पत्र की प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 197 पर।)

वाराणसी जिले के ग्राम कटेवना व लक्ष्मण पट्टी के बच्चों का नरभक्षी द्वारा कथित भक्षण तथा तहसील ज्ञानपुर में नरभक्षी का आतंक

23—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 83 से लेकर अक्टूबर, 83 तक गांव कटेवना व लक्ष्मण पट्टी थाना ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के क्रमशः सभाजीत यादव व झिलमिट मुसहर की लड़की 3 वर्ष व 1 वर्ष के लड़के को नरभक्षी जानवर (तेंदुआ) उठा ले गया और भक्षण कर लिया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या जिनके परिवार के बच्चे थे, उन्हें कोई सहायता शासन ने दिया कि नहीं? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

उक्त अवधि में इस क्षेत्र का कोई हिंसक वन्यजीव नरभक्षी घोषित नहीं किया गया है। कथित लड़की तथा लड़के को उठा कर ले जाने तथा भक्षण करने की कोई सूचना भी कहीं से प्राप्त नहीं हुई। अतः किसी सहायता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

24—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव कटियारी पूरेशाम, थाना भोड़ी, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के क्रमशः सेव लाल का लड़का तथा बकील अहमद के 13 वर्ष के लड़के को नरभक्षी जानवर (तेंदुआ) जून, 83 से लेकर अक्तूबर, 83 के बीच उठा ले गया और भक्षण कर गया ? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री संजय सिंह—

इस क्षेत्र का भी कोई हिंसक वन्य जीव कथित अवधि में नरभक्षी घोषित नहीं किया गया है। उक्त क्षेत्र में प्राकृतिक वन नहीं है। इन दोनों लड़कों को उठाकर ले जाने तथा भक्षण किए जाने की कोई सूचना किसी भी स्रोत से प्राप्त नहीं हुई। अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता का प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी जिले के ग्राम, खमईपुर में नरभक्षी का आतंक तथा श्री हरिनारायण के पुत्र का नरभक्षी द्वारा तथाकथित भक्षण

25—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 82 में गांव खम्हईपुर, थाना भदोही, जिला वाराणसी में एक हरिजन की लड़की को नरभक्षी जानवर उठा ले गया और गांव मदारीपुर, थाना भदोही, जिला वाराणसी के हरिनारायण के लड़के को सन् 76 में तेंदुआ नरभक्षी जानवर उठा ले गया और खा गया ? नरभक्षी को मारने की क्या कार्यवाही की गई ?

श्री संजय सिंह—

हरिजन की लड़की तथा श्री हरिनारायण के लड़के को नरभक्षी द्वारा उठाए जाने तथा भक्षण किए जाने की कोई सूचना वन विभाग को कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई। अतः कथित नरभक्षी को मारने की कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

26—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि सन् 76 से अक्तूबर, 83 तक पूरे ज्ञानपुर तहसील, जिला वाराणसी में नरभक्षी

जानवर का आतंक बना हुआ है और बीसों बच्चों को ले जाकर खा गया है ? नरभक्षी जानवर को शासन ने मारने हेतु कौन-कौन से कदम उठाये हैं और क्या यह सही है कि अब भी आतंक व्याप्त है ?

श्री संजय सिंह--

वाराणसी जिले की ज्ञानपुर तहसील में कोई आरक्षित वन नहीं है । इस क्षेत्र का कोई हिंसक वन्य जीव उक्त अवधि में नरभक्षी घोषित नहीं किया गया है । वन विभाग को कहीं से भी नरभक्षी के आतंक की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । अतः नरभक्षी जानवर को मारने के कदम उठाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

27-28--श्री ऊदल--

[छठे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 198-199 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

29--श्री जीराज सिंह मौर्य--

[दिनांक 28-2-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 111 द्वारा उत्तरित ।]

विकास खंड, सल्ट, जिला अल्मोड़ा व नैनीडांडा, जिला पौड़ी के अन्तर्गत ग्रामवासियों को दी गई हक हकूक की लकड़ी

30--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वि0 खंड सल्ट, तहसील रानीखेत वि0 ख0 नैनीडांडा, जनपद पौड़ी ग्रामवासियों को वर्ष 1981/82/83 के हक हकूक का लागड़ डिवीजन से नहीं दिए गए हैं ? यदि हां, तो कब तक हक हकूक दिए जाएंगे । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

विकास खंड सल्ट, तहसील रानीखेत के कुछ ग्रामवासियों, जो रामनगर वन प्रभाग से हक प्राप्त करते हैं, को उनकी मांग के आधार पर वर्ष 1981, 1982 व 1983 में हक हकूक दे दिए गए हैं । विकास खंड सल्ट, तहसील रानीखेत व विकास खंड नैनीडांडा जनपद पौड़ी के ग्रामवासियों को कालागढ़ वन प्रभाग से मिलने वाले वर्ष 1981, 1982 व 1983 के हक हकूक, जो नहीं दिए जा सके हैं, शीघ्र ही दिए जाने पर विचार किया जा रहा है ।

जौनपुर जिले के ग्राम भोगीपट्टी की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण

31--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री को मालूम है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज, ग्राम भोगीपट्टी की हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण हेतु वर्ष 1976 में ही बिजली का पोल लगा दिया गया था और आज तक वहां विद्युतीकरण नहीं किया गया ? क्या सरकार इस बस्ती का शीघ्र विद्युतीकरण करके अनियमितता के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जनपद जौनपुर के विकास खंड मुफ्तीगंज के ग्राम भोगीपट्टी के हरिजनों ने उस क्षेत्र में रखे हुए खम्भों में से जबरदस्ती खम्भे उठाकर स्वयं गाड़ दिए थे, जबकि उक्त हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण स्वीकृत नहीं था । अब उस बस्ती का प्राक्कलन स्वीकृत कर दिया गया है और इस वर्ष विद्युतीकरण होने की सम्भावना है । अतः कोई व्यक्ति अनियमितता के प्रति दोषी नहीं है ।

वाराणसी जिले के ग्राम बंजरवां, निवासी श्री हंस राज द्वारा थान फूलपुर के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दायर किया गया मुकदमा तथा प्राप्त सम्मन की तामील

32—श्री ऊदल—

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य न्यायिक, दंडाधिकारी, वाराणसी के यहां धारा 147, 452/149/342/149, 323/149, 504, 506 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत एस0 ओ0 फूलपुर शेषनाथ राय कान्स्टेबुल, 2203 सेत्रालाल व 1591 रम अवध यादव के खिलाफ हंसराज पुत्र जगरनाथ, गांव बंजरवां परसरा, थाना फूलपुर, वाराणसी मे दिनांक 31-5-83 को दाखिल किया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मुख्य दंडाधिकारी न्यायिक वाराणसी के द्वारा जारी किए हुए सम्मन व वारंट को वाराणसी की पुलिस नहीं लगा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार न्यायिक दंडाधिकारियों द्वारा जारी किए हुए वारंट तथा सम्मन को पुलिस के ऊपर तामील करने हेतु कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत व द प्रस्तुत किया गया है ।

यह सही नहीं है कि मुख्य दन्डाधिकारी, वाराणसी के द्वारा जारी किए हुए सम्मन व वारन्ट को वाराणसी की पुलिस नहीं लगा रही है, बल्कि जुलाई में प्राप्त सम्मन की तामील कर दी गई है । अतः अन्य प्रश्न नहीं उठता ।

फूलपुर थाने की पुलिस के विरुद्ध श्री हंसराज, पुत्र जगन्नाथ का एस0 एस0 पी0, वाराणसी को प्रार्थना-पत्र एवं उनकी हवालात में बन्दी

33—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हंसराज पुत्र जगन्नाथ, बंजरवां परसरा, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी ने एक प्रार्थना-पत्र एस0 एस0 पी0, वाराणसी को 13-5-83 को फूलपुर थाने की पुलिस के खिलाफ दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सत्य है कि उक्त प्रार्थना-पत्र को एस0 एस0 पी0 वाराणसी ने एस0 ओ0, फुलपुर को ही जांच हेतु भेज दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित प्रार्थना-पत्र एस0 एस0 पी0 को प्राप्त नहीं हुआ है । अतः अन्य प्रश्न नहीं उठता ।

34—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 24-5-83 को थानाध्यक्ष, फूलपुर, वाराणसी शेषनाथ राय व दो सिपाहियों ने हंसराज पुत्र जगन्नाथ को घर से पकड़ लाए और पेड़ में लटका कर मारे, जिससे काफी चोट लगी और हवालात में बन्द कर 25-5-83 को आर्म ऐक्ट में चालान कर दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस फर्जी मामले की जांच करायेगी। इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार पुलिस द्वारा श्री हंसराज पुत्र जगन्नाथ को घर से पकड़ने एवं मारने-पीटने के आरोप सही नहीं पाए गए। दिनांक 24-5-83

को कांस्टेबुल सेवा लाल द्वारा श्री हंस-राज, पुत्र जगन्नाथ को नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना फूलपुर, वाराणसी में एक अभियोग अन्तर्गत धारा 25 शस्त्र अधि-नियम पंजीकृत करके विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अतः अब किसी अन्य कार्य-वाही की आवश्यकता नहीं है।

जौनपुर जिले के ग्राम चकबढ़वल निवासी श्री लहुरी का थाना सुरेरी के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

35—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लहुरी पुत्र नान्हू, गांव चकबढ़वल, थाना सुरेरी, जिला जौनपुर ने एक प्रार्थना-पत्र 16-6-83 को ए0 पी0 जौनपुर को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र —

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लि-खित प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को दिया जाना प्रतीत नहीं होता। अतः इस सम्बन्ध में किसी कार्य-वाही का प्रश्न नहीं उठता।

36—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एक प्रार्थना-पत्र लहुरी पुत्र नान्हू, गांव चकबढ़वल, थाना सुरेरी, जिला जौनपुर ने 2-7-83 को जिला-धीश, जौनपुर को दिया था जिसमें थानाध्यक्ष सुरेरी के खिलाफ शिकायत थी ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि श्री पी0 के0 चटर्जी, प्रभारी जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को पत्र लिखकर मूल प्रार्थना-पत्र की कार्यवाही हेतु भेजा था ? उस पर पुलिस अधीक्षक, जौनपुर ने क्या कार्य-वाही की ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था, जिसे जांच हेतु पुलिस अधीक्षक को भेजा गया था जिन्होंने क्षेत्राधिकारी से इसकी जांच करायी।

37—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रभारी जिलाधिकारी, जौनपुर ने अपने पत्र की प्रतिलिपि क्षेत्राधिकारी पुलिस, परगनाधिकारी मड़ियाहूं व थानाध्यक्ष सुरेरी, जिला जौनपुर को भी 7 जुलाई, 1983 को भेजी थी ? उन अधिकारियों ने क्या किया?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं, उक्त पत्र की प्रतिलिपि दिनांक 2 जुलाई को भेजा था। अधि-कारियों द्वारा मामले की जांच करायी गयी। जांच से विपक्षीगण हुबलाल आदि द्वारा आग लगाने के आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

वाराणसी जिले के ग्राम सुरियावां, निवासी श्री हंसराज की दुकान में लूटपाट की घटना

38—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 12-12-1976 को अंगद राम हरिजन, गांव सुरियावां, थाना सुरियावां, जिला वाराणसी के कपड़े की दुकान से सारा कपड़ा मुगरा बादशाहपुर जिला जौनपुर के व्यापारी शम्भूनाथ व कामेश्वर प्रसाद जबरदस्ती उठा ले आए और दुकान में ताला लगा दिया था ? यदि हां, तो क्या इसकी सी0 आई0 डी0 से जो जांच करायी जा रही थी, उसमें क्या हुआ ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार श्री हंसराज, पुत्र अंगद राम हरिजन, निवासी ग्राम

सुरियावां, जिला वाराणसी से दिनांक 8-12-1976 को इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ कि श्री पारस नाथ उपाध्याय व अन्य द्वारा उनकी दुकान से मार पीट कर सब सामान उठा लिया गया : इस सूचना पर एक अभियोग अन्तर्गत धारा 394/426 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना से आरोप असत्य पाए जाने पर मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी। वादी के अनुरोध पर अभियोग की विवेचना पुनः विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा करायी गयी किन्तु घटना की सत्यता प्रमाणित न होने पर पुनः अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई।

राज्य विद्युत् परिषद् मुख्यालय में प्रवर वर्ग सहायक के पद पर प्रोन्नति

39--श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् मुख्यालय में प्रवर वर्ग सहायक पद पर नियुक्ति अथवा पदोन्नति हेतु अवर वर्ग सहायक, अधीनस्थ कार्यालय के कर्मचारियों तथा बाहरी अभ्यर्थियों के लिए क्या प्रतिशत निर्धारित किया गया है ? वर्ष 1979 में चयन के पश्चात् से वर्ष 1983-84 तक की अवधि में प्रवर वर्ग सहायकों के कितने पद रिक्त हुए ? इन रिक्त पदों में कितने-कितने पद उपरोक्त किन-किन श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरे गये ?

श्री ब्रह्म दत्त--

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् मुख्यालय मिनिस्टीरियल स्टाफ सर्विस नियमावली, 1969 के अनुसार प्रवर वर्ग सहायक पद पर भर्ती हेतु निम्न-लिखित प्रतिशत निर्धारित है :

(1) बाहरी अभ्यर्थियों के लिए सम्मिलित प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा--42 प्रतिशत।

(2) अधीनस्थ कार्यालयों के विभागीय अभ्यर्थियों के लिए प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा--25 प्रतिशत।

(3) परिषद् मुख्यालय में कार्यरत सन्दर्भ लिपिक/लेखाकार/कोषाध्यक्ष-ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा--33 प्रतिशत।

परन्तु किसी भी वर्ष प्रोन्नति के उपरोक्त 33 प्रतिशत कोटे को परिषद् 50 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है। ऐसी दशा में बाहरी अभ्यर्थियों का कोटा 42 प्रतिशत से घटकर 25 प्रतिशत हो जायेगा। अवर वर्ग सहायकों की प्रवर वर्ग सहायक के पद पर सीधी पदोन्नति नहीं की जाती है। कुल 37 पद रिक्त हुए। इन रिक्त पदों के विरुद्ध विभिन्न स्रोतों से जो नियुक्तियां की जा चुकी हैं, वे निम्नवत् हैं :

(1) बाहरी अभ्यर्थियों द्वारा--3।

(2) परिषद् मुख्यालय के सन्दर्भ लिपिकों द्वारा--18।

40--श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी--

क्या यह सत्य है कि राज्य विद्युत् परिषद् मुख्यालय के लिए प्रवर वर्ग सहायकों के पदों पर अभ्यर्थियों के चयन में विभिन्न श्रेणी के लिए निर्धारित प्रतिशत को ध्यान में नहीं रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी उत्तरदायी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ब्रह्म दत्त--

प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर भर्ती/प्रोन्नति नियमानुसार ही की गई है।

विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु गठित जिला चयन समितियों का निरस्तीकरण

41--पंचानन राय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला स्तर पर विभिन्न कार्यालयों में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिये जिला चयन समितियां भंग कर दी गई हैं? यदि हां, तो इस प्रकार के आदेश शासन द्वारा कब निर्गत किये गए हैं उसे निर्गत करने के क्या कारण थे ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां।

आदेश 11 अक्तूबर, 1979 को जारी किये गये हैं। उक्त आदेश जारी करना जनहित में आवश्यक समझा गया है।

श्री वेद प्रकाश भटनागर, अध्यक्ष, जिला युवक समिति, सीतापुर का पत्र

42--श्री पंचानन राय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री वेद प्रकाश भटनागर, अध्यक्ष, जिला युवक समिति प्रादेशिक दल एवं युवा कल्याण अनुभाग (जिला विकास कार्यालय), सीतापुर का पत्र दिनांक 1-5-83 जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र में किन-किन बातों का उल्लेख है तथा शासन ने उक्त के निराकरण के संबंध में दिनांक 3 जून, 1983 तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो कार्यवाही में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां। प्रश्नगत पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 14-4-83 को डाक्टर अमरेन्द्र कुमार अग्निहोत्री, अध्यक्ष, क्षेत्रीय युवक समिति, गोदलामऊ तथा ब्लाक कमाण्डर, प्रादेशिक विकास दल, विकास खण्ड, गोदलामऊ, निवासी ग्राम व पोस्ट कैरोना, थाना संघना, जिला सीतापुर के साथ हुई घटना के संबंध में डा0 अग्निहोत्री ने दिनांक 14-4-83 को ही थाने पर रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। मामले के संबंध में पुलिस कप्तान, सीतापुर को भी अवगत करा दिया गया था एवं उप पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच भी की गई थी। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि डा0 अमरेन्द्र कुमार अग्निहोत्री अपनी गहरी चोट का इलाज जिला चिकित्सालय, सीतापुर में करा रहे हैं एवं शंका उत्पन्न हो गई है कि उन्हें विरोधी गुट द्वारा किसी समय किसी स्थान पर चोट पहुंचाई जा सकती है। अतः विभाग की ओर से श्री अग्निहोत्री की जान माल की सुरक्षा की कोई समुचित व्यवस्था करा दी जाय।

उक्त पत्र पर जांच कराई गई। जांच से पाया गया कि प्रश्नगत घटना के संबंध में डा0 अमरेन्द्र अग्निहोत्री द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के आधार पर मु0 अ0 सं0 64-ए/83 धारा 323/325 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया। विरोधी पक्ष द्वारा इस संबंध में मु0 अ0 सं0 64/83 धारा 4/10 फारेस्ट ऐक्ट/323 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कराया गया। दोनों अभियोगों में आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित कर दिये गये हैं।

प्रदेश में स्वतः रोजगार योजना का कार्यक्रम एवं जिला जनशक्ति नियोजन एवं रोजगार सूचना परिषदों की स्थापना

43—श्री पंचानन राय—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रम विभाग द्वारा कोई स्वतः नियोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो यह कार्यक्रम कब से लागू किया गया है और इसके माध्यम से प्रदेश के विभिन्न सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कितने लोगों को लाभ पहुंचा है ? क्या श्रम मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्त योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने हेतु विभिन्न एजेंसियों, बैंकों, ब्लाकों, सहकारी समितियों इत्यादि से समन्वय स्थापित करने का कोई प्राविधान है ? यदि नहीं, तो उक्त योजना को सफलतापूर्वक चलाने के सम्बन्ध में सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां, उत्तर प्रदेश शासन के श्रम विभाग द्वारा प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अधीन प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित/प्रशिक्षणरत अभ्यर्थियों को स्वतःरोजगार हेतु प्रेरित करने तथा वांछित सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें स्वतः नियोजित कराने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है ।

प्रदेश में यह कार्यक्रम वर्ष 1978–79 के उत्तरार्द्ध में आरम्भ किया गया था ? उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 1983 के अन्त तक कुल 19609 बेरोजगार अभ्यर्थियों को स्वतः नियोजित कराया गया है ।

इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री जी द्वारा घोषित शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों के स्वरोजगार की नई योजना के अन्तर्गत 1289 व्यक्तियों को स्वनियोजित कराया गया है ।

जी हां, विभिन्न जनपदों म जिला जनशक्ति नियोजन एवं रोजगार सूचना परिषदों की स्थापना की गई है जिनके महत्वपूर्ण कार्यों में स्वतः नियोजन के प्रोन्नयन हेतु बैंकों तथा अन्य स्थानीय एजेन्सियों द्वारा स्वतः नियोजन के संबंध में दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा करना भी है । जनपद के जिला अधिकारी इन परिषदों के अध्यक्ष तथा जिले के सेवायोजन अधिकारी सदस्य/सचिव होते हैं । इसके अतिरिक्त उक्त परिषदों के अधीन प्रदेश के अधिकांश जिलों में स्वतः नियोजन उप समितियों का गठन किया जा चुका है । उप समितियों का प्रमुख कार्य स्वतः नियोजन कार्यक्रम के प्रोन्नयन तथा कार्यान्वयन हेतु विभिन्न बैंकों व एजेन्सियों के बीच सम्पर्क स्थापित करना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नेशनल हेराल्ड समाचार–पत्र समूह के कर्मचारियों का ज्ञापन

44—श्री पंचानन राय—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नेशनल हेराल्ड समाचार–पत्र समूह के पत्रकार एवं गैर पत्रकार कर्मचारियों के उत्पीड़न तथा उनके सम्बन्ध में सरकार के निर्णयों के क्रियान्वित न होने के सम्बन्ध में शासन तथा विभाग को विगत दो वर्षों में ज्ञापन प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन ज्ञापनों के प्रमुख बिन्दु क्या हैं तथा उनके सम्बन्ध में सरकार ने दिनांक 2 मई, 1983 तक क्या कार्यवाही की है । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

विगत दो वर्षों में मेसर्स नेशनल हेराल्ड समाचार–पत्र समूह के पत्रकार एवं गैर पत्रकार कर्मचारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में जिला ट्रेड यूनियन कौंसिल, लखनऊ तथा इण्डियन

फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट द्वारा अपने अधिवेशनों में पारित प्रस्तावों के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हिन्द मजदूर सभा द्वारा भी श्रमिकों की समस्याओं के सम्बन्ध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है।

इन ज्ञापनों में प्रमुख बिन्दु समय से वेतन न मिलने, पालेकर एवार्ड का प्रतिपालन न किये जाने, बोनस का भुगतान न करने, भविष्य निधि की धनराशि श्रमिकों के खाते में जमा न करने तथा वर्ष 1979 में हुई तालाबन्दी की अवधि में हटाये गये श्रमिकों को काम पर वापस न लिये जाने के सम्बन्ध में हैं।

विलम्ब से वेतन भुगतान के सम्बन्ध में श्रम निरीक्षक एवं कारखाना निरीक्षक द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किये गये। कारखाना निरीक्षक द्वारा किये गये निरीक्षणों पर निदेशावाद दायर कर दिये गये हैं।

पालेकर एवार्ड का पालन किया जा रहा है। उक्त एवार्ड के अन्तर्गत श्रमिकों को निर्धारित वर्गीकरण के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। श्रमिकों को एरियर का भुगतान भी किया जा चुका है। सेवायोजकों ने वर्ष 1980-81 के बोनस का भुगतान कर दिया है। इस वर्ष के बोनस का भुगतान समय से न किये जाने के कारण प्रतिष्ठान के नियोजकों को न्यायालय द्वारा दण्डित किया जा चुका है। वर्ष 1981-82 के बोनस का 50 प्रतिशत भुगतान अभी तक किया गया है। इसमें विलम्ब से एवं पूर्ण बोनस का भुगतान न करने के लिये मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में प्राभियोजन दायर कर दिया गया है। वर्ष 1982-83 का बोनस भी अभी वितरित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में प्राभियोजन की कार्यवाही की जा रही है।

भविष्य निधि का मामला केन्द्र सरकार की परिधि में आता है। भविष्य निधि आयुक्त द्वारा प्रदत्त विवरणों के अनुसार प्रतिष्ठान पर नवम्बर, 1983 तक विभिन्न अवधियों में भविष्य निधि का कुल 18,06,638.90 रु0 बकाया है जिसके सम्बन्ध में प्रतिष्ठान के विरुद्ध प्राभियोजन दायर किये गये हैं तथा वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं।

वर्ष 1979 में हुई तालाबन्दी की समाप्ति के पश्चात् 49 श्रमिकों को कार्य पर वापस नहीं किया गया। इन 49 श्रमिकों में से 40 श्रमिकों ने तालाबन्दी की अवधि की बकाया मजदूरी के भुगतान हेतु उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 6-एच (1) से अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष वाद दायर किये थे। इन 40 श्रमिकों की बकाया मजदूरी की वसूली हेतु प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

हरदोई जिले के ग्राम अतरौली में विद्युत् गृह का निर्माण

45--श्री पंचानन राय--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भरावन, जनपद हरदोई में विद्युत् सब स्टेशन का निर्माण कब हुआ था? क्या वह पावर स्टेशन चालू हो गया है? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा वह कब तक चालू हो जायेगा? इसके चालू होने में हुये विलम्ब के लिये कौन व्यक्ति उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री ब्रह्म दत्त--

ग्राम भरावन, जनपद हरदोई में तो नहीं अपितु ब्लाक भरावन के ग्राम अतरौली में वर्ष 1976-77 में एक विद्युत् गृह बनाने का प्रस्ताव था। जिसका निर्माण सन्डीला-अतरौली लाईन के सन्डीला नगर में स्थित रेलवे लाईन की क्रासिंग की रेलवे अधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त न होने और उपरोक्त

क्षेत्र में अपेक्षाकृत लोड उत्पन्न न होने के कारण रोक दिया गया था । अब इस क्षेत्र में राजकीय नलकूपों का निर्माण हो रहा है अतः अगले वित्तीय वर्ष में इसका निर्माण प्रस्तावित है ।

यह विद्युत् गृह चालू होने की स्थिति में कभी नहीं रहा अतः चालू होने में हुये विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व का प्रश्न ही नहीं उठता ।

भूतपूर्व विधायकों को बस पास की सुविधा एवं सहवर्ती ले जाने की मांग

46--श्री जगदीश सिंह यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी जिन भूतपूर्व विधायकों को सरकारी बसों में सफर करने को फ्री बस पास मिले हुए हैं, उनमें कुछ भूतपूर्व विधायक, पेन्शन पाने वाले स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी भी हैं ? क्या सरकार ऐसे भूतपूर्व विधायकों को अपने साथ यू0 पी0 भर में सहवर्ती के रूप में एक और आदमी को ले जाने के लिये आदेश करने की कृपा करेंगी ?

शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)

जी हां, भूतपूर्व विधायकों में कुछ पेन्शन पाने वाले स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी भी हैं । उनको बसों में सहवर्ती ले जाने की सुविधा दिया जाना व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

एफ0 पी0 बी0 (सी0 आई0 डी0) के हेड कांस्टेबिलों की पदोन्नति

47--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि फरवरी से जुलाई, 1983 के मध्य एफ0 पी0 बी0 (सी0 आई0 डी0) ब्रांच में 4 हेड कांस्टेबिलों को एस0 आई0 पद पर पुलिस रेगुलेशन के पैरा 454 तथा 455 के तहत पदोन्नति दी गई है ? यदि हां, तो उक्त पदोन्नति की स्वीकृति डी0 आई0 जी0 (कम्प्यूटर) से कब प्राप्त की गई तथा उक्त पदोन्नति एस0 आई0 का उक्त रेगुलेशन के तहत हेड कान्सटेबिलों की वरिष्ठता सूची में उनका क्रम क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

पुलिस रेगुलेशन के 454 तथा 455 के अन्तर्गत उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति नहीं दी जाती है । अतः एफ0 पी0 बी0, सी0 आई0 डी0 में संदर्भित प्रस्तर के अन्तर्गत कोई पदोन्नति नहीं दी गई है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

बुलन्दशहर के ग्राम अहमदानगर में पड़ी कथित डकैती

48--किरनपाल सिंह --

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि 22 अक्तूबर, 1983 की रात्रि को श्री नत्थू मल्ल, रामेश्वर दयाल, श्री चन्द्रभान इत्यादि, निवासी अहमदानगर, थाना बीबीनगर, जनपद बुलन्दशहर के यहां डकैती पड़ी थी ? क्या पुलिस ने उक्त डकैती को चोरी की घटना में तब्दील कर दिया था ? यदि हां, तो दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ।

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं । प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 22 अक्तूबर, 1983 को ग्राम अहमदानगर में डकैती की कोई घटना नहीं हुई ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जिले में स्वीकृत वृद्धावस्था पेंशन

49---श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 1981 से 1983 तक गोरखपुर में वृद्धा अवस्था पेंशन हेतु कुल 8100 व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिया था ? ? यदि हां, तो अब तक उनमें कितने को कितनी वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की गई है ? शेष

को न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या इस सम्बन्ध म 12 नवम्बर, 1983 को जिला अधिकारी, कार्यालय पर वृद्ध-जनों ने प्रदर्शन किया था ? यदि हां, तो मांग क्या थी ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं, कुल 1185 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ।

इसमें 644 व्यक्तियों को 60 रु0 प्रतिमाह की दर से वृद्धावस्था पेन्शन स्वीकृत की गयी जिसका भुगतान उन्हें किया जा रहा है ।

105 प्रार्थना-पत्र नियमानुसार पात्र न होने के कारण निरस्त कर दिए गये, 138 प्रार्थना-पत्रों में तहसील द्वारा जांच की जा रही है तथा 298 प्रार्थना-पत्र जिला कार्यालय में परीक्षण हेतु लम्बित हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा जिले के शंकरपुर घाट एवं चम्बल नदी के पिनहट घाट का ठेका

50—राजा महेन्द्र रिपुदमन सिह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शंकरपुर घाट, जनपद आगरा का पिछला ठेका कितने में कितने समय के लिए हुआ और इस वर्ष कितने रुपये में कितने समय के लिए उक्त ठेका हुआ है ? क्या यह सही है कि सरकार वर्तमान समय में उक्त कार्य विभाग द्वारा ही करा रही है ? उक्त कार्य में आय व्यय का विवरण क्या है ?

श्री विद्याभूषण—

शंकरपुर घाट जनपद आगरा का पिछला ठेका सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं दिया गया था, वरन् जिला परिषद् आगरा द्वारा दिनांक 1 अक्तूबर, 9179 से 30 सितम्बर, 1982 को तीन वर्ष की अवधि के लिए 2,20,200 रु0 पर स्वीकृत किया गया था । परन्तु फेरी के ठेकेदार द्वारा अधिक उतराई वसूले जाने एवं किस्त समय से जमा न किये जाने आदि की अनियमितताओं के कारण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेका दिनांक 30 सितम्बर, 1982 से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था ।

इस वर्ष उक्त घाट का ठेका नहीं हुआ है ।

जी हां, । दिनांक 13 अगस्त, 1982 से प्रश्नगत घाट फेरी सा0 नि0 वि0 के प्रबंधाधीन है ।

दिनांक 13 अगस्त, 1982 से दिनांक 80 सितम्बर, 1983 तक की अवधि में :—

आय	69,615.00 रु0।
व्यय	69,344.50 रु0।

51—राजा महेन्द्र रिपुदमन सिह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत दो माह से आगरा जनपद में चम्बल नदी के पिनहट घाट जो विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, उसकी आय का तथा विगत वर्ष में ठेके से हुई आय का विवरण क्या है ?

श्री विद्या भूषण—

प्रश्नगत फेरी पर दिनांक 1-7-83 से 31-10-83 तक की विभागीय संचालन की अवधि में आय रु0 11, 461.30 पैसे तथा विगत वर्ष में दिनांक 1-12-81 से 30-6-83 तक ठेके पर चलाई गई अवधि में आय रु0 3, 31, 987.87 पैसे हुई

विद्युत वितरण खन्ड, रायबरेली के मीटर में गड़बड़ी सम्बन्धी शिकायती पत्र

52—श्री मित्रसेन—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खन्ड रायबरेली को दिनांक 30-6-83 को जनहित विद्युत मीटर सम्बन्धी भारी

गड़बड़ियो का शिकायती पत्र श्री राम बहादुर वर्मा आदि का प्राप्त हुआ था और उक्त मामले में उन्होंने 1-7-83 को मीटर बदलने सम्बन्धी कोई आदेश पारित किये थे ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य शिकायतें तथा जांच रिपोर्ट क्या हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां । श्री राम बहादुर वर्मा, जिला रायबरेली का विद्युत मीटर में गड़बड़ियों सम्बन्धी दिनांक 30-6-83 का शिकायती पत्र अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम, रायबरेली को प्राप्त हुआ था जिस पर उक्त अधिशासी अभियन्ता, ने जांचकर आवश्यक कार्य करने का आदेश पारित किया था ।

इस शिकायती पत्र में श्री वर्मा द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि उनका मीटर ख़राब है जिसे बदल दिया जाय तथा उनके विद्युत बिल को ठीक किया जाय । इस विद्युत परिषद् द्वारा जांच की गई और यह पाया गया कि मीटर का अंकपट खराब था इसलिए उस मीटर को बदल दिया गया है तथा श्री वर्मा का बिल संशोधित कर दिया गया है ।

आगरा जिले के ग्राम अछनेरा
निवासी श्री मुन्नी कुरेशी
द्वारा थाने में
लिखायी गयी
रिपोर्ट

53--श्री बदन सिंह--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आगरा जनपद के थाना अछनेरा में मुन्नी कुरेशी पुत्र श्री मुहम्मद इशाक, निवासी अछनेरा (आगरा) ने अपराध सं0 144 धारा 394/302 के तहत दिनांक 6 जून, 1983 को मुकदमा दर्ज कराया था ? यदि हां, तो अभियुक्तों के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । इस अपराध में ताहिर अफजाल, तथा अबरार पुत्रगण फजलुद्दीन, निवासी कस्बा अछनेरा व लल्ला पुत्र सहाबुद्दीन, निवासी हाजीपुरा, थाना फरोजाबाद नामजद किए गये थे । इसमें से अभियुक्त लल्ला को दिनांक 10-6-1983 को फिरोजाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और उसके विरुद्ध दिनांक 30-6-1983 को आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया । धारा 82/83 जाफ्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही करने के उपरांत अभियुक्त ताहिर, अफजाल तथा अबरार के विरुद्ध दिनांक 30-6-1983 को मफरूरी में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस प्रकार सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है ।

अभियुक्त ताहिर अफजाल एवं अबरार, भरतपुर पुलिस द्वारा एक अन्य अभियोग में बन्दी बनाकर जेल भेजे गये हैं । उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध वारंट 'बी' अछनेरा पुलिस द्वारा भरतपुर जेल में दाखिल किये गये हैं ।

सीतापुर जिले के लहरपुर-विसवां
मार्ग पर शीशम के पेड़
का अवैध कटान

54--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में लहरपुर से विसवां आने वाली सड़क पर अक्तूबर, 1983 में शीशम, काक के लगभग 20 पेड़ बदमाशों ने काट लिया ? इसकी सूचना जीतामऊ के प्रधान ने थाना इंचार्ज को दी ? क्या वह पेड़ 5-7 दिन तक सड़क पर ही पड़े रहे ? यदि हां, तो पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए क्या किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

जनपद सीतापुर की लहरपुर बिसवां जाने वाली सड़क जिला परिषद् के

अधीन है । इस सड़क के अन्तर्गत आने वाले वृक्षों पर जिला परिषद् का ही नियन्त्रण है । इस सड़क में माह अक्टूबर, 1983 में 2 पेड़ नीम चमेली तथा एक पेड़ शीशम रात्रि में बदमाशों ने काटकर गिरा दिये थे । प्राप्त सूचना के अनुसार जीतामऊ ग्राम के प्रधान ने जीतामऊ पुलिस चौकी पर जाकर चौकी इन्चार्ज को सूचित करने की कार्यवाही की । गिरे हुए पेड़ों की नीलामी अतिरिक्त जिलाधिकारी, सीतापुर के द्वारा की गयी । बदमाशों के पकड़ने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में टंककों की नियुक्ति एवं उनकी जन्म तिथि

55—श्री श्यामलाल वाजपेयी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के टंकक संवर्ग में वर्ष 1978 से 1980 के मध्य कितनी नियुक्तियां तथा दैनिक वेतन भोगी टंककों का नियमितीकरण किया गया ? उनमें से कितने टंककों ने अभी तक अपनी जन्म तिथि की पुष्टि में हाई स्कूल प्रमाण-पत्र की मूल प्रति अथवा अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं किया है ? ऐसे टंककों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के टंकक संवर्ग में वर्ष 1978 से 1980 के मध्य कुल 604 नियुक्तियां तथा दैनिक वेतन भोगी टंककों का नियमितीकरण किया गया । नियुक्ति के पूर्व हाई स्कूल प्रमाण पत्र देखने के पश्चात् जन्मतिथि की पुष्टि कर ली जाती है । इसके बाद नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है । किसी टंकक द्वारा हाई स्कूल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

नैनीताल क्लब को साज-सज्जा हेतु स्वीकृति धनराशि

56—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नैनीताल क्लब से सम्बन्धित राजकीय आवासों का पुराना फर्नीचर बदलने आदि के लिए आकस्मिक निधि से छः लाख पच्चीस हजार रुपए की स्वीकृति दिसम्बर, 1979 में दी गयी थी ? यदि हां, तो उसमें से कितने मूल्य का क्या-क्या फर्नीचर खरीदा गया ? और किस-किस कक्षा में रखा गया है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त धनराशि में से कुछ धनराशि अभी तक खर्च नहीं की गयी है ? यदि हां, तो यह स्वीकृति राज्य आकस्मिक निधि से दिये जाने का क्या अभिप्राय था ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

वर्ष 1979 में नैनीताल क्लब के कुछ कक्षों को साज-सज्जा हेतु आकस्मिकता निधि से 4.20 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

विवरण* संलग्न है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के ग्रामों का विद्युतीकरण

57—श्री रेवती रमण सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री बतायेंगे कि प्रदेश के कितने ग्रामों को विद्युतीकरण कर दिया गया है और शेष कितने ग्राम बचे है और विद्युतीकरण कब तक हो पाएगा ?

श्री ब्रह्म दत्त—

पूरे उत्तर प्रदेश में मार्च, 1983 तक निम्नलिखित ग्रामों का विद्युतीकरण हो

*(छापा नहीं गया ।)

चुका है :--

1--ग्रामों का विद्युतीकरण सी० ई० ए० परिभाषानुसार--53,367

2- ग्रामों का विद्युतीकरण एल० टी० मेन्स द्वारा लाइन बिछाकर--24,811

शेष ग्रामों का विद्युतीकरण सी० ई० ए० परिभाषा द्वारा 1995 तक होने की सम्भावना है और ए० टी० मेन्स द्वारा धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है ।

प्रदेश में हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

58--श्री रेवती रमण सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नवम्बर, 1983 को कितने हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हो चुका है और शेष कितने बचे हैं उनका कब तक विद्युतीकरण हो पाएगा ?

श्री ब्रह्म दत्त--

प्रदेश में नवम्बर, 1983 तक 23087 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हो चुका है । प्रदेश में सभी हरिजन बस्तियों की गणना (आइडेन्टीफिकेशन) नहीं की गयी है । अतः शेष हरिजन बस्तियों की संख्या बताया जाना सम्भव नहीं है। जैसे-जैसे ग्रामों का एल०टी० मेन्स बिछाकर विद्युतीकरण किया जा रहा है हरिजन बस्तियों का भी विद्युतीकरण उनके साथ हो रहा है ।

आजमगढ़ के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार

59--श्री पंचानन राय--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में सेवायोजन कार्यालय में 31 अक्तूबर, 1983 को कितने बेरोजगार किस-किस श्रेणी के पंजीकृत थे तथा 31 अक्तूबर, 1983 को कितने बेरोजगार किस-किस श्रेणी में पंजीकृत थे ? इस अवधि में किस-किस श्रेणी के कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हुआ ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

क्षेत्राधिकारियों (पुलिस) को तहसील कार्यालय पर प्रदान की गयी आवासीय सुविधाएं

60--श्री श्याम लाल वाजपेयी--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जैसे एस० डी० एम० तहसील मुख्यालय पर रहकर काम करते हैं उसी प्रकार क्षेत्राधिकारियों (सी०ओ०) लोगों को तहसील मुख्यालय पर रहने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार 19 तहसीलों पर क्षेत्राधिकारियों को तहसील मुख्यालयों पर आवासीय रूप से स्थानान्तरित किया जा चुका है । अन्य के विषय में प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

श्री तुलसी गौड़, तत्कालीन परगनाधिकारी, फर्रुखाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र

61--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री तुलसी गौड़, तत्कालीन परगनाधिकारी, सदर, जनपद फर्रुखाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं गम्भीर अनियमितताओं की अनेक शिकायतें वर्ष 1983 में शासन को तथा जिलाधिकारी फर्रुखाबाद को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इनमें क्या जांच की गई तथा जांचोपरान्त कितने आरोप सिद्ध पाये गए और क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां ।

प्रश्नगत मामला शासन के विचाराधीन है ।

62—श्री सत्यपाल सिंह--

(7वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।)

शाहजहांपुर के पत्रकार श्री ओंकार मनोषा को दो गयी आर्थिक सहायता

63—श्री सत्यपाल सिंह यादव—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 19, 20 मार्च को ग्राम वन्डा, जनपद शाहजहांपुर में उन्होंने अपने आगमन के समय उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन शाखा, शाहजहांपुर से सम्बन्धित अस्वस्थ पत्रकार श्री ओंकार मनोषी को अपने कोष से पांच हजार रुपया आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी ? यदि हाँ, तो उपरोक्त धनराशि का भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया है तथा इस धनराशि का भुगतान कब तक करा देंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्नगत घोषणा के अनुसार "मुख्य मंत्री पीड़ित सहायता कोष" से श्री ओंकार मनोषी को रु0 5,000 (पांच हजार रुपये) की आर्थिक सहायता का भुगतान किया जा चुका है ।

उत्तरकाशी वन प्रभाग में श्री शूर वीर सिंह पवार द्वारा क्रय किया गया लाट

64—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वन व्यापारी श्री शूर वीर सिंह पवार ने लाट नं0 65/77-78 उत्तर काशी वन प्रभाग बोली में लिया था ? यदि हां, तो उसे काटने के लिए उन्हें कब स्वीकृति दी गयी ? यदि स्वीकृति दिनांक 30-10-1983 तक नहीं दी गई तो क्यों और स्वीकृति कब तक मिल जायेगी ?

श्री संजय सिंह—

दिनांक 4 फरवरी, 1978 को हुए सार्वजनिक नीलामी में श्री शूर वीर सिंह पवार वन व्यापारी ने उत्तर काशी वन प्रभाग के लाट संख्या 65/77-78 को क्रय करने के लिये 40,200 रुपये की सर्वोच्च बोली दी थी । श्री शूरवीर सिंह पवार को उक्त लाट से मूल्य का 30 प्रतिशत अर्थात् 12,060 रु0 जमानत के रूप में जमा करना था परन्तु उन्होंने कुल 6,020 रु0 ही जमानत के रूप में जमा किये । नीलाम के पश्चात् श्री शूर वीर सिंह पवार को शेष जमानत जमा करने हेतु लिखा गया परन्तु श्री शूरवीर सिंह पवार इसमें असफल रहे और उनके द्वारा अनुबन्ध पत्र पर भी हस्ताक्षर नहीं किये गये । नियमानुसार लाट की पूरी जमानत जमा न करने तथा अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर न करने के फलस्वरूप उक्त लाट की बिक्री की स्वीकृति उप वन संरक्षक, उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा उक्त वन व्यापारी को नहीं दी गयी । उक्त लाट में जांच करने की अधि दिनांक 31 दिसम्बर, 1979 तक थी अब उक्त वन व्यापारी को उक्त लाट की बिक्री की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है।

आगरा जिले के ग्राम खेड़ा बाकन्दा एवं चैकोरा में खारी नदी में नाव दुर्घटना

65—श्री बदन सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम खेड़ा बाकन्दा के घाट पर दिनांक 3 सितम्बर, 1983 को एक नाव दुर्घटना घटी थी ? यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने आदमियों की मौत हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

दिनांक 3 सितम्बर, 1983 को ग्राम खेड़ा बाकन्दा, तहसील किरावली, जनपद आगरा में खारी नदी में नाव दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ।

66—श्री बदन सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम चैंकोरा के घाट पर खारी नदी में एक नाव दिनांक 30 अगस्त, सन् 1983 को डूब गयी थी ? यदि हां, तो उसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

दिनांक 30 अगस्त, 1983 को जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम चैंकोरा घाट पर खारी नदी में नाव दुर्घटना हुई थी जिसमें कोई व्यक्ति नहीं मरा है ।

अल्मोड़ा जिले में बन्दूक एवं पिस्तौल के दिये गये लाइसेन्स

67—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् 1981-82 व 1983 अक्तूबर तक अल्मोड़ा जनपद में कितने व्यक्तियों को गन पिस्तौल का लाइसेन्स दिया गया उनमें कितने व्यक्ति अल्मोड़ा जनपद के ह और कितने बाहरी जनपदों के हैं ? क्या सेना में सेवारत सनिकों ने भी गन व पिस्तौल के लाइसेन्स प्राप्त करन के लिये आवेदन किये हैं और उन्हें लाइसेन्स दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 1981 में 125, वर्ष 1982 में 121 व वर्ष 1983 में अक्तूबर तक 31 व्यक्तियों को बन्दूक/पिस्तौल के लाइसेन्स स्वीकृत किये गये । उक्त व्यक्तियों में से क्रमशः 65, 78 एवं 26 व्यक्ति जनपद अल्मोड़ा के निवासी हैं तथा क्रमशः 60, 43 एवं 5 व्यक्ति बाहरी जनपदों के निवासी हैं ।

उक्त अवधि में सेना में सेवारत सैनिकों ने भी बन्दूक व पिस्तौल के लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये आवेदन किया । उनके आवेदनों की जांचोपरान्त उन्हें लाइसेन्स नियमानुसार स्वीकृत/अस्वीकृत किये गये ।

कानपुर व लखनऊ नगरों के शस्त्र व्यवसायियों द्वारा राइफलों की बिक्री

68—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि 1 अप्रैल, 1982 से 31 मार्च, 1983 के बीच कानपुर व लखनऊ नगरों के आर्म्स बेचने के लाइसेन्स होल्डर दूकानदारों में से किन-किन ने 315 बोर की कितनी-कितनी राइफलें बिक्री हेतु प्राप्त की और उन्हें किन-किन लाइसेन्स होल्डरों को कब-कब कितने-कितने दामों में बेचा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार लखनऊ तथा कानपुर नगरों के शस्त्र व्यवसायियों द्वारा प्रश्नगत अवधि में बिक्री हेतु प्राप्त की गई 315 बोर की राइफलों का विवरण संलग्न† है, जिनकी बिक्री इंडियन आर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा निर्धारित मूल्य तथा देय कर आदि के योग पर की गयी । उक्त राइफलें जिन लाइसेन्सधारियों को बिक्री की गयी, उनके नाम देना जनहित में न होगा ।

†(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 199 पर ।)

गाजीपुर जिले में पम्प नहरों को विद्युत् आपूर्ति

69—श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में विद्युत् से संचालित कितनी पम्प कैनाल हैं तथा उनके अलग-अलग कितना लोड स्वीकृत है एवं विद्युत् आपूर्ति का निर्धारित घंटे कितने हैं ? ये किन-किन सब-स्टेशनों से सम्बन्धित हैं तथा विगत 1980 से अब तक सम्बन्धित विद्युत् लाइनों एवं सब-स्टेशनों के मरम्मत पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

गाजीपुर जनपद में विद्युत से संचालित इस समय कुल 18 पम्प नहर हैं। प्रत्येक पम्प नहर का नाम स्वीकृत लोड, विद्युत आपूर्ति के घंटे तथा सब-स्टेशन का नाम संलग्न सूची में उल्लिखित है।

उपरोक्त पम्प नहरों से सम्बन्धित लाइनों एवं सब-स्टेशनों के रख-रखाव पर विगत वर्ष 1980 से जनवरी, 1984 तक कुल 60-09 लाख रुपया व्यय हुआ है।

(देखिये नत्थी "ड0" आगे पृष्ठ 201 पर।)

70--श्री राम आसरे वर्मा--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

लखनऊ के ग्राम मौदा निवासी श्री अशोक कुमार मिश्र को थाना हसनगंज, उन्नाव द्वारा गिरफ्तारी

71--श्री मोहन सिंह तथा श्री राधे-श्याम पटेल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अशोक कुमार मिश्रा, नि0 ग्राम मौदा थाना काकोरी, जनपद लखनऊ को' दिनांक 3 जुलाई, 1983 को जब वह अपने रिश्तेदार श्री राम जीवन शुक्ल', निवासी ग्राम शंकरपुर, थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव के यहां गया था, वर्तमान थानाध्यक्ष, हसनगंज, उन्नाव ने गिरफ्तार किया जिसके सम्बन्ध में श्री भगवती प्रसाद मिश्र, निवासी काकोरी ने प्रश्नकर्ता के संलग्नक पत्र के साथ शिकायती-पत्र दिनांक 5 जुलाई, 1983 को भेजा था ? प्राप्त हुआ, यदि हां, तो उक्त संलग्न-पत्र में क्या-क्या शिकायतें थीं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां।

प्रश्न में संदर्भित शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ। इस पत्र में श्री भगवती प्रसाद मिश्र, निवासी ग्राम मौदा, थाना काकोरी, जनपद लखनऊ ने निम्नलिखित शिकायतें की थीं--

(1) प्रार्थी के लड़के श्री अशोक कुमार को उसके मामा श्री राम जीवन शुक्ला, ग्राम शंकरपुर, थाना हसनगंज के यहां से थाना हसनगंज की पुलिस अकारण पकड़ ले गयी।

(2) थाना हसनगंज की पुलिस उसे छोड़ने के लिये रु0 2,000 की मांग कर रही है।

विकास खंड, कीर्तिनगर, जिला टिहरी गढ़वाल के ग्रामों का विद्युतीकरण

72--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल, विकास खंड कीर्तिनगर के ग्राम सभा पथाकोटी, ग्राम सभा धारकोट, ग्राम सभा कोटी व ग्राम सभा थापली के ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना 20 सूत्रीय कार्यक्रम में कब बनी और किस तिथि से इनका विद्युतीकरण आरम्भ हुआ तथा कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री ब्रह्म दत्त--

विकास खन्ड, कीर्तिनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा 28-12-1978 को योजना स्वीकृत हुई। इस योजना में पंपाकोटी नाम का ग्राम सम्मिलित नहीं हुआ था।

ग्राम सभा धारकोट, कोटी एवं थापती ग्रामों का विद्युतीकरण इस योजना के अधीन होना था। ग्राम थापती का विद्युतीकरण वर्ष 1979-80 में पूरा हो चुका है और ग्राम धारकोट एवं कोटी का विद्युतीकरण अगले वित्तीय वर्ष 1984-85 में होने की सम्भावना है।

श्री अजय सिंह, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, उन्नाव द्वारा सरकारी गाड़ी से की गयी यात्रा और सब-इन्सपेक्टरों का स्थानान्तरण

73--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मन्त्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि उन्नाव जनपद के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, श्री अजय सिंह ने 22-7-1982 से 12-10-82 तक सरकारी गाड़ी से कितने किलोमीटर की यात्रा की है ? क्या यह भी सही है कि उनकी इस बीच की यात्रा वर्ष 1978 से 1982 तक हुई यात्राओं के लगभग बराबर रही ? क्या उनके विरुद्ध सरकारी गाड़ी के दुरुपयोग का मामला दर्ज कर कार्यवाही करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

श्री अजय सिंह, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, उन्नाव द्वारा सरकारी गाड़ी से 22-7-1982 से 12-10-1982 तक 10,731 किलोमीटर यात्रा की गयी। प्रश्न का दूसरा भाग सही नहीं है क्योंकि वर्ष 1878 से 1982 तक की गई कुल यात्राओं का योग 1,35,341 किलोमीटर था। उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

74--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि पुलिस अधीक्षक श्री अजय सिंह द्वारा 22-7-82 से 22-10-1982 तक तीन माह की अवधि में सब इंस्पेक्टरों के लगभग 10 बार स्थानान्तरण आदेश जारी किए, जिसमें थाना हसनगंज और गंगा घाट के इंचार्जों के 6-6 बार स्थानान्तरण आदेश जारी किए जाने के मामले प्रकाश में हैं ? यदि हां, तो इन स्थानान्तरणों का औचित्य क्या था ?

श्री श्रीपति मिश्र --

जी हां। थाना हसनगंज एवं गंगाघाट के इंचार्जों के स्थानान्तरण आदेश क्रमशः तीन बार और एक बार किये गये। यह सभी स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किये गये थे।

मुरादाबाद जिले के ग्राम बहादुरपुर में वृक्षों के उखाड़े जाने की घटना

75--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुरादाबाद के बिलारी थानान्तर्गत ग्राम बहादुरपुर में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाए गए वृक्षों को सितम्बर 1983 में उखाड़े जाने का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई और उसके मुख्य अभियुक्त कौन-कौन हैं ?

श्री संजय सिंह--

जी हां, प्रश्नगत मामले में श्री बहोरन सिंह, प्रधान, ग्राम सभा, बहादुरपुर, जनपद मुरादाबाद द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 427/342/506/166 के अन्तर्गत एक वाद संख्या 976/9/83 अतिरिक्त चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सर्वश्री सूरज, शंकर, नन्हें, चन्द्रपाल आदि 23 व्यक्तियों के विरुद्ध दायर किया गया है, जिसमें बिलारी के नायब तहसीलदार, लेखपाल, एस0 ओ0, एस0 आई0 तथा दो सिपाही भी सम्मिलित हैं। यह वाद न्यायालय के विचाराधीन है। अतः ऐसी स्थिति में वन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री विश्व-नाथ प्रताप सिंह द्वारा की गयी पत्रकारों को सुविधा दिये जाने सम्बन्धी कथित घोषणा

76--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन मुख्य मन्त्री (श्री विश्व-नाथ प्रताप सिंह) की सरकार द्वारा तहसील स्तर के पत्रकारों को सुविधायें दिए जाने हेतु घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो अब तक सुविधायें न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री प्रमोद कुमार--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एस0 के0 गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, लेसू के विरुद्ध अभियोगों का कार्यान्वयन एवं सतर्कता विभाग की जांच

77--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री बी0 सी0 मित्तल तथा श्री एन0 पी0 जिन्दल, संयुक्त सचिव के आदेश संख्या 2982-के ए/एस0ई0बी0 पंचम-7 जी0ई0 79, दिनांक 4-7-1981 के द्वारा श्री एस0 के0 गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड (लेसू) के विरुद्ध जो 3 सजायें निर्णीत की गई थी ? क्या उनका अनुपालन करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो इस विलम्ब के लिए कौन अधिकारी दोषी हैं और इन सजाओं का अनुपालन कब तक हो जायेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां ।

शेष भाग का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

78--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता विधायक तथा 8 अन्य विधायकों ने एक शिकायती प्रार्थना-पत्र श्री एस0 के0 गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता (लेसू) के विरुद्ध गम्भीर आरोपों के विषय में दिनांक 18-3-83 को अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् को तथा दिनांक 21-3-83 को मुख्य मन्त्री को दिया था ? यदि हां, तो उपरोक्त अभियन्ता के खिलाफ मुख्य रूप से क्या आरोप थे और इन आरोपों के विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां ।

उक्त अभियन्ता के विरुद्ध सतर्कता जांच की जा रही है, अतएव इस सम्बन्ध में कुछ भी बताना जांच के व जनहित में नहीं है ।

कानपुर जिले के ग्राम वीरसिंहपुर निवासी श्री प्रीतम सिंह के यहां पड़ी डकैती

79--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम वीरसिंहपुर, थाना गजनेर, जिला कानपुर देहात में श्री प्रीतम सिंह के यहां 21-9-82 को डकैती पड़ी थी और उसमें डकैतों ने एक आदमी को जान से मार दिया था और कई लोग घायल हुए थे ? यदि हां, तो उसमें कोई प्रभावी कार्यवाही न होने पर दिनांक 28 व 29 सितम्बर, 1982 को प्रार्थी ने एस0 पी0 कानपुर देहात को आवेदन-पत्र दिया था, उस पर भी कोई कार्यवाही न होने पर 30-10-82 को आई0 जी0 पुलिस को दरख्वास्त दी थी ? यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां, उक्त घटना घटी थी ।

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना के सम्बन्ध में वादी प्रीतम सिंह से प्राप्त सूचना पर सात नामांकित व अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध एक अभियोग अन्तर्गत धारा 396 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया ।

प्रश्न में अंकित तिथियों के कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुये । विवेचना के दौरान प्रथम सूचना में नामांकित अभियुक्तों का नामांकन असत्य पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध विवेचना बन्द कर दी गई । विवेचना से 5 अन्य अभियुक्त प्रकाश में आए, जिनमें से 2 अभियुक्त रघुवीर, बन्टा सिंह धारा 169 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत रिहा हुए क्योंकि साक्षियों ने उनकी शिनाख्त नहीं की । अभियुक्त राजा सिंह दिनांक 2-10-83 को मुठभेड़ में मारा गया तथा शेष 2 अभियुक्त राम बहादुर व रणवीर सिंह के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया गया जो सत्र न्यायालय के विचाराधीन हैं ।

श्री डी0 सी0 डी0 भार्गव, ए0 डी0 एम0, सिविल सप्लाई, अलीगढ़ द्वारा मकान का निर्माण

80--श्री राम स्वरूप निम--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री डी0 सी0 डी0 भार्गव, ए0 डी0 एम0 सिविल सप्लाई, अलीगढ़ ने 6 लाख रुपए की लागत लगाकर आगरा, कमलानगर, मेन रोड पर कोई मकान बनाया है ? यदि हां, तो यह रुपया किस मद से लगाया गया ? क्या सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आगरा जिले के ग्राम कागारौल में थाने के निर्माण की मांग और श्री प्रेम चन्द्र का अपहरण

81--श्री बदन सिंह--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के थाना खैरागढ़ के अन्तर्गत स्थित ग्राम कागारौल में उसकी आपराधिक स्थिति को ध्यान में रखकर एक नए थाने का सृजन करना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां ।

82--श्री बदन सिंह--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के खैरागढ़ थाने के अन्तर्गत स्थित ग्राम कागारौल से प्रेमचन्द्र पुत्र श्री रोशन लाल का दिनांक 10 अक्तूबर, 1983 को बदमाशों द्वारा अपहरण किया गया है ? क्या यह भी सत्य है कि आगरा तांतपुर रोड पर स्थित नगला कमाल के पास (चौराहा पर) इनकी जीप से खींचकर खैरागढ़ की पुलिस की उपस्थिति में बदमाश इसको पकड़ ले जाने में सफल हो गए । यदि हां, तो शासन उसकी खोज करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रोशन लाल पुत्र बाबू लाल ने दिनांक 10-10-83 को थाना खैरागड़ पर इस आशय की सूचना दी कि दिनांक 9/10-10-83 को रात्रि में ग्राम कागारौल, थाना खैरागढ़ आगरा से कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा जान से मारने के नियत से प्रेमचन्द्र का अपहरण कर लिया है । इस सूचना पर अपराध अन्तर्गत धारा 364 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया । दिनांक 9/10-10-83 की रात्रि में जब पुलिस कार्रवाई हेतु आगरा-

तांतपुर रोड पर स्थित चौराहा नगला कमाल पर उपस्थित थी तो रात्रि के करीब 12-30 बजे एक जीप जिसमें 4-5 बदमाश एक आदमी को पकड़े हुए बैठे थे, कागारोल की तरफ से काफी रफ्तार से आ रही थी ड्यूटी पर उपस्थित कर्मचारियों द्वारा जीप को रोका गया परन्तु वह रुकी नहीं तथा कानवाई तोड़कर आगे निकल गई। पुलिस को शक होने पर यह बदमाशों की जीप है और किसी आदमी को पकड़ कर ले जा रही है तो पुलिस द्वारा जीप के पहिए पर फायर किया गया जिससे पहिया पंचर हो गया और जीप कुछ आगे जाकर रुक गई। खड़ी फसलों का फायदा उठाकर बदमाश निकल गए। पुलिस द्वारा बदमाशों की काफी तलाश की गई परन्तु उनका कुछ पता न चल सका। विवेचना से जीप के मालिक का पता चलने पर उसको गिरफ्तार करने हेतु दबिश दी गई परन्तु वह नहीं मिला। अभियुक्त व अपहृत की तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं एवं विवेचना प्रचलित है।

कानपुर में गंगा नदी पर जाजमऊ के सेतु पर यातायात शुल्क की वसूली

83---श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर के जाजमऊ के पास बने गंगा नदी के पुल पर वाहनों आदि के यातायात पर कब से टैक्स लगाया गया है और 31 जनवरी, 1983 तक कुल कितना टैक्स प्राप्त हो चुका है और पुल की निर्माण लागत कितनी थी ?

श्री विद्या भूषण--

कानपुर में जाजमऊ के पास बने गंगा नदी सेतु पर यातायात "शुल्क" की वसूली दिनांक 7 फरवरी, 1982 से आरम्भ की गई है। दिनांक 31 जनवरी, 1983 तक कुल रु0 52,26,645·50 पैसे का "शुल्क" प्राप्त हुआ है। पुल की लागत 428·86 लाख रुपये है।

सचिवालय के अवर वर्ग सहायक का रोका गया परीक्षाफल

84---श्री दूधनाथ राजभर--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972 में सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों के चयन हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विशेष अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित पांच ज्येष्ठ सहायकों के रोके गए परीक्षाफल को घोषित करने के बारे में शासन ने 5-10-82 को निर्णय लिया था तथा इन सहायकों का परीक्षाफल घोषित करने हेतु लोक सेवा आयोग को दिनांक 19-10-82 को लिखा था ? यदि हां, तो एक वर्ष बीत जाने के बाद भी इन सहायकों के परीक्षाफल घोषित न किए जाने के क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या प्रभावी कार्यवाही की गयी और इन सहायकों का परीक्षा-फल कब तक घोषित हो जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र--

शासन के निर्णयानुसार परीक्षाफल की घोषणा हेतु लोक सेवा आयोग को दिनांक 22-10-82 को लिखा गया था, जिससे आयोग अभी सहमत नहीं है। अतएव परीक्षाफल घोषित करने के बारे में कोई तिथि बताना सम्भव नहीं है।

85---श्रीमती गौरी देवी--

[दिनांक 14-2-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 113 द्वारा उत्तरित।]

गोरखपुर जिले के डागीपार मिर्जापुर मार्ग के निर्माण की मांग

86---श्रीमती गौरी देवी---

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के आठवें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या---57 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि (डागीपार मिर्जापुर) मार्ग कि0मी0 5, 6, 7 एवं 9 का सर्वेक्षण नहीं कराया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

इस मार्ग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ? क्या इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग 28 में मिलाया जायगा, जिससे जिला मुख्यालय को जोड़ा जा सके और रुस्तमपुर से मिर्जापुर के बीच बसे गांवों को यातायात सुविधा दिया जा सके ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री विद्या भूषण--

सर्वेक्षण कराया गया था । कि0मी0 5, 6, 7 तथा 9 में कार्य कराना सम्भव नहीं है जैसा कि पूर्व प्रश्न संख्या 57 के उत्तर में बताया गया था ।

राष्ट्रीय मार्ग 28 पर स्थित रुस्तमपुर से डांगीपार तक जिला परिषद् का मार्ग और सिंचाई विभाग का बन्धा, जिस पर सोलिंग है, पहले से ही उपलब्ध है ।

दक्षिण गोरखपुर वन प्रभाग द्वारा विचाराधीन मार्गों का निर्माण

87--श्रीमती गौरी देवी--

क्या वन मन्त्री जो बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के दक्षिणी वन प्रभाग के अन्तर्गत वर्ष 82-83, 83-84 के अन्तर्गत कुल कितने मार्गों का निर्माण कराया गया और कितने के निर्माण कराये जाने का विचार है ?

श्री संजय सिंह--

दक्षिण गोरखपुर वन प्रभाग में वर्ष 1982-83 में किसी मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया । वर्ष 1983-84 में चार मार्गों के निर्माण कराये जाने का विचार है ।

मडुआडीह, वाराणसी स्थित विद्युत् उप गृह में खराबी एवं लेदूपुर विद्युत् उप गृह द्वारा विद्युत् की आपूर्ति

88--श्री ऊदल--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् गृह, मडुआडीह, वाराणसी ओ0 सी0 बी0 जनवरी, 1983 से 15 नवम्बर, 1983 तक प्रत्येक माह में कितनी बार खराब हुई है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि यह प्रत्येक माह में क्यों खराब हो जाती है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जनवरी, 1983 से 15 नवम्बर, 1983 तक मडुआडीह, वाराणसी उप गृह में 33 के0 वी0 पिन्डरा फीडर को ओ0 सी0 बी0 अप्रैल, 1983 में दो बार, मई, 1983 में एक बार एवं जून, 1983 में दो बार खराब/बन्द रही । उपरोक्त ओ0 सी0 बी0 के खराब/बन्द होने के कारण की जांच करने पर पता चला कि यह अप्रैल, 1983 और जून, 1983 में एक-एक बार यांत्रिक दोष के कारण खराब हुई और अप्रैल, 1983, मई, 1983 एवं जून, 1983 में एक-एक बार इसके खराब पुर्जों को बदलने एवं रख-रखाव के लिये बन्द करना पड़ा ।

89--श्री ऊदल--

क्या ऊर्जा मन्त्री बतायेंगे कि उक्त ओ0 सी0 बी0 खराब होने की वजह से विद्युत् की सप्लाई सब विद्युत् स्टेशन, पिन्डरा, वाराणसी के लिए विद्युत् स्टेशन लेदूपुर से चोलापुर होते हुए पिन्डरा आती है और पिन्डरा से हरहुआ सब स्टेशन को सप्लाई की जाती है ? क्या यह सही है कि ओ0 सी0 बी0 जब ठीक होती है तो हरहुआ से पिन्डरा सब स्टेशन जाती है ? क्या सरकार इसकी जांच किसी उच्चधिकारी से कराकर कार्यवाही करेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

साधारण अवस्था में उक्त ओ० सी० बी० से पिन्डरा, हरहुआ एवं बाबतपुर हवाई अड्डे को विद्युत् उपलब्ध कराई जाती है। ओ० सी० बी० में खराबी आने अथवा लाइन में कुछ खराबी आने की अवस्था में जब उपरोक्त ओ० सी० बी० से इन बिजली घरों को विद्युत् उपलब्ध कराना सम्भव नहीं होता है तो इन्हें 132 के० बी० सारनाथ विद्युत् उपगृह, लेदूपुर से विद्युत् उपलब्ध कराई जाती है जो सारनाथ से चोलापुर, पिन्डरा, हरहुआ जाती है। हरहुआ से पिन्डरा सब स्टेशन को विद्युत् उपलब्ध कराने की कोई भी व्यवस्था विद्यमान नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में जांच कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

हरदोई जिले के ग्राम लोनार निवासी, श्री रामेश्वर सिंह द्वारा थाने में लिखायी गयी रिपोर्ट

90--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के थाना लोनार में 7-7-83 को श्री रामेश्वर सिंह, निवासी लोनार द्वारा धारा 307 के अन्तर्गत अपराध संख्या 107 का मुकदमा दर्ज कराया गया ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7-7-83 को श्री रामेश्वर सिंह द्वारा थाना लोनार पर नहीं बल्कि थाना कोतवाली, हरदोई पर मुकदमा अ० सं० 107/83 धारा 147/148/149/307 भा० दं० वि० पंजीकृत कराया गया है। घटना स्थल थाना लोनार में होने के कारण मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट व सम्बन्धित कागजात उक्त थाना को हस्तान्तरित की गई है। विवेचना के दौरान वादी ने दिनांक 23-10-83 को विवेचना से असंतुष्टि प्रकट करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया जिसके फलस्वरूप इस मुकदमें की विवेचना थाना बिलग्राम को सौंपी गई। अब तक की विवेचना के फलस्वरूप दो अभियुक्तों को दिनांक 30-1-84 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है तथा अन्य तीन अभियुक्त फरार हैं। उनके विरुद्ध धारा 82/83 दं० प्र० सं० की कार्यवाही की रिपोर्ट दिनांक 30-1-84 को न्यायालय प्रेषित की गई है।

संडोला--रसूलाबाद--चकलवंसी एवं मोहन--अजगैन मार्ग का आधुनिकीकरण

91--श्री भीखा लाल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री प्रश्नकर्त्ता को सम्बोधित अपने कार्यालय के पत्र संख्या 3586-ई/23-सा०नि०अनु०-11, दिनांक 19 जून, 1982 के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के निर्वाचन क्षेत्र, हसनगंज में सन्डोला-रसूलाबाद-चकलवन्सी मार्ग में पांच कि० मी० कितने कि० मी० तक आधुनिकीकरण स्वीकृति के वर्ष से अब तक किया गया और मोहान से कितने कि० मी० अजगैन मार्ग का 11 कि० मी० मार्ग कब-कब आधुनिकीकरण किया गया और स्वीकृति के वर्ष से 1983-84 तक प्रत्येक वर्ष इस कार्य के लिए कितना धन आवंटित किया गया और यदि उक्त दोनों कार्य पूर्ण नहीं किए गए, तो क्यों ?

श्री विद्याभूषण--

संडोला-रसूलाबाद-चकलवंसी मार्ग के 5 कि० मी० (कि० मी० 9 से 13) के आधुनिकीकरण की स्वीकृति मई, 1981 में प्राप्त हुई थी। स्वीकृति के वर्ष (मई, 1981) से अब तक मार्ग की इस लम्बाई में धनाभाव के कारण कोई कार्य नहीं हो सका है।

मोहान–अजगैन मार्ग की कुल लम्बाई 17 कि0 मी0 है । इस 17 कि0 मी0 का आधुनिकीकरण मई, 1981 में स्वीकृत हुआ था । इस मार्ग के कि0 मी0 1 से 15 हसनगंज क्षेत्र में आते हैं । मार्ग के इस भाग में कि0 मी0 12, 13, 14 में टापकोट हो चुका है तथा 15 में प्रथम सतह लेपन का कार्य हो चुका है तथा कि0 मी0 1 से 5 तक भी कार्य प्रगति पर है ।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है:

वर्षवार	रु0 लाख में
1981–82	शून्य
1982–83	1.50 लाख
1983–84	6.00 लाख

धनाभाव के कारण उक्त दोनों कार्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं ।

92.–श्री भीखा लाल–

प्रथम सत्र 1980 के पांचवें मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 145 के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन्डीला–रसूलाबाद, चकलवन्सी–मार्ग का आधुनिकीकरण/सुदृढ़ीकरण कब स्वीकृत किया गया था और इस 23 कि0 मी0 मार्ग का कितना हिस्सा अब तक पूर्ण हो चुका है और शेष कब तक पूर्ण हो जायेगा तथा वित्तीय वर्ष 1983–84 में कितने कि0 मी0 मार्ग पूरा किया जायगा और उसके लिए कितना धन आवंटित किया गया है ?

श्री विद्या भूषण–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रमायुक्त कार्यालय के मान चित्रकारों को सेलेक्शन का विचाराधीन सेलेक्शन ग्रेड

93.–श्री भीखा लाल–

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश, कानपुर द्वारा दिनांक 10 मई, 1983 को कोई पत्र श्रमायुक्त संगठन के मान चित्रकारों को सेलेक्शन ग्रेड समय–बद्ध वेतनमान स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को भेजा गया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र में क्या तथ्य दर्शाए गए थे और शासन की ओर से उस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां ।

उल्लिखित पत्र में सूचित किया गया है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं श्रमायुक्त कार्यालय के मान चित्रकारों की सेवा शर्तें एवं वेतनमान एक ही समान हैं । परन्तु सेलेक्शन ग्रेड उक्त कर्मचारियों को केवल सार्वजनिक निर्माण विभाग में स्वीकृत है श्रम विभाग में नहीं । श्रमायुक्त संगठन के मान चित्रकारों के प्रोन्नति का कोई मार्ग नहीं है, उनकी सेवायें 20 वर्ष से अधिक हो जाने के कारण वे पुराने तथा नये वेतनमानों में कई वर्षों से अधिकतम वेतन प्राप्त कर रहे हैं । वित्त विभाग के परामर्श से मान चित्रकारों को सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है ।

श्रम विभाग के कर्मचारियों की सेवा नियमावली

94.–श्री भीखा लाल–

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर के माध्यम से दिनांक 21 अक्तूबर, 1983 को कोई पत्र सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग–4 के पास अधीनस्थ श्रम सेवा नियमावली में संशोधन विषय पर भेजा गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में क्या बिन्दु उठाए गए हैं और उन पर शासन की ओर से अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां ।

उक्त पत्र में सेवा नियमावली में इस आशय का संशोधन प्रस्तावित किया गया है कि अवर अभियन्ता (सिविल) के पदों में से 25 प्रतिशत पद केवल मान चित्रकारों के लिए आरक्षित कर दिए जाएं तथा सुपरवाइजर, वर्क सुपरवाइजर एवं विद्युतकार के पदों को आरक्षण हेतु अर्ह पदों की सूची से हटा दिया जाय ।

प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है ।

राज्य विद्युत् परिषद् के विद्युत् वितरण मन्डल, श्रीनगर, गढ़वाल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्ति

95--श्री राम लाल वर्मा--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद्, श्रीनगर गढ़वाल में सितम्बर, 1983 में चतुर्थ श्रेणियों के पदों पर नियुक्तियां की गई थीं ? यदि हां, तो कुल कितनी नियुक्तियां हुयीं और उसमें कुल कितने हरिजन लिए गए ? यदि नहीं लिए गए, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां ।

राज्य विद्युत् परिषद् के विद्युत् वितरण मंडल, श्रीनगर (गढ़वाल) में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कुल तीन नियुक्तियां की गयीं, जिनमें दो हरिजन लिए गए ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बहराइच नगर में हुये साम्प्रदायिक दंगे में हुई मृत्यु

96--श्री मन्जूर अहमद--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 25 अक्तूबर, 1983 को बहराइच नगर में हुये साम्प्रदायिक दंगे में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुये ? तथा कितनी गिरफ्तारियां हुयी ? दंगे का कारण क्या था ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार बहराइच नगर में दिनांक 25 अक्तूबर, 1983 को हुये दंगें में दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 19 पुलिस कर्मी तथा 14 अन्य लोग घायल हुये तथा कुल 327 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । उक्त दंगें का मूल कारण एक मस्जिद के पास भूखण्ड तथा उसी से जुड़े हुए कुंए के स्वामित्व को लेकर विवाद था और विवादग्रस्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर देने के कारण दंगें की स्थिति उत्पन्न हुई ।

शारदा-शकरन, एवं सीतापुर के मध्य घघरिया नदी पर कथित पुल निर्माण

97--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा और शकरन सीतापुर के बीच में घघरिया नदी के ऊपर पुल बनाने की योजना सरकार की है ? यदि हां, तो पुल कब तक बन जायगा और क्या यह पुल लकड़ी का होगा या पीपे का या पक्का बनेगा ?

श्री विद्या भूषण--

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गाजीपुर जिले के शीत गृहों को विद्युत् आपूर्ति

98--श्री राम नारायण सिंह (एडवोकेट)--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद मे इस समय स्थित शीतगृहों के स्वीकृत लोड कितने के0 वी0 रहा है ? इन शीतगृहों को निर्धारित विद्युत् आपूर्ति के घंटे

प्रतिदिन क्या हैं तथा इन शीतगृहों में से कितने शीतगृह अपना कार्य स्वयं अलग लाइन (सेपेरेट लाइन) खर्च जमा कर अब तक जमा कर चुके हैं तथा कितनों का शीतगृह फीडर अलग बनाकर विद्युत् आपूर्ति को जा रही हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

गाजीपुर जनपद में स्थित शीतगृहों का कुल स्वीकृत लोड 1678.50 किलो वाट हैं। इन शीतगृहों को विद्युत् आपूर्ति 16 घंटे प्रतिदिन निर्धारित हैं। वर्तमान समय में छः शीतगृहों ने अलग लाइन का खर्चा जमा किया हैं और छः शीतगृह पहले से ही अलग फीडर पर हैं।

उपरोक्त समस्त छः शीतगृहों को अलग लाइन बना दी गई हैं। इनके कनेक्शन को अलग फीडर पर चालू करने का शेष कार्य किया जा रहा हैं।

कानपुर के जुनेतपुर के श्री राम गोपाल के गुम होने सम्बन्धी थाने में पंजीकृत अभियोग

99--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दुर्गा पुत्र मथुरा यादव, निवासी जुनेतपुर, थाना भोगनीपुर, जिला कानपुर देहात ने दिनांक 10 अक्तूबर, 1980 को एक रिपोर्ट थाना भोगनीपुर में अपने भाई श्री राम गोपाल के गुम हो जाने को दर्ज कराई थी ? यदि हां, तो पुलिस को जांच में क्या तथ्य मिले ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां।

जांचोपरान्त प्रश्नगत मामले में दिनांक 26 नवम्बर, 1980 को एक अभियोग धारा 364 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया किन्तु साक्ष्य के अभाव में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

जिला हमीरपुर, थाना कुसरा के थानाध्यक्ष, श्री एस0 के0 सिंह के विरुद्ध शिकायती-पत्र

100--श्री भोला लाल--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रताप नरायन द्विवेदी, विधायक का शिकायती-पत्र दिनांक 1 अक्तूबर, 1983 को थानाध्यक्ष (श्री एस0 के0 सिंह) जिल हमीरपुर के विरुद्ध प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो उनकी मुख्य शिकायतें क्या थीं ? उस पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां।

शिकायती-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न हैं। इनमें अंकित आरोपों की जांच पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के माध्यम से करायी गयी। जांच से समस्त आरोप निराधार पाये गये हैं।

जहां तक अभियुक्त मगन की पुलिस हिरासत में मृत्यु का सम्बन्ध हैं, इस घटना की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा की जा रही हैं जो प्रचलित हैं।

(देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ 203 पर।)

सलेमपुर थाने की पुलिस द्वारा ग्राम पकड़ी लाला के हरिजनों का उत्पीड़न एवं तत्सम्बन्धी-पत्र

101--श्री नन्द किशोर सिंह, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री कुबेर भण्डारी, श्री हरिवंश सहाय तथा श्री गौरी शंकर भैंटया--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सलेमपुर थाने की पुलिस द्वारा ग्राम पकड़ीलाला के हरिजन

परिवार को उत्पीड़ित करने तथा उसकी सम्पत्ति को लुटवा लेने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र 26-9-83 श्री बाबू नन्दन हरिजन के आवेदन-पत्र के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन-सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

माननीय विधायक श्री कुबेर भंडारी के पत्र दिनांक 26-9-83 के साथ संलग्नक के रूप में श्री बाबू नन्दन का प्रश्नगत आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है। आवेदन-पत्र में अंकित आरोपों की जांच करायी गई। जांच में आरोप सही नहीं पाये गये।

थाना साण्डी, जिला हरदोई में पंजीकृत अपराध

102--श्री हरीशंकर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या 61-ए एवं 82 अन्तर्गत धारा 147/323/504/506 आई0 पी0 सी0, थाना साण्डी, जिला हरदोई में विवेचना कब पूर्ण हुई और आरोप-पत्र न्यायालय को कब प्रेषित किया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार मु0 अ0 संख्या 61-ए/82 धारा 147/323/504 भा0 दं0 वि0 थाना साण्डी की विवेचना दिनांक 19-2-84 को पूर्ण हुई और उसी दिन आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

फैजाबाद जिले की ग्राम सभा बेरगा के कथित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं पेंशन

103--श्री शेर बहादुर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बतने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बेरगा, तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में कितने व कौन व्यक्ति स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी रहे हैं ? क्या उनमें से कोई राजनैतिक पेंशन पा रहे हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

ग्राम सभा बेरगा, तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है। अतः किसी को राजनैतिक पेंशन पाने का प्रश्न नहीं उठता।

फर्रुखाबाद में गंगा नदी पर राजघाट पर चलायी गयी फेरी से हुई आय

104--श्री हरी शंकर--

क्या सा0 नि0 विभाग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में राजघाट फेरी गंगा नदी पर कन्नौज विभाग द्वारा कितने समय से चलाई जा रही है ? इससे शासन को कितनी आय प्रति वर्ष होती है और वसूली में कितना व्यय प्रति वर्ष होता है ? ठेकेदार द्वारा फेरी चलाने में प्रति वर्ष क्या आय थी ? क्या ठेके पर देने से आय अधिक थी ? यदि हां, तो ठेका न देने से हानि का उत्तरदायी कौन है ?

श्री विद्या भूषण--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

विद्युत् सब-स्टेशन बिलग्राम का ट्रान्सफार्मर

105--श्री हरी शंकर--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 33 के0 वी0 सब-स्टेशन बिलग्राम पर 3 एम0 वी0 ए0 का ट्रान्सफार्मर किस तिथि को भेजा गया और कब लगाया गया ? यदि अभी तक नहीं लगाया गया, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

33 के0 वी0 सब-स्टेशन बिलग्राम पर 3 एम0 वी0 ए0 का ट्रान्सफारमर

दिनांक 28-3-82 को भेजा गया। इस ट्रान्सफारमर को चालू करने का कार्य चल रहा है और इसको मार्च, 1984 तक चालू कर दिये जाने की सम्भावना है।

मत्स्य विभाग के मत्स्य निरीक्षकों का प्रत्यावर्तन

106—श्री माधव प्रसाद—

क्या मत्स्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972 में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुपयुक्त पाए जाने पर कुछ विभागीय मत्स्य निरीक्षकों को प्रत्यावर्तित किया गया था? यदि हां, तो उन्हें किस आधार पर प्रोन्नति दी गयी ?

श्री संजय सिंह—

जी हां।

वर्ष 1972 में लोक सेवा आयोग द्वारा अनुपयुक्त पाये जाने पर कुछ मत्स्य निरीक्षकों को प्रत्यावर्तित किया गया था। मत्स्य निरीक्षकों को प्रत्यावर्तित करने के लिये उनकी चरित्र पंजिका एवं कार्य-कलापों की समीक्षा विभागीय चयन समिति से कराई गयी थी। चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर सर्वश्री कमला प्रसाद मिश्र, मो0 सुलेमान सिद्दीकी, पदमदत्त किस्तवाल, शकील अहमद और दुरबीन सिंह यादव को प्रत्यावर्तित न करके तदर्थ रूप से रिक्त हो गये पदों पर कार्यरत रहने दिया गया। सर्वश्री एस0 डब्लू0 लॉयल, पीतम कृष्ण श्रीवास्तव, केदारनाथ निगम, जगदीश प्रसाद शर्मा, एम0 आर0 विश्वकर्मा और हरिमोहन सक्सेना को चयन समिति ने अनुपयुक्त पाया था। अतः उन्हें मत्स्य विकास कार्यकर्ता के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया था। श्री कमला प्रसाद मिश्रा को वर्ष 1975 में प्रत्यावर्तित कर दिया गया था। श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव को प्रत्यावर्तित करने का प्रश्न नहीं उठा, क्योंकि वे मत्स्य विकास कार्यकर्ता के पद पर ही कार्यरत थे। प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग के माध्यम से वर्ष 1975 में पुनः चुनाव कराया गया जिसमें लोक सेवा आयोग ने सर्वश्री मो0 सुलेमान सिद्दीकी, पदमदत्त किस्तवाल, जगदीश प्रसाद शर्मा, मुन्नेराम विश्वकर्मा, हरिमोहन सक्सेना, शकील अहमद एवं दुरबीन सिंह यादव को उपयुक्त पाय और मत्स्य निरीक्षक के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु अनुमति प्रदान कर दी।

वर्ष 1976 में विभागीय चयन समिति द्वारा पुनः मत्स्य निरीक्षक के पदों पर तदर्थ प्रोन्नति के प्रस्ताव पर विचार किया गया और सर्वश्री एस0 डब्लू0 लायल एवं के0 पी0 मिश्र को प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया। परन्तु श्री के0 पी0 मिश्रा ने मत्स्य निरीक्षक के पद पर योगदान नहीं दिया। अतः उनकी प्रोन्नति का आदेश निरस्त कर दिया गया।

वर्ष 1977 में भी विभागीय चयन समिति द्वारा मत्स्य निरीक्षक के पदों पर तदर्थ प्रोन्नति के प्रश्न पर विचार किया गया और सर्वश्री के0 पी0 मिश्रा पी0 के0 श्रीवास्तव, एवं के0 एन0 निगम को तद्नुसार प्रोन्नति दे दी गयी। श्री के0 पी0 मिश्रा ने मत्स्य निरीक्षक के पद पर इस बार भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया।

तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, लेसू लखनऊ के विरुद्ध शिकायती-पत्र

107—श्री सत्यपाल सिंह यादव—

क्या विद्युत मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता विधायक ने एक शिकायती-पत्र श्री एस0 के0 गुप्ता तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, (लेसू), लखनऊ के विरूद्ध गम्भीर आरोपों सहित 9-6-83 को ऊर्जा मन्त्री को तथा दिनांक 15-6-83 तथा दूसरा पत्र दिनांक 25-6-83 को सतर्कता सचिव, उ0 प्र0 शासन को व्यक्तिगत रूप से हस्तगत किया था ? यदि हां,

तो उपरोक्त अभियन्ता के खिलाफ मुख्य रूप से क्या-क्या आरोप थे और उन आरोपों के विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां । प्रश्नगत मामले में सतर्कता जांच जारी है । जांच व जनहित में आरोपो का बताया जाना उचित नहीं है ।

श्री पी0 के0 गोयल, मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता (विद्युत), आगरा के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच रिपोर्ट

108--श्री विजय सिंह राना--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पांचवें मंगलवार के अता0 प्रश्न संख्या 94 के उत्तर के सन्दर्भ में आगरा परिक्षेत्र के मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता (विद्युत) श्री पी0 के0 गोयल के विरूद्ध विभागीय सतर्कता अधिष्ठान द्वारा फरवरी, 83 में दी गयी जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

विभागीय सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की गई जांच के निष्कर्ष के अनुसार श्री पी0 के0 गोयल, मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता (विद्युत), आगरा परिक्षेत्र के विरुद्ध अनुचित धनराशि लेने का आरोप सिद्ध नहीं पाया गया, परन्तु मेसर्स तुलसी टाकीज तथा मेसर्स पी0 के0 साल्वेन्ट, आगरा को अनुचित कनेक्शन दिलाने के सम्बन्ध में श्री गोयल की सत्यनिष्ठा संदिग्ध पायी गयी ।

विभागीय सतर्कता जांच रिपोर्ट पर परिषद् ने मुख्य अभियन्ता (वितरण) की रिपोर्ट मांगी जिसका परिषद् में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि जहां तक श्री गोयल की सत्यनिष्ठा संदिग्ध होने का प्रश्न है, श्री गोयल किसी भी जिम्मेदारी के लिए सीधे दोषी नहीं पाये गये, लेकिन फिर भी मेसर्स तुलसी टाकीज से प्रथम 6 महीने तक मिनिमम चार्ज वसूल किए जाने से सम्बन्धित अनियमितताओं में उनका आचरण बिल्कुल साफ नहीं पाया गया, जिसके लिए उनको परिषद् की अप्रसन्नता से अवगत कराया जा रहा है ।

देवरिया जिले के ग्राम मिश्रौली के श्री चन्द्र देव यादव की डकैतों द्वारा कथित हत्या

109--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री गौरी शंकर भैंरया--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्रदेव यादव ग्राम सभा मिश्रौली, थाना बनकटा, जनपद देवरिया की हत्या डकैतों ने बम द्वारा अक्तूबर, 83 में कर दी तथा डकैतों ने काफी धन सम्पत्ति लूट ली ? यदि हां, तो अब तक कितने मुल्जिम गिरफ्तार किए गये और शेष कब तक गिरफ्तार होंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं । अक्टूबर, 1983 में ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों का कांस्टेबिल (एम0) के पद हेतु लिया गया साक्षात्कार

110--श्री भीखा लाल--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस सेवा में लगे हुए मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को विभाग में जगह देने के लिए 9-6-82 को कांस्टेबिल (एम) पद के लिए पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद में साक्षात्कार हुआ था ? यदि हां, तो कुल कितने अभ्यर्थी थे और चुनाव का अन्तिम निर्णय कब

घोषित किया गया तथा चयनित व्यक्तियों में से कितने की नियुक्ति अब तक हो चुकी है और शेष की नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र---

जी हां । इसमें कुल 25 अभ्यर्थी थे तथा अन्तिम निर्णय दिनांक 9-6-82 को ही घोषित कर दिया गया था । चयनित अभ्यर्थियों में से 12 अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है । जैसे-जैसे रिक्तियां उपलब्ध होती जायेगी शेष अभ्यर्थियों को ज्येष्ठता के आधार पर उनका नम्बर आने पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

भारतीय वाहन कर्मी एसोसिएशन, के अध्यक्ष, श्री राम शंकर शुक्ल का कथित पत्र

111---श्री रामलाल वर्मा---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-11-83 को भारतीय वाहन कर्मी एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, श्री रामशंकर शुक्ल द्वारा अपनी जान व माल की सुरक्षा विषयक कोई पत्र उन्हें दिया गया ? यदि हां, तो उसके प्रमुख बिन्दु क्या हैं तथा शासन द्वारा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र---

जी नहीं ।

अन्य प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले की बाजार ककरहवा का पशुटीका निरोधक केन्द्र

112---श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के कस्बा ककरहवा बाजार, जो नेपाल राज्य के सीमा के बहुत करीब है और उस क्षेत्र में मनुष्यों तथा पशुओं में बीमारी ज्यादा रहती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ककरहवा में पशु टीका निरोधक केन्द्र खोलने तथा भवन निर्माण की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री संजय सिंह---

बस्ती जिले के कस्बा ककरहवा में पशु टीका निरोधक केन्द्र किराये के भवन में कार्यरत है । भवन निर्माण का सम्प्रति प्रस्ताव नहीं है ।

बस्ती जिले के मनोरी-मुन्डेरवा मार्ग का कथित पुनर्निर्माण

113---श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के अन्तर्गत मनोरी से मुन्डरेवा जाने वाला बस्ती बाईपास मार्ग का पुनर्निर्माण प्रान्तीय खंड सा0 नि0 विभाग, बस्ती द्वारा सम्पादित हो रहा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य हेतु कुल कितने रुपये की स्वीकृति की गयी है ? क्या यह भी सही है कि उक्त मार्ग पर गहरे गढ्ढों (पाटहोल) के कारण वाहनों का संचालन नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री विद्या भूषण---

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण कुछ असुविधा है । धन की उपलब्धि के अनुसार सर्वाधिक क्षतिग्रस्त 9.00 कि0 मी0 में गड्ढे भर दिये गये है ।

किसी को दण्ड देने का प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिले के ग्राम पुरैनी निवासी पत्रकार, श्री चौधरी राम विलास सिंह का पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

114--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री गौरी शंकर भैय्या--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चौधरी राम विलास सिंह, पत्रकार गोरखपुर मन्डल, सफरनामा, पाक्षिक, ग्राम पुरैनी,, थाना रामकोला, जनपद देवरिया का आवेदन-पत्र दिनांक 1 नवम्बर, 1983 का इस आशय का कि पुलिस अधीक्षक, देवरिया ने उन्हें जान से मरवाने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्रइनकर्त्ता का पत्र दिनांक 25 नवम्बर, 1983 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो आवेदन-पत्र पर अब तक कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । आवेदन-पत्र में अंकित आरोपों की जांच पुलिस उप महानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र के माध्यम से करायी गयी । जांच से चौधरी राम विलास सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक, देवरिया के खिलाफ लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये।

प्रतापगढ़ के थाना पट्टी के एस0 ओ0, श्री हरिवंश सिंह के विरुद्ध शिकायती-पत्र

115--श्री राम सागर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के श्री हरिवंश सिंह, एस0 ओ0 (द्वितीय) तथा श्री जयनारायण तिवारी के आचरण के सम्बन्ध में श्री सरजू पान्डेय एम0 एल0 सी0 के पत्र दिनांक 20 मई, 1983, 17 जून, 1983 व 13 जुलाई, 1983 उन्हें तथा गृह सचिव को प्राप्त हुए थे ? उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । जांच में पुलिस द्वारा किसी पक्ष विशेष के प्रति पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाये जाने की बात प्रमाणित नहीं हुयी । शान्ति भंग न हो एवं कानून व्यवस्था बनी रहे अतः द0 प्र0 संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत उभय पक्षों के विरुद्ध समान रूप से कार्यवाही की गयी है । श्री हरिवंश सिंह उप निरीक्षक का स्थानान्तरण जनपद प्रतापगढ़ से हो चुका है ।

बस्ती जिले के इटवा-बिस्कोहर मार्ग का निर्माण

116--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में इटवा बिस्कोहर मार्ग के आधुनिकीकरण के आकलन की स्वीकृति हुई थी तथा अब तक कुल कितने मार्ग का निर्माण हो चुका है आगणन में क्या-क्या प्राविधान किया गया है तथा क्या उसके अनुरूप ही कार्य हुआ है ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच सतर्कता विभाग द्वारा कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

जी हां । अब तक कुल 13.740 कि0 मी0 मार्ग का निर्माण हो चुका है ।

आगणन में एक कोट मध्य सतह, एक कोट ऊपरी सतह तथा दो कोट लेपन का प्राविधान किया गया है । कार्य आगणन के अनुरूप ही हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले की तहसील डुमरियागंज में पुलिस उपाधीक्षक के कार्यालय के भवन का निर्माण

117--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती की तहसील डुमरियागंज

के अन्तर्गत पुलिस उपाधीक्षक का निवास एवं कार्यालय का भवन बनकर तैयार है और उसमें दूसरे लोग रह रहे हैं ? क्या यह सत्य है कि पुलिस उपाधीक्षक इसलिए अपनी सर्किल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि पुलिस महानिदेशक ने क्षेत्र में रहने के लिए बस्ती जनपद में केवल सी० ओ०, नौगढ़ और बांसी को ही संस्तुति की है ? यदि हां, तो डुमरियागंज में निवास व कार्यालय बनाने का क्या औचित्य है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

बस्ती की तहसील डुमरियागंज के अन्तर्गत पुलिस उपाधीक्षक के निवास एवं कार्यालय के भवन अभी बनकर तैयार नहीं हुए हैं बल्कि निर्माणाधीन हैं और इनमें अभी कोई नहीं रह रहा है ।

जी नहीं, पुलिस महानिदेशक ने ऐसी कोई संस्तुति नहीं की है कि उक्त जनपद के केवल नौगढ़ एवं बांसी सर्किल में ही पुलिस उपाधीक्षक क्षेत्र में रहें ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा जिले के श्यामो-नाला शवला मार्ग के निर्माण की स्वीकृति

118--श्री विजय सिंह राना--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में श्यामो से नाला शवला तक स्वीकृत मार्ग पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो यह कार्य कब प्रारम्भ किया गया, कितना कार्य अब तक पूर्ण हो गया है और कितना कार्य शेष है ? शेष कार्य अभी तक क्यों नहीं पूरा हो सका तथा अब कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री विद्या भूषण--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

झांसी नगर की विद्युत कठिनाइयों से सम्बन्धित पत्र

119--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 1983 के आस-पास झांसी नगर की विद्युत कठिनाइयों के सम्बन्ध में मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, राज्य विद्युत परिषद् कानपुर को पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो उसके किन-किन बिन्दुओं पर कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां ।

झांसी नगर की विद्युत कठिनाइयों सम्बन्धी प्रश्नकर्ता द्वारा दिया गया दिनांक 30 नवम्बर, 1983 का पत्र मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद कानपुर को प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र में वर्णित निम्न तीनों बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है ।

1--सदर, पिपरी एवं नगरा क्षेत्र में बिल भुगतान के लिये नये काउन्टर खोलना ।

2--झांसी नगर के कुछ क्षेत्रों में लो-वोल्टेज की समस्या ।

3--2 वर्ष से अधिक लम्बित घरेलू कनेक्शन ।

उपरोक्त समस्यायों का निराकरण कर दिया गया है । अतः अब किसी प्रकार की कार्यवाही अवशेष नहीं है ।

शाहजहांपुर में आग्नेयास्त्रों का लाइसेन्स

120--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स स्वीकृत करने हेतु विधायकों एवं संसद सदस्यों के लिये जो कोटा

पद्धति निर्धारित की गई है, वह किस नियम के अन्तर्गत की गई है ? क्या सरकार वास्तविक आवश्यकता एवं सही पात्रता की संस्तुति के आधार पर आग्नेशास्त्रों के लाइसेन्सों की स्वीकृति कराकर कोटा पद्धति को समाप्त करायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र---

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद शाहजहांपुर में आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस आयुध अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत गुणावगुण के आधार पर पात्र व्यक्तियों को स्वीकृत किये जाते हैं। उक्त जनपद में आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस स्वीकृत करने के लिये विधायकों एवं संसद सदस्यों के लिये कोई कोटा पद्धति निर्धारित नहीं है। अतः अन्य प्रश्न नहीं उठता।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्रदान की गयी राजकीय बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा

121—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को राजकीय बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा दिया जाना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है तथा सुविधा कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

नियोजन एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना---)

प्रदेश के सभी पेंशन प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिले के अन्दर आने-जाने तथा जिले के बाहर आयोजित समारोहों में भाग लेने के लिये निःशुल्क यात्रा सुविधा राजकीय सड़क परिवहन निगम की बसों में उपलब्ध करायी जा चुकी है। यह सुविधा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद् द्वारा जारी किये गये परिचय पत्र पर उपलब्ध होगी।

आगरा जिले के अकोला स्थित खारी नदी पुल एवं कोलुआ स्थित उटंगन नदी पुल के टोल टैक्स कार्यालय का भवन

122---श्री बदन सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के ग्राम अकोला (तहसील आगरा) स्थित खारी नदी के तथा ग्राम कोलुआ (तहसील खेरागढ़) स्थित उटंगन नदी के पुलों पर बने टोल टैक्स कार्यालयों के सभी दरवाजे व खिड़कियां गत वर्ष 1982 में निकाल कर कार्यालय भवन ध्वस्त कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

जनपद आगरा के ग्राम अकोला के पास स्थित खारी नदी पुल तथा ग्राम कोलुआ के पास स्थित उटंगन नदी पुल पर पथकर समाप्त कर दिये जाने के फलस्वरूप वहां स्थित टोल टैक्स कार्यालय भवनों की आवश्यकता न रह जाने के कारण इन भवनों के दरवाजे तथा खिड़कियां वर्ष 1982 में नहीं वरन वर्ष 1981 में निकाल ली गयी थी परन्तु भवन ध्वस्त नहीं किये गये। इन दरवाजे तथा खिड़कियों का अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खंड नं0 2 आगरा के लिए बनाये जा रहे अस्थायी कार्यालय भवन में उपयोग किया गया।

आगरा जिले की कीथम झील की जलकुम्भी निकालने की मांग

123---श्री बदन सिंह--

क्या मत्स्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सूर सरोवर (कीथम झील), आगरा जलकुम्भी एक सघन खरपतवार से पूर्ण रूप से आच्छादित हो गई है ? यदि हां, तो शासन सूर सरोवर को इस खरपतवार से मुक्त कराने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्री संजय सिंह--

जी हां।

कीथम झील में मत्स्य आखेट का ठेका वर्ष 1981-82 से पांच वर्ष (30-6-86) तक की अवधि के लिए "आल इन्डिया फिशरमेन्स कोआपरेटिव फेडरेशन, नई दिल्ली" के पक्ष में इस प्राविधान के साथ स्वीकृत किया गया था कि उक्त फेडरेशन, ठेका अवधि में कीथम झील में जलकुम्भी अपने खर्च पर निकालेगा, जिसके लिए विभाग द्वारा कोई शुल्क अथवा मुआवजा नहीं दिया जायेगा। उक्त फेडरेशन ने ठेके की अन्य औपचारिकतायें पूरी नहीं की। अतएव ठेका निरस्त कर दिया गया। कालान्तर में झील में से ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर जलकुम्भी निकालने का शर्त सहित कीथम झील की निरन्तर नीलाम पर रखा जाता रहा परन्तु झील का निस्तारण अभी तक नहीं हो सका।

लखनऊ के पुराना विधायक निवास के अन्तर्गत बिल्डिंग का निर्माण एवं आवंटन

124--श्री बदन सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जनपद के पुराने विधायक निवास में जो नई बिल्डिंग बन रही है यह विधायकों को आवंटित न करके अधिकारियों को दी जा रही है? क्या यह सच है कि अभी बिल्डिंग पूरी न होने पर भी उसका आवंटन अगस्त, 1982 में ही अधिकारियों को कर दिया गया था? यदि हां, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां।

केवल एक अधिकारी को अगस्त, 1982 में आवंटन किया गया।

उक्त आवास आवंटी को निर्मित हो जाने पर मिलने की प्रत्याशा में आवंटित किया गया।

राज्य सम्पत्ति विभाग के लखनऊ स्थित सूट एवं बंगलों का आवंटन

125--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के पास लखनऊ में 30 जून, 1983 को कितने सूट और कितने बंगले थे, उसमें से कितने सूटों में विधायक और कितने सूटों में अधिकारी 30 जून, 1983 को रह रहे थे? उनमें से कितने विधायक ऐसे हैं जो एक से अधिक सूट 30 जून, 1980 को अपने कब्जे में रखे हुए थे, और उन पर कुल कितना किराया बकाया था?

श्री श्रीपति मिश्र--

राज्य सम्पत्ति विभाग के पास लखनऊ में 30 जून, 1983 को 613 सूट और 84 बंगले थे।

उनमें से 485 सूटों में विधायक और 39 सूटों में अधिकारी रह रहे थे।

उनमें से 19 विधायक ऐसे थे जिनके कब्जे में दिनांक 30 जून, 1980 को एक से अधिक सूट थे और उन पर अतिरिक्त सूट का कुल 147 रु0 किराया बाकी था।

126--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

[मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

127--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

[मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

देवरिया-गोरखपुर मार्ग पर कुर्रा नाले का क्षतिग्रस्त पुल

128--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत

देवरिया गोरखपुर मार्ग पर कुर्ना नाले का पुल वर्ष 1980–81 में बाढ़ के कारण क्षति ग्रस्त हो गया है? यदि हां, तो आज तक उक्त मार्ग ठीक न करने का कारण क्या है ?

श्री विद्या भूषण—

सूचना एकत्र की जा रही है।

देवरिया के रुद्रपुर गजपुर मार्ग के गोर्रा नाले का क्षतिग्रस्त पुल

129—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला अन्तर्गत रुद्रपुर गजपुर रोड पर गोर्रा नाले पर पिंडरा घाट पर पुल बनाने की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक पुल बन जायेगा ?

श्री विद्या भूषण—

जनपद देवरिया में रुद्रपुर–गजपुर मार्ग पर पिंडरा घाट के पास गोर्रा नदी पर पुल निर्माण की स्वीकृति 50·00 लाख रुपये की लागत पर शासनादेश दिनांक 3 मार्च, 1984 में प्रदान कर दी गयी है। पुल का निर्माण आवश्यक औपचारिकतायें पूरी कर लिए जाने के बाद आवश्यकतानुसार धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

आगरा जिले के ग्राम कुर्रा निवासी, श्री सन्तराम की कथित पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु

130—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के थाना टूण्डला में वनरक्षक (फॉरेस्ट गार्ड) सन्तराम युवक 22 साल निवासी कुर्रा, वन विभाग भवारही, नंगला सिंधी को 19–12–81 को उसके घर से उठाकर सरेसाम हजरतपुर नाले पर बबुल के बांधकरसेड़े थाना टूण्डला पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया? क्या उन्हें यह भी जानकारी है कि हत्या को पुलिस ने डाकू मुठभेड़ बताया? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 19–12–81 को थाना अध्यक्ष टूण्डला को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि नत्थी मल्लाह का गैंग खेरिया कि तरफ से नाले–नाले होकर बीहड़ को तरफ जायेगा इस सूचना पर थानाध्यक्ष टूण्डला मय फोर्स के नाला हजरतपुर के जंगल में जाकर नाला के किनारे छिपकर बैठ गये। करीब 7 बजे प्रातः कोहरे के धुंधलेपन में 7–8 बदमाश सशस्त्र सड़क की तरफ से नाले–नाले आते दिखाई दिये। मुखबिर ने उनके नत्थी गैंग होनेकी पुष्टि की जिस पर थानाध्यक्ष टूण्डला ने विधिवत बदमाशों को आत्मसमर्पण करने के लिए चेतावनी दी परन्तु बदमाशों ने इस चेतावनी पर अमल न करके पुलिस फोर्स पर अंधाधुन्ध फायर करना आरम्भ कर दिया। प्रतिउत्तर में आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी ने बदमाशों पर फायर किये जिससे बदमाशों में भगदड़ मच गयी और वे ऊबड़–खाबड़ जमीन तथा घने कुहरे के धुंधलेपन का लाभ उठाकर भागने में सफल हुए। पुलिस द्वारा पीछा करने पर उनमें से एक बदमाश नाले के सहारे मरा हुआ पाया गया। शिनाख्त कार्यवाही पर ज्ञात हुआ कि वह मृतक बदमाश अन्ता उर्फ सनेही मल्लाह, गांव टन्डावती, थाना फतेहाबाद का रहने वाला है। मृतक के पास से एक रिवाल्वर व कारतूस भी बरामद हुए। इस घटना के सम्बन्ध में थाना टूण्डला पर अपराध के अन्तर्गत धारा 147/148/149/307 भा0 द0 वि0 व 25 आर्म्स ऐक्ट पंजीकृत हुआ। घटना की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को अभिदिष्ट कर दी गयी है।

बी0 एन0 रामा एन्ड कम्पनी, सदर बाजार लखनऊ के विरुद्ध थाने में लिखायी गयी रिपोर्ट

131--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अक्तूबर, नवम्बर, 1983 में प्रश्नकर्त्ता द्वारा कोई रिपोर्ट थाना हजरतगंज लखनऊ में धारा 420 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो यह रिपोर्ट क्या है ? उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 9-11-1983 को प्रश्नकर्त्ता के शैडो द्वारा प्रश्नकर्त्ता का एक प्रार्थना-पत्र थाना हजरतगंज पर दिया गया था जिसमें प्रार्थी की पत्नी डाक्टर श्रीमती जेतली, मेडिकल आफिसर सिविल अस्पताल, लखनऊ के जमा धन को बी0 एन0 रामा एन्ड कम्पनी (एफ) सदर बाजार लखनऊ द्वारा गबन करने तथा जालसाजी के आरोप लगाये गये थे। चूंकि थाना हजरतगंज पर बी0 एन0 रामा एन्ड कम्पनी के व्यवस्थापकों के विरुद्ध दिनांक 26-7-1983 को ही अ0 सं0 843 धारा 406/420 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया था अतः उपरोक्त प्रार्थना-पत्र को भी विवेचना हेतु विवेचक को दिया गया। इस कम्पनी के व्यवस्थापक भागे हुए हैं इनके विरुद्ध धारा 82-83 द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है। विवेचना प्रचलित है।

आगरा, फतेहपुर सीकरी मार्ग पर महुअर ग्राम के पुल निर्माण की मांग

132--श्री बदन सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के वेस्टस डिप्रेसन ड्रेन के ऊपर महुअर ग्राम के पास आगरा फतेहपुर सीकरी रोड पर पुल का निर्माण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पुल का निर्माण कब से प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री विद्या भूषण--

जी हां।

यह पुल राष्ट्रीय मार्ग पर होगा अतः भारत सरकार की स्वीकृति मिलने पर ही इसका निर्माण कराया जा सकेगा।

गोरखपुर एवं गोन्डा जिले में वन निगम द्वारा लकड़ियों की नीलामी का स्थगन

133--श्रीमती गौरी देवी--

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1983-84 में अब तक गोरखपुर एवं गोन्डा में वन निगम द्वारा जंगल की लकड़ियों की नीलामी चार बार स्थगित की जा चुकी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सच है कि वर्ष 1981-82 जब गोरखपुर में निगम नहीं था तो शासन को 1982-83 व 1983-84 में अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई थी ? यदि हां, तो कारण क्या है ? क्या सरकार वन निगम समाप्त करने पर विचार करेगी ?

श्री संजय सिंह--

जी हां, क्रेताओं द्वारा, अतिरिक्त मन्डी शुल्क तथा परिवहन शुल्क हटाये जाने की मांग को लेकर, नीलामी का बहिष्कार करने के कारण यह नीलाम स्थगित हुए। माह फरवरी, 1984 से क्रेताओं ने नीलाम का बहिष्कार समाप्त कर दिया है और अब नीलाम पुनः यथावत् हो रहे हैं। वर्ष 1981-82 में नीलाम की गई लकड़ी की तुलना में वर्ष 1982-83 में वन निगम को कम लकड़ी का आवंटन होने तथा प्रतिस्पर्धा का न होने के कारण लकड़ी एवं अन्य

वन उपज से कम राजस्व की प्राप्ति हुई । वर्ष 1983-84 की रायल्टी का निर्धारण अभी नहीं हुआ है । वन निगम की स्थापना का उद्देश्य अधिक राजस्व की प्राप्ति करना नहीं है वरन् वनो में उत्तरोत्तर बढ़ते हुए नाजायज कटान को बन्द करना तथा ठेकेदारों एवं बिचौलियों द्वारा श्रमिकों के शोषण को रोकना एवं बनोपज का वैज्ञानिक ढंग से विदोहन करना है । अतः वन निगम को समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जिले के कतिपय मार्गों के निर्माण की मांग

134—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खंड, गोरखपुर ने दिनांक 15-11-83 के पत्रांक संख्या 4029/53 यातायात के द्वारा अधीक्षण अभियन्ता छठा वृत्त, गोरखपुर एवं अधीक्षण अभियन्ता नियोजन, लखनऊ को अपने 30-4-82 के पत्र की प्रतिलिपि के साथ दिनांक 5-10-83 के पत्र के सन्दर्भ में सेवईवोकटा, महाबीर-छपरा-कुसमौल, डबरपार-कतरारो तथा रुस्तमपुर-कजाकिपुर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में लिखा है ? यदि हां, तो उपरोक्त सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में कब स्वीकृति प्रदान की जायेगी ?

श्री विद्याभूषण—

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खंड गोरखपुर के सन्दर्भित पत्र में केवल निम्नलिखित मार्गों के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, छठा वृत्त, गोरखपुर व अधीक्षण अभियन्ता (नियोजन), लखनऊ को सूचना प्रेषित की गई है :—

(1) सेवई बाजार से बोकटा मार्ग,

(2) महाबीर छपरा-कुसमौल मार्ग,

(3) डबरपार से कतरारी मार्ग।

उपरोक्त मार्ग जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत आते हैं। अतः जिला समिति का अनुमोदन प्राप्त हो जाने तथा आवश्यकतानुसार धन की व्यवस्था कर लिए जाने पर ही इन मार्गों को स्वीकृति दिया जाना सम्भव हो सकेगा ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती को दी गई धनराशि

135—श्री माता प्रसाद पान्डेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 82-83 व 83-84 में सा0 निर्माण विभाग का बजट बस्ती जनपद के लिए स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या वित्तीय वर्ष 82-83 के लिए स्वीकृत धनराशि सा0 नि0 वि0 बस्ती को वित्तीय स्वीकृति के के साथ प्रदान कर दी गई थी ? यदि हां, तो क्या संदर्भित धनराशि का उपयोग सार्वजनिक निर्माण विभाग बस्ती ने किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

जी हां ।

जी हां । किन्तु वित्तीय वर्ष 1982-83 में केवल चालू कार्यों के लिए ही स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फर्रुखाबाद जिले के घाट दरोगा श्री राम सेवक यादव का स्थानान्तरण

136—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम सेवक यादव, घाट दरोगा का स्थानान्तरण घटियाघाट, फर्रुखाबाद से राजघाट, कन्नौज, जनपद फर्रुखाबाद नवम्बर, 1981 में हुआ था ? यदि हां, तो

श्री राम सेवक यादव को इस घाट का पूर्ण चार्ज कब तक दिया गया है ? यदि नहीं, तो इस विलम्ब का क्या कारण है तथा इसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

जी हां ।

श्री राम सेवक यादव को इस घाट का चार्ज दिनांक 12-7-82 को दिया गया है ।

श्री यादव दिनांक 5-11-81 से 5-7-82 तक चिकित्सीय एवं उपार्जित अवकाश पर रहे । उन्हें चार्ज देने में कोई विलम्ब नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जिले के कतिपय मार्गों के निर्माण की मांग

137--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के सेवई-बोकटा, महावीर छपरा-कुस्मौल, डाकीपार-रुस्तमपुर, डंवरपार-बतारी एवं डागीपार-मिर्जापुर, पान्डेपार-मलौली, नगवा-एकलाव बरवार-चाडर मार्गों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक 17-11-83 को मुख्य अभियन्ता सा0 नि0 विभाग को दो अलग-अलग पत्र लिखे गये थे ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित तथ्यों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री विद्या भूषण--

मुख्य अभियन्ता को लिखा गया दिनांक 17-11-83 का केवल एक पत्र प्राप्त हुआ था । उक्त पत्र में प्रश्न में सन्दर्भित मार्गों में से केवल निम्नलिखित चार मार्गों के निर्माण का प्रस्ताव था--

1--सेवई बोकटा मार्ग,

2--महावीर छपरा-कुस्मौल मार्ग,

3--डाकीपार-रुस्तमपुर मार्ग,

4--डवरपार-बतरारी मार्ग ।

पत्र में उल्लिखित उपरोक्त मार्ग जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत आते हैं । अतः इन मार्गों के सम्बन्ध में जिला नियोजन एवम् अनुश्रवण समिति द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

हिन्डालको को दी गई बिजली का विवरण

138--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्षों में हिन्डालको को किस दर से कुल कितनी बिजली दी गई ? इस धनराशि का भुगतान किया गया ? वर्ष 1983 के माह अक्तूबर-नवम्बर में विद्युत कटौती के समय इस कम्पनी को कितनी विद्युत दी जाती थी?

श्री ब्रह्म दत्त--

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "छ" आगे पृष्ठ 204 पर ।)

राजकीय विज्ञापनों को हिन्दी में विज्ञप्ति करने सम्बन्धी लिया गया कथित निर्णय

139--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी विज्ञापन हिन्दी में विज्ञप्ति करने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो 15 अगस्त, 1983 को दिल्ली के आंग्ल दैनिक में (दि टाइम्स आफ इंडिया) में उत्तर प्रदेश सूचना विभाग द्वारा तथा इसी दैनिक के प्रकाशन में 10 नवम्बर, 1983 को पृष्ठ 14 में उ0 प्र0 शासन के उपक्रम उ0 प्र0 नलकूप निगम लि0 का विज्ञापन आंग्ल भाषा में प्रकाशित करने हेतु दोषी

अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार---

जी नहीं, विज्ञापनों के बारे में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के श्री ओम दत्त सिंघल, अधिशासी अभियन्ता की दक्षता रोक की धनराशि

140—श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को यह जानकारी है कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में नियोजन वर्ग से सम्बन्धित श्री ओम दत्त सिंघल, अधिशासी अभियन्ता ने गैर कानूनी तरीके से जून, 82 में अपना दक्षता रोक स्वयं ही पार करके पचास हजार रुपया का भुगतान अपने नाम में किया तथा अपनी सेवा-पुस्तिका में तोड़-मरोड़ (टेम्परिंग) किया ? यदि हां, तो उक्त अधिशासी अभियन्ता के ऊपर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विद्या भूषण---

जी हां ।

पचास हजार रुपये का भुगतान नहीं लिया बल्कि 8,815.73 रु0 का भुगतान लिया है ।

जांच की जा रही है ।

अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ललितपुर द्वारा दिया गया वर्कआर्डर

141--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय ड, सा0 नि0 विभाग, ललितपुर द्वारा वर्ष 1981-82, 1982-83, 1983-84, में आज तक कुल कितने रुपये की कार्यादेश (वर्क आर्डर) जारी किए हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि बनाये गये सभी वर्क आर्डर नियमानुसार नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण मामले की जांच कर के उचित कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा सम्बन्धित वर्षों में निम्नवत् 45,88,012 रुपये के वर्क आर्डर जारी किये गये :--

वर्ष	धनराशि
1981-82	2,66,258.00
1982-83	20,72,754.00
1983-84	22,49,000.00

इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत पर जांच की जा रही है ।

उन्नाव जिले के ग्राम छलामऊ निवासी, श्री माधव को विद्युत् आपूर्ति

142—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ग्राम छलामऊ के निवासी (माधव) के शिकायती पत्र को जो नेता विरोधी दल, विधान सभा, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र सं0 932/ न0 वि0 द0/1983, दिनांक 30 अगस्त 1983 द्वारा अध्यक्ष राज्य विद्युत् परिषद् उत्तर प्रदेश को भेजा था, प्राप्त हुआ ? यदि हां तो उस शिकायती पत्र में शिकायतें क्या थीं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां । उपभोक्ता श्री माधव, ग्राम छलामऊ, उन्नाव के नलकूप की लाइन के गले हुए लकड़ी के खम्भे

सीमेन्ट के खम्भों से बदल दिये गये हैं और उपभोक्ता के नलकूप को विद्युत् आपूर्ति सुचारु रूप से दी जा रही है ।

श्री दिवाकर त्रिपाठी, ए० डी० एम०, आपूर्ति विभाग, लखनऊ का कार्यकाल

143--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री दिवाकर त्रिपाठी, ए० डी० एम०, सिविल स्पालाईज 9 वर्ष से लखनऊ में ही नियुक्त ह ? यदि हां, तो तीन साल से अधिक एक ही जगह रखने का कारण क्या है ? क्या यह भी सही है कि श्री दिवाकर त्रिपाठी के यहां रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के मामले निर्धारित समय के अन्दर निर्णीत न होने के कारण इनके यहां तत्सम्बन्धी मामलों का अम्बार लगा हुआ है ? यदि हां, तो इनका तत्सम्बन्धी मामलों का डिस्पोजल 1 जनवरी, 1983 से 30 जून, 1983 तक प्रतिदिन कितना रहा ?

श्री श्रीपति मिश्र--

श्री दिवाकर त्रिपाठी अप्रैल, 1976 से लखनऊ में विभिन्न पदों पर नियुक्त रहे हैं । वह अपर जिलाधिकारी, आपूर्ति के पद पर दिनांक 17-1-1980 से जनहित में कार्यरत हैं । रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत लम्बित मुकदमों तथा उनके दिनांक 1 जनवरी, 1983 से 30 जून, 1983 तक डिस्पोजल के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

पुलिस विभाग में फर्जी प्रमाण-पत्र दाखिल करने एवं रिश्वत लेने सम्बन्धी पत्र

144--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश में फर्जी प्रमाण पत्र दाखिल करने एवं रु० 5,000 की रिश्वत देने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का उनको सम्बोधित दिनांक 2 सितम्बर, 1983 का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कोई कार्यवाही की गई । यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है ।

झांसी जिले के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, श्री चिरंजीलाल पाठक की जांच

145--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता को अनुसचिव गृह (सामान्य) अनुभाग--1 के अर्द्धशासकीय पत्रांक 51 स० वि० जेड/6--83-336 सी० पी०/82 द्वारा बताया गया था कि जनपद झांसी के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्री चिरंजीलाल पाठक पुत्र श्री राम भरोसे पाठक की सजायाबी को जांच निदेशक/सचिव स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद् द्वारा करायी जा रही ह ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट को संस्तुति सहित भारत सरकार को भेज दिया गया है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जनपद झांसी के श्री चिरंजी लाल पाठक के स्वतन्त्रता संग्राम में जेल यातनायें भोगने के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट अभी निदेशक/सचिव, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद् से प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एवं जिला जज

146--श्री रामस्वरूप निम--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में

अनुसूचित जाति के जिला जज तथा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने जिलों में हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 31-12-1983 तक स्थायी व अस्थायी जजों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या नियुक्ति करते समय अनुसूचित जाति के जजों में से आरक्षण का भी ध्यान रखा जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र--

57 जिलों में कोई जिला जज अनुसूचित जाति का नहीं। 4 जिलों में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अनुसूचित जाति के हैं। 31-12-1983 को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जजों के 10 स्थायी तथा 10 अस्थायी पद रिक्त थे। इन पदों पर नियुक्ति एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत भारत सरकार द्वारा की जाती है।

विधान सभा एवं विधान परिषद् के सदस्यों को विधायक निवासों का आवंटन

147--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा व विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन-कौन से सदस्य हैं जिन्हें दो या दो से अधिक विधायक निवासों के कक्ष आवंटित हैं ? एक से अधिक कक्ष उन्हें आवंटित करने का कारण क्या है तथा उन पर किराये की कितनी धनराशि बकाया है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

विधान सभा व विधान परिषद् उ० प्र० के ऐसे सदस्यों, जिन्हें दो या दो से अधिक कक्ष विधायक निवासों में आवंटित किये गये, की सूची संलग्न है।

एक से अधिक कक्ष उनकी विशेष परिस्थितियों में निर्धारित किराये के आधार पर आवंटित किये गये। उन पर बकाये किराये की धनराशि का विवरण संलग्न सूची में प्रत्येक के नाम के सम्मुख अंकित है।

(देखिये नत्थी "ज" आगे पृष्ठ 206 पर।

भूतपूर्व मंत्रियों पर सरकारी आवासों का बकाया किराया

148--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 31 दिसम्बर, 1983 को ऐसे कितने भू० पू० मंत्री रहे जिन पर सरकारी आवासों में रहने का किराया बकाया था उन पर किराये बकाये की वसूलयाबी के लिए कौन सी कार्यवाही अमल में लायी जा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

दिनांक 31 दिसम्बर, 1983 को ऐसे 74 भू० पू० मंत्री थे जिन पर सरकारी आवासों में रहने का किराया बकाया था। इसमें से कुछ के विरुद्ध किराये की वसूलयाबी के लिये विधिक कार्यवाही की गयी तथा कुछ को अनुरोध पत्र जारी किये गये।

गोंडा जिले के थाना खरगूपुर के थानाध्यक्ष, श्री राम झलक राय के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

149--श्री बलवीर सिंह--

क्या मख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जनपद, थाना खरगूपुर के थानाध्यक्ष के भ्रष्टाचार के विरुद्ध 1 जुलाई, 1983 से 12 दिसम्बर, 1983 तक शासन को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? उसकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी और कौन से तथ्य प्रकाश में आये तथा उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 1-7-83 से 12-12-83 तक थाना

खरगूपुर के थानाध्यक्ष श्री राम झलक राय के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

गोंडा जिले के ग्राम पिपरा चौबे के श्री सन्त राम द्वारा थाना खरगूपुर में लिखाई गयी रिपोर्ट

150--श्री बलबीर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जनपद, थाना खरगूपुर में पिपरा चौबे निवासी सन्तराम पुत्र महादेव ने अप० सं० 63/82 धारा 147/149/307/504/506 भा० दं० सं० के अन्तर्गत रिपोर्ट पंजीकृत कराई थी ? यदि हां, तो क्या इस अपराध में सम्बन्धित अभियुक्त सलामत अली, कासिम अली एवं मोहम्मद शफी की बन्दूक के लाइसेन्स निरस्त करके बन्दूकें जमा करायी गयीं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार गोंडा जनपद के थाना खरगूपुर में सन्त राम पुत्र महादेव, निवासी पिपरा चौबे ने अ० सं० 63/82 पर कोई रिपोर्ट पंजीकृत नहीं करायी है अपितु सन्तराम पुत्र महादेव ने थाना खरगूपुर में अ० सं० 62/82 धारा 147/148/307/504/506 भा० दं० वि० की रिपोर्ट लिखाई थी। अभियुक्त सलामत अली, के लाइसेंस के निरस्तीकरण आदेश के विरुद्ध आयुक्त महोदय द्वारा स्थगन आदेश पारित कर देने के कारण बन्दूक दाखिल नहीं करायी जा सकी। दूसरे अभियुक्त मोहम्मद सफी की बन्दूक दिनांक 1-1-84 को थाने में जमा करा ली गई है। कासिम अली की बन्दूक का लाइसेंस निलम्बित करने की कार्यवाही भी आरम्भ कर दी गई है।

श्री राम बाबू शर्मा, नरसिंह राव, टोरिया, झांसी को क्षति-पूर्ति दिये जाने सम्बन्धी पत्र

151--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम बाबू शर्मा, नरसिंह राव, टोरिया, झांसी को क्षतिपूर्ति दिलाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 6-8 83 के आधार पर आपके द्वारा श्रमायुक्त, कानपुर को कोई आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो श्री रामबाबू शर्मा को अभी तक क्षतिपूर्ति न मिलने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री--

माननीय सदस्य का पत्र प्राप्त हुआ था जिसके सम्बन्ध में श्रमायुक्त से स्थिति ज्ञात की गयी। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत बाद में श्री राम बाबू शर्मा को 15,120 रु० का प्रतिकर दिये जाने का निर्णय उप श्रमायुक्त द्वारा दिया गया था। परन्तु सेवायोजक द्वारा भुगतान न करने पर उपश्रमायुक्त, झांसी ने उक्त मुआवजे की वसूली हेतु जिलाधिकारी झांसी को वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिया है। उक्त धन की वसूली होने पर श्री शर्मा को भुगतान कर दिया जायगा।

गोरखपुर परिक्षेत्र में सशस्त्र पुलिस संवर्ग के स्नातक कांस्टेबिल

152--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिक्षेत्र गोरखपुर पुलिस विभाग में सशस्त्र पुलिस संवर्ग में स्थायी रूप से स्नातक कांस्टेबिलों की क्या संख्या है ? क्या मंत्री जी उक्त स्नातकों का स्थानान्तरण नागरिक पुलिस संवर्ग में करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

गोरखपुर परिक्षेत्र में सशस्त्र पुलिस संवर्ग में स्थायी रूप से स्नातक कांस्टेबिलों की संख्या दो ह । वर्तमान परिस्थितियों में इन्हें नागरिक पुलिस में स्थानान्तरित करना उपयुक्त नहीं पाया गया हैं ।

153—श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट—

[4थे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या—158 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बलिया जिले के ग्राम प्रधानपुर के श्री वीर बहादुर, श्री राम लगन आदि की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु

154—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना करीमुद्दीनपुर, जिला गाजीपुर के थानाध्यक्ष, एन0 पी0 त्रिपाठी द्वारा एक ही यादव परिवार के चार व्यक्तियों की हत्या पुलिस एवं डाकू मुठभेड़ दिखा कर दिसम्बर, 83 में कर दिया है ? यदि हां, तो इस मामले की जांच सी0 आई0 डी0 से कराने का आदेश सरकार देगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार श्री भृगु यादव, निवासी ग्राम प्रधानपुर, थाना रसड़ा, जिला बलिया से एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उनके पिता वीर बहादुर तथा भाई भृगुनाथ एवं चाचा राम लगन तथा लखी चन्द की हत्या मुठभेड़ दिखाकर कर दी गयी । इस घटना की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गयी है ।

इलाहाबाद जिले के ग्राम हरखपुर में वन विभाग द्वारा भूमि का कथित अधिग्रहण

155—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आराजी संख्या 442, रकबा, 1 बीघा 11 बिस्वा, 5 धूर वाके मौजा हरखपुर, परगना व तहसील सोरांव, जिला इलाहाबाद वन विभाग द्वारा अंकित खातेदारों से नियमानुसार अधिगृहीत की गयी है ? यदि नहीं, तो उक्त आराजी पर क्या वन विभाग द्वारा जबर-दस्ती धमका कर कब्जा किया गया है ? यदि हां, तो आराजी उपरोक्त पर कब्जा करने वाले अधिकारी व कर्मचारी के नाम क्या हैं ? क्या उनको दन्डित करने की कृपा करेंगे और अंकित खातेदारान की क्षतिपूर्ति करेंगे ?

श्री संजय सिंह—

जी नहीं । खातेदारों की कथित भूमि अधिगृहीत नहीं की गयी है । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

गोरखपुर जिले के हरनही-नटनी, एवं विशुनपुर-धनौड़ा मार्ग पर लगाया गया खड़ंजा

156—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2000 कि0 मी0 कच्चे मार्गों के निर्माण योजना शासनादेश संख्या 3709/ई/23-सा0 नि0 अनु0-11-140 ई0/80, दिनांक 26 मई, 1981 के अन्तर्गत गोरखपुर जनपद में हरनही नटनी एवं विशुनपुर-धनौड़ा मार्गों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी ? क्या यह सही है कि उक्त दोनों मार्ग वर्ष 82-83 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा खड़ंजा किए जा चुके हैं ? यदि हां, तो क्या हरनही-नटनी मार्ग के स्थान पर उतनी ही लम्बाई वाले माहोपार-हरैया अथवा पिपरौली बाजार-खरैला-गाड़र मार्ग तथा विशुनपुर-धनौड़ा मार्ग के स्थान पर सेवई बाजार-भौवापार-चेरिया अथवा हाटा-चारपानी मार्ग निर्माण की स्वीकृति उपरोक्त 2000 कि0मी0 कच्चे मार्गों के निर्माण योजना के अन्तर्गत की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री विद्याभूषण--

जी हां ।

हरनही-नटनो मार्ग पर सिंचाई विभाग द्वारा तथा विशुनपुर-धनौड़ा मार्ग पर ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा खड़ंजा लगाया गया है ।

जी नहीं ।

उपरोक्त मार्ग जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत आते हैं । जिला सेक्टर के कार्यों को स्वीकृति जिला समिति का अनुमोदन प्राप्त होने तथा आवश्यकतानुसार धन की व्यवस्था कर लिए जाने पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जिले के कतिपय मार्गों के निर्माण की मांग

157--श्रीमती गौरी देवी--

क्या स० नि० मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता छठा वृत्त, गोरखपुर ने अपने पत्र दिनांक 30 नवम्बर, 1983 पत्रांक संख्या 9898/80 सी०-6183 द्वारा मुख्य अभियन्ता, स० नि० वि० उत्तर प्रदेश को गोरखपुर जनपद के मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में सूचित किया था ? यदि हां, तो वे कौन-कौन मार्ग हैं और उनकी स्वीकृति शासन ने दे दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक देगा ? क्या यह भी सच है कि 15 नवम्बर, 1983 को प्रांतीय खंड, गोरखपुर के अधिशासी अभियन्ता ने भी उन्हीं मार्गों के सम्बन्ध में पत्रांक 4029/53 यातायात दिनांक 15 नवम्बर, 1983 को निर्मित कराने की स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता नियोजन, लखनऊ को भेजा था ? क्या उपरोक्त पत्रों के उल्लिखित मार्गों को वित्तीय वर्ष 84-85 में निर्मित कराया जाएगा ?

श्री विद्या भूषण--

अधीक्षण अभियन्ता के संदर्भित पत्र में प्रमुख अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को जनपद गोरखपुर में केवल 5 मार्गों के सम्बन्ध में आख्या प्रेषित की गई है ।

ये मार्ग निम्नलिखित हैं :--

(1) रुस्तमपुर-डांगीपार मार्ग (2) महावीर छपरा से कुसनोल मार्ग (3) सेवई बाजार से बोकटा मार्ग (4) ककराखोर लिंक मार्ग (5) डवरपार से कतरारी मार्ग ।

जी, नहीं ।

उपरोक्त मार्ग जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत आते हैं । अतः जिला समिति का अनुमोदन प्राप्त हो जाने तथा आवश्यक धन की व्यवस्था कर लिये जाने पर इनको स्वीकृति दिया जाना सम्भव हो सकेगा ।

अधिशासी अभियन्ता के संदर्भित पत्र में केवल निम्नलिखित मार्गों के सम्बन्ध में आख्या भेजी गई है :--

(1) सेवई बाजार से बेकटा मार्ग (2) महावीर छपरा-कुसपोल मार्ग (3) डवरपार से कतरारी मार्ग ।

यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

बस्ती जिले के मोहाना-लोटन मार्ग पर कूड़ा नदी पर पुल निर्माण

158--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में कूड़ा नदी पर मोहाना-लोटन सड़क पर जो पुल सन् 1969 ई० से बन रहा है जिस पर इस समय काम बन्द है उस पुल को बनाने का कार्य कबसे शुरू होगा और वह पुल कब तक बन कर तैयार हो जाएगा ?

श्री विद्या भूषण--

प्रश्नगत पुल को बनाने का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदार

के माध्यम से कराया जा रहा था। ठेकेदार ने कुएं गलाने का कार्य अधूरा छोड़ दिया था और तब यह कार्य वर्ष 1979-80 में उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को सौंपा गया। नवम्बर, 1982 में 42.07 रु0 लाख की पुनरीक्षित स्वीकृति शासन से प्राप्त होते ही पुल निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही सेतु निगम द्वारा की गई तो ज्ञात हुआ कि नदी में अनरटेबुल कन्डीशनस हैं जिसके कारण पहले निर्धारित किये गये कार्य स्थल पर बनाये गये कुओं का पूरा प्रयोग किया जाना कठिन प्रतीत हुआ और कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व अधिक जांच पड़ताल करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। हाल ही में सेतु निगम द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया गया तो ज्ञात हुआ कि सेतु की लम्बाई में भी परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है तथा एक छोटा सा गाइड बन्ध भी बनाना आवश्यक होगा इस सम्बन्ध में अभी अन्तिम निर्णय आदि लिया जाना शेष है। इसके बाद ही पुल निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

सहारनपुर जिले में भीरपुर रेलवे फाटक, नागल-आम गांव मार्ग के मरम्मत की मांग

159--श्री रामस्वरूप निम--

क्या स0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में भीरपुर रेलवे फाटक, नागल से आम की गांव तक की सड़क की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता के पत्र सं0-482/सी0, दिनांक 28-2-83 जिसके सम्बन्ध में अपर जिला अधिकारी (विकास) के पत्र संख्या सा0 1/1945/प0 रा0 वि0/83-84, दिनांक 15-6-83 के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 19-1-83 को उक्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में लिखा था ? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

प्रश्नगत मार्ग न तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है और न विभाग की किसी योजना में स्वीकृत है। इसलिए उसकी मरम्मत कराना इस विभाग के लिए सम्भव नहीं हो रहा है।

160--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

[दिनांक 14-2-84 को अतारांकित प्रश्न सं0 132 द्वारा उत्तरित।]

गोरखपुर, तहसील महराजगंज का मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों द्वारा किये गये दौरे का विवरण

161--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 10 दिसम्बर, 1983 से 22 दिसम्बर, 1983 तक प्रदेश मंत्रि परिषद् के कितने सदस्यों ने गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील का दौरा किया तथा उनके दौरे का विवरण क्या है एवं इन लोगों पर विभिन्न मदों में कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा लखनऊ का दौरा

162--श्री मुईद अहमद--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर के वर्तमान जिलाधिकारी ने अगस्त सन् 1983 से दिसम्बर, 1983 तक लखनऊ के कितने दौरे अब तक किये ? यह दौरे किन-किन कार्यों के लिये किये गये है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सुल्तानपुर के वर्तमान जिलाधिकारी ने अगस्त, 1983 से दिसम्बर, 1983

तक लखनऊ की कुल दस यात्रायें की । यह यात्राये निम्न कार्यों के सम्बन्ध में की गयीं :—

(1) मैल ग्राम सेवा समिति को मुर्गी पालन हेतु पट्टे पर भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में शासन से विचार-विमर्श ।

(2) लखनऊ उच्च न्यायालय में शपथ-पत्र दाखिल करने हेतु ।

(3) राजस्व परिषद्, मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, विकास कार्य, रूरल लैंडलैस इम्प्लायमेन्ट गारंटी प्रोजेक्ट, विशिष्ट व्यक्तियों के भ्रमण, प्रशासनिक कार्य तथा सचिवलय में आवश्यक प्रशासकीय कार्य ।

श्री अमरनाथ त्रिपाठी, एस0 डी0 एम0, राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर द्वारा की गयी शादी

163—श्री मित्रसेन—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अमर नाथ त्रिपाठी, एस0 डी0 एम0 राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर ने प्रथम बीबी व बच्चों के रहते हुए दूसरी शादी कर ली है ? यदि हां, तो प्रथम बीबी श्रीमती राजकुमारी द्वारा दिनांक 28-12-83 को जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को की गयी शिकायत के मुख्य-मुख्य आरोप बिन्दु क्या हैं तथा उन पर अब तक की गयी कार्यवाही क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्नगत मामले में सूचना एकत्रित की जा रही है ।

फैजाबाद जिले के ग्राम पालपुर के हरिजन हत्याकाण्ड के सम्बन्धित जांच अधिकारी एवं डाक्टर के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

164—श्री गोपीनाथ वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के प्रश्न मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 96 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दोषी पाये गये तत्कालीन जांच अधिकारी तथा डाक्टर के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु शासन द्वारा कौन-कौन से आवश्यक आदेश निर्देश दिये गये थे और उसके आधार पर कौन-कौन सी प्रभावी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

शासनादेश संख्या 35/81 गोपन-7, दिनांक 24 दिसम्बर, 1982 द्वारा तत्कालीन जांच अधिकारी तथा डाक्टर के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित विभागों को प्रथमतः निर्देशित किया गया था । तदनुसार तत्कालीन जांच अधिकारी श्री हरिकिरन सिंह को चेतावनी देकर उसकी प्रति उनकी व्यक्तिगत पत्रावली पर रख दी गयी । साथ ही, प्रश्नगत डाक्टर का स्थानान्तरण कर दिया गया और उनके विरुद्ध विभागीय जांच एवं कार्यवाही करने का आदेश सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी कर दिया गया । डाक्टर के विरुद्ध विभागीय जांच प्रचलित है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

165—श्री गोपीनाथ वर्मा—

[दिनांक 21-2-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 62 द्वारा उत्तरित ।]

श्री काशी प्रसाद, निवासी बड़ी पियरी, वाराणसी की हत्या से सम्बन्धित प्राप्त प्रार्थना-पत्र

166--श्री ऊदल--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशी प्रसाद पुत्र रामनाथ म0 नं0 सी0 के0 65/276 बड़ी पियरी, थाना चौक, जिला वाराणसी को कोतवाली पुलिस 3 बजे दिन में ले गयी और काशी प्रसाद की हत्या दिनांक 15-12-83 को कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि हत्या करने के पूर्व काशी प्रसाद की मां ने एक टेलीग्राम नं0 3748, दिनांक 13-12-83 को एस0 एस0 पी0 वाराणसी को दिया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं । प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 15-12-83 को कोतवाली पुलिस द्वारा काशी प्रसाद को ले जाकर हत्या करने का आरोप सही नहीं है ।

मृतक की मां द्वारा दिया गया तार दिनांक 13-12-83 प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है ।

167--श्री ऊदल--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस हत्या के बाद काशी प्रसाद की मां ने मा0 गृह मंत्री उत्तर प्रदेश, डी0 आई0 जी0 वाराणसी, एस0 एस0 पी0 वाराणसी को प्रार्थना-पत्र दिसम्बर, 83 में ही दिये हैं ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि 8 दिसम्बर, 83 से ही कई प्रार्थना-पत्र एस0 एस0 पी0 व सिटी एस0 पी0 वाराणसी एवं जिलाधीश को, कि जानमाल का खतरा है दिया गया था इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां, मृतक की मां से प्राप्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर एक अभियोग अन्तर्गत धारा 302 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गई । दिनांक 8-12-83 का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 25-12-83 को प्राप्त हुआ जिसकी जांच की जा रही है ।

168--श्री ऊदल--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशी प्रसाद के हत्या दिनांक 15-12-83 को हो जाने के बाद म0 25/26-12-83 को थाने में रिपोर्ट दर्ज की गयी है ? यदि हां, तो इसमें विलम्ब का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? जबकि डी0 आई0 जी0, जिलाधीश व एस0 एस0 पी0 को दिनांक 8-12-83 व दिनांक 13-12-83 तथा दिनांक 15-12-83 व दिनांक 20-12-83 को प्रार्थना-पत्र व टेलीग्राम दिया गया है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

दिनांक 15-12-83 को प्रधान सम्पादक गांडीव से दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की गई । आरम्भ में मृतक की सही पहचान नहीं हो पायी इसलिए दरियाफ्तहाल विवेचना तत्काल शुरू की गई तथा मृतक का पंचायतनामा एवं पोस्ट मार्टम कराया गया । मृतक के भाई तथा मां द्वारा दिए गये प्रार्थना-पत्र व तार के आधार पर पुलिस अधीक्षक (नगर) के आदेशानुसार अभियोग अन्तर्गत धारा 302 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है । मृतक का बिसरा रसायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया है । अभियोग से सम्बन्धित सभी अभियुक्त न्यायालय में आत्म-समर्पण कर चुके हैं ।

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा वसूल की गयी बकाया धनराशि

169--श्री रेवतीरमण सिंह तथा श्री राम गोविन्द--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत् परिषद् द्वारा 1982-83 में कितना बकाया वसूल किया गया और इस समय कितना बकाया है ? उसे वसूल करने के लिये सरकार क्या कारगर कदम उठा रही है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

विद्युत् परिषद् द्वारा वर्ष 1982-83 में कुल राजस्व 454·60 करोड़ रुपया वसूल किया गया तथा माह नवम्बर, 83 के अन्त में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं पर कुल बकाया धनराशि 172·35 करोड़ रुपया है । उपरोक्त में से सरकारी एवं अर्ध सरकारी विभागों से जैसे जल संस्थान, नगरपालिका पर (21·77 करोड़ रुपये) एवं सिंचाई विभाग पर (13·83 करोड़ रुपया), रेलवे ट्रैक्शन एवं स्टेशन पर (1·61 करोड़ रुपया), अन्य प्रान्तों पर (8·69 करोड़ रुपया) निजी एवं नगरपालिका लाइसेंसधारियों पर (2·48 करोड़ रुपया), आर्बिट्रेशन एवं न्यायालय द्वारा स्थगित वसूली के मामले में (8·47 करोड़ रुपया) ऐसा है जिसकी वसूली तत्काल नहीं की जा सकती । परिषद् द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए इन संस्थानों की विद्युत् का विच्छेदन भी नहीं किया जाता है । वैसे परिषद् द्वारा इनसे वसूली के हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं । जल संस्थानों, नगरपालिकाओं के विषय में शासन स्तर पर (मुख्य सचिव, सचिव, ऊर्जा तथा सचिव आवास एवं नगर विकास के स्तर पर (बैठकों) का आयोजन किया गया । सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता एवं सचिव स्तर पर बैठकों का आयोजन किया गया है । आशा है सिंचाई विभाग से मार्च, 1984 के अन्त तक वसूली लगभग पूरी हो जायेगी अन्य प्रांतों के उपभोक्ताओं पर मुख्यतः राजस्थान (39.55 लाख रु0) एवं बिहार (7.93 करोड़ रु0) से वसूली हेतु सतत् प्रयत्न जारी हैं एवं परिषद् से उच्च अधिकारी बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में भेजे हैं ।

अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं जैसे घरेलू एवं वाणिज्य (31.60 करोड़ रु0) लघु एवं मध्यम उद्योग (19.41 करोड़ रु0), बृहत् एवं भारी उद्योग (19.88 करोड़ रु0), निजी नलकूप एवं पम्प सेट (51.66 करोड़ रु0) की श्रेणी के उपभोक्ताओं से वसूली तीव्र करने हेतु विद्युत् विच्छेदन किया जाता है । अभियान के तौर पर विच्छेदन भी कराये जा रहे हैं । परिषद् के उच्च अधिकारी क्षेत्रों का दौरा करके इस कार्य को और गतिशील बनाने का प्रयास कर रहे हैं । भूराजस्व की तरह वसूली हेतु जिलाधिकारियों के पास वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं । माह नवम्बर, 1983 के अंत तक 14.5 करोड़ रुपयों के वसूली प्रमाण-पत्र प्रदेश के विभिन्न जिलाधिकारियों के पास अवशेष हैं ।

170-172--श्री ऊदल--

[पुनर्विचार पर निरस्त ।]

वाराणसी नगर के मोहल्ला कच्ची बाग निवासी, श्री अब्दुल्ला की हत्या

173--श्री ऊदल--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कच्चीबाग, मोहल्ला के अब्दुल्ला पुत्र वली मुहम्मद, थाना जैतपुर, शहर वाराणसी को जैतपुर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार करके दिसम्बर, 1983 में सामान्य डायरी में पुलिस जैतपुरा ने लिखा है कि अब्दुल्ला को दिल्ली पुलिस के हवाले किया गया ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि अब्दुल्ला की लाश थाना गम्भीरपुर, जिला आजमगढ़ वाराणसी-आजमगढ़ मार्ग के किना

मिली हैं ? क्या सरकार इस मामले की जांच सी0 आई0 डी0 से कराने की कृपा करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित आशय की कोई सूचना थाना जैतपुर के अभिलेखों में दर्ज नहीं है ।

यह सही है कि अब्दुल्ला का शव थाना गंभीरपुर (आजमगढ़) क्षेत्र में पाया गया था । इस सम्बन्ध में वहां एक अभियोग अन्तर्गत धारा 279/304-ए भा0 दं0 वि0 पंजीकृत करके विवेचना प्रचलित है । तत्पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

174--श्री ऊदल--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मृतक अब्दुल्ला के पिता वली मुहम्मद ने उक्त हत्या के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को प्रार्थना-पत्र दिसम्बर, 1983 में भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इस मामले की जांच किसी उच्चाधिकारी द्वारा कराने की कृपा करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां ।

प्राप्त प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोपों की जांच वृत्ताधिकारी से करायी गयी है । अतः अन्य उच्च अधिकारी द्वारा जांच की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है क्योंकि इस विषय में थाना गंभीरपुर में पंजीकृत अपराध अन्तर्गत धारा 279/304-ए की विवेचना अभी प्रचलित है ।

175--श्री राम नारायण सिंह (एडवोकेट)--

[4थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 95 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

176--श्री राम आसरे वर्मा--

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

177--श्री अकबर हुसैन--

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 89 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

पर्वतीय क्षेत्रों में मछली पालन हेतु बनाया गया ट्राउट प्रोजेक्ट

178--श्री गोवर्धन तिवारी--

क्या मत्स्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में मछली पालन, मछली विकास तथा प्रसार हेतु शासन द्वारा क्या कोई योजना बनाई गयी है जिसके लिए जापान सरकार से आर्थिक सहायता मिलने की आशा है ? यदि हां, तो इस योजना में कुल कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है ?

श्री संजय सिंह--

पर्वतीय क्षेत्र में ट्राउट प्रजाति के मछली के विकास हेतु भारत सरकार के निर्देश पर जापान सरकार से तकनीकी सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1981 में ट्राउट प्रोजेक्ट तैयार कर कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के विचारार्थ भेजा गया था । जिस पर भारत सरकार द्वारा विचार सम्भव नहीं हो सका । फलस्वरूप वर्तमान समय में जापान सरकार के आर्थिक सहयोग से पर्वतीय क्षेत्र में मत्स्य विकास की योजना हेतु धन मिलने की सम्भावना नहीं है ।

ग्राम पंचायत दौला बलिया, जिला पिथौरगढ़ द्वारा लकड़ी का वितरण

179--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या शासन को इस बात की जानकारी है कि ग्राम दौला बलिया बेरीनाग, ब्लाक जिला पिथौरागढ़ के पंचायती जंगल की कीमती लकड़ी वहां के सरपंचों द्वारा 1975 से 1981 तक

बेची गई है ? यदि हां, तो क्या इसके लिए शासन से उन्होंने सहमति ली थी ? यदि हां, तो इन धनराशि का क्या हुआ ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

वर्ष 1975 से 1981 तक वन पंचायत दोरा बलिया द्वारा व्यापारिक प्रयोजन हेतु कोई वृक्षों की बिक्री नहीं की गयी किन्तु उपरोक्त अवधि में प्रश्नगत पंचायत द्वारा हकदारान को भवन निर्माण तथा पुनः निर्माण के लिये पेड़ों एवं सूखे गिरे पेड़ों का विवरण किया गया जिसके लिए नियमानुसार उसको अधिकार प्राप्त है और शासन की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त वितरित पेड़ों, सूखे, गिरे पेड़ों एवं घास के परिष्ट और क्षति के प्रतिकर तथा अन्य मदों से पंचायत को उक्त अवधि में हुई आमदनी तथा व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :--

	रु0
वर्ष 1975 से पूर्व का अवशेष	376.00
वर्ष 1975 से 1981 तक की आय	1,182.50
योग ..	1,558.50
वर्ष 1975 से 1981 तक का व्यय	806.15
वर्ष 1981 के अन्त में अवशेष	752.35
पंचायत को सेविंग बैंक पास बुक से हुई व्याज की आय	84.10
वर्ष 1981 के अन्त में पंचायत कोष में वास्तविक अवशेष	836.45

जिला एटा, ग्राम कुल्लो के श्री लाखन सिंह द्वारा श्री मेघ सिंह के विरुद्ध दिया गया पत्र

180--श्री विष्णु दयाल वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री लाखन सिंह निवासी कुल्लो, थाना सिढ़पुरा, जिला एटा का प्रार्थना-पत्र दिनांक 12 सितम्बर, 1983 जिसमें ग्राम सरावल, थाना सिढ़पुरा, जिला एटा में तस्कर मेघ सिंह पुत्र मुकुन्दी शाक्य के करीब 15 लाख रु0 काले धन की जांच कराने का मांग की गई मुख्य मंत्री, निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ आयकर अधिकारी, एटा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां. तो उस पर जांच किसके माध्यम से करायी गयी और जांच का क्या परिणाम निकाला ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

श्री लखन सिंह का प्रार्थना-पत्र दिनांक 12-9-83 मुख्य मंत्री कार्यालय एवं सतर्कता अधिष्ठान में प्राप्त नहीं हुआ है। उसका एक प्रार्थना-पत्र, दिनांक 9-9-83 माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्र, दिनांक 12-9-83 के साथ निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ को प्राप्त हुआ था। पत्र में लगाये अरोप सतर्कता अधिष्ठान के कार्यक्षेत्र की परिधि में न आने के कारण उक्त पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। जहां तक आयकर अधिकारी, एटा का सम्बन्ध है, उक्त अधिकारी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं है।

प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों के सेवाकाल में वृद्धि न किये जाने सम्बन्धी भारत सरकार का कथित निर्देश

181--श्री रियासत हुसैन--

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रधान

मन्त्री भारत सरकार का कोई पत्र उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है, जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को सेवामुक्त होने के बाद रिइम्पलायमेन्ट या एक्सटेन्शन न दिया जाय ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस निर्देश की अवहेलना करके उत्तर प्रदेश में कुछ अधिकारियों को सेवा मुक्त होने के बाद रि-इम्पलायमेन्ट या एक्सटेन्शन दिया गया है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं ।

राज्य सरकार को ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ । अतः उसकी अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता ।

अनु सचिव, शिक्षा विभाग के पत्र के संदर्भ में प्रश्नकर्त्ता का पत्र

182--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता को सम्बोधित अनुसचिव, (श्री बैकुण्ठ नाथ श्रीवास्तव) शिक्षा विभाग, के अ० शा० पत्र सं० म० 322/18-प्र० शि० 2/81, अनुभाग-2, दिनांक 13 मई, 1981 व अ० शा० प्र० सं० 5221/18, प्र० शि० 2/82 अनुभाग-2, दिनांक 5 अक्तूबर, 1982 के उत्तर में प्रश्नकर्त्ता के पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो वे पत्र क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

प्रश्न में संदर्भित पत्र विभाग में उपलब्ध नहीं हैं । माननीय सदस्य से उनकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है । पत्रों की प्रति उपलब्ध हो जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी तथा प्रश्न का उत्तर दिया जायगा ।

पर्वतीय क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण विभाग को धनराशि का आवंटन

183--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में पर्वतीय क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग को कुल कितनी धनराशि प्रत्येक वर्ष आवंटित की गयी ? इस धनराशि को अलग-अलग वर्षवार विभाग द्वारा किन मदों में खर्च किया गया है ?

श्री विद्या भूषण--

वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में पर्वतीय क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग को क्रमशः 3910.665 लाख रु० तथा 4024.024 लाख रु० की धनराशियां आवंटित की गईं । अपेक्षित सूचना सदन के पटल पर रख दी गयी है ?

(देखिये नत्थी "झ" आगे पृष्ठ 208 पर ।)

पर्वतीय जिलों के राजकीय पालीटेक्निकों में अध्यापकों के रिक्त पद

184--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेंगी कि पर्वतीय जिलों में 30 नवम्बर, 1980 व 31-1-83 को राजकीय पालीटेक्निकों में क्रमशः कितने अध्यापकों के स्थान कब से रिक्त पड़े हुए हैं ? उनके न भरे जाने के क्या कारण हैं ? क्या इन स्थानों को शीघ्र भरने के लिए इन्हीं जिलों में उपलब्ध प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को वरीयता देकर शीघ्र नियुक्ति किये जाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

प्रदेश के 8 पर्वतीय जिलों में स्थित राजकीय पालीटेक्निकों में 30 जनवरी, 1980 व 31-1-83 को अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण संलग्न है ।

उनके न भरे जाने का कारण निम्नलिखित हैं :--

(1) नई नियुक्ति की स्थिति में पद भार ग्रहण न करने पर ।

(2) त्याग-पत्र देकर विभाग छोड़ने पर ।

(3) स्थानान्तरण के फलस्वरूप ।

शासन के वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत सामान्यता ऐसा सम्भव नहीं है परन्तु पर्वतीय क्षेत्र में उपलब्ध प्रशिक्षित एवं अर्ह अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर यथा संभव शीघ्र नियुक्ति देने की कार्यवाही पूर्व की भांति वर्तमान में भी की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एस0 पी0 यादव, रेंजर निचलौल, गोरखपुर द्वारा कटवाये गये वृक्ष

185—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या वन मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर में गैरेज बनवाने के लिए श्री एस0 पी0 यादव रेंजर निचलौल (गोरखपुर) ने दुधराई बीट मघवलिया रेंज के करीब एक लाख रुपय के मूल्य की लकड़ी कटवाया ? यदि हां, तो क्या गैरेज बना ? यदि नहीं, तो उक्त लकड़ी कहां गयी एवं इसके सम्बन्ध में विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री संजय सिंह--

गोरखपुर में गैरज बनवाने हेतु श्री एस0 पी0 यादव रेंजर मधोलिया रेंज ने दुधवाई बीट मधौलिया रेंज से कोई लकड़ी नहीं कटवायी । गोरखपुर मुख्यालय परिसर में एक गैरेज वर्ष 1981-82 में बना था जिसमें लकड़ी का प्रयोग नहीं किया गया परन्तु निचलौल वन परिसर में एक जीप गैरज के निर्माण में शीशम की 0.0428 घन मी0 तथा साल की 0.1376 घन मी0 लकड़ी प्रयोग हुई । यह लकड़ी मधोलिया रेंज के मधोलिया बीट से लायी गयी थी ।

उपरोक्त के अतिरिक्त श्री यादव ने अकटहवा पुल निर्माण हेतु मधोलिया रेंज में अभिलेखों में कम व्यास वर्ग के वृक्ष कटे दिखलाकर अधिक वृक्ष कटवाये जिससे शासन को 3,750 रुपये की आर्थिक क्षति हुई जिसके लिए उन्हें आरोपित किया जा चुका है ।

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 12 मार्च, 1984 की बैठक में यह सिफारिश की है कि दिनांक 14 मार्च, 1984 से 23 मार्च, 1984 तक के विधानसभा के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय :--

† छापा नहीं गया ।

14 मार्च, 1984--बुधवार

अपराह्न 5 बजे तक

वित्तीय वर्ष 1983-84 के तृतीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

अपराह्न 5 बजे से

1--संसदीय कार्य मंत्री द्वारा निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर विचार-

"उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत मंत्रियों को परामर्श देने के लिए स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्य विधि के नियम" के नियम-1 के खंड (क) में उल्लिखित समितियों की सूची के अन्त में निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जाय, अर्थात्--

"30 गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग--16-4"

2 -उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1984 पर विचार एवं उसका पारण-एक घंटा ।

असरकारी दिवस (23 मार्च, 1984 के स्थान पर)

15 मार्च, 1984--गुरुवार

16 मार्च, 1984--शुक्रवार

17 मार्च, 1984--शनिवार

18 मार्च, 1984--रविवार

19 मार्च, 1984--सोमवार

20 मार्च, 1984--मंगलवार

(होली का अवकाश) (बैठक नहीं होगी)

अपराह्न 5 बजे तक

वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।

अपराह्न 5 बजे से

30 अक्तूबर, 1983 को ओबरा विद्युत गृह में लगी आग से उत्पन्न भयंकर विद्युत संकट के सम्बन्ध में

		श्री मुख्तार अनीस द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा--डेढ़ घंटा ।
21 मार्च 1984 बुधवार 22 मार्च, 1984 गुरुवार	}	वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।
23 मार्च, 1984 शुक्रवार		अपराह्न 5 बजे तक वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान । अपराह्न 5 बजे से वित्त मंत्री द्वारा "कृषि भूमि के सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क का राज्य में विनियमन" विषयक संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर विचार ।

संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों से, जिसकी सूचना आज सदन में माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों से जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोनिस नियासी घसियारी मंडी, लखनऊ को पुलिस द्वारा फर्जी चालान किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 13 मार्च, 1984 को नियम 301 के अन्तर्गत 4 सूचनाएं प्राप्त हुई और मैंने उनमें से इस प्रकार से सूचनाए स्वीकार किया है --

1--श्री सन्त बख्श रावत,
2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त,
3--श्री हरिवंश सहाय,
4--श्री केदार नाथ सिंह,
5--श्री सत्यपाल सिंह,
6--श्री यदुनाथ सिंह और
7--श्री लालसा ।

*श्री सन्त बख्श रावत--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मोनिस पुत्र मुहम्मद यासीन, घसियारी मंडी लखनऊ को कोतवाली कैसरबाग की पुलिस ने घर से पकड़ कर अनियमित तरीके से अपने कब्जे में रखा और उसके पास के 171 रु0 व हाथ की घड़ी छीन ली, तीन दिन थाने में रखने के बाद दो फर्जी मुकदमें धारा 25 शस्त्र अधिनियम व 304 भा0 दं0 सं0 में चालान कर दिया ।

मोनिस की विधवा मां ने जिलाधिकारी, लखनऊ को मजिस्ट्रीयल जांच हेतु प्रार्थना-पत्र दिया जिस पर श्री अरविन्द नारायण मिश्र, अपर नगर मजिस्ट्रेट, लखनऊ ने जांच कर रिपोर्ट 3 दिसम्बर 1983 को जिला प्रशासन को सौंप दी जिसमे यह सिद्ध हो गया है कि मोनिस को 3 दिन निरुद्ध रख कर, रुपये व घड़ी छीन कर, फर्जी मुकदमों में चालान किया है । 23 जनवरी, 1984 के पत्र संख्या 1217/ जे0 ए0--में जांच द्वारा वरिष्ठ पुलिस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अधीक्षक, लखनऊ को भेजी गयी जिस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस घटना के कारण लखनऊ की जनता में भारी रोष, क्षोभ एवं असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गयी है।

अतः सरकार से फर्जी मुकदमें वापस लेने एवं दोषी पुलिसजनों पर कठोर कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

सीतापुर जनपद के राजकीय नलकूपों को चालू कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि जिला सीतापुर में लगभग 50 ऐसे राजकीय नलकूप हैं कि 2/3 वर्षों से बने पड़े हैं परन्तु पम्पिंग सेटों के अभाव से चालू नहीं हैं। इनके बी0 एल0 फार्म बिजली विभाग को नहीं गये जिससे उनका उर्जीकरण हो पाता। इसके अलावा 50 ऐसे हैं जिनका प्राक्कलन जमा है परन्तु बिजली विभाग ने उर्जीकरण नहीं किया। सरकार धनाभाव का सहारा लेती है। निगवां के मन्योहया तथा बेहड़ा स्थित दो नलकूपों की ड्रिलिंग फेल हुए 3 वर्ष हो रहे हैं परन्तु दुबारा ड्रिलिंग नहीं हुई। परन्तु जिले में ऐसा क्षेत्र भी है जहां बी0 एल0 फार्म नहीं भेजा गया परन्तु उर्जीकरण कर दिया गया। उदाहरण के लिए राजकीय नलकूप संख्या 190 कुतुबनगर है। देवगवां, पिठौरा, पुड़िया तथा डोंगापुर इमलिया पर उर्जीकरण का विशेष कार्य हो रहा है। कुतुबनगर के लिए लखनऊ से पम्पिंग सेट उधार गया। यह सब मंत्रियों के अनुचित के दबाव से हो रहा है।

अतएव मांग है कि भेदभाव समाप्त कर के सभी बन्द राजकीय नलकूपों को चालू कर या जाय। पम्पिंग सेट उपलब्ध कराये जायं। क्षेत्र विशेष में सभी धन खर्च न करके आवश्यकता पर प्राथमिकता दी जाय।

देवरिया जनपद में चेचक जैसा रोग फैलने तथा दवा का प्रबन्ध न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरिवंश सहाय--

मान्यवर, देवरिया जिलान्तर्गत भाटपार रानी, भटनी, बनकटा एवं सलेमपुर परगनों में चेचक टाइप रोग फैल गया है। यह रोग छोटे बच्चों में व्यापक पैमाने पर हुआ है। छिटपुट बच्चों की मौतें भी हुई हैं। अभी तक दवा का प्रबन्ध नहीं हुआ है और न टीके लगाए जा रहे हैं। कुओं में भी दवा नहीं डाली गयी है। छिड़काव भी नहीं हो रहा है। अस्तु आज माननीय सदन के संज्ञान में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को ला कर माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मांग करता हूं कि सम्बन्धित ब्लाकों में दवा के प्रबन्ध के साथ-साथ टीके लगाए जायं। और कुओं में दवा डाली जाए।

पूर्वांचल चीनी मिल मजदूर यूनियन द्वारा किये जा रहे क्रमिक अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री केदारनाथ सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वांचल चीनी मिल मजदूर यूनियन द्वारा चीनी मिल, पिपराइच, जनपद गोरखपुर के गेट पर 25 फरवरी, 1984 से अनिश्चित-कालीन क्रमिक अनशन चलाया जा रहा है। क्रमिक अनशन जब वार्ता द्वारा मांग पत्र पर विचार नहीं किया गया तब शुरू

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ है । यूनियन की 25 सूत्रीय मांगें हैं ।

यूनियन का कहना है कि प्रबन्धक द्वारा विभागीय एवं शासकीय आदेशों की लगातार अवहेलना करना, उप श्रमायुक्त द्वारा वार्ता हेतु बुलाये जाने पर उपस्थित न होना तथा मजदूरों की समस्याओं पर विचार न कर टकराव की स्थिति पैदा करना आदि से चीनी मिल के मजदूरों में क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त हो गया है । फलस्वरूप यदि 14 मार्च तक सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो मजदूर संघी कार्यवाही के लिए बाध्य होंगे ।

उपरोक्त स्थिति में गन्ना किसानों को भी भारी संकट का सामना करना पड़ेगा । अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की तरफ शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि यूनियन की उचित मांगों पर तत्काल ध्यान देते हुए शासन उचित कार्यवाही करे ।

शाहजहांपुर जनपद में अपराधों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन में देकर अविलम्ब कार्यवाही की माननीय मुख्य मंत्री से मांग करता हूं । जनपद शाहजहांपुर में आज कल जघन्य अपराधों में भी अपराधियों को बचाने की मुहिम तेजी से चलाई जा रही है । थाना मिर्जापुर अन्तर्गत जरीयनपुर ग्राम की श्रीमती विदना के नाबालिग पुत्र से लगभग 2 लाख की सम्पत्ति का बैनामा कुछ गुण्डों ने करा लिया है । एतराज करने पर विदना व उसके दो पुत्रों को जिनकी आयु 6 वर्ष व 8 वर्ष थी, हत्या कर रामगंगा नदी में गाड़ दिया गया । 22 फरवरी को रपट होने पर पुलिस ने एक लम्बे समय तक कोई कार्यवाही नहीं की । बाद में मुल्जिमों को पकड़ने का नाटक करके जेल भेज दिया । बच्चों की लाशें भी बरामद नहीं की गयी । इसी प्रकार थाना तिलहर अन्तर्गत शेर सिंह का दिनदहाड़े तिलहर चौराहे पर किये गये कत्ल में सुरेन्द्र सिंह नामक नामजद मुल्जिम को निकाल दिया गया । इसी प्रकार की कार्यवाही से सारे जनपद में हत्यारों के हौसले बढ़ रहे हैं और जनता में भय, असुरक्षा व आतंक की भावना व्याप्त है । जलालाबाद तहसील में अनेकों फर्जी वसीयतों, दाखिल खारिज व फर्जी बैनामों व हत्याओं की घटनाएं हो रही हैं ।

तत्काल कठोर कार्यवाही व न्याय की मांग करता हूं ।

मितई (बाराबंकी) में डा0 भीमराव अम्बेदकर की प्रतिमा को गायब किये जाने से उत्पन्न रोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, जनपद बाराबंकी के ग्राम मितई, थाना देवां के हरिजन पिछड़ी जाति के लोगों ने अपनी आस्थानुसार शोषित समाज के मसीहा एवं भारत के संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेदकर की एक भव्य पाषाण प्रतिमा लगायी थी जिसमें सत्ता पार्टी के संसदीय कार्य मंत्री, श्री अम्मार रिजवी ने विरोध किया और पुलिस, पी0 ए0 सी0 मंगा ली और उस गांव में 4 घंटा रुके भी थे, जिसके बाद ही 26 फरवरी, 1984 को पुलिस की सुरक्षा के बावजूद बाबा साहब अम्बेदकर की मूर्ति गायब कर दी गयी, अपमानित शक्ल में कई खंडों में कई स्थानों पर पाया गया। इससे स्थानीय जनता में जन आक्रोश है । इस घृणित कार्य से गम्भीर स्थिति पैदा हो सकती है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाकर यह मांग करता हूं कि शासन स्वयं बाबा साहब की प्रतिमा जहां लगी

थी, वहीं पर पुनः लगवाये और मूर्ति को चोरी से तोड़े व गायब करने वालों को कठोरतम दंड देने की कृपा करे तथा मामले की जांच करायी जाय ।

अतरौलिया (आजमगढ़) बस स्टेशन पर स्थित दुकानों में लगी आग से हुई क्षति तथा क्षतिपूर्ति दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालसा—

मान्यवर, मैं आप के माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुये अविलम्ब उचित कार्यवाही हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

यह कि दिनांक 6-3-84 को 3 बजे दिन में जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत रोडवेज बस स्टेशन अतरौलिया पर स्थित 5 गरीब असहाय दुकानदारों की दुकानों (रहायशी मकानों) व गुमटी में भयंकर रूप से आग लग जाने से उनका सारा सामान, खाद्य पदार्थ, आलमारी, बक्से, कागज के नोट, कपड़े, रजाई-बिस्तर आदि जलकर राख हो गये जिससे बड़ी गम्भीर व दयनीय स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिनके नाम निम्न प्रकार हैं :

(1) श्री जियालाल । (2) श्री गौरीशंकर । (3) श्री मंगरू । (4) श्री शोभा तथा (5) श्री डंगई । इन गरीब छोटे-छोटे दुकानदारों के जीवन निर्वाह का अन्य कोई सहारा भी नहीं है जिससे हालत बड़ी चिन्ताजनक हो गयी है । आग लग जाने से लगभग 50 हजार रुपये की क्षति हुई है, परन्तु अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कोई सहायता नहीं की गयी । अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि उपरोक्त गरीब, बेसहारा दुकानदारों को मकान बनाने व दुकान चलाकर जीवन निर्वाह करने हेतु अविलम्ब समुचित मात्रा में आर्थिक सहायता प्रदान किया जाये ।

विभिन्न प्रकार की गाड़ियों के लिये टैक्सी परमिट दिये जाने के सम्बन्ध में परिवहन मंत्री का वक्तव्य

*परिवहन मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)—

मान्यवर, मैं एक सूचना देना चाहता हूं । मेटाडोर का स्टेशन वैगन या यूटीलिटी कार या अन्य प्रकार की गाड़ियों, महेन्द्रा एफ0 सी0 360-डी प्रकार की गाड़ियां, स्टैन्डर्ड-20 डीजल 260-डी स्टेशन वैगन, प्रकार की गाड़ियों, हिन्दुस्तान ट्रैकर और डीजल जीप गाड़ियों को ठेका गाड़ी (मोटर कैब) अर्थात् टैक्सी परमिट दिये जाने के सम्बन्ध में 31-8-1981 की विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा रोक लगा दी गयी थी । शासन ने पुनर्विचार करके 31-8-1981 की अधिसूचनाओं में लगाई गई रोक को वापस ले लिया है तथा इन अधिसूचनाओं को विखंडित कर दिया है । अब पूर्व प्रतिबन्धों के साथ तथा इस शर्त के साथ कि प्रत्येक प्रकार के वाहन की सीटिंग क्षमता ड्राइवर को छोड़ कर 6 से अधिक न हो, इन वाहन को ठेका गाड़ी (मोटर कैब) परमिट पुनः अनुमन्य हो सकेंगे ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर ।

माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है यदि इसकी प्रति हमको, सभी माननीय सदस्यों को मिल गयी होती, तो हम कुछ स्पष्टीकरण पूछ सकते थे, इस वक्त हम कोई पूरक प्रश्न पूछने से वंचित रह जायेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसलिए हम चाहेंगे कि भविष्य म ऐसी भूल शासन की ओर से न हो और जब भी कोई वक्तव्य पढ़ा जाय उसकी कापी हमको दी जाय । इस समय हमारे पास इसकी कापी नहीं है तो हम अनुपूरक प्रश्न क्या पूछेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास वह आये थे । मैंने विशेष परिस्थिति में उनको अनुज्ञा दी है । फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसकी प्रतिलिपियां माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दें ।

श्री मारकन्डेय चन्द्र--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि पहले जो जीप गाड़ी थी वह 81 इंच की होती थी । अब महिंद्रा वालों ने 101 इंच की बना दिया है । पहले आपने 6 आदमियों की कैपेसिटी निर्धारित की थी । अब लम्बाई बढ़ गई है तो क्या कैपेसिटी 6 से ज्यादा बढ़ायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मेरी बात सुनें । पहले प्रतिलिपि आप लोगों को पहुंच जाय । उस वक्त कहें तो बेहतर होगा ।

दिनांक 12 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 171 को सात बार स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया था ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसको लूंगा । माननीय राम स्वरूप वर्मा, माननीय राम आसरे वर्मा, माननीय मुहम्मद आजम खां, माननीय गोपीनाथ वर्मा, माननीय फिरंगी प्रसाद विशारद और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त के औचित्य के प्रश्न मेरे पास आये हुए हैं । मैं एक-एक करके नियमानुसार इनको लूंगा ।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, मैंने भी दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

जो मेरे पास आये हैं मैंने उनके बारे में बता दिया । मैं इसको विखवा लूंगा ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मैंने भी एक औचित्य के प्रश्न की सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष--

आप की सूचना भी मैं दिखवा लूंगा ।

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, कल मैंने एक प्रश्न दिया था । कल मेरा एक सवाल था, अतारांकित प्रश्न संख्या 171, इसमें प्रदेश में कितने प्राइमरी अध्यापक हैं उसमें अनुसूचित जनजाति के कितने हैं और पिछड़े वर्ग के कितने हैं, यह जानकारी मांगी गई है । मान्यवर, डेढ़ साल हो गया है, डेढ़ साल से सवाल पड़ा हुआ है । सरकार इसका उत्तर हर सेशन में गड़बड़ कर देती है । कह दिया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है, कुछ जिलों की आई है । मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहूंगा कि क्या मंत्रियों को यह अबाध अधिकार है कि वह किसी प्रश्न का उत्तर 5 साल तक टालते रहें या कोई मान्यता आप ने बनाई है कि इतने दिनों में निश्चित रूप से जवाब दे देंगे । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्री राम स्वरूप वर्मा ने दिनांक 12-3-84 को उत्तरित अपने अतारांकित प्रश्न संख्या 171 के उत्तर के सम्बन्ध में इस आधार पर औचित्य का प्रश्न उठाना चाहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है जिसके प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा क्योंकि प्रश्न

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की पाठशालाओं से सम्बन्धित है। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को सुना। नियम 300 के उप नियम (2) के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकता है। उक्त प्रश्न विधान सभा की कल अर्थात 12-3-84 की कार्यसूची में था। अतः इसे कल ही उठाया जाना चाहिये था। क्योंकि आज उक्त अतारांकित प्रश्न सदन के समक्ष कार्य के रूप में नहीं है इसके अतिरिक्त नियम 38 (2) के अन्तर्गत यह प्रश्न पुनः निर्धारित किया जायगा तो मैं आशा करता हूं कि उस समय माननीय सदस्य को वांछित सूचना उपलब्ध करा दी जायगी। यह उल्लेखनीय है कि माननीय श्री वर्मा जी का उक्त प्रश्न कुल 7 बार 7-2-83, 21-2-83, 7-3-83, 21-3-83, 5-9-83, 20-2-84, 12-3-84 को शासन द्वारा पूरी सूचना एकत्र न किये जाने के आधार पर नियम 38 (2) के अन्तर्गत स्थगित होकर पुनः निर्धारित किया गया है। मैं समझता हूं कि इस मामले में शिक्षा विभाग द्वारा ढिलाई बरती गई है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं और उनसे यह उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, मैं इस औचित्य के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के परीक्षा केन्द्रों के बदलने से उत्पन्न कठिनाई के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, अभी फरवरी के अन्तिम सप्ताह में नियम 301 के अन्तर्गत एक सूचना सदन के सामने मैंने पढ़ी थी। पूरे प्रदेश में हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट की परीक्षाएं हो रही हैं। उनके परीक्षा केन्द्रों में . . .

श्री अध्यक्ष--

मेरी बात सुन लें पहले आप। जब आज शिक्षा का बजट है और आप के सामने शिक्षा का बजट माननीय मन्त्री जी प्रस्तुत करेंगे, तब आप को पूरा अधिकार इसको कहने के लिए होगा।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, यह तात्कालिक बात है, शिक्षा के बजट की बात नहीं है। मान्यवर, उसमें बहुत गड़बड़ियां की गई हैं। उसमें एक संकट पैदा हो गया है और विशेषकर छात्राओं से सामने बहुत ही सकट पैद हो गया है। मान्यवर, छात्राओं के परीक्षा केन्द्र ऐसी जगह पर कर दिए गए हैं, जहां पर कोई आवासीय व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, 301 की सूचना का बिना कोई जवाब दिए हुए ही पूरे परीक्षा की संचालन की व्यवस्था, उसके पूर्व ही शुरू कर दी गई है। मान्यवर, केन्द्र अपनी जगह पर कायम हैं। मान्यवर, नियम 301 की सूचना जिस दिन पढ़ी गई थी, अनौपचारिक रूप से माननीय मंत्री जी ने बैठे-बैठे कहा था कि इसको ठीक करा दिया जायगा, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। तो मैं माननीय मंत्री जी से आप के माध्यम से यह चाहता हूं कि 301 की सूचना का जवाब दिए बिना और उनकी कठिनाइयों का निवारण किये बिना जो परीक्षा के संचालन की व्यवस्था शुरू कर दी गई है, इसका क्या औचित्य है मान्यवर ?

(श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मन्त्री जी से उत्तर दिला दें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, उसी प्रकार का अग्निहोत्री जी का भी है उनको भी सुन लूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, माननीय विधायकों के द्वारा नियमों के अन्तर्गत यह मुद्दा उठाया गया है और जो सदन के संज्ञान में उपस्थित हो चुका है और मान्यवर, शिक्षा परिषद् ने जिन परीक्षाओं के केन्द्रों की संस्तुति की थी और एक अपनी पद्धति की प्रक्रिया के आधार पर यह निर्णय लिया था, उसको शासन ने पूरा परिवर्तन कर दिया है और इसके कारण माननीय सदस्यों ने माननीय मंत्री जी का ध्यान आप के माध्यम से इस ओर दिलाया था और नियमों के अन्तर्गत यह बात सदन के संज्ञान में मान्यवर, लाई गई थी, विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रायें हैं, जिनकी संख्या 40 से लेकर 100-100 तक की है, वे विद्यालय हैं, उनको उठाकर 40-40-50-50 किलो मीटर की दूरी पर परीक्षा के केन्द्र बना दिए हैं। मान्यवर, इस शासन की कानून व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। मान्यवर, यह बात आप के संज्ञान में आई थी और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस पर ध्यान दिया जायगा और ऐसी व्यवस्था की जायगी कि जिससे कि यह कठिनाई समाप्त हो जाय। मुझे श्रीमन्, सुनिश्चित जानकारी है, मैं श्रीमन् ललितपुर के जिलाधीश का एक पत्र आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, जिन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को एक पत्र लिखा है और यह कहा है कि गुढ़ा इन्टर कालेज में केन्द्र, अराजकता की स्थिति को देखते हुए, बनाने का विचार किया जाय, क्योंकि और ऐसी कोई पिछले वर्ष परिस्थिति नहीं थी, जिससे कि कहना चाहिए कि इस केन्द्र को समाप्त किया जाय। मेरा कहना है कि इस केन्द्र को बना दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

इसकी प्रतिलिपि मेरे पास भेज दें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, प्रतिलिपि मैं आप को दे दूंगा। मान्यवर, अभी तक शिक्षा विभाग ने कोई निर्णय नहीं लिया है। सारे प्रदेश में कठिनाई उपस्थित हो गई है। तो श्रीमन्, इस पर माननीय मंत्री जी से जवाब दिला दें।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, इसको सुनूंगा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, उनको 80 किलो मीटर पर परीक्षा देने हेतु भेजा गया है और इसका प्रमाण यह है कि गोंडा का यह विद्यालय है, जिसमें कि 100 लड़कियां हैं। उनके केन्द्र का परिवर्तन कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये। अब मैं आप को आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री मसरूर जाफरी—

मान्यवर, मेरे जनपद गोंडा विधान सभा क्षेत्र उतरौला में प्राइवेट छात्रों तथा छात्राओं का सेन्टर के0 जी0 इन्टर कालेज को कर दिया, परन्तु के0 जी0 इन्टर कालेज का मनकापुर बोर्ड कर दिया, जो 50 किलो मीटर दूरी पर है। शिक्षा मंत्री जी ने आदेश भी किया, शिक्षा सचिव ने भी आदेश किया, परन्तु अभी तक यह लागू नहीं हुआ। इस तरह से बभनान का साबुल्लानगर में हुआ है, वह भी समाप्त कर दिया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह मामला पूरे प्रदेश का है और बहुत ही गम्भीर...

श्री अध्यक्ष—

जिन्होंने लिखकर दिया है, उन्हीं को अधिकार है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

टाण्डा में आर्य कन्या इन्टर कालेज के लिए मंत्री जी ने 6 तारीख को आदेश किया लेकिन आज तक सेन्टर चेंज नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष--

जो माननीय सदस्य इस प्रकार का महसूस करते हैं, आप उनको लिखकर दे दें । नियमानुसार वह कार्यवाही करेंगे ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

6 तारीख को आदेश किया लेकिन सेन्टर चेंज नहीं हुआ ।

श्री सत्यपाल सिंह--

परीक्षा केन्द्रों के परिवर्तन से काफी परेशानी हो गई है । गंगापार विद्यालय राजेपुर और स्वामी दयानन्द इन्टर कालेज, अमृतपुर के 15सौ विद्यार्थियों का सेन्टर 50 किलो मीटर दूर फर्रुखाबाद में लगा दिया गया है ।

संसदीय कार्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय नेता विरोधी दल ने और अन्य माननीय सदस्यों ने इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया था और इससे पहले सेन्टर के बारे में कुछ प्रार्थना-पत्र भी आये थे । सेन्टर के बारे में कुछ आपत्ति जाहिर की गई थी । जो परीक्षा समिति थी उसने पहली सिफारिश के समय सारे केन्द्रों को अपने स्थान से दूसरे स्थान पर बदल दिया । उसी समय कठिनाई का आभास हुआ । इसके पहले लड़कियों के केन्द्र जहां लड़कियां पढ़ती थी, वहीं होता था या फिर दूर नहीं भेजा जाता था । परीक्षा समिति ने ऐसा फैसला लिया कि हम लोगों के पास शिकायतें आयी । 2 हजार 999 केन्द्र उत्तर प्रदेश में हैं । इस वजह से एकदम कम्प्यूटर के द्वारा जारी व्यवस्था हो रही है । सारी व्यवस्था एकदम बदलना सम्भव नहीं था । जिन केन्द्रों के बारे में कोई भी शिकायत आयेगी, जिनकी सूचना हमको मिल जायेगी, उनको हम बदल देंगे । जो भी माननीय सदस्य केन्द्रों के बारे में कहेंगे या पहले कहा है, मैंने आदेश दिया था कि पता लगायें और जहां पर छात्राओं को विशेषकर कठिनाई हो रही हो, उनको बदल दिया जाय । चाहे कम्प्यूटर की वजह से रिजल्ट देरी से आये या और भी कठिनाई हो सकती है लेकिन छात्राओं की कठिनाई को देखते हुए आदेश दिए गये थे, हो सकता है अनुपालन में कहीं बाधा आयी हो । कोई इस तरह की सूचना आती है तो आज ही मैं शिक्षा सचिव और अन्य अधिकारियों को आदेशित करूंगा कि इसे फिर से देखें अगर कोई सूचना है तो समस्या को दूर किया जाय ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय शिक्षा मंत्री जी की जैसे आदत है हर चीज को घुमा देते हैं, इसको भी अच्छी तरह से घुमा दिया । प्रश्न सीधा सादा था हम यहां बैठते हैं हम चीजों को जान सकते हैं । प्रश्न पूरे प्रदेश का था । आप एक आदेश पूरे प्रदेश के लिये कर दें कि जहां लड़कियां पढ़ती हैं, वहीं सेन्टर होगा । शिकायतें आपके पास आई या नहीं पहुंची, डाक से आयेंगी या नहीं पहुंच पायेंगी तो आप मानवता पर गौर करके कहिए कि लड़कियां जहां पढ़ती हैं उनके केन्द्र वहीं होंगे, इसको घुमायें नहीं अगर अगर न करें । इस प्रश्न को सीधा हल कर दें आप यह आश्वासन दे दें कि पूरे प्रदेश में ऐसा होगा ।

(शोर)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर,, शिक्षा बजट पर चर्चा है उस वक्त मैं इस पर विचार व्यक्त करूंगा।

श्री अध्यक्ष –

श्री राम आसरे वर्मा, श्री मसरूर जाफरी एवं मित्रसेन तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री ने नियम 301, अन्य नियमों के अन्तर्गत पहले उठाये गये एक विषय, जो इन्टरमीडिएट तथा हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षाओं से केन्द्रों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न कठिनाई के बारे में था, पर औचित्य का प्रश्न उठाने की सूचनायें दी हैं। औचित्य के प्रश्न जो उठाया इसमें सभी माननीय सदस्यों को मैंने सुना, संसदीय कार्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को सुना उन्होंने आश्वासन भी दिया है।

बजट सत्र चल रहा है उसमें शिक्षा अनुदान पर भी बहस होगी। उन्होंने वायदा किया है जो कुछ हो सकेगा वह किया जाएगा, इसलिए मैं औचित्य का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं देता हूं। इसको अस्वीकार करता हूं। अगर आपकी समस्या हल नहीं होती है तो आप माननीय नेता विरोधी दल से परामर्श कर लें।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट––

मान्यवर, हमें भी बोलने का समय दीजिए।

श्री अध्यक्ष––

आप पहाड़ों पर हैं इसलिए ध्यान देंगे।

(हंसी)

आदर्श जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, टांडा के अध्यापकों को वेतन न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री गोपी नाथ वर्मा––

मान्यवर, नियम 300 के अन्तर्गत मैं एक सूचना लाया था वह जनपद फैजाबाद टांडा तहसील के आदर्श जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विषय में थी। वहां के अध्यापकों को 11 माह से वेतन नहीं दिया गया न ही वेतन बढ़ोतरी एरियर दिया गया है। इसम जानकारी की थी जिसमें स्वीकार किया गया था तथा बकाया उनके वेतन का भुगतान कर दिया जायगा लेकिन उनके वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। वेतन भुगतान के संबंध में न्यायालय में अध्यापकों द्वारा याचिका दायर की गयी थी। न्यायालय ने आदेश दिया कि 20 दिसम्बर, 1983 तक बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जाए। मान्यवर, न्यायालय के आदेश हो गये बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश पहुंच गये, तो भी इन्होंने न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है जिसके कारण अध्यापकों में असन्तोष व्याप्त है। असन्तोष को समाप्त करने हेतु विद्यालय के अध्यापक जिन्हें 11 महीनें से वेतन नहीं दिया गया जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, वेतन भुगतान हेतु सरकार कार्यवाही कर तथा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उनके वेतन का भुगतान कब कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष––

श्री गोपी नाथ वर्मा ने नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का जो प्रश्न उठाया है। किसी विषय पर औचित्य का प्रश्न उठाये जाने के लिये आवश्यक है कि वह विधान सदन के सामने हो, जबकि प्रश्नगत विषय आज सदन के समक्ष नहीं है। नियम 301 के अन्तर्गत उठाये गये विषयों के बारे में एक अलग प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित मंत्री द्वारा विषय उठाने वाले माननीय सदस्य को आवश्यक सूचना एक माह के अन्दर उपलब्ध करायी जाती है। माननीय मंत्री जी विशेष रूप से माननीय वर्मा जी ने जिस बात का जिक्र किया है देख लें, मैं प्रतिलिपि भेज दूंगा। मैं औचित्य का प्रश्न उठाने की आज्ञा नहीं देता हूं।

गोरखपुर में स्वीकृत अस्पतालों को न खोले जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, जनपद गोरखपुर में 1-10-1983 को जिला योजना की बैठक हुई थी उसमें 20 सूत्री इंचार्ज पाठक जो सहकारिता राज्य मंत्री भी गए हुए थे इसमें जिले के आयुर्वेदिक चार अस्पतालों की योजना की गई, डोहरिया बाजार, अड्डा बाजार, बिमुन पुरा, दुबौली। एक शासनादेश भी निर्गत हुआ था 19 अगस्त, 1983 के अनुसार इनको स्वीकृति हुई थी, और जब उसकी स्वीकृति होकर उन चारों अस्पतालों की सूचना उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अनुभाग-9 में यहां के संयुक्त सचिव, श्री कृपाल सिंह ढपोला के पास आयी तो माननीय विधायकों और माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में जिला योजना में जिन अस्पतालों की स्वीकृति हुई थी, उनको स्वीकृति के बाद यहां पर आने पर संयुक्त सचिव श्री ढपोला साहब ने स्वयं उनको अस्वीकृत कर दिया था और आज तक जनपद गोरखपुर के इन चारों अस्पतालों की स्वीकृति नहीं भेजी गयी। संयोग से उस बैठक में श्री बच्चा पाठक भी सम्मिलित हुए थे, इस समय सदन में उपस्थित हैं, इनको शायद उन चार अस्पतालों की जानकारी न हो, बहुत पहले की बात है। इनसे यही अपेक्षा है कि इन्हें याद होगा कि उसमें उपस्थित हुए थे। इन अस्पतालों के लिये बजट में स्वीकृति न दिये जाने से गोरखपुर की जनता की यह स्थिति हो गयी है कि शासन का जो शासनादेश है, विकेन्द्रीकरण की स्कीम का कि पूरे बजट का 30 प्रतिशत उस पर खर्च करने का, जिला योजना में, उसको क्या एक संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से समाप्त कर सकता है? माननीय अध्यक्ष जी, यह पूर्ण रूप से औचित्य का प्रश्न बनता है, इसको स्वीकार करें और तत्काल इस पर कार्यवाही करें और जो संयुक्त सचिव महोदय इसमें अड़ंगेबाजी कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने गोरखपुर में जिला परिषद् के चारों अस्पतालों के स्थापित किये जाने के बारे में 1-10-1983 को हुई बैठक और उसमें लिये गये निर्णय के अनुपालन न किये जाने के बारे में माननीय विशारद जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, उसको मैंने सुना। यह न सदन में हुआ और न सदन से सम्बन्धित है। कल सदन में इस पर ग्राउंट थी, तो भगवन, आपको कल ही कहना चाहिये था। मैं इसको औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं, लेकिन शासन को इसकी प्रतिलिपि आवश्यक जांच हेतु भेज देता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव कान्ड की जांच सी0 बी0 आई0 को अभी तक न सौंपे जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, गत मार्च की रात को हमारे नेता, श्री मुलायम सिंह यादव पर प्राणघातक हमला हुआ था। उसके बाद 6 मार्च को इस आदरणीय सदन के अन्दर चर्चा हुई और मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्यों ने उस पर चिंता व्यक्त की और उस रोज बहस में हिस्सा लेते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब हम लोगों ने सी0 बी0 आई0 से जांच कराने की मांग की, उत्तर प्रदेश शासन की अकर्मण्यता को देखते हुये और शासकीय दल में कुख्यात लोगों अपराधी लोगों के शामिल होने की वजह से सी0 बी0 आई0 से जांच कराने की मांग की तो मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि यदि 12 मार्च तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं जायेगा या गहराई से तथ्य प्रकाश में नहीं

आयेंगे तो 12 मार्च को इस मामले को सी0 बी0 आई0 को प्रस्तुत करने के लिये केन्द्र सरकार को संस्तुति कर देंगे । लेकिन मान्यवर, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस हमले के बाद न तो अपराधी तत्व इनके हाथ आए और न ही गहराई से जांच करके सत्ता पक्ष उसे प्रकाश में ला पाया, न ही मुख्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था कि इसे सी0बी0आई0 के जांच हेतु केन्द्रीय सरकार को संस्तुत किया जायेगा मान्यवर, यह भी नहीं हो पाया है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस विषय को औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाता हूं और इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने भी इस सम्बन्ध में सूचना दी थी, लेकिन इस विषय पर कुछ बोलने के पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह इतना गम्भीर मामला है कि विधान परिषद् के प्रतिपक्ष के नेता और उत्तर प्रदेश में लोकदक के प्रादेशिक अध्यक्ष के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ । किरन पाल सिंह जी ने और मैंने जो सूचना दी, इसकी कापी मुख्य मंत्री जी को मिल गयी होगी, मुख्य मंत्री जी अगर आज लखनऊ में विराजमान हैं, तो उनको यहां पर होना चाहिये था । संसदीय कार्य मंत्री जी को तो हम दिन भर सुनते ही रहते हैं । यह एक सर्वोपरि महत्व का मामला है । माननीय मुख्य मंत्री जी अगर लखनऊ में हैं तो इसका उत्तर देने के लिये उन्हें सदन में आना चाहिये, इस पर मैं पहले व्यवस्था चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

यह संयुक्त उत्तरदायित्व है । यदि मैं उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं होऊंगा, तब उस पर मैं विचार करूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जहां तक रिस्पांसिबिलिटी का प्रश्न है, हर विषय की अपनी गरिमा होती है, उसकी गरिमा के साथ उसे देखना होता है । ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिलिटी में तो कोई भी मंत्री किसी के स्थान पर उत्तर दे सकता है, शायद इसे आप भी पसन्द नहीं करते होंगे । क्योंकि इसी अध्यक्ष पीठ द्वारा कई बार आपने निर्देशित किया है कि यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणवश मन्त्री जी यहां पर नहीं हैं, तो वह मुझे लिखकर दें कि मैं इन-इन कारणों की वजह से नहीं आ पाऊंगा । परन्तु इस गम्भीर मामले पर माननीय मुख्य मंत्री जी अपने शिष्टाचार को भी भूल गये हैं । कम से कम वह आपसे प्रार्थना करते कि मैं इन-इन कारणों की वजह से नहीं आ पाऊंगा मेरी जगह पर दूसरा मन्त्री इसका उत्तर देगा ।

दिनांक 6 मार्च, 1984 को इस विषय पर सदन में चर्चा हो रही थी, सदन की मंशा को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह घोषणा की थी कि 12 तारीख तक हम इस मामले को देखते हैं । यदि कोई तथ्य सामने नहीं आता है तो, तब हम इसे सी0 बी0 आई0 को भेज देंगे । मान्यवर, मुझे जानकारी मिली है कि अभी तक शासन द्वारा कोई भी तथ्य प्रकाश में नहीं लाया गया है और इस गम्भीर मामले पर कोई भी प्रगति नहीं हुई है । इसकी जानकारी हमारे पास है, इस समय हम उसे खोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत से मामले उलझे हुए हैं । जब मुख्य मंत्री जी कहेंगे तब हम इस सदन को बतायेंगे । यह कांग्रेसी दल का पूर्व नियोजित षड्यंत्र है कि माननीय श्री मुलायम सिंह जी के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया । इसके पुष्टीकरण के प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं । यह शासन जानबूझकर इस मामले को सी0 बी0 आई0 को नहीं भेज रहा है । जबकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि 12 तारीख तक हम इसकी जांच करते हैं यदि कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया तो हम केन्द्र को लिख देंगे जांच

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हेतु आज 13 तारीख हो गई है। आज इस सदन में जब विविध वक्तव्य आये थे, तो उस समय यह कहा जाता कि हमने इस मामले को सी0 बी0 आई0 को भेज दिया है, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। यह सरकार निष्क्रिय हो गयी है। ये सरकारी दल के लोग विपक्ष के नेताओं पर प्राणघातक हमला कर रहे हैं। इस मामले में कोई क्रियाशील कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे उनकी सुरक्षा हो सके। मैं इस सरकार की भर्त्सना करता हूं और पुनः आरोप लगाता हूं कि सत्ता दल के लोग जान-बूझकर विपक्ष के नेताओं पर प्राण-घातक हमला करके उन्हें इस संसार से समाप्त कर देना चाहते हैं। यह इनकी एक साजिश है। चुनाव आ रहे हैं। पहले जो चुनाव हुए थे, उसमें भी इन कांग्रेस के लोगों ने बल का प्रयोग कर चुनाव जीता था। और आज इस प्रकार के कारनामे करके ये आतंक, बल और हिंसा का पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। इस पर मैं आपकी मान्यवर, व्यवस्था चाहता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार कर लें, विषय की गरिमा को स्वीकार करें और माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं सदन में आकर स्थिति से अवगत करायें इसके लिए आप निर्देशित करें।

*श्री राजेन्द्र सिंह—

विषय की गम्भीरता के बारे में हमारे दो माननीय सदस्य बोल चुके हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमने अखबारों में पढ़ा था कि 12 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी सभी विपक्ष के लोगों को बुला रहे हैं। इस प्रकार की जो राजनैतिक हत्यायें हो रही हैं, उन पर विचार करने हेतु बुला रहे हैं। क्योंकि उन्हें बड़ा क्षोभ है। परन्तु उसका आज तक हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि यदि 12 तारीख तक कुछ नहीं हो पायगा तो इसे सी0 बी0 आई0 को दे देंगे जांच हेतु। आज एलीगेशन्स और काउन्टर एलीगेशन्स की बातें हो रही हैं, विधान परिषद् के अन्दर हो रही हैं। तथ्यों को प्रकाश में लाने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि आप इसे सी0 बी0 आई0 को मार्क कर दें। यह एक गम्भीर मामला है, इस मामले से हम सभी का जीवन जुड़ा हुआ है, यह एक राजनैतिक प्रश्न है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसे सी0 बी0 आई0 की जांच हेतु संदर्भित करेंगे।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, इस विषय के ऊपर गम्भीरता में जाने का सवाल नहीं है, सिर्फ मैं यह जानना चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें कि जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि 12 तारीख तक इसके ऊपर अगर कार्यवाही नहीं होगी, तो मैं केन्द्र को लिख दूंगा, सी0 बी0 आई0 से जांच के लिए लिख देंगे। मुख्य मंत्री जी या तो इसकी बाबत घोषणा कर दें, या तो वह कहें कि कार्यवाही हो गयी है, गिरफ्तारियां आदि हो गयी हैं या इसमें यह-यह प्रोग्रेस है, या यह कहें कि यह नहीं हुआ है, लिहाजा हम सी0 बी0 आई0 को रेफर कर रहे हैं, इस बात की घोषणा कर दें।

संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल ने यह बात कही कि राजनीति में स्वच्छता होनी चाहिये, मैं पूरी तरह से उससे सहमत हूं। जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बात कही थी, वही माननीय नेता विरोधी दल ने दोहरायी और मेरे सामने प्रोसिडिंग्स भी हैं, आपके समक्ष भी होगा, मान्यवर इसमें 12 तारीख तक की बात कही गयी थी। जो अभी तक रिपोर्ट्स आयी हैं, वहां के डिस्ट्रिक्ट के जो सुपरिन्टेंडेंट पुलिस हैं, उनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माफंत, उसमें, जिस शख्स का नाम लिखा गया है, श्री राम नरेश यादव, ग्राम प्रधान को अरेस्ट नहीं किया जा सका है, यह बात सत्य है और पुलिस इसकी बाबत कोशिश कर रही है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही थी, वह यह कही थी कि 12 तारीख तक अगर कोई कार्यवाही नहीं होगी, आज मान्यवर, तारीख कौन-सी है--13 है, 13 बीती नहीं है ।

(व्यवधान)

सुन लें । मान्यवर, 12 तारीख तक, यह प्रोसिडिंग्स हैं, जिसमें लिखा हुआ है, कि 12 तारीख तक अगर कार्यवाही नहीं हुई, मान्यवर, उस हिसाब से 12 बजे रात तक का समय रहता है, उसके बाद से आज 13 है, आज इसको लिखा जाना चाहिये, जो इस हिसाब से है, जो भी कार्यवाही है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

व्यवस्था का प्रश्न सुन लें। मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से आपका ध्यान इस कार्यवाही की ओर आकर्षित करता हूं । यह कार्यवाही आपके समक्ष भी होगी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के पास भी है । मान्यवर, इसके अन्तिम पृष्ठ से पहले जो पेज है, इसमें नीचे से चौथी लाइन देखें, लिखा हुआ है कि "मैं भी इसको देखूंगा, तो 12 तारीख को केन्द्र को लिखेंगे कि ऐसा मसला है और इसमें सी0 बी0 आई0 की जांच करायें ।" 12 तारीख को लिख देने का आश्वासन दिया है । मान्यवर, मेरा जो पूर्व आरोप था, मान्यवर, इसी को फिर कह रहा हूं कि यह सरकार जान-बूझकर तथ्यों को छिपा रही है, साजिश में इनका खुद का हाथ खून से रंगा हुआ है । मान्यवर, आज 13 तारीख है, अभी तक सी0 बी0 आई0 को रेफर नहीं किया । मान्यवर, मैं उम्मीद करता था कि आज सरकार की ओर से स्वतः यह ध्यान दिया जायेगा कि या तो मामले से सम्बन्धित फलां ए0 बी0 सी0 को पकड़ लिया है या हमने इस मामले को सी0 बी0 आई0 को संदर्भित किया है । लेकिन, मान्यवर, आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथ्यों को झुठलाकर, स्थिति को, खिलाफ करना चाहते हैं । मैं मान्यवर, अपनी बात पर बल देता हूं कि आप मुख्य मंत्री को यहां बुलायें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने वायदा किया था, उनके शब्द यहां पर लिखे हुए हैं। मान्यवर, यह कार्यवाही आपके सचिव के हस्ताक्षर से मुझे प्राप्त हुई है, मान्यवर, इसमें किसी किस्म के संदेह की गुंजाइश नहीं है । मैं फिर अपनी बात पर बल देता हूं कि आप संसदीय कार्य मंत्री के बजाय कृपा करके माननीय मुख्य मंत्री जी को बुला दें ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, आज माननीय राजेन्द्र गुप्त जी मेरी बात को पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे हैं शायद अच्छी नहीं लग रही है । मान्यवर, उन्होंने प्रोसिडिंग्स वगैरह को पढ़ा है । लेकिन, उन्होंने आखिर की डेढ़ लाइन को ही पढ़ा है, इसके ऊपर की लाइन को भी उन्हें पढ़ना चाहिये था । इसमें अंकित है "इस बात के लिए वहां सदन में कहें, इसकी जरूरत नहीं है बल्कि इसका जिक्र करेंगे और इसके बारे में आप बतायेंगे" ।

मान्यवर, कंडिशनल है, यह बात कह रहे हैं बतायेंगे और जिक्र करेंगे, संतुष्ट नहीं होंगे, तो लिख देंगे ।

(व्यवधान)

मान्यवर, कल 12 बजे रात तक 12 तारीख थी, आज 13 तारीख है, आज के दिन इसे संदर्भित हो जाना चाहिए । आज 12 बजे रात तक यह अगर संदर्भित नहीं होता है, तो कोई ऐतराज कर सकते हैं । मान्यवर, इस-लिये यह औचित्य का प्रश्न कहीं से नहीं बनता है ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त एवं कुछ अन्य सदस्यों के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

मैं यह समाप्त करता हूं।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मान्यवर, यह जो 12 तारीख है, कल बीत गयी, आज 13 तारीख है, अगर आज तक कोई कार्यवाही इसमें नहीं की जाती है....

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

श्री अम्मार रिजवी--

कल तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, यह ठीक है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी को बुला लें।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यह अपनी बात के अलावा, दूसरे किसी की बात सुनने के आदी नहीं हैं। हमारी बात पहले सुन लें, बिष्ट जी आप भी सुन लें। कल तक 12 बजे रात तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आज इसे केन्द्र को संदर्भित कर दिया जायेगा, सी0 बी0 आई0 के लिये।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कार्यवाही देख ली है, उसमें जो भी आश्वासन दिया गया है, उसके आधार पर औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

दिनांक 7 मार्च, 1984 को गंगापुर स्थित कालोनी के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन की पूर्ति न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

[समय 1 बजकर 10 मिनट]

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, 7 मार्च, 1984 को गंगापुर स्थित कालोनी के सिलसिले में मैंने प्रश्न नियम 56 के अन्तर्गत उठाया था। माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने कहा था कि उस गांव को अब नहीं उजाड़ा जायेगा। मैंने सरकार को यह भी बताया था कि वहां पर पुलिस, पी0 ए0 सी0 और सी0 आर0 पी0 का आतंक बराबर बना हुआ है। उस समय आश्वासन दिया गया था कि अब यह कालोनी, जो बनने जा रही थी, वह नहीं बनेगी और या तो आल्टरनेटिव जमीन दी जायेगी या सही मुआवजा दिया जायेगा। अब उनको 1.27 रु0 प्रति मीटर का पैसा देकर जमीन से बेदखल किया जा रहा है। ये लोग वहां पर ढाई सौ, तीन सौ साल से काबिज हैं, उनको मलिक नहीं माना जा रहा है। मैंने कहा था कि यह सरकार की तरफ से जुलुम की बात होगी अगर इन 10 हजार लोगों को, जो वहां पर रहते हैं और यह जमीन जिनकी जिन्दगी और रोजी-रोटी का जरिया है, उनको उससे बेदखल कर देंगे तो इसका अर्थ यह होगा कि आप उनको चोरी और लूटमार के लिये उकसा रहे हैं। मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि उस दिन मुझको और सदन को भी आश्वस्त किया गया था कि सरकार बल प्रयोग करने नहीं जा रही है, लेकिन सदन में आश्वासन देने के बाद भी ऐसा किया जा रहा है। मैं तो यह कहता हूं कि आपके यह खोखले आश्वासन कब तक मुतमइन करेंगे? आपने आश्वासन दे दिया, लोगों ने अखबारों में खबर भी पढ़ ली, लेकिन अगले दिन पुलिस और पी0 ए0 सी0 वहां पर पहुंच गयी और जबरन बोर्ड लगाये, जिसकी तस्वीर मैंने आपको भी दी है। उन्होंने भी बोर्ड पर काला रंग पोता क्योंकि यही जमीन उनकी जिन्दगी और मौत है। अब आप उनको निकाल दीजिये, लेकिन यह तभी हो सकेगा जब आप गोली चलायेंगे। उन्होंने बोर्ड पर लिखा है कि--"जान देंगे जमीन नहीं देंगे"।

[* * *]

इसी जमीन से वे अपनी जिन्दगी गुजारते हैं । मैं सत्ता पक्ष पर इल्जाम लगाता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने जो आश्वासन दिया था, वह धोखा था, झूठा था क्योंकि आश्वासन के बाद भी पुलिस और पी० ए० सी० वहां गयी और जबरन बोर्ड लगाये गये । इससे यही साबित होता है कि सरकार की पालिसी यही है कि गरीब को जमीन से बेदखल कर दिया जाय और अगर वह अपनी जमीन न दे तो उनकी जानें लेकर वह जमीन उनसे छीन ली जाय ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य ने अपने भाषण में जो अभी कहा है कि वहां के लोग

[* * *]

यह आक्षेपात्मक है, इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, यह अंश सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय । मैं देख लूंगा इसको ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैंने तो सत्ता पक्ष के भ्रष्ट लोगों के लिये कहा था ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मैं इस तरह के आश्वासन पर नहीं मानूंगा, मन्त्री जी ने गलत सूचना दी है । रात को वहां पर पुलिस गयी, पी० ए० सी० गयी ।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष जी, मैंने इस सम्बन्ध में कहा था, आप जरा उस रोज की प्रोसीडिंग को देखें कि "पूरी जानकारी इस सम्बन्ध में नहीं है, जानकारी कर कर किसी अन्य स्थान पर इन लोगों को बसाया जायेगा और उनको पहले स्थान दिया जायेगा ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो और फिर मैंने उसके बाद मुख्य सचिव को 8 तारीख को एक पत्र लिखा जिसकी प्रतिलिपि मान्यवर, आपको भी भेजी गयी है और जिसमें मैंने यह आश्वासन दिया कि मामले की जानकारी कराकर उनको किसी स्थान में बसाया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनको असुविधा न हो ।"

इसलिये मान्यवर, सदन में जो मैंने कहा उसी के अनुसार कार्यवाही भी की है और कोई ऐसी बात नहीं कही जिसे पूरा न किया हो । लेकिन जो माननीय आजम खां ने कहा कि सदन में जो आश्वासन दिये गये उसके अनुसार कार्यवाही नहीं की गयी है, वह गलत है क्योंकि मैंने यह लिखा है कि मामले की जानकारी कराकर उनको किसी स्थान में बसाया जायेगा कि उनको असुविधा न हो । साथ ही मान्यवर, यह भी निवेदन करूंगा कि जितने भी औचित्य के प्रश्न इस प्रकार के आते हैं, उनकी स्क्रूटनी किया जाना बहुत आवश्यक है कि कौन सा मामला इस नियम के तहत आना चाहिये और अगर इसी तरह से औचित्य के प्रश्न आयेंगे तो सदन का कार्य सुचार रूप से किस प्रकार से चलेगा ?

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मुझे एक मौका और दें, मेरी बात स्पष्ट नहीं हो सकी है, माननीय मन्त्री के आश्वासन के बावजूद ।

श्री अध्यक्ष—

आप अब कृपया बैठ जायं, आपने अपनी बात कही और उस पर

नोट—[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

संसदीयकार्य मन्त्री जी ने उत्तर दिया और उस पर फिर आप बोलेंगे, फिर वह उसका उत्तर देंगे तो इस तरह एक ही विषय पर प्रश्नोत्तर करते रहेंगे तो किस तरह से कार्य चलेगा ?

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के द्वारा जो आश्वासन सदन में हों, उन पर अमल होना चाहिए, लेकिन वहां पर कोई अमल नहीं हो रहा है, पी० ए० सी० वहां पर लगा दी गयी है और जबरन वहां पर बोर्ड भी लगा दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

इस औचित्य के प्रश्न पर अन्य कोई औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, इस पर बात हो गयी है, आप कृपया बैठ जायं ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, अब तो उठ ही गया है और मैं समझता हूं कि आपको भी इससे हमदर्दी है, इस पर माननीय मन्त्री जी से आश्वासन दिलवा दीजिए और इस मामले में जो समुचित व्यवस्था हो उसको करवा दीजिये ।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन व्यक्तियों को वहां से उजाड़ने से पहले उनको कहीं पर बसाने की व्यवस्था अब तक की गयी है या नहीं, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष—

औचित्य के प्रश्न में कोई जानकारी का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी से यह आश्वासन दिलवाइये कि उन लोगों को पहले कहीं पर बसाया जायेगा फिर बाद में उजाड़ा जायेगा और इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ने भी आश्वासन दिये थे, उस पर कार्यवाही नहीं की जा रही है, तो कोई उचित व्यवस्था का आश्वासन दिलवा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं, जो बिना मेरी आज्ञा के बोल रहा है वह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री बलवीर सिंह—

[* * *]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें अपने स्थान पर ।

श्री बलवीर सिंह—

मान्यवर, मुझे एक ही आश्वासन चाहिये कि जब तक उन व्यक्तियों को कहीं पर बसाया नहीं जायेगा तब तक उनको उजाड़ा नहीं जायेगा, यह आश्वासन माननीय मन्त्री जी को देना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग (श्री बलवीर सिंह से) नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं । आप मेरे कक्ष में आयें, मैं आपसे बात करूंगा । आप बैठिये, यह कोई तरीका नहीं है । मैं इस मामले को देखूंगा, जैसा आप कहेंगे, वैसा ही होगा । अब मैं इसके बारे में निर्णय देता हूं । आप लोग बैठिये । आप लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, यह गलत बात है ।

मैंने मुहम्मद आजम खां और अन्य माननीय सदस्यों को तथा संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना । आश्वासन का आधार तभी होता है जब कोई सदन में आश्वासन देता है और आश्वासनों की पूर्ति के लिए आश्वासन समिति बनी हुई है । फिर भी संसदीय कार्य मंत्री, आप किसी उच्चाधिकारी को वहां मौके पर भेजेंगे जो सब मामले की जांच करे और देखें

नोट—[***]—यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कि माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं, वह उसकी छानबीन करे और छानबीन करने के बाद उसकी सूचना मुझको आनी चाहिये और उससे माननीय सदस्य को भी सूचित करना चाहिये ।

(व्यवधान)

(श्री बलबीर सिंह, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री श्री मुहम्मद आजम खां तथा श्री लल्लू सिंह चौहान अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करते रहे, जो सुनायी नहीं दिया ।)

श्री अध्यक्ष--

कोई शब्द नहीं लिखा जायेगा, ये लोग बिना आज्ञा के बोल रहे हैं ।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं, माननीय सदस्य का कोई भी शब्द लिखा नहीं जायेगा । मैं इस मामले को स्वयं देखूंगा। आप बैठिये ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, आपका आदेश शिरोधार्य है जो आपने आदेश दिया है । यदि आप उचित समझें तो उसमें इतना और कह दें कि जब तक सबसे बड़ा अफसर, इसकी जानकारी करके, इनक्वायरी करके न लावे तब तक उनको उजाड़ा न जाय, जब तक कि आपके पास उसकी जांच की रिपोर्ट न आ जाय ।

श्री अध्यक्ष--

वहां स्थिति क्या है, क्या नहीं है, यह कैसे पता चलेगा ?

(व्यवधान)

जो माननीय सदस्य बिना आज्ञा के बोल रहे हैं मैं उनको सुनने के लिए तैयार नहीं हूं ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

आप सुनने को तैयार नहीं हैं, लेकिन मेरा दिल तो चाहता है कि आप सुनें और मैं उन गरीबों के दर्द को यहां बयान करूं ।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, यह गलत बात है, आप बैठिये ।

(व्यवधान)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, इनका कहना है कि जब तक इसकी जांच न हो जाय तब तक उन लोगों को वहां से उजाड़ा न जाय, यह आपने सुना ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इसकी जांच एक हफ्ते में मंगवा कर आपके सामने रख दी जायेगी। जब तक जांच नहीं हो जायेगी तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

एक हफ्ते के समय में तो ये उनको उजाड़ देंगे ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

तब तक तो ये उनका काम तमाम कर देंगे ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1984†

श्री अध्यक्ष--

अब मद संख्या 7, माननीय पंचायती

नोट--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

†दिनांक 19 मार्च, 1984 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

राज मंत्री--

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री राम सजीवन सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं नियम 123 (2) के तहत इसका विरोध करता हूं । मंत्री जी ने जो अनुज्ञा मांगी है, मैं उसका विरोध करता हूं । यह जो विधेयक प्रस्तुत करने की अनुज्ञा मांगी गयी है, यह खतरनाक है । 31 मार्च तक का समय था, जिला परिषद् के चुनावों का। मैंने जब पिछली बार सवाल किया था तो यह आश्वासन दिया गया था कि हमारे सामने प्रशासनिक बाधायें हैं । तो मैं कहना चाहता हूं कि वह कौन सी प्रशासनिक बाधायें हैं ? जिला सदस्यों और प्रमुखों के तो चुनाव हो गये हैं । यह एक वर्ष का समय और लेने जा रहे हैं, तो मैं इसका विरोध करता हूं और सरकार पर आरोप लगाता हूं कि यह प्रजातंत्र का गला घोंटा जा रहा है और इस विधेयक की अनुज्ञा मांगी जा रही है । मैं नियम 123(2) के अन्तर्गत इसका विरोध करता हूं ।

*श्री रियासत हुसैन--

मैं इसी सिलसिले में आपसे निवेदन करना चाहता हूं । अभी तक इसका समय 31 मार्च तक था, इस विधान सभा का कार्यकाल अगले वर्ष तक है, जिला परिषदों का गठन कर दिया गया है, अब जो समय मांग रहे हैं वह 1985 तक चला जायेगा और तब तक इस विधान सभा का कार्यकाल समाप्त हो जायेगा । श्रीमन्, यह बड़े अफसोस की बात है, जैसा पिछले साल रिजोलूशन किया गया था, उससे पहले ही छुट्टी हो जायेगी । चुनाव हो जायेंगे, तो इनको इसका होश ही नहीं रहेगा, इनको चुनाव कराने का होश ही नहीं रहेगा । यह जो बराबर इस तरह से कर रहे हैं, बड़े खेद की बात है और अफसोस की बात है कि विधान सभा कोई 5 साल की है, हम इन चुनावों को नहीं करा सकेंगे । कई बार यह प्रश्न आया है और प्रवर समिति में भेजने के नाम से बहस भी हुई है । तो कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है, कि यह बता सकें सिवाय इसके कि प्रशासनिक कारण बतायें, कोई भी कारण इनके पास नहीं है, जिसके आधार पर यह कह सकें कि चुनाव नहीं कराये जा सकते हैं । यह जिला परिषद् का गठन नहीं करा पा रहे हैं, प्रधानों के चुनाव हो गये हैं । नगर विकास मंत्री जी ने कहा था कि चुनाव कराने वाले हैं, यह जिला परिषदों का गठन नहीं करा पा रहे हैं और एक साल के लिए समय बढ़ा रहे हैं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी शक्ति का प्रयोग करें और इसको बार-बार सदन में रखने की इजाजत न दें । यह शक्ति आपकी है । इस सदन में बराबर यह कहा जा चुका है, अब और इसको बढ़ाने की आज्ञा न दें ।

श्री राम सजीवन सिंह--

इसमें तो कल बहस के लिए रखा गया है, तो इस पर चर्चा होगी, वह तो कल ही हो सकती है । मैं आपकी आज्ञा से अनुज्ञा चाहता हूं । अनुज्ञा मांगने पर चर्चा को तो कोई आवश्यकता नहीं है । मैं तो आपकी आज्ञा से सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप इस बात का ध्यान रखें, तैयार होकर आना चाहिये । आप विधेयक पुरःस्थापित करने जा रहे हैं, इस समय कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उससे सम्बन्धित हो । आप इसका भविष्य में ध्यान रखें । प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विरोध पक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर नहीं की संख्या अधिक है कहने पर और मत विभाजन की मांग करने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

घंटी बजायी जाय ।

(विभाजन के लिए घंटी बजायी गयी ।)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, दरवाजे बन्द कर दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष--

पांच मिनट तक घंटी बजने के बाद दरवाजे बन्द होंगे और मत गणना होगी। जब घंटी बज रही हो तो माननीय सदस्यों को बैठ जाना चाहिये ।

(कुमारी उर्मिला अग्निहोत्री के सदन में आने पर ।)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, जब माननीय सदस्या उर्मिला जी आ गईं जो कि 5 सदस्यों के बराबर हैं, तो हम अपनी पराजय मान लेते हैं ।

(घंटी बन्द होने पर प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राम सजीवन सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरः-स्थापित करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

मुझे आज कार्य-स्थगन की 19 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं--

माननीय कुंवर सिंह नेगी को मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम दादर खेड़ा में दो वर्गों के संघर्ष में एक व्यक्ति की हत्या के सम्बन्ध में है ।

माननीय मोती लाल देहलवी की सार्वजनिक निर्माण विभाग की लापरवाही के कारण कानपुर के अन्तर्गत क्षेत्र ककवन में ट्रक के गिरने से 4 लोगों के मरने के सम्बन्ध में है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री को उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाने के विरोध में धरना देते हुए भा0 ज0 पार्टी के नगर मंत्री (अलीगढ़) की पुलिस द्वारा पिटाई के सम्बन्ध में है । इसी में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की भी है ।

श्री किरनपाल सिंह की साप्ताहिक पत्रिका "रविवार" में माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के सम्बन्ध में है ।

श्री हरिवंश सहाय की आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत भयंकर लूट-खसोट के सम्बन्ध में है ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट की--बेरोजगार अप्रेंटिस आई0 टी0 आई0 द्वारा आमरण अनशन करने के सम्बन्ध में है ।

श्री बदन सिंह की--आगरा के थाना अछनेरा में असामाजिक तत्वों द्वारा एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव की--बाराबंकी में बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के केन्द्र परिवर्तन से असन्तोष के सम्बन्ध में है ।

श्री लटूरी सिंह की--प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डाक्टर राजाराम का चिकित्सा केन्द्र, अलीगंज जनपद एटा में रहने से व्यापक क्षति के सम्बन्ध में है ।

श्री यदुनाथ सिंह, श्री राम सागर, श्री जसवन्त सिंह विष्ट की--लोक-दल कार्यालय के कार चालक, श्री कमला यादव की सब-इंस्पेक्टर थाना कैंट सदर, लखनऊ द्वारा पिटाई किये जाने के सम्बन्ध में है ।

श्री राम आसरे वर्मा, श्री मसरूर जाफरी, श्री मित्रसेन, श्री गोपीनाथ वर्मा की--लखनऊ जनपद के थाना मलिहाबाद के पुलिस कर्मियों द्वारा सामूहिक त्याग-पत्र देने के सम्बन्ध में है ।

श्री राम सागर, श्री जसवन्त सिंह विष्ट, श्री यदुनाथ सिंह की--जनपद बाराबंकी में डा0 अम्बेदकर की प्रतिमा को नष्ट करने के सम्बन्ध में है ।

श्री विजय सिंह राना की--आगरा जनपद के कई ग्रामों के किसानों की भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में है ।

श्री सत्यपाल सिंह की--शाहजहांपुर में विषाक्त भोजन से कई लोगों के मरने तथा अनेकों के बीमार होने के सम्बन्ध में है । इसी में श्री रियासत हुसैन की भी है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद की--जनपद गोरखपुर के थाना महाराजगंज में पड़ी डकैती के सम्बन्ध में है ।

श्री अकबर हुसैन की--रुद्रपुर (नैनीताल) में स्थित बरेली कोआपरेटिव बैंक म डकैती के सम्बन्ध में है ।

श्री कुबेर भण्डारी की--गत 5 वर्षों में चीनी निगम में 33 करोड़ का घाटे के सम्बन्ध में है ।

(श्री प्रदीप कुमार यादव का नाम पुकारे जाने पर और उनके अनुपस्थित होने पर) यह तरीका गलत है ।

श्री राम सागर--

मान्यवर, जनपद बाराबंकी के ग्राम मितई, थाना देवा में हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों की ओर से डा0 भीमराव अम्बेदकर की मूर्ति स्थापित की गयी थी और उस मूर्ति को स्थापित करने में वहां के कांग्रेसी नेता ने विरोध किया था । जब मूर्ति स्थापित हो गयी तो उस पर उनकी तरफ से आपत्ति उठाई गयी और उस पर वहां पुलिस और पी0 ए0 सी0 बुला ली गयी । उस गांव में माननीय अम्मार रिजवी साहब भी 4 घंटा रुके रहे लेकिन जब वह वहां से चले आये तो पुलिस की उपस्थिति में उस मूर्ति को तोड़ दिया गया । उसके टुकड़े करके सर, नाक और कान काटे, अपमानित शक्ल में कई स्थान पर गाड़ दी गयी । लेकिन जिन लोगों ने उस मूर्ति को तोड़ा, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । जिन हरिजनों ने मूर्ति की स्थापना की है, उनको पकड़-पकड़ कर प्रताड़ित किया जा रहा है । उनके खिलाफ फर्जी मुकदमें चलाये जा रहे हैं । इस घटना से बाराबंकी और प्रदेश भर में घृणा और क्षोभ का वातावरण बना हुआ है । यह घटना लोकमहत्व की है, इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाय, इसमें एक वर्ग के लोगों की आस्था का सवाल है और यह पूरे प्रदेश का मामला है और यह एक गम्भीर घटना है ।

संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

श्रीमन्, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब इस सम्मानित सदन के सम्मानित सदस्य ने इसमें मेरा नाम लिया । यह मान्यता है कि यहां जो भी बात कही जाती

है, वह सच कही जाती है लेकिन यहां पर सच के परे यह बात कैसे कह दी है । उन्होंने कहा कि मैं वहां गया था । मान्यवर, मैं पिछले 5 सालों से मितई ग्राम कभी नहीं गया हूं । यह बात कहना बिल्कुल असत्य है । मान्यवर, जहां तक घटना का सम्बन्ध है तो मेरे पास कोई तथ्य नहीं हैं, मुझे पहली बार यह जानकारी मिल रही है, इसलिए मैं जांच करवा कर आवश्यक कार्यवाही करूंगा ।

*श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, यह बड़े महत्व का प्रश्न है कि प्रदेश में जहां-जहां बड़े-बड़े शहर हैं, वहां किसानों की जमीन को सरकार अपने उद्देश्य और जन कल्याण योजनाओं के लिए नहीं ले रही है बल्कि उपजाऊ जमीन को सरकार अधिग्रहण कर रही है और उनको पूंजीपतियों को दे रही है । मान्यवर, इस तरह का एक मामला हमारे यहां आगरा जिले में प्रकाश में आया है । वहां 280 किसानों की 2,240 एकड़ जमीन सरकार अधिग्रहण करने जा रही है और यह जमीन किसी जनहित योजना के लिए नहीं ले रही है, बल्कि अपने संस्थानों के माध्यम से अधिगृहीत करके उद्योगपतियों को बेचेगी जिसमें सरकार लाखों रुपये कमायेगी और पूंजीपतियों से कमायेगी, इससे जिले में आतंक फैल गया है और अरतौनी, लखनपुर, बाईपुर, सिकन्दरा, स्वामी और मुहम्मदपुर गांवों की जमीन पहले ही अध्याप्त कर ली है । इसलिए इन सारे गांवों के लोग 11 मार्च को गांव मुहम्मदपुर में इकट्ठे हुए और मीटिंग में आवाहन किया कि यदि किसानों की जमीन को इस तरह से अधिगृहीत किया गया और उनको तबाह किया गया तो वह खून की आखिरी बूंद तक अपनी जमीनों पर कब्जा नहीं होने देंगे ।

मान्यवर, यह आगरा ही की नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में बड़े-बड़े जिलों में यह स्थिति पैदा हो गयी है जैसे मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर आदि । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम इस बात को ध्यान में रखा जाय कि किसानों की जमीन यदि जनहित के लिए ली जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जमीन सरकारी संस्थाओं के माध्यम से पूंजीपतियों को दी जायेगी तो यह ठीक नहीं है क्योंकि जमीन के बदले किसानों को स्थापित करने और इनके रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है तथा किसानों की जमीन दो हजार रुपये प्रति बीघा मुआवजा दिया जायेगा जब कि बाजार 7 हजार रुपये प्रति बीघे है । इसलिए सरकार की नीति किसान विरोधी नीति है । इनके कहने और करने में अन्तर है । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर कार्यवाही रोककर चर्चा आप करा दें ।

*श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, शाहजहांपुर में हमारे क्षेत्र में एक गांव रामापुर है, वहां 9 तारीख को बारात आयी थी और वह पड़ोस के गांव से आयी थी, उसमें लगभग 300 बाराती थे । कन्या पक्ष वाले ने भोजन दिया था । 9 तारीख को भोजन लेने के बाद 12 बजे से जितने बाराती थे और जितने लड़की पक्ष के लोग, जिन्होंने भोजन किया और जिन्होंने केवल मिठाई खाई या पापड़ का टुकड़ा लिया, वह सारे के सारे लोग बीमार हो गये । उनमें से 4 लोग मर गये और 25 आदमी अब भी गम्भीर बीमार हैं । मान्यवर, यह गांव सड़क और शहर के नजदीक था, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने तत्परता से काम किया और काफी लोगों को बचा लिया । लेकिन मुख्य रूप से कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग के लोग, मुख्य चिकित्साधिकारी वहां गये और उन्होंने कहा है कि इसमें घी, एक ऐसी चीज थी, जो मिठाई, सब्जी, पूड़ी और पापड़ में इस्तेमाल हुआ ।

*माननीय सदस्य ने भाषण का पुनर्शोधन नहीं किया ।

सब्जी में भी इस्तेमाल हुआ, पापड़ में भी इस्तेमाल हुआ, पूड़ी में भी इस्तेमाल हुआ। यह घी की मिलावट थी जिसके कारण से सारे के सारे लोग इस विषाक्त भोजन से प्रभावित हुए। इस कांड में शाहजहांपुर जनपद में सैकड़ों लोग बीमार हुए और इसके पूर्व करीब 4/5 महीने पहले भी हमारे यहां हजारों लोग इसी तरह से मर गये थे। तो उस समय मंत्री जी ने कह दिया था कि यह मलेरिया की बीमारी है, जिसके फैलने से लोग पीड़ित हुए और मर गये हैं। लेकिन जब उसकी स्लाइड बनाई गई और वह विशेषज्ञों की राय जानने के लिए पूना के रिसर्च इंस्टीट्यूट भेजी गई तो वहां के डाक्टरों ने रिपोर्ट दी कि यह मलेरिया नहीं है, खाद्य पदार्थ में किसी विषाक्त चीज की मिलावट के कारण यह हुआ है। उस समय यह बीमारी हुई, बरसात के दिनों तक में हुई और जाड़ों में इस पर कुछ कन्ट्रोल हो गया। यह कन्ट्रोल आपके कारण नहीं, प्राकृतिक कारणों से हुआ था, लेकिन फिर वही परिस्थिति पैदा हो गई। इसमें जो लक्षण उस समय थे वही आज हैं। तो हमारे क्षेत्र में ही नहीं, हमारे क्षेत्र में चारों तरफ इस बात की गम्भीर समस्या है बरातों में लोग खाना खाकर भी बीमार हो रहे हैं और उनके प्राणों को खतरा पैदा हो गया है।

यह मसला अविलम्बनीय इसलिए है कि अभी 9 तारीख को यह घटना है और लोक महत्व का इसलिए है कि यह हजारों लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग इस पर जांच कराके लोगों को शंका से मुक्त कराने का प्रयास करे और जनता यह भलीभांति जान सके कि कहां पर खाद्य पदार्थों में मिलावट थी। जो वहां घी इस्तेमाल किया गया, वह अमृत वनस्पति कम्पनी, गाजियाबाद का था। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करके पूरे परिप्रेक्ष्य में यहां पर चर्चा कराने की कृपा करें।

(श्री मोती लाल देहलवी का नाम पुकारे जाने पर श्री किरन पाल सिंह, अपने हाथ में एक खुली पत्रिका लेकर खड़े हो गये और बोलने का प्रयास करने लगे।)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह हरिजन का मामला है और मुख्य मन्त्री को (व्यवधान) इसको आप जरूर सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, इस तरह से नहीं, मैंने देहलवी जी को बुलाया है। (व्यवधान) यदि कोई माननीय सदस्य किसी मन्त्री या मुख्य मन्त्री के खिलाफ यहां कोई इस तरह की बात कहना चाहते हैं तो वह पहले उसका सबूत मेरे पास भेज दिया करें और उसकी प्रतिलिपि मुख्य मन्त्री को दे दी जाया करे, तभी मैं उस पर बोलने के सम्बन्ध में अपना निर्णय दूंगा (व्यवधान) इस तरह की रूलिंग मैंने दे दी है, बिना उसके किसी को इजाजत नहीं होगी।

श्री मोहन सिंह--

वह मुख्य मन्त्री के खिलाफ नहीं है, हम लोग एक हरिजन के उत्पीड़न के पक्ष में मामला उठा रहे हैं। उनके खिलाफ होता तो इसमें आपके परमिशन देने की बात होती। जो मुख्य मंत्री 10 साल में अपनी रजाई नहीं बदल पाया है, रोज एक-एक लड़के का मकान बनवा रहा है। इसलिए मैं (व्यवधान) इसमें जो रजाई नहीं बदलता है उनका लड़का कार जरूर खरीदता है, उसके बारे में उठा रहा हूं।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, इसी 7 मार्च को हमारे क्षेत्र में थाना ककवन में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ट्रक नं० यू० एच०

एच0 422 बगैर ड्राइवर के चलाई जा रही थी। उस सरकारी गाड़ी में ड्राइवर नहीं था, उस गाड़ी को क्लीनर चला रहा था, इस वजह से वह ट्रक 10 फीट नीचे गहरे गड्ढ़े में गिर गया और उसमें बैठे हुए 11 लोग उसके नीचे दब गय, उनमें से चार लोगों की तत्काल वहीं पर मृत्यु हो गई और बाकी 7 लोग घायल अवस्था में पड़े हुए अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मान्यवर, इनमें से कई लोग मौत का मुंह देख सकते हैं, उनकी जान खतरे में पड़ी हुई है। मुझे इस बात को जानकर ताज्जुब हुआ कि यह ट्रक क्लीनर चला रहा था। सम्बन्धित सड़क नई है जो दुर्दशाग्रस्त हो रही है। मान्यवर, माननीय मन्त्री जी स्वयं जाकर देख सकते हैं कि इस सड़क की क्या हालत है। इस सड़क के लिये स्वीकृत सारा का सारा पैसा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी खा गये और किनारों पर बालू मिश्रित मिट्टी पड़ी हुई है। इसी के कारण अब तक कई दुर्घटनायें हो चुकी हैं। भविष्य में भी यदि इसको ठीक न करवाया गया तो कई भीषण दुर्घटनायें हो सकती हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप आज का काम रोक कर इस पर चर्चा कराने की अनुमति देने का कष्ट करें तथा मृतकों व घायलों को मुआवजा दिया जाय।

श्री अम्मार रिजवी--

अभी मान्यवर, मिलावट वाला जो मामला उठाया गया, वनस्पति घी की जांच उच्च स्वास्थ्य अधिकारी को वहां भेज कर करवायी जायेगी। वनस्पति घी का सैम्पिल भी लिया जायेगा। अगर मिलावट पायी गयी तो कड़ी कार्यवाही भी की जायेगी।

माननीय मोतीलाल देहलवी जी ने जो प्रश्न उठाया है, उसके लिये भी मुख्य अभियन्ता को भेज कर जांच करवायी जायेगी और उसमें यदि किसी इंजीनियर वगैरह की लापरवाही या गलती पायी गयी तो उसे दंडित किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह रविवार पत्रिका है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप पहले मुझे लिख कर दें।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, जब यहां बजट पर चर्चा हो रही थी तो मैंने एक बात उस समय यह कही थी कि सत्ता पक्ष के एक बहुत बड़े व्यक्ति ने हरिजनों की जमीन पर जबरन कब्जा कर रखा है और मैंने यह भी कहा था कि सरकार उसकी जांच चाहे किसी जज के द्वारा करवा ले और चाहे उसके लिये इस सदन को एक कमेटी बना दी जाये, वह जांच कर ले। मान्यवर, जो बात मैंने कही थी उसी बात को माननीय किरनपाल सिंह जी भी उठा रहे हैं। हमें बड़ी तकलीफ होती है जब हम कोई बात माननीय नेता सदन के बारे में या प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री के बारे में उठाते हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जब उनके लड़कों के बारे में कहा गया था और मकान जो उनका बन रहा था, उसके बारे में आरोप लगाया गया था, यह कहा था कि क्या हम अपने बच्चों को भीख मांगने के लिये सड़क पर छोड़ दें। मान्यवर, इससे सत्ता पक्ष और माननीय मुख्य मंत्री पर और प्रशासन पर बुरा असर पड़ता है। इसलिये जो आरोप लगाये जायें, उनकी जांच के लिये चाहे आप इस सदन की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई कमेटी बना दें, चाहे किसी हाई कोर्ट के जज से उनकी जांच करवा लें, मगर वह होना चाहिये ताकि चीज सामने आ सके । वैसे तो बहुमत के बल पर यह सरकार चाहे कुछ पास करा सकती है ।

मैं मान्यवर चाहूंगा कि उसका स्पष्ट उत्तर आना चाहिए, जो चीजें माननीय मुख्य मन्त्री और उनके परिवार पर हम उठाते जा रहे हैं ।

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश के माननीय मुख्य मन्त्री अंतुले बनते चले जा रहे हैं, अंतुले से ज्यादा बनते चले जा रहे हैं । आप उस पर सुनने और कहने का मौका दें । मैंने पहले भी कहा था कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से इन्क्वायरी करा लें । सदन की एक समिति बना दें जो जांच करें । जब उनके ऊपर कोई चीज आ गई तो मैं चाहूंगा कि वह खुलकर आयें । इस पर बहस होनी चाहिये और उसका जवाब उनको देना चाहिए । मैं चाहूंगा कि प्रशासन में स्वच्छता के लिए, प्रदेश की भलाई के लिए प्रशासन में पकड़ बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रदेश के माननीय मुख्य मन्त्री का आचरण शीशे के मानिंद होना चाहिये, जिसमें कहीं से देखें, पारदर्शी होना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए । मैं निवेदन करूंगा कि आप सुनने का मौका दें और मुख्य मन्त्री को सदन में बुलाएं । वह इसका प्रतिकार करें, जिससे कि उनकी छबि धूमिल न हो । इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, 2 बिंदुओं पर मैं कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, यह मुख्य मन्त्री जी के भ्रष्टाचार का मामला है । पहले पत्रिका में प्रकाशित हुआ था । आप बोलने का मौका दें ।

श्री अध्यक्ष--

आप नियम को देखें । नियम 289-क जो है, उसके अनुसार कार्यवाही करें ।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, गरीब के मकान को उजाड़ दिया गया । आप मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में आरोप लगाने के बारे में नियमों में जो प्रक्रिया है, उसके अनुसार कार्यवाही करें ।

(शोर)

श्री किरन पाल सिंह--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह नहीं लिखा जायगा ।

श्री गोपीनाथ बर्मा--

न लिखने से होता क्या है ?

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, उसने प्रधान मन्त्री को पत्र लिखा है ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने अभी कुछ आरोप लगाये । मुझे अच्छी तरह से याद है और इस सम्मानित सदन को याद होगा कि जब माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपना उत्तर दिया था तो एक-एक बिन्दु का सारा उत्तर दे दिया था ।

नोट--[× × ×]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं अपने इस बात पर व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल ने जो आरोप गये हैं।

श्री मोहन सिंह--

आरोप कहां लगाये।

(संसदीय कार्य मन्त्री के पुनः खड़े होने पर।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, जो आरोप लगाये हैं, वह मुख्य मन्त्री जी को शिकायत से सम्बन्धित हैं उनका उत्तर आप संसदीय कार्य मन्त्री से दिलवा रहे हैं। मुख्य मंत्री का बुलवा लीजिए।

श्री अध्यक्ष--

वह उत्तर नहीं दे रहे हैं। वह कुछ कहना चाहते हैं।

श्री रियासत हुसैन--

अगर मेरे ऊपर कोई आरोप होगा तो मेरे बिहाफ पर क्या कोई दूसरा कुछ कहेगा ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने जो निर्णय दिया है, नियम 289 क जो है, उसके अनुसार कार्यवाही की जाय उसके बाद मुख्य मन्त्री को उसकी प्रतिलिपि भेजी जाय, मुझको सूचित किया जाय। इस प्रकार का निर्णय मैं सदन में पहले दे चुका हूं।

श्री रियासत हुसैन--

जिसके बारे में कोई आरोप है, उसको उत्तर देना चाहिए।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह जो माननीय किरन पाल सिंह कहना चाहते हैं, हमें आशंका है, यह कैसे मान लें कि मुख्य मन्त्री के खिलाफ पढ़ना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने पढ़ लिया है।

श्री मोहन सिंह--

माननीय किरनपाल सिंह, जो तथ्य सदन के सामने रखना चाहते हैं, उस पर आप विचार कर लें यदि वह मुख्य मन्त्री के खिलाफ होंगे तो मुख्य मन्त्री को बुलाकर उनका स्पष्टीकरण करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

इसकी प्रतिलिपि मेरे सामने है।

श्री किरन पाल सिंह--

2 बिन्दुओं पर मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

पहले नियम का पालन करें। 289-क के अनुसार कार्यवाही करें।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, क्या नोटिस है बता दें ?

श्री अध्यक्ष--

यह है, मैं पढ़े देता हूं। चालू सप्ताह का प्रतिष्ठित साप्ताहिक पत्रिका "रविवार" के अन्दर माननीय मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार का मामला पढ़कर प्रदेश की जनता का सिर शर्म से झुक गया। उक्त पत्रिका में माननीय मुख्य मन्त्री के विरुद्ध चल व अचल सम्पत्ति के घुटाले तथा भाई-भतीजेवाद के गम्भीर तथ्य प्रकाश में आये हैं। इससे पूर्व माननीय मुख्य मन्त्री बहुत से आरोपों के बारे में गलतबयानी कर चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

श्रीमन अध्यक्ष जी, इस प्रकार के हाथी के दांत खाने के और तथा दिखाने के और होते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप के दांत कैसे हैं ?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

और आज इस प्रदेश के अन्दर जो राजनैतिक स्वच्छता है, उसको समाप्त कर प्रदेश में अराजकता की स्थिति यह सरकार पैदा करने जा रही है और आपके समक्ष कई घटनाएं इस सदन में माननीय सदस्यों द्वारा उपस्थित की गई हैं, देवरिया का था, बाराबंकी का था।

श्री अध्यक्ष--

जो आपने सूचना दी है, उसके अनुसार बोलें ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

उसी प्रकार से बोल रहा हूं, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष--

इसमें बाराबंकी कहां है ?

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, संविधान के अन्तर्गत जो मौलिक अधिकार हम लोगों को प्राप्त हैं, उसके अन्तर्गत जो हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से धरना या प्रदर्शन करते हैं, तो दमनचक्र उनको दबाने के लिए आज कल चलाया जा रहा है । 7 मार्च से अलीगढ़ में द्वितीय राज्य भाषा विरोधी नागरिक समिति द्वारा उर्दू को द्वितीय राज्य भाषा बनाए जाने के विरोध में शांतिपूर्ण चल रहे धरना में भारतीय जनता पार्टी के नगर मन्त्रीश्री बृजेन्द्र सक्सेना को वहां के परगनाधिकारी, श्री कौल और सिटी मजिस्ट्रेट और कोतवाली के कोतवाल ने बुरी तरह मारा । उनको शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं बचा है, जहां पर उनको चोटें न लगी हों । श्रीमन्, उसका फोटो मैं आपके पास भेज रहा हूं । श्री श्रीमन्, यह शांतिपूर्ण ढंग से धरना चल रहा था और इसके पूर्व प्रशासन को जानकारी दे दी गई थी इसमें कई राजनैतिक दल और सार्वजनिक संस्थाएं सम्मिलित थीं । वहां पर कम से कम ढाई हजार संख्या में लोग उपस्थित थे । श्रीमन्, भारतीय जनता पार्टी के नगर मन्त्री जब थोड़ी दूर पानी पीने के लिए गए, तो अलगढ़ के परगनाधिकारी, श्री कौल, सिटी मजिस्ट्रेट और कोतवाली के कोतवाल ने उनकी पिटाई की, उसकी फोटो मेरे पास है, उसको मैं आपके पास भेज रहा हूं । उनका ऐसा शरीर का कोई अंग नहीं बचा है, जिस पर प्रहार न किया हो और ये गम्भीर चोटें आई हैं । इससे अलीगढ़ जनपद में उत्तेजना व्याप्त है । सरकार जो है, स्वच्छता की राजनीति को समाप्त कर प्रदेश के अन्दर अराजकता का वातावरण पैदा कर रही है ।

आज प्रदेश में कई जनपदों में विरोधी पक्ष के नेताओं के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं । श्रीमन् जो कार्य-स्थगन के माध्यम से प्रस्ताव आपके समक्ष रखा है, किसी भी प्रकार से आज विरोधी पक्ष के राजनैतिक कार्यकर्ताओं को अपने सारे जो मौलिक अधिकार हैं, भाषण करने का, सभा करने का, शान्तिपूर्ण ढंग से धरना देने का, प्रदर्शन करने का, इस प्रशासन को नोटिस देकर और जब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, तो आप प्रशासन के माध्यम से इस प्रकार की आज कार्यवाही कर रहे हैं और इसका चित्र आपके पास भेज रहा हूं । यह प्रशासन के अधिकारियों ने, परगनाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट ने और कोतवाली के कोतवाल ने उनकी पिटाई की है । यह श्रीमान् जी, आपके सामने यह घटना आई हुई है । मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि आज प्रदेश के अन्दर इस प्रकार की घटनाओं से अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है ।

मैं इसकी चर्चा की मांग करता हूं, कार्य-स्थगन के माध्यम से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष--

आप तो हमारे बाबा हैं, आपका क्या व्यवस्था का सवाल है ?

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

साढ़े तीन वर्ष हो गये इस सदन में आये । आपको तो बहुत दिन हो गया और आगे भी रहेंगे । सदन में जो चर्चा होती है, बजट पर या 301 के माध्यम से उसकी मंशा यह होती है कि उत्तर प्रदेश की जनता और सरकार के संज्ञान में चीज आ जाय और उस पर कार्यवाही हो जिससे जनता समझे कि कुछ कार्य हुआ । गत वर्ष मैंने लुंजपुंज शिक्षा मंत्री, चौधरी नौनिहाल के सामने एक प्रश्न उठाया था....

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का सवाल नहीं है ।

व्यवधान

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

उसमें कोई कर्यवाही नहीं हुई ।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य संयम से काम लें ।

श्री रुद्र प्रपाप सिंह--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

कोई शब्द नहीं लिखा जायेगा ।

(श्री रुद्र प्रताप सिंह सदन त्याग कर चले गये)

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अम्मार रिजवी--

अग्निहोत्री जी जो कह रहे हैं, इसकी जांच कराकर कुछ कह सकता हूं और उससे आपको भी सूचित कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने सभी माननीय सदस्यों को सुना । मैं माननीय मोती लाल देहलवी की सूचना जांच के लिये फिलहाल भेज रहा हूं । माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री की सूचना की जांच करके उसकी प्रतिलिपि मेरे पास भेजें । अगर मैं सन्तुष्ट न हुआ तो पुनः विचार करने के बाद आगे के लिये नियमानुसार कार्यवाही करूंगा । माननीय राम सागर, माननीय विजय सिंह राना की तथा माननीय सत्य पाल सिंह के मामले की जांच करा कर, जांच के बाद उसकी प्रतिलिपि शासन मेरे पास भेज दे । अगर मैं सन्तुष्ट न हुआ तो पुनः विचार करूंगा । नियम 56 के अन्तर्गत जितनी सूचनायें प्राप्त हुई हैं, सबको मैं अस्वीकार करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

शिक्षा पर कौन कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

सरदार सिंह रखेंगे ।

(व्यवधान)

श्री मसरूर जफरी--

मान्यवर, सुन तो लें ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

नियम 56 में जो चीजें थीं उनको आपने समाप्त कर दिया वह तो आपका अधिकार है । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहता हूं, लोकदल का एक कमला ड्राईवर, इटावा का रहने

वाला है । उसको कैन्टोनमेन्ट के दरोगा जो इटावा के रहने वाले हैं, ने मारा-पीटा है । मैं डी0 आई0 जी0 से कह चुका हूं । आप देखलें क्यों ऐसा हुआ, जांच करा लें ।

श्री अम्मार रिजवी--

नेता विरोधी दल ने कहा है, उसकी जांच कराकर कल तक आपको और नेता विरोधी दल को सूचित कर दूंगा । मैं नेता विरोधी दल से यह भी बताना चाहता हूं किसी प्रकार की ज्यादती उसके साथ नहीं होगी ।

(व्यवधान)

(समय 2 बजकर 8 मिनट)

1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-

अनुदान संख्या 44-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग/अनुदान संख्या 56-शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 59-संसदीय कार्य विभाग (विधान मन्डल) तथा अनुदान संख्या 63-सांस्कृतिक कार्य विभाग

श्री अम्मार रिजवी (संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री)--

मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं आप लोग बैठें ।

(शोर)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56--शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,95,50,77,000 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या--59 संसदीय कार्य विभाग (विधान मंडल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 75,000 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68--सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 74,16,000 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, आप क्यों खड़े हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर शिक्षा से कोई ताल्लुक इनका नहीं है और न ही मसरूर जाफरी जी की शिक्षा से सम्बन्धित कोई समस्या है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप सब लोग बैठें । शिक्षा मन्त्री जी को बोलने दें ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं आज 1984-85 का बजट आपके माध्यम से सम्मानित सदन के सामने रख रहा हू यह 526 करोड़ 59 लाख का बजट है। मान्यवर, 1946-47 में उत्तर प्रदेश का बजट 3 करोड़ 18 लाख रुपये का था। आज यह 526 करोड़ 59 लाख का है, इसमें जिस तरह से व्यय हो रहा जैसे हमारी प्रारम्भिक शिक्षा है इस पर 50 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा पर, 36 प्रतिशत जो हमारी उच्च शिक्षा है इस पर, 10 प्रतिशत अन्य कार्यों के लिए, चार प्रतिशत प्रावधान किया गया है। मान्यवर इस बात का ध्यान रखा गया है हम लोग पूरा जोर दे रहे हैं सबसे बड़ी वरीयता जो है, वह हम प्रारम्भिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा को दें। इसलिए आपने देखा होगा कि 50 प्रतिशत व्यय जो हैं वह प्राथमिक शिक्षा पर व्यय कर रहे हैं। हमने यह निश्चय किया है कि पहाड़ों पर एक मील के अन्तर्गत कोई न कोई पाठशाला खोली जायेगी और मैदानी इलाकों में एक डेढ़ किलोमीटर पर कोई न कोई पाठशाला खोली

(इस समय 12 बजकर 14 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राम औतार दीक्षित पीठासीन हुये।)

जायेगी। जो 300 से अधिक आबादी वाले गांव हैं वहां पाठशाला खोलने का प्रयास करेंगे। जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं वहां 1980-81 में 95 लाख, 1983-84 में 1 करोड़ 1 लाख 1984-85 में 1 करोड़ 23 लाख छात्रों की संख्या होगी। जूनियर हाई स्कूल में 1980-81 में 29 लाख, 1983-84 में 37 लाख तथा अब 1984-85 में 39 लाख छात्रों की संख्या होगी। जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते और विद्यालय नहीं जा पाते क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति नहीं होती है उनके लिये हमने ऐसी ऐजूकेशन, शिक्षा की व्यवस्था की है, जिसके अन्तर्गत हम उनको विद्यालय से अलग समय में शिक्षा दे सकें, अनौपचारिक शिक्षा दे सकें और वह वहां जाकर, उनकी जो योग्यतायें हैं, उनको बढ़ा सकें। ऐसी शिक्षा के लिये 20,181 प्राइमरी के लिये और जूनियर्स के लिये 3,589 ऐसे केन्द्र खोले गये हैं।

मान्यवर, सबसे पहले, जो माननीय सदस्य इस सदन में हैं, इससे सहमत होंगे, इतना बड़ा ढांचा शिक्षा का है, इसके अन्दर भवन नहीं हैं, यह बहुत बड़ी समस्या है, साथ ही साज-सज्जा की समस्या है। हम जो बहुत बड़ी धनराशि खर्च कर रहे हैं शिक्षा पर, जैसा कि माननीय मोहन सिंह जी ने कहा, टिप्पणी की कि 510 करोड़ रुपया तनख्वाह है। इसमें संदेह नहीं है। विकास कार्यों के लिये, अधिष्ठाता महोदय, बहुत थोड़ी धनराशि बचती है। फिर भी हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक धन जुटाकर और केन्द्र सरकार की जो योजनायें चल रही हैं, उनसे किसी तरह से धन जुटाया जा सकें। इस तरह से इस पर कुछ पैसा व्यय कर सकें और अधिक से अधिक प्राथमिक पाठशालायें और उनकी इमारतें बना सकें, उनको साज-सज्जा दे सकें।

उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आती है। इसमें उत्तर प्रदेश में इस समय 5,650 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, जिनमें 23,88,000 छात्र शिक्षा पाते हैं। करीब एक लाख से ज्यादा अध्यापक उनमें शिक्षण कार्य में व्यस्त हैं। कोशिश इस बात की थी कि नये स्कूल न खोल कर पहले पुराने स्कूलों को एक स्टैन्डर्ड पर ला सकें, उनकी साज-सज्जा और तमाम चीजें कर सकें, उनके बाद नये स्कूलों को मान्यता दें। लेकिन, कहीं-कहीं ऐसे ब्लाक मौजूद हैं, जहां कोई स्कूल नहीं है। ऐसे स्थानों पर जहां 10-20 किलोमीटर तक एक भी हाई स्कूल नहीं हैं, उत्तर प्रदेश शासन ने निर्णय लिया है कि जिन ब्लाकों में हाई स्कूल नहीं हैं, वहां

अवश्य खोले जायेंगे। वहां छात्रों के लिये हायर सेकेंडरी स्कूल स्थापित किये जायेंगे, ताकि वहां रहने वाले छात्रों को और बच्चों को यह सुविधा मिल सके।

जो हमारे विद्यालय हैं, पहले इसमें जनरल कोर्स था, इसमें साइन्स, मैथ-मेटिक्स को शामिल किया गया जो इससे पहले नहीं था। कुछ साल पहले इसमें कारस्पांडेंस कोर्स शुरू किया गया है। इसमें केन्द्र सरकार से भी सहायता मिली है, ताकि साइन्स का टेम्चर बन सके और जो एडवान्सेज हो रहे हैं। जिन बिन्दुओं के जानने की जरूरत होती है, वे शिक्षा में शामिल हो सकें इस वजह से यह व्यवस्था की गयी है।

मान्यवर, मैं संक्षेप में अपनी बात कह रहा हूं क्योंकि इसके बाद माननीय सदस्य कहेंगे। मैं ढांचा उपस्थित कर रहा हूं। उसके बाद हमने राजकीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद् का गठन किया है। उसका कार्य यह है कि जो टीचर्स ट्रेनिंग लें, जो कोर्स हैं, जो किताबें हैं, उन पर शोध कार्य हो सके। शोध की ट्रेनिंग दी जायगी। यह बहुत आवश्यक है। अधिष्ठाता महोदय, इसी अध्यापक ठीक होंगे और अध्यापक ठीक होंगे तो छात्र ठीक होंगे। अगर पढ़ाने वाले में कमी है, उसकी ट्रेनिंग में कमी है, वह योग्य नहीं है, ऐसे अध्यापक होंगे तो आगे चलकर आने वाली नस्ल प्रभावित होगी। इसलिये इस परिषद् का गठन किया गया है ताकि अध्यापक लोगों को दिशा दी जा सके उन तमाम चीजों की, जिनकी एजूकेशन में आवश्यकता है, उनका प्रबंध किया जा सके।

इस समय बहुत से प्राइमरी स्कूल जो हैं जो गोरखपुर, आजमगढ़ आदि पूर्वांचल में हैं, उनमें ऐसी व्यवस्था की है कि टेलीकास्ट, टेलीविजन के द्वारा और वीडियो फिल्म बनवाकर शिक्षा दी जाय। भारत सरकार ने इसमें सहयोग देने का वादा किया है। इन्सेट के द्वारा पूर्वांचल के उन स्कूलों में टी० वी० की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। वीडियो के जरिये से, जो शिक्षा का एक शक्तिशाली माध्यम है, जिसका प्रयोग पूरे संसार में किया जा रहा है, उसके द्वारा हम पूर्वांचल के स्कूलों में इसका इस्तेमाल करेंगे। मान्यवर, हमें यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इसमें भारत सरकार ने हर सम्भव सहयोग देने का हमें वायदा किया है। इसी तरह से बहुत से हमारे अध्यापक शुरू में शिक्षण के कार्य में आ जाते हैं, और वे उस समय इतने योग्य नहीं होते हैं, इसलिए उनके लिए हमने शिक्षण की व्यवस्था की है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से हम उन अध्यापकों को ट्रेनिंग देंगे, जो नौकरी भी कर रहे हैं।

मान्यवर, टैक्स्ट-बुकों की बात आई। टैक्स्ट-बुक बच्चे जो पढ़ते हैं, इस बात से सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि जब शुरू की आयु बच्चे की होती है, तो उस समय जैसी छाप आप बच्चे में डालना चाहते हैं, डाल सकते हैं। अगर उस उम्र में उसे सही दिशा मिल जाय, सही शिक्षण मिल जाय और सही किताबें मिल जायें जिससे वह इन्सान को इन्सान समझ सके और बड़ों के प्रति आदर को समझ सके, इसी वजह से हम टैक्सुट-बुकों को भी इसी परिषद् के द्वारा बच्चों के लिए अच्छी करवा रहे हैं। उसमें यह भी देख रहे हैं कि कहीं उन बुक्स में कोई ऐसा पाठ तो नहीं है, जो इन्सान को इन्सान नहीं समझे और जिससे अलगाव पैदा होता हो, उसके लिए हम उसका रिवीजन कर रहे हैं, उसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इस तरह के टैक्सुट बुक्स हम बच्चों को उपलब्ध करवा रहे हैं।

मान्यवर, पापुलेशन एजूकेशन की बात आई। कल स्वास्थ्य विभाग का बजट यहां पर आया था। सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि जिस प्रकार से आज हमारी आबादी बढ़ रही है, उस प्रकार से हमारे संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं और न ही

बढ़ना सम्भव भी है । इसके लिए एक नपी-तुली थ्योरी है । पूरे संसार में उसे माना जाता है ।

मान्यवर, 1946-47 में इस प्रदेश का बजट करीब तीन करोड़ या पौने चार करोड़ का था और आज वही बजट 526 करोड़ का हो गया है, जिसे मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष आपके माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं । पूरे प्रदेश में शिक्षकों की आवश्यकता है, परन्तु हम सब जगह शिक्षक नहीं दे सकते हैं । पूरे प्रदेश में स्कूलों में इक्वीपमेन्ट्स की आवश्यकता है, परन्तु हम सभी इक्वीपमेन्ट्स नहीं दे सकते हैं । इसलिए शुरू से एक ऐसा वातावरण तैयार करना पड़ेगा, जिससे बच्चे समझ सकें कि जनसंख्या पर यदि रोक न लगाई गई तो, इसके दूरगामी परिणाम भयंकर होंगे । इसी जनसंख्या को देखते हुए चाहे हम कितनी ही तेजी से अपने संसाधनों को जुटायें, पूरा नहीं कर सकते हैं । आज जनसंख्या इस हद तक बढ़ गई है और जिस प्रकार से बढ़ रही है, उसको देखते हुए, इसकी केवल कल्पना की जा सकती है शब्दों से इसकी अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती है । इसके बारे में शिक्षक लोग बच्चों को बतायें, हम इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं ।

मान्यवर, आज हमारे प्रदेश में 21 यूनिवर्सिटीज हैं और 401 एफीसियेटेड कालेज हैं । इस समय 70 हजार छात्र यूनीवर्सिटीज में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 48 गवर्नमेंट कालेज हैं, जिनमें 3 लाख 68 हजार छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । यह एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है । अक्सर मैं जब बाहर के लोगों से बात करता हूं अपने यहां के डिग्री कालेजों के बारे में और स्कूलों के बारे में, तो कई मुल्कों की आबादी इतनी नहीं है, जितनी हमारे यहां अध्यापकों की संख्या है । यह एक बहुत बड़ा ढांचा है । आप इस बजट को देखें, शिक्षा में से हमने केवल 10 प्रतिशत हायर एजूकेशन सर्विस के लिए दिया है । इसके कुछ कारण हैं, वह कारण ये हैं--कि हमारी जो पुरानी शिक्षा पद्धति है, सभी माननीय सदस्य उससे सहमत होंगे, कि उसमें कुछ तब्दीली करने की आवश्यकता है और यह जरूरी भी है ।

आज एक छात्र हाई स्कूल करता है तो उसके मां-बाप उससे कहते हैं कि वह इन्टरमीडिएट कर ले । और कुछ विद्यार्थी इन्टरमीडिएट के बाद बी० ए० कर लेते हैं और कुछ छात्र उसके बाद एल-एल० बी० करना शुरू कर देते हैं वह एल-एल० बी० का कोर्स करता है, एल-एल० बी० के बाद डी० पी० ए० और इसी तरह से अन्य कोर्सों की तरफ जाता है । दिशाहीन एक तरह से शिक्षा, वह यह जो पुरानी शिक्षा है, इसमें किसी हद तक है, इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है । इसकी वजह है, प्रेशर है, उच्च शिक्षा पर इतना ज्यादा है कि हमारी जो सारी प्रणाली है, वह कोलेप्स के ऊपर आ गयी, जो चरमरा जैसी गयी है । हर जगह के ऊपर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हमारे कितने इंजीनियर होंगे, कितने डाक्टर की जरूरत है, आगे हमारी प्लानिंग क्या होगी, लेकिन हमारी शिक्षा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इस बात को तसलीम करता हूं । हमें इस तरह की योजना करनी होगी कि आगे इतने वकीलों की जरूरत होगी । मान्यवर ला कालेजेस को देखें कितने ज्यादा छात्र वहां पर वकालत पढ़ रहे हैं, अगर इन तमाम चीजों को देखें, और कभी इंजीनियर को देखें, तो वह सब चीजों में रोजगार देने की व्यवस्था नहीं है ।

यहां पर हायर एजूकेशन की बात आयेगी, मैं यह भी बात कहूंगा कि हमारे सोचने का तरीका, जो लार्ड मैकाले ने, अंग्रेजों ने दिया था, जहां वे बहुत सी चीजें लेकर चले गये, वहां यह जहनियत छोड़कर चले गये, वह हमें दे गये, गुलामी और जहनियत नौकरी की जहनियत । बी० ए० करने के बाद

लोग क्लर्क या चपरासी की बात करते हैं, बी० ए० के बाद बाबूगीरी और इस तरह से नौकरी से हटकर, वह सोचते भी नहीं हैं । जो हमारे पुराने काम धंधे हैं जो हमारे घर में व्यवसाय हैं, वह चाहे एग्रीकल्चर का हो, किसी और चीज का हो, उसी प्रकार घर में इतनी जमीन हैं, लेकिन आर बी० ए० तक पढ़ गये, पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश के और मध्य भाग जो हैं, मैं वेस्टर्न यू० पी० की बात नहीं करता, वहां पर मैंने देखा कि पी० एच० डी० आदि करने के बाद भी कृषि का कार्य करते हैं, पंजाब में करते हैं लेकिन यहां का पूर्वांचल और मध्य भाग जो है, वह इससे पूरा प्रभावित है, हर वक्त पढ़ने के बाद नौकरी की बात करते हैं ।

श्री मोहन सिंह--

यह भी पी० एच० डी० करके मंत्री हो गये ।

श्री अम्मार रिजवी--

जिनको कोई काम नहीं मिला, वह मुख्य सचेतक हो जाते हैं विरोधी दल के ।

यह पूर्वांचल की मिसालें हैं, मध्य यू० पी० की मिसालें हैं ।

श्री मोहन सिंह--

वह कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक हैं और हम विरोधी पार्टी के हैं, बात सही है ।

श्री अम्मार रिजवी--

इस चीज को हम शिक्षा के बजट में यूं कह रहे हैं कि हम लोगों को केवल टीका टिप्पणी ही नहीं करनी है, बल्कि एक चेतना पैदा करनी है समाज के अन्दर, हम लोगों की उसके ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है । माननीय, इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मदद करता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की भी अपनी समस्यायें हैं, जो हमारा आकार है शिक्षा का, उसको देखते हुए जो मदद मिलनी चाहिए, वह न तो अपने बजट के रिसौंसेज से दे पाते हैं और न दूसरे रिसौंसेज से दे पाते है । शिक्षा की जहां पर बात आती है, तो यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि अक्सर बहुत कुछ कटौती की बात शिक्षा विभाग के साथ हो जाती है, तो यह अगर शिक्षा के साथ कटौती की गयी, शिक्षा के साथ अन्याय किया गया, तो आने वाली नस्लों से न्याय नहीं होगा, मैं बहुत नम्रतापूर्वक और यह कम शब्दों में यह बात कहना चाहता हूं ।

माननीय, इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि जो ऐसे छात्र हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छे नम्बर्स के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से जो पास हुए थे, काफी अच्छी मेरिट लाये थे, उनको भी, और साथ ही साथ अध्यापकों को भी हम पुरस्कृत कर रहे हैं, उनको इनाम देते हैं और साथ ही साथ उन छात्रों की स्कालरशिप और उनकी आगे की पढ़ाई उसको सरकारी खर्चे पर करा रहे हैं ।

इसी तरह से प्रौढ़ शिक्षा की बात है, इतना सब कुछ करने के बाद, जो हमारे प्रदेश में ऐसे लोग हैं, जो पूरी तरह से शिक्षित नहीं हैं, उनको शिक्षित करना था इसमें भी काफी प्रयास किया जा रहा है, पिछले साल करीब दो करोड़ और तीन लाख, ऐसे लोग जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, उनको, मैं 1980-81 की बात बता रहा हूं, पढ़ना लिखना सिखाया गया । 1982-83 में यह संख्या 5 लाख के करीब आयी और, हमारा टारगेट है कि 7 लाख के करीब ऐसे लोगों को हम इस काबिल बना देंगे कि वे कम से कम हस्ताक्षर कर सकें और अपना नाम पढ़ सकें ।

(व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी--

यह सब कागज पर हो रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता :—

आप लोग शान्त रहें ।

श्री अम्मार रिजवी—

जब शिक्षा बढ़ी और साइन्स का एडवान्समेंट बढ़ा तो पहले लोग पेड के पत्तों पर, दरख्त की छालों पर लिखा करते थे, माननीय मसरूर जाफरी साहब को मालूम होना चाहिये कि अब शिक्षा काग़जों पर ही होती है ।

(हंसी)

हमारा प्रयास यह है कि जो ओर रीजनल लैंग्वेजेज हैं, उनके भी प्रोत्साहन की बात की जाय ।

इसके बाद दूसरा विभाग सांस्कृतिक कार्य विभाग है, जिससे माननीय मोहन सिंह जी भी दिलचस्पी रखते हैं । इन्होंने पिछले साल बहुत ही बहुमूल्य सुझाव दिये थे, लेकिन उसके बाद मेरा विभाग ही बदल गया । हमारा प्रदेश जहां तक क्षेत्र का सवाल है, संस्कृति का सवाल है, पूरे संसार में अपना एक स्थान रखता है । उसको देखते हुए जो बजट प्रावधान है, बहुत कम है, लेकिन कुछ कार्य किये गये हैं पिछले साल और वे यह हैं कि झांसी में एक म्यूजियम बनाया जा रहा है, वृन्दावन में एक शोध संस्थान कायम किया जा रहा है । जो नाटक एकेडेमी है, ललित कला एकेडेमी है, भातखन्डे संगीत कालेज हैं। हिन्दुस्तानी म्यूजिक का, इसका विस्तार किया जा रहा है । बुद्धिस्ट स्टडी के लिये एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया है । पिछले साल मोहन सिंह जी ने सुझाव दिया था कि फाक डान्सेज और फाक म्यूजिक को जीवत रखने का प्रयास किया जाना चाहिये । उस समय कुछ कार्यवाही की गयी थी, लेकिन अब जब साइंस और टेक्नोलाजी इतनी ज्यादा बढ़ गयी है तो हम प्रयास कर रहे हैं कि वीडियो फिल्म्स बनवाकर उनको सुरक्षित कर लिया जाय नहीं तो आने वाली नस्लों को इसका विश्वास नहीं होगा । आदिवासी डान्सेज हैं ट्राइबल डान्सेज हैं, इनका म्यूजियम बनाने की सोच रहे हैं ।

राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में कहना है कि आज दूरे प्रदेश को राष्ट्रीय एकता की बड़ी आवश्यकता है और इस सिलसिले में बहुत से कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने किये हैं । जहां प्रादेशिक स्तर पर एक राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् है, जिसके माननीय मुख्य मंत्री जी अध्यक्ष हैं, वहीं डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसकी कमेटीज बनायी गयी हैं, पहले कोई अधिकारी उसका अध्यक्ष हुआ करता था, लेकिन अब कोई अधिकारी अध्यक्ष नहीं है, जनप्रतिनिधि को उसका अध्यक्ष बनाया गया है । यह बात वहां के जनप्रतिनिधि को देखनी है कि मीटिंग कर रहे हैं या नहीं ।

इसी तरह से माननीय प्रधान मंत्री जी ने 15 सूत्री कार्यक्रम दिया था, जैसा कि माइनारिटीज के बारे में बात थी, उसमें दो कमेटीज प्रदेश में बनायी गयी हैं । प्राइमरी कमेटीज में सेक्रेटरीज हैं और मुख्य सचिव उनकी अध्यक्षता करते हैं । दूसरी कमेटीज हैं तमाम डिपार्टमेंट्स के लोगों की है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री करते हैं । बहुत से विभागों में बहुत सी जगहों पर जो शिकायतें आती हैं, अल्पसंख्यकों के बारे में, उनकी मानीटरिंग और समाधान के बारे में विचार विमर्श होता है । राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने के लिये बहुत सी योजनायें बनायी गयीं और बहुत से कार्य किये गये और बहुत से का इरादा भी है, जिससे आपस में एकता और भाईचारे की सद्भावना और ज्यादा मजबूत हो सके । एक और बात कहूंगा जो अंतर्जातीय विवाह से सम्बन्धित है । इस बारे में गवर्नमेंट की तरफ से काफी प्रोत्साहन दिये जाते हैं । पन्द्रह हजार रुपये से लेकर 30

हजार रुपये तक ब्याज रहित लोन दिये जाते हैं और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, साथ ही पुरस्कार रूप में कुछ धनराशि भी दी जाती है। तो इस तौर पर काफी अन्तर्जातीय विवाह हुए हैं और इससे हमारी जो सूचना है कि इसमें जो भी तमाम बातें होती हैं वह सारी बातें सफल नहीं हैं। इसलिए मुझे बेहद खुशी है। और मैं समझता हूं कि इसी तरह यदि प्रोत्साहन लोगों को मिलेंगे तो हमारी राष्ट्रीय एकता और भी मजबूत होगी और बाहर की यानी हमारे अन्य प्रदेशों की जो भाषाएं हैं, उन्हें भी प्रोत्साहन देने का हम प्रयास कर रहे हैं जैसे तमिल है, मलयालम है व अन्य प्रदेशों की जो जो भाषाएं हैं और इनके जो भी इन्स्टीट्यूशन्स खुले हैं, उनमें पूरी तरह से गवर्नमेंट प्रोत्साहन दे रही है, जिससे राष्ट्रीय एकता हमारी और मजबूत हो सके। इसी के तहत हमारे यहां नेशनल इन्टीग्रेशन के स्कूल खोले जायेंगे। जिस तरह से रुरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें अधिकारी अपनी ट्रेनिंग खत्म करके वहां पर जाते हैं ताकि वह गांव की समस्याओं से वाकिफ हो सकें, इसी तरह नेशनल इन्टीग्रेशन इंस्टीट्यूट होंगे, जहां पर अधिकारी अपनी ट्रेनिंग को खत्म करके कुछ वक्त वहां पर भी गुजारेंगे ताकि उन्हें इस ओर जानकारी हो और वह राष्ट्रीय एकता मजबूत करने के लिए कदम उठायें।

इसी तहत माननीय हमने हिन्दी प्रोत्साहन के लिए जो हमारी राष्ट्र भाषा है उसको निधि के लिए 0 करोड़ रु0 रखे हैं और इस प्रकार से दूसरी जबानों में जो अच्छी-अच्छी चीजें हैं जैसे उर्दू है या अन्य जबानें हैं उनका अनुवाद किया जायेगा ताकि इनके विचारों का हमारे अन्दर आदान-प्रदान हो सके और तकनीकी किस्म की जो चीजें हैं, रेफरेंसेज हैं, उनका अनुवाद करवाया जायेगा ताकि हमारे पढ़ने वालों को यह चीजें आसानी से मिल सकें और राष्ट्र का उत्थान हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को खत्म करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि इस बजट पर जहां पर वह सुझाव देंगे उनके वह सुझाव बहुत ही बहुमूल्य होंगे जो देश और प्रदेश के हर वर्ग चाहे वह छात्र हो या अध्यापक या अन्य नागरिक हर एक को फायदा पहुंचेगा, जिसे प्रदेश का स्तर इस ओर ऊंचा होगा, उम्मीद है कि इसी तरह के सुझाव हमें इस सिलसिले में मिलेंगे।

श्री धरम पाल--

उर्दू के बारे में भी कुछ कह दीजिए।

श्री सरदार सिंह---

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44 --राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56---शिक्षा विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कम करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 59---संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति का आलोचना करना और सुझाव देना।

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या

68--सांस्कृतिक कार्य विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना है ।

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे तजुर्बेकार माननीय मंत्री जी ने बड़ी चतुराई से हमारे जिन अधिकारियों ने उन्हें निर्देशित किया, उसी के अनुसार, यह शिक्षा का बजट प्रस्तुत कर दिया । मान्यवर, आप आज अशिक्षा के बारे में देखें तो आपको अचरज होगा कि हमारे इस विशाल प्रदेश का साक्षरता में 25वां स्थान है । हमारे प्रदेश की हालत पूछिये मत, मान्यवर, इसकी साक्षरता का प्रतिशत 1981 के जनगणना के अनुसार 27.38 है जबकि पूरे देश की साक्षरता का प्रतिशत 36.160 है । 1979 की तरफ यदि हम देखें तो वहां पर 39.45 प्रतिशत साक्षरता थी उस समय हमारे प्रदेश में साक्षरता 21.70 प्रतिशत थी । इस प्रकार से 12 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में मान्यवर, 9 करोड़ जनता निरक्षर है जबकि मानव के विकास के लिये जीवन में उसकी सफलता के लिये उसका साक्षर होना अत्यन्त आवश्यक है ।

इस वर्ष शिक्षा का जो हाल हुआ है उसे आप भी जानते हैं कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों से लेकर उच्चस्तरीय शिक्षा के अध्यापकों तक तथा संस्कृत के अध्यापकों ने भी अनशन किये हैं, हड़तालें की हैं, आन्दोलन किये हैं और वह अभी भी चल रहे हैं। मैं इस देश की माननीय प्रधान मंत्री की तारीफ करूंगा कि उन्होंने शान्ति निकेतन के दीक्षान्त समारोह तथा दिल्ली में एक बुद्धिजीवियों की बैठक में यह बात स्वीकार की कि कांग्रेस शासन ने शिक्षा प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन न करके सबसे बड़ी भूल की और उन्होंने कहा कि हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को आजादी के तुरन्त बाद ही बदल देना चाहिये था । मान्यवर, यही हमारे संविधान की मंशा थी कि इस देश में समाजवादी समाज की स्थापना हो, साम्प्रदायिक सद्भाव बना रहे, सभी को अपनी जिन्दगी में विकास करने का अवसर मिले ।

इसलिये मान्यवर, यह बात जरूरी थी कि 1947 के तुरन्त बाद शिक्षा सभी के लिये एक जैसी होनी चाहिये थी क्योंकि संविधान में हमने समाजवादी व्यवस्था को अंगीकार किया है परन्तु यह हुआ नहीं । हुआ यह कि गरीबों के लिये अलग शिक्षा, अमीरों के लिये अलग शिक्षा । अमीरों के बच्चे कानवेन्ट में शिक्षा पाते हैं और गरीबों के बच्चे बेसिक स्कूलों, प्राइमरी स्कूलों में बिना पैसे खर्च किये शिक्षा पाते हैं । गरीब के बच्चे खुली झोपड़ी में पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके लिये इमारत की व्यवस्था नहीं है, वह मान्यवर, बोरियों पर बैठता है क्योंकि उसके लिये अपने टाट-पट्टी भी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं । बोरियों पर उनको बैठाने की इनकी मंशा यह थी कि वे गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे जो हैं, निर्बल हैं, हरिजन हैं, आदिवासी हैं उनके साथ वो शिक्षा प्रणाली लागू रखें ताकि वे भविष्य में भी इनके भार की बोरियां ढोते रहें । आज ऐसी शिक्षा प्रणाली पर देश की प्रधान मंत्री ने अपना असन्तोष जाहिर किया है, राज्यपाल महोदय ने इस पर अपना असंतोष जाहिर किया है तथा प्रदेश के मुख्य मंत्री ने भी अपना असन्तोष जाहिर किया है । मुझे उम्मीद थी कि अब शिक्षा मंत्री बदले हैं, नये शिक्षा मंत्री आये हैं, जो कि बहुत ही प्रवीण हैं और शिक्षाविद् हैं । मुझे आशा थी कि इस प्रदेश के लिये उनके भाषण के दौरान कोई शिक्षा में परिवर्तन या नई शिक्षा प्रणाली की बात सुनने को मिलेगी लेकिन फिर वही घिसा पिटा भाषण आज फिर सुनने को मिला । आज के शिक्षा के बजट में पहले के अनुपात में आपने कटौती कर दी है । इसको आप क्या कहेंगे ? बेसिक शिक्षा में, प्रौढ़ शिक्षा में, उच्चतर शिक्षा में,

आप कोई परिवर्तन नहीं ला सके हैं और आपसे यह कुछ नहीं हो पायेगा। इस साल का बजट कुल बजट का 17.8 प्रतिशत है जबकि पिछले साल का बजट कुल बजट का 19.4 प्रतिशत था।

मान्यवर, हमारी प्रधान मंत्री ने इनके लिये एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि 1990 तक पूरे प्रदेश में बच्चों को शिक्षा के लिये प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था कर दी जाय। जो आपने साहित्य दिया है, उसमें लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने योग्य आयु के छात्रों की कुल संख्या 1 करोड़ 47 लाख है और वह विद्यार्थी जो पंजीकृत हैं, जिनकी कि व्यवस्था की गयी है उनकी संख्या एक करोड़ 10 लाख है। तो यह 36-37 लाख विद्यार्थी जो हैं उनके लिए आपकी क्या व्यवस्था है। मान्यवर, सन् 1980 में, जैसा इनके आंकड़ों को देखने से विदित होता है प्राथमिक विद्यालयों के नये भवनों के निर्माण तथा उनमें शिक्षा सत्र शुरू होने की कोई रिपोर्ट नहीं आयी है, जिलों के प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं, कितने कार्यरत हैं, कितने की नियुक्ति होती है इसकी जानकारी मुझे नहीं मिल पायी है। जो नवीन विद्यालय भवन बनने हैं वे बने हैं अथवा नहीं जिनके बनने की जो ये बात करते हैं वह केवल कागजों पर है जमीन पर नहीं। तो यह सरकार किस तरह से 37 लाख प्राथमिक छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था कर पायेगी, इस पर मुझे विश्वास नहीं होता है। संख्या को देखते हुए 8-9 हजार विद्यालय तुरन्त खोलने पड़ेंगे, वह आप कर नहीं सकते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा का कैसा उन्नयन आपने कहा है कि 300 की आबादी पर एक विद्यालय और मैदानी क्षेत्र में डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर तथा पर्वतीय क्षेत्र में एक किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय खोले जायेंगे।

आपके विभाग के एक सर्वेक्षण के अनुसार यह पाया गया है कि बहुत से क्षेत्रों में विद्यालय हैं ही नहीं। तब आप इस योजना को कैसे पूरा कर पायेंगे, कभी नहीं। यह सब तो आपकी केवल चुनावी बात है। मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से यह इनके अधिकारियों ने केन्द्र की आंखों में धूल झोंकी है। योजना आयोग ने इनको फटकार बतायी है। योजना आयोग को यह जानकर बड़ी हैरानी हुई है कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में प्राथमिक स्तर के 27 हजार शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिये कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। इन प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की नियुक्तियों का मामला काफी अर्से से राज्य सरकार के विचाराधीन है। आयोग ने राज्य सरकार को 84-85 के दौरान कम से कम 28 सौ प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्तियां करने तथा शेष 24,200 शिक्षकों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में शीघ्र कदम उठाने की सलाह दी है। यह जानकारी योजना आयोग द्वारा राज्य की वर्तमान स्थिति के बारे में तैयार रिपोर्ट से मिली है। योजना आयोग ने राज्य में शिक्षक गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु छठीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए 38.73 करोड़ रुपये की परिव्यय राशि निर्धारित की है लेकिन राज्य सरकार ने 80-83 के प्रथम तीन वर्ष में शिक्षा के खाते में 115.18 करोड़ रुपये व्यय करने का हिसाब-किताब प्रस्तुत किया है और 1983-84 में स्वीकृत 30.94 करोड़ रु० की परिव्यय राशि के बजाय 58.25 रुपये व्यय करने का दावा किया है। आयोग ने अपनी टिप्पणी में इस बात पर बल दिया है कि राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नयी परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु छठी पंचवर्षीय योजनावधि के लिए निर्धारित परिव्यय राशि से 88.19 करोड़ रुपये व्यय करने का कार्यक्रम तैयार किया है लेकिन इसके औचित्य के बारे में सन्देह विद्यमान है।

इसी प्रकार योजना आयोग ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है और

प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया है। माननीय, अभी राष्ट्रीय कमीशन आया, उसने भी शिक्षा के बारे में असन्तोष व्यक्त किया है। अब मैं प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि इसको बन्द कर दिया जाये। यह आपकी योजना केवल कागज पर ही है। इन स्कूलों में जो रजिस्ट्रर रखे जाते हैं वह फर्जी रखे जाते हैं और उनमें फर्जी नाम लिखे रहते हैं।

अब मैं माध्यमिक शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं, इनका कोई नीति नहीं है, शिक्षा जो हो, वह रोजगारपरक हो, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो पेट से जुड़ी हो, कितने छात्र पढ़ रहे हैं और कितने अध्यापक उसमें लगे हुए हैं। कितने विद्यालय चल रहे हैं, कितने शिक्षक हैं। इसका नतीजा क्या मिला है? माननीय, अभी पिछली छुट्टियों में मैं देहात गया था। वहां के लोगों ने, विशेषकर किसानों ने मुझसे कहा कि हमारे जितने बच्चे हैं वे पढ़ लिख गये हैं लेकिन वे अब खेती का काम नहीं करते हैं। इस तरह से वर्तमान शिक्षा ने युवकों को उनको निकम्मा और बेकार बना दिया है। उनके अभिभावक उनसे खुश नहीं हैं। आज माध्यमिक शिक्षक संघ हड़ताल पर हैं। वे परीक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। इससे लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में है। माननीय, माध्यमिक शिक्षक संघ निर्धन हो या धनवान, शिक्षा हमारी एक समान नारे को लेकर अमेठी में मार्च कर रहा है। उन्होंने वहां अपने सांसद से कहा है कि वे अपने बच्चों का देहरादून में पढ़ा रहे हैं उनको जनता के बीच में ले आयें, अमेठी में पढ़ायें अगर वहां के संसद सदस्य अपने बच्चों को अमेठी में ले आयें तो यह एक क्रांतिकारी कदम होगा और पब्लिक स्कूल स्वयं ही टूट जायेंगे।

इसी तरह से उच्च शिक्षा की स्थिति है। उच्च शिक्षा में भारी असन्तोष है। रेजीडेंशियल विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय महाविद्यालय के शिक्षक संघ ने हड़ताल की और चार सौ विद्यालयों के 15 हजार शिक्षक हड़ताल पर रहे। पठन-पाठन का कार्य ठप्प रहा। यहां पर चार प्रकार के विश्वविद्यालय हैं रेजीडेंशियल विश्वविद्यालय, उनसे सम्बद्ध महाविद्यालय, अल्पसंख्यक के विश्वविद्यालय और राजकीय महाविद्यालय। इन चारों प्रकार के विश्वविद्यालयों में नियमावली और चयन प्रक्रिया अलग-अलग है। इससे उच्च शिक्षा जगत में असन्तोष है। सम्बद्ध विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के लिये जो सेवा आयोग आपने गठित किया है इसकी चयन प्रक्रिया, अन्य आवासीय विश्वविद्यालय, अल्प संख्यक महाविद्यालय व राजकीय महाविद्यालयों की चयन प्रक्रियाओं से अलग है। इस कारण उच्च शिक्षा जगत में भारी असंतोष है। सभी की चयन प्रक्रियायें समान होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि चूंकि समय का है, आपको दुबारा भी मौका मिलेगा और बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, इसलिये अब आप समाप्त करें।

[समय 2 बजकर 56 मिनट]

श्री सरदार सिंह--

माननीय, युनिवर्सिटीज हमने बहुत खोल दीं लेकिन आर्थिक संसाधन नहीं बढ़ाये। सन् 1974-75 में रुहेलखन्ड विश्वविद्यालय, कुमायूं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, बुंदेलखन्ड विश्वविद्यालय खोले गये किन्तु उन्हें पैसा नहीं दिया गया। उनको ग्रान्ट नहीं दी गई। क्योंकि उनके पास दो करोड़ की पूंजी नहीं थी जिसकी वजह से यू0 जी0 सी0 ने उन्हें ग्रान्ट नहीं दी। इससे इन विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति डांवाडोल रही और शिक्षा का स्तर भी गिरता गया। सन् 1982-83 में उनके पास दो करोड़ की सम्पत्ति हुई। तब उन्हें यू0 जी0 सी0 की

ग्रान्ट मिली। सेवा आयोग में जातिवाद और भाई-भतीजावाद की शिकायतें मिली हैं। इसलिए महाविद्यालयों के शिक्षकों में बड़ा असन्तोष है। जो उच्च शिक्षा का आपने बजट बताया है उसका 85 प्रतिशत खर्च रेजीडेंशियल युनिवर्सिटीज में किया जाता है और बाकी महाविद्यालयों की शिक्षा पर 15 प्रतिशत ही खर्च किया जाता है जबकि 85 प्रतिशत छात्र इन विद्यालयों में ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये जो विसंगतियां हैं, समाप्त होनी चाहिए।

मान्यवर, शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है और हर व्यक्ति के जीवन से यह जुड़ा हुआ है। चाहे सत्ता पक्ष के हो या हम लोग हों, इसके बिना हमारा विकास नहीं हो सकता है और इसके बिना मानवता क विकास नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शिक्षा में सब के लिए एक जैसी आचार संहिता होनी चाहिए जिसमें एक जैसे नियम हों। शिक्षकों के कर्तव्यों और अधिकारों को उस आचार संहिता में दर्शाना चाहिए। उसमें परीक्षकों की ड्यूटी को भी संहिता का ही अंग मान कर संहिता में शामिल करना चाहिए। महामहिम राज्यपाल ने बरेली में एक बात यह कही थी कि हम शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। हमें आशा थी कि यह प्रणाली प्राथमिक शिक्षा से शुरू होगी लेकिन इस प्रणाली को उच्च शिक्षा से शुरू किया गया। गरीब खजाने से 5 लाख रुपये पिछली 10/11 फरवरी को निकाल लिए गये। लेकिन वह नई शिक्षा प्रणाली क्या दी, उससे इस प्रदेश की आम जनता को कोई भला होने वाला नहीं है। महमहिम के एक कृपालु मित्र थे, उनका भला कर दिया। महामहिम ने कहा था कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करेंगे लेकिन वह जोर दे रहे हैं उच्च शिक्षा पर। यह जो डा0 किराट जोशी नयी शिक्षा की बात कह रहे हैं उन्होंने जो किताब निकाली है वह क्या है उसका हमें पता नहीं है। वह हम लोगों को नहीं मिली है। इस विधान मंडल में वह नयी शिक्षा नीति क्या है जिससे क्रांति होगी, नहीं बताई गई है। हमें मालूम नहीं है कि वह क्या करने जा रहे हैं। केवल पैसे का दुरुपयोग हुआ है इसके लिए हमें मान्यवर, खेद है।

राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में हमारे यहां बहुत से महापुरुष हुए हैं। उनमें महाकवि रसखान हिन्दू मुसलिम एकता के प्रतीक माने जाते हैं। वह राजसी परिवार के युवक थे, उनके भाई बहन उनको बृज से लेने के लिए आये थे जब उनके मां-बाप बीमार थे। लेकिन वह नहीं गये, उन्होंने कहा कि मैं बृज को नहीं छोड़ूंगा और उन्होंने बृज में ही शरीर त्याग दिया। हमारे यहां बृज में उनकी समाधि बना हुई है। उसका आज दुर्दशा हो रही है। लोगों ने समाधि की जमीन पर कब्जा कर लिया है। माननीय मंत्री जी आपने सुलहकुल मनाया, रानी झांसी की स्मृति में समारोह किया। मैं निवेदन करूंगा जिन लोगों ने इनकी समाधि की जमीन को ले लिया है, उनसे उसे निकलवा दें। आजकल वहां चकबंदी चल रही है अतः यह काम आसान होगा। वहां पर भी इस महात्मा की याद में एक समारोह करें जिससे उसे सम्मानित किया जा सके।

हमारे जिले मथुरा में एक राजकीय इन्टर कालेज है, महाराजा भरतपुर ने इसे करोड़ों की सम्पत्ति दी थी। लेकिन उसका नाम हाल ही में परिवर्तित कर दिया है जिसका जानकारी न कांग्रेस कमेटी को दी गई न दूसरों को। विद्यालय का नाम एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर रख दिया है जो 420 आई0 पी0 सी0 की धारा में सजा काट चुका है उसने एक लाख रुपया आपको दे दिया बताते हैं लेकिन उसने अपने खाते में साढ़े तीन

लाख रुपया विखा रखे हैं। उस समारोह के लिए वर्तमान प्रौढ़ शिक्षा निदेशक जाने वाले थे। वहां की आम जनता ने एलान कर दिया है कि इस समारोह को नहीं होने दिया जायेगा और इस स्कूल का नाम नहीं बदलने दिया जायेगा। अगर बदला गया तो महाराजा सूरजमल के नाम पर रखा जाय। लेकिन खेद है विद्यालय का नाम बदल दिया गया। इसका विरोध वहां के सभी लोगों ने किया आपके कांग्रेस वालों ने भी किया।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य अपनी बात खत्म करें क्योंकि आपको लगभग 25 मिनट हो गये हैं।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसका पुराना नाम राजकीय इन्टर कालेज रहने दिया जाय या फिर महाराजा सूरजमल या महाराज भरतपुर के नाम से रखा जाय।

हमारे माननीय सदस्यों का कहना है कि महाविद्यालयों के शिक्षकों ने आपके अनुरोध पर अपनी हड़ताल वापस ले ली है। यह बहुत अच्छा निर्णय हुआ है इससे छात्रों का हित हुआ है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसी भावना से उनको कोई सजा न दें और जो एडहाक एप्वाइंटमट किये हैं चाहे दो महीने पढ़ाया हो या इससे भी कम उनको स्थायी कर दें। जो आपके आयोग में भ्रष्टाचार और जातिवाद की बू आने लगी है उसको भी देखें। कानपुर के भूतपूर्व वी० सी० के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बैठाई गई थी जिसके जांच अधिकारी राजस्व बोर्ड के एक सदस्य थे, इस मामले को करीब दो साल हो गये लेकिन उस रिपोर्ट का क्या हुआ और उन वी० सी० के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई? इसका हमें कोई पता नहीं लगा और जो वर्तमान वी० सी० हैं, उनके खिलाफ आज मुझे कानपुर के बहुत से लोग मिले मालूम हुआ कि वह भ्रष्टाचार के आरोप में निलम्बित रह चुके हैं, जब वे डी० जी० आर० थे। अब वह वाइस चांसलर बना दिये गये हैं। कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि शिक्षाविदों को ही कुलपति बनाया जायेगा, हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन कहीं ऐसा न हो कि सत्ता पक्ष के ही शिक्षाविदों को हमारी यूनिवर्सिटीज का कुलपति बना दिया जाय। वास्तव में शिक्षा में इससे आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा चूंकि वी० सी० का काम एडमिनिस्ट्रेशन का भी होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप शिक्षा में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलायें और जो हमारी आपकी प्रधान मंत्री हैं, जो उन्होंने गलती महसूस की है कि सबसे बड़ी गलती किया कि मैकाले की शिक्षा को रहने दिया और उसमें परिवर्तन नहीं किया जिसका नतीजा आज भुगतना पड़ रहा है। यदि यही शिक्षा पद्धति रहेगी तो इससे जातिवाद और साम्प्रदायिकता फैलेगी जो कि देश के हित में नहीं है।

मान्यवर, अब मैं हिन्दी संस्थान के बारे में कहना चाहता हूं कि जो वहां किताबें छप रही हैं वह बड़े घटिया किस्म की हैं और उनको कोई खरीदने वाला नहीं है। दो-तीन करोड़ रुपये से ज्यादा की किताबें हैं जो स्टोर रूम में पड़ी हैं और कोई खरीदने वाला नहीं है और उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसका मंत्री जी जवाब देंगे। मान्यवर, बहुत सी शिकायतें और पेपर की कटिंग मेरे पास हैं जो हिन्दी संस्थान के बारे में मिली हैं।

मान्यवर, मंत्री जी जवाब देते समय भाषा के सम्बन्ध में भी कुछ कहें चूंकि प्रोफेसर वासुदेव सिंह का मेरे पास भाषण है। इन्हीं शब्दों के साथ

में अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री सच्चिदानन्द--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने शिक्षा के बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया ।

मान्यवर, अभी कुछ दिन पूर्व मा0 शिक्षा मंत्री जी ने यह बात कही थी कि जब द्वितीय विश्वयुद्ध चल रहा था तो उस समय इंगलैन्ड हर बजट को कटौती हुई लेकिन एक बजट ऐसा था जिसमें कटौती नहीं हुई और वह था शिक्षा का । मा0 शिक्षा मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया जिसमें कुछ कटौती उन्होंने की और जो कुछ बचा था उसमें हमारे मा0 सदस्य ने कहा कि केवल एक रुपया कर दिया जाये, तो यह कहकर उन्होंने पूरी कटौती कर दी । आवश्यकता थी उन्हें यह कहने की कि यह बजट नाकाफी है और बजट बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन कटौती की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मान्यवर, मैं इसी अवसर पर मा0 शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं, बधाई इस बात की कि कुछ निर्णय और कुछ निश्चय उन्होंने किये है और कुछ प्रयास भी किये हैं, उस दिशा में आगे बढ़ने की जिससे शिक्षा के संबंध में जो हमारे दल की नीति है कि आगे बढ़ा जाये ।

मान्यवर, पूर्वांचल में टी0 'वी0 द्वारा बच्चों की शिक्षा का प्रबंध की घोषणा स्वागत योग्य है। उसी के साथ 1980 के पूर्व हमारे प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों की मरम्मत के लिये जहां 20 लाख रुपये का प्राविधान था उसमें शनैः शनैः वृद्धि हुई और पहले एक करोड़ एवं इस वर्ष 3 करोड़ रुपये से ऊपर का प्राविधान इन विद्यालयों की मरम्मत के लिये किया गया है । यह संकेत है उनके इरादे का कि वह प्राइमरी स्कूल के जो विद्यालय हैं, उनके भवनों मे सुधार वह लाना चाहते हैं । मान्यवर, इस प्रकार एक व्यवस्था बनी थी कि जो भी प्राइमरी स्कूल हमारे खुले होंगे, वह भवन सहित खुलेंगे, यह वर्तमान सरकार की नीति रही है । लेकिन उसी के साथ एक अनुरोध भी करना है कि जब गवर्नमेंट हाई स्कूल नये खुलते हैं तो वह भी इसी तरह से खुलें कि स्कूल के साथ साथ भवन की स्वीकृत हो । शायद इसकी व्यवस्था अभी हो नहीं पाई है ।

मैं समझता हूं कि इस पर विचार निश्चित रूप से माननीय शिक्षा मंत्री जी करेंगे ।

टेक्सट-बुक्स की स्क्रीनिंग के सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री ने संकेत दिया है, मुझे विश्वास है कि इस सम्बन्ध में आवश्यकता इस बात की है कि न केवल टेक्सट-बुक की स्क्रीनिंग की जाए, वरन वह देखने की भी आवश्यकता है कि कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों पर जो पुस्तकीय बोझ पड़ता है, उसमें किस प्रकार कमी की जाए । आज इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि उन पुस्तकों में अधिक से अधिक ज्ञान शामिल करके उस कक्षा के विद्यार्थियों को प्रस्तुत की जाएं । इस सुझाव को शिक्षा मंत्री जी जरूर महसूस करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है । हिन्दी भाषा के प्रोत्साहन के लिए जो 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, निश्चित रूप से वह स्वागत योग्य कदम है और हिन्दी के प्रति उनकी जागरूकता और राष्ट्रभाषा हिन्दी को समृद्धशाली बनाने के संकल्प का द्योतक है । इसके लिए मैं शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना अपना धर्म समझता हूं ।

हायर एजुकेशन के सम्बन्ध में एक निवेदन यह है कि शासन ने निश्चय किया है कि लखनऊ में जो एफिलिएटेड कालेजेज हैं, उनमें हायर एजूकेशन की

व्यवस्था होगी, लेकिन आज तक लखनऊ विश्वविद्यालय इस बात की योजना नहीं बना सका कि उनमें स्नातकोत्तर कक्षाओं की पढ़ाई प्रारम्भ की जाए। विशेष रूप से इस बात को करना चाहूंगा कि आज भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जो सहशिक्षा को पसन्द नहीं करते हैं, इसलिए उनकी लड़कियां गर्ल्स कालेजों में पढ़ सकें अतः वह गर्ल्स कालेजों में एम0 ए0 की शिक्षा की व्यवस्था करें। माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और लड़कों तथा लड़कियों को अलग-अलग हायर एजूकेशन दिलाने की व्यवस्था करें। मैं एक बधाई शिक्षा मंत्री को देना चाहूंगा, कल जब मैं हाउस में आ रहा था, डिग्री कालेजों के अध्यापक बन्धु मुझे मिले थे, वह बहुत प्रसन्न थे और कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री से हमारी बात हो गई है और उन्होंने हमारा मांग मान ली है, उन्होंने हमारी मांगों का समर्थन किया है। यह एक बहुत अच्छी बात है। आपसे निवेदन करूंगा कि इसी तरह से आप हायर सेकेन्डरी स्कूलों के अध्यापकों के साथ बैठकर आप कोई अच्छा और सम्मान-जनक रास्ता निकाल लें, जिससे अध्यापकों और शासन के बीच में समुचित ताल-मेल स्थापित हो सके और जो परम्परा रही है समय से परीक्षायें होने की वह यथावत् बनी रहे।

मान्यवर, समय से परीक्षा होना बहुत आवश्यक है। जो साथी उधर आज बैठते हैं उनकी कृपा से हमारी शिक्षा व्यवस्था में इस तरह का गतिरोध पैदा हुआ था कि अप्रैल की परीक्षाएं कभी जून में, कभी जुलाई में और कभी अगस्त में हो पाती थी। लेकिन 1980 के बाद शासन का प्रयास रहा है कि समय से परीक्षायें हों और वह इस प्रयास में सफल भी हुई है। उसी परम्परा को बढ़ाते हुए माननीय शिक्षा मंत्री ने जो अभी घोषणा की है कि इस वर्ष भी समय से परीक्षाएं होंगी, उससे मुझे भी बहुत प्रसन्नता है और उसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई भी दूंगा। जो उन्होंने समय से परीक्षाओं के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। वह चलता रहे, जिससे छात्रों का भविष्य उज्जवल होता रहे। इसके साथ में शिक्षा के इस बजट का समर्थन और स्वागत करता हूं।

*डाक्टर शिवानन्द नौटियाल---

माननीय अधिष्ठाता जी, मैंने बड़ी गम्भीरता से माननीय शिक्षा मंत्री जी के भाषण को सुना

(व्यवधान)

विचार भी करता हूं, परन्तु मुझे ऐसा लगा कि उनके भाषण में जैसी गम्भीरता शिक्षा को नया स्वरूप व नई दिशा देने के लिए और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश को नया सन्देश देने के लिए होनी चाहिए, वह कतई नहीं है। उनके शिक्षा विभाग में आने से प्रदेश को ऐसा लग रहा था कि अम्मार रिजवी जैसे शिक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, उनके आने से शिक्षा की रीति-नीति में, कार्यप्रणाली में नये सिरे से परिवर्तन होगा और उसे नया स्वरूप प्रदान होगा, परन्तु इससे घोर निराशा ही व्याप्त हुई है। मान्यवर, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ आज हमारे पास है और जो शिक्षा विभाग की स्थिति है वह सुव्यवस्थित नहीं है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि शिक्षा विभाग में आज तक कोई सेवा नियमावली तैयार नहीं हो पायी? जब सेवा नियमावली ही नहीं, तो अध्यापकों के साथ न्याय कैसे हो पायेगा?

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। अभी तक प्रान्तीयकृत विद्यालयों के अध्यापकों के नियमितिकरण का मसला लटका हुआ है, वह हल नहीं हुआ है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय, बहुत से अध्यापक रिटायर हो चुके हैं, कुछ तो रिटायर होने के बाद मर भी गये हैं, पर अभी तक उनको पेन्शन का मामला पड़ा हुआ है। उनको पेन्शन नहीं मिली है। विभाग के लिए यह कितनी बड़ी निराशा की बात है। इस ओर माननीय शिक्षा मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए।

हमारे यहां के लिए एक पृथक् पर्वतीय संवर्ग बना दिया गया। पर वहां पर 60 प्रतिशत अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं जब कि 20 तारीख से परीक्षायें होने जा रही हैं। गढ़वाल डिवीजन में माननीय, 48 हाई स्कूल के प्रधान ध्यापकों के पद, 85 इंटर कालेजों के प्रधानाचार्य के पद, 32 इंटर के लेक्चरर्स के पद, 115 एल0 टी0 वेतन क्रम के पद और 31 एस0 डी0 आई0 एस0 के पद रिक्त हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद् में जनपद अल्मोड़ा में तथा अन्य पर्वतीय क्षेत्र में लगभग 2500 पद प्राइमरी अध्यापकों के रिक्त हैं। । इन रिक्तियों को अभी तक नहीं भरा है।

माननीय, बाहर से जो अध्यापक भेजे जाते हैं, वे जहां भेजे जाते हैं वहां की भाषा व बोली को नहीं समझ पाते हैं। आप समझ सकते हैं कि वे फिर पढ़ा क्या पाते होंगे? इसके कारण बालक अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं।

माननीय, मेरा एक अनुरोध यह है कि आप हमारे यहां बी0 टी0 सी0 के कालेज खोल दीजिये। इनके बन्द कर देने से बड़ी असुविधा हो रही है।

मैंने पिछले वर्ष भी शिक्षा विभाग का एक मामला उठाया था कि सार्टी-फिकेट बेचे जा रहे हैं। अम्बाला में एक गैंग पकड़ा भी गया था। माननीय शिक्षा मंत्री जी को इसके लिए बधाई भी देना चाहता हूं कि इस दिशा में कुछ सुधार हुआ है। माध्यमिक शिक्षा परिषद् में जिस प्रकार की दुकानदारी चल रही थी, उसमें पिछले एक साल में कुछ कमी आयी है। उसमें कुछ सुधार हुआ है। हम उसके लिए आपके साथ हैं। पर इसी तरह का सुधार आप परीक्षाओं में भी कराइये।

आपका ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहता हूं। आज 8-8 साल से हाई स्कूल और इंटर के सर्टीफिकेट नहीं मिले हैं। माननीय, राम, कृष्ण, गौतम की जन्म भूमि उत्तर प्रदेश है माननीय, यह कला और संस्कृति का प्रदेश है और मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री जी ने इसके लिए बजट बहुत कम रखा और जो रखा है, उसमें कोई दिशा निर्देश नहीं है। हमारे यहां की जो कला और संस्कृति है, उसको और ज्यादा परिपक्व करने के लिए आप कदम उठायें। जैसा कि राजस्थान में और गुजरात में अनेक प्रकार की ध्वनियों को सुरक्षित करने का कार्यक्रम बनाया गया है यहां पर भी उसी प्रकार का कार्यक्रम बनाया जाय। मूर्तियों के लिए जैसा आपने म्यूजियम कुमायूं मंडल में बनाया है उसी प्रकार से गढ़वाल मंडल में बनायें। कोटद्वार से लेकर बद्रीनाथ तक तमाम, अनेकों प्रकार की मूर्तियों का खजाना है। मैठाणी, गढ़वाल में एकमात्र राहु का मंदिर है।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपनी बात समाप्त करें।

(समय 3--17 अपराह्न)

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल---

मैठाणी, गढ़वाल मे जो रहु का मंदिर है उसके बारे में मैंने कई बार लिखा कि कार्यवाही करें लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जब काम ही नहीं हो रहा है तो कटौती ही अच्छी है।

मेरा निवेदन है कि उसको अपनी व्यवस्था में लेने की कार्यवाही करें।

*डाक्टर जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती'--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा जो अनुदान रखे गये हैं, उन पर बोलने का अवसर दिया माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो अनुदान मांगे हैं, उसमें 4 भाग हैं, ऐसा मैं समझता हूं । राष्ट्रीय एकीकरण, सांस्कृतिक कार्य और संसदीय कार्य भी इसमें है । प्रायः सभी माननीय सदस्यों ने केवल शिक्षा पर ही विशेष विचार प्रकट किए हैं और हमारे माननीय सदस्य, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उनको मैंने सुना उसमें प्रस गायब है सिर्फ ताव ही ताव दिखाई पड़ा। वह कोई विशेष लक्ष्य की ओर इंगित नहीं कर सके कि कहां पर क्या करना है । मैंने डाक्टर नौटियाल साहब की बातों को सुना । बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी बातें कहीं । वह तो डाक्टर हैं शिक्षा तो ऐसा विषय है जिस पर अशिक्षित आदमी भी एक घंटे बोल सकता है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से 2-3 बातों को कहना चाहता हूं । पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि सन् 1946 से लेकर आज तक, जो शिक्षा का बजट बढ़ा है, जो विरवा लगाया गया था, आज वह फलने-फूलने लगा है । मैं एक शेर इस पर आपको समर्पित कर रहा हूं --

जो पेड़ मैंने लगाया था
अपने हाथों से,
अब उनकी छाया में
मैं सर झुकाकर चलने लगा।

तो मान्यवर, जो पेड़ हमने लगाया था उसकी छाया में हम चलने लगे हैं । मान्यवर, शिक्षा के सम्बन्ध में 2-3 बातें हैं । मैं उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि 'जेहि विनु काज दाहिने बायें', बहुत जोर से शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात कही । राष्ट्रीयकरण सुनने में बहुत अच्छा लगता है । मेरा मत है कि शिक्षा कोई फैक्टरी नहीं है । राष्ट्रीयकरण और सरकारीकरण का जो स्वरूप फैक्टरियों के लिये है यदि वह शिक्षा के साथ लागू किया जायगा तो यह अच्छा नहीं होगा । मेरा व्यक्तिगत अनुभव है । अकबरपुर इंटरमीडियेट कालेज लड़कियों का स्कूल है, वह सरकारी स्कूल है । मैं लिखते-लिखते हार गया लेकिन वहां विज्ञान की अध्यापिका नहीं पहुंचीं । और न कोई प्रिंसिपल पहुंची । यह नहीं है कि केवल सरकारी मशीनरी का दोष है, इसमें कहीं न कहीं हम दोषी हैं । कहीं नाम आया होगा तो 2-4 विधायकों ने लिख दिया होगा कि इनका ट्रांसफर रोक दिया जाय । तो वहां साइंस पूरे वर्ष तक पढ़ायी नहीं गयी और परीक्षायें होने जा रही हैं । तो यह जो सरकारीकरण की व्यवस्था है, इससे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं ।

मान्यवर, नैतिक शिक्षा के बारे में मैं बड़े नम्र निवेदन के साथ अपनी बात कहना चाहता हूं कि नैतिक शिक्षा कोई गणित और भूगोल नहीं है जिसको हर आदमी पढ़ा दे । गणित में दो दूनी चार हर आदमी जानता है, लेकिन नैतिक शिक्षा वही दे सकता है, जो स्वयं में नैतिक हो । सन्त और महात्मा ही नैतिक शिक्षा देने के अधिकारी हैं । मैं स्वयं अध्यापक हूं । मैं यह समझ लूं कि बच्चे पाप और अज्ञान की मूर्ति हैं, यह उचित नहीं है । अपने आचरण के द्वारा नैतिक शिक्षा दी जा सकती है । एक सांस्कृतिक बात आई है । सांस्कृतिक शब्द जो है, यह संस्कृति से बना है । संस्कृति ही आदमी को आगे बढ़ाता है । माननीय मंत्री ने पूर्वी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की है । तो पूर्वी उत्तर प्रदेश

*वक्ता से भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की संस्कृति ही कुछ ऐसी है, जो प्रगति म बाधक है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश को पिछड़ा बनाने में सहायक है। गांव के लोगों की यदि संस्कृति बदल जाय, तो वह स्वयं ही एक प्राइमरी स्कूल सुन्दर ढंग से चला सकते हैं। इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं पुनः एक बार माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं, जो उन्होंने शिक्षा का बजट प्रस्तुत किया है।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके प्रति आभारी हूं जो आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। मान्यवर, शिक्षा का बजट और डाक्टर अम्मार रिजवी जिस विभाग के मंत्री हैं ऐसा नीरस और बेजान का भाषण जो उन्होंने दिया है उससे लगता है कि उनके मन में कुंठा है। अध्यापक होने के नाते यह सरकार अध्यापकों के प्रति, चाहे वह प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हों, चाहे हायर सेकेन्डरी स्कूल के अध्यापक हों चाहे डिग्री कालेज के अध्यापक हों उनके प्रति सरकार का क्या रवैया है, इस प्रदेश के इतिहास में कोई भी वर्ष नहीं रहा होगा, जबकि प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक के अध्यापक एक साथ अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर न आ गये हों और पूरे प्रदेश का शैक्षिक वातावरण अस्त-व्यस्त न हो गया हो। उनकी विवशता का जितना शोषण इस सरकार ने किया है, आन्दोलन में जिस प्रकार घृणित हथकंडों का इस्तेमाल किया उसमें प्रशासकीय स्तर से न्यायालय तक चले गये। उससे शर्म से माथा झुक जाता है और उससे यह भी सिद्ध होता है कि यह सरकार अपने अधिकारों के लिए आंदोलित अध्यापकों को दबाने के लिए किस हद तक जा सकती है।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम प्रारम्भिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने कितने प्राइमरी स्कूल एक ब्लाक के लिए दिये हैं। स्पष्ट रूप से इसका माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। इस प्रदेश में जो 800 से अधिक ब्लाक हैं। उसमें वे कितने स्कूल प्रत्येक ब्लाक को दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी का कहना है कि 300 की आबादी वाले गांव में एक प्राइमरी स्कूल देंगे। अगर इनका बजट भाषण सत्य है, तो बजट पुस्तिका असत्य है, क्योंकि उसमें इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं दिखाया गया है। अगर बजट पुस्तिका सत्य है, तो इनका बजट भाषण नितांत असत्य है। मान्यवर, आज भी ऐसे उदाहरण हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भटावां उर्फ तरकुलवा, विकास क्षेत्र परताल और मिर्जापुर पकड़ी विकास क्षेत्र घुघली में 30 साल से प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं और उनका भवन नहीं बना। लड़के पेड़ों के नीचे पढ़ रहे हैं। बरसात के चार महीनों में स्कूल बन्द रहता है। मान्यवर, वहां पर छप्पर भी नहीं है और अध्यापक भी जाते ही नहीं हैं। कागज में हैं, लेकिन न भवन है और न अध्यापक वहां पर हैं। मान्यवर, वहां पर टाट-पट्टी और श्यामपट तक भी नहीं है।

मैंने इसके पहले भी जब 74 में आया, तो कहा था कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को अपनी तहसील के बाहर रखा जाय। उनको स्थानांतरित किया जाय और उनको आवासीय भत्ता भी दिया जाय और उनकी वेतन-वृद्धि भी दी जाय। लेकिन वह सुनिश्चित किया जाय कि वे अपनी तहसील में न रहें। इससे प्राइमरी कक्षाओं का शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा। जब से प्राथमिक शिक्षा जिला परिषदों से बेसिक शिक्षा परिषद् में चली गयी है, तब से इसकी दुर्दशा और हो रही है, क्योंकि इन पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनप्रतिनिधियों का कोई नियन्त्रण रहता ही नहीं । आज बेसिक शिक्षा परिषद पर न तो सरकार का कोई अंकुश है और न जनप्रतिनिधियों का है और यही कारण है कि प्रदेश के प्रत्येक बेसिक शिक्षा परिषदों में अध्यापकों का लाखों रुपया भविष्य निधि का गायब है । और यही वजह है कि कोई बेसिक शिक्षा परिषद नहीं है, जहां अध्यापकों के लाखों रुपये प्राविडेन्ट फन्ड और वेतन के घोटाले में न चल रहा हो । वह पैसा कहां पड़ा हुआ है, यह शिकायत हर जिले से आ रही है ।

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा की जो नीति है, जब तक कोई नीति नहीं बनेगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है । आचार्य नरेन्द्र देव कहते थे कि शिक्षा फिलासफी आफ लाइफ शिक्षा जीवन दर्शन है । मैं जानना चाहता हूं, माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में किस दिशा का संकेत दिया है ? समाजवादी शिक्षा का संकेत किया है, सब के लिये समान शिक्षा का अवसर देंगे । आप कहेंगे कि केरल में ऐसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट में चले गये । उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात के लिये कटिबद्ध है, केन्द्र सरकार से निवेदन यह सरकार करेगी, संस्तुति भेजेगी समान शिक्षा के अवसर का । एक प्रकार की शिक्षा हो, चाहे बड़े का लड़का हो, या हरिजन का लड़का सब एक विद्यालय में पढ़ेंगे । जो तमाम पब्लिक स्कूल चल रहे हैं, उनको समाप्त किया जाय । जब तक पब्लिक स्कूलों को समाप्त नहीं किया जायेगा तब तक पढ़े लिखे नौकरशाहों के लड़के दूसरी जगह पढ़ेंगे और किसान और मजदूर के बच्चे दूसरी जगह पढ़ेंगे । जब तक यह विसमता रहेगी और किसी सिद्धान्त की बात नहीं कर सकते हैं और समाज को जिस तरफ आप ले जाना चाहते हैं, नहीं ले जा सकते हैं ।

एक बात और कहना चाहता हूं । माननीय साकेतो जी ने शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात कर दी । यह शर्म और लज्जा की बात है कि जो सरकार अपने को सेन्टरिस्ट कहती है वह सेन्टरिस्ट से राइटिस्ट की तरफ रही है । इसीलिये राष्ट्रीयकरण जो पूर्व प्रस्ताव से मुकर गयी । शिक्षा का सारा पैसा सरकार देती है लेकिन विद्यालयों का प्रबन्ध अंगूठा लगाने वालों के हाथ में होता है । वह अध्यापकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह हम सब जानते हैं । हमारे यहां महराजगंज डिग्री कालेज है जहां 25 लाख रुपये का गबन है ।

श्री अधिष्ठाता --

माननीय सदस्य का समय समाप्त हुआ ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

अगर आप शिक्षा जगत में शान्ति चाहते हैं, तो जो संविधान मौलिक अधिकार यूनियन और संघ बनाने के मिले हुए हैं, उसके तहत डिग्री कालेज, यूनिवर्सिटी आदि में जहां छात्र यूनियन या संघ बनाना चाहता है, उसको बनाने की इजाजत आपको देनी चाहिये । मैं इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल प्रदान करता हूं ।

श्री राम कुमार भार्गव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो शिक्षा का बजट रखा है, इसका हृदय से स्वागत करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । जब कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा तो शिक्षा नीति की बात चलायी थी और उन्होंने हमारे प्रधान मंत्री का उदाहरण भी दिया । शिक्षा विषय पर बहुत चर्चा हुई लेकिन नीति के बारे में चन्द बात कहना चाहता हूं । क्योंकि समय बहुत कम है । मैं आपका ध्यान पुराने इतिहास की ओर ले जाना चाहता हूं । जो यहां पुराने लोग बैठे हैं, वह जानते हैं जब सन् 1936 में सबसे पहले चुनाव हुआ 11 प्रदेश में और

कांग्रेस उसमें जीती थी। वर्धा में गांधी जी ने एक शिक्षा शास्त्रियों की बैठक बुलाई थी और उसमें एक नई तालीम का सूत्र रखा था। अफसोस की बात है कि जो नई तालीम का सूत्र रखा गया था, आज की किताबें उसके बारे में क्या कह रही हैं, इस पर मैं बाद में आऊंगा। इसके क्रियान्वयन करने के लिये एक कमेटी बनी जिसके अध्यक्ष डाक्टर जाकिर हुसैन थे और सदस्य विनोबा भावे काका कालेलकर साहब, मशरूवाला आदि बड़ी मशहूर एवं शिक्षा शास्त्री हस्तियों में थे उस कमेटी में नई तालीम को सर्वसम्मति से पास किया और इसको लागू करने के कदम उठाये गये। 1939 में किन्हीं कारणों से कांग्रेस को इस्तीफा देना पड़ा। 1947 में हम आजाद हुए। उत्तर प्रदेश में श्री सम्पूर्णानन्द जी ने उसको लागू करने की कोशिश की वह नहीं चली। अफसोस है आज जो अध्यापक ट्रेनिंग देते हैं उनकी कोर्स की किताब में लिखा है नयी तालीम के बारे में कि बड़ी अव्यावहारिक है इससे शायद आजाद देश में अव्यावहारिकता पैदा हो गई है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य आपस में जोर से बात न करें।

श्री राम कुमार भार्गव--

मान्यवर, माननीय शिक्षा मन्त्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना है उस नीति के बारे में पुनः विचार कर लें और कम से कम किताबों से उस तरह के शब्दों को हटा दें। क्योंकि बहुत से विद्वानों ने किताबें लिखी हैं जिसमें उस शिक्षा नीति की तारीफ की है आज देश में शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, शायद ही किसी देश में हमसे ज्यादा बेरोजगार युवक हों। अशान्ति बढ़ती जा रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा में नई शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हो। नये वातावरण की शुरुआत हो। नयी शिक्षा प्रणाली पर जो दोष हैं, उनको हटा दिया जाय। माननीय शिक्षा मन्त्री हमारे प्रिंसिपल रहे हैं। मान्यवर, आप भी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं। आज उ० प्र० के अन्य विश्वविद्यालयों में यूनियन बनी हैं लेकिन आज लखनऊ विश्वविद्यालय में करीब चार साल से चुनाव नहीं हुए हैं। अन्याय हो रहा है। छात्रों के प्रति। इस पर माननीय शिक्षा मन्त्री जी ध्यान दें।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मान्यवर, आज जो शिक्षा का बजट पेश किया गया है मैं उसके कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि प्राइमरी शिक्षा जो हमारी प्रायः समाप्त हो गयी है और शिक्षा का कोई औचित्य नहीं रह गया है। हमारे यहां विद्यालय में लड़कों के बैठने के लिए कोई टाट पट्टी और न कोई भवन हैं। अध्यापक हैं लेकिन इन अध्यापकों का प्रयोग ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं परिणाम यह हो रहा है कि शिक्षा में समानता नहीं आ रही है। इस प्रदेश में शिक्षा की समानता की आवश्यकता है। मान्यवर, 34 दिन हमारी हड़ताल चली उसमें मैं कहना चाहता हूं कि यह दीदी ने प्रोत्साहित किया था। शिक्षा मन्त्री विचार करेंगे। यह वचन दिया था। मान्यवर, दीदी ने भाषण दिया था...

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

दीदी से हम समझ नहीं पा रहे हैं यह कौन हैं?

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

दीदी का मतलब श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी से है। मान्यवर, 25 मई 1979 को अपने भाषण में कहा था उसका उद्धरण मैं दे दूं। "मैं रूस गई थी वहां क्रान्ति हुई उसके बाद शिक्षा में परिवर्तन किया गया और शिक्षा का

राष्ट्रीयकरण किया गया। रूस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है।" यह इनका भाषण है लिखित रूप से है। तो इनकी मंशा के अनुसार मैंने एक सवाल उठाया आज हमारे प्रदेश की जनता हमसे पीछे है। आपके लड़कों में और हमारे लड़कों में पढ़ाई में अन्तर है। जैसे प्रिंसिपल के लड़के हैं वह बड़े-बड़े स्कूलों में पढ़ कर बड़े हो रहे हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं, मान्यवर कि जब शिक्षा का पूरा उत्तरदायित्व 510 करोड़ रुपया वेतन में खर्च हो रहा है, प्रबन्धकों का कोई हिसाब नहीं है तो क्या कारण है कि राष्ट्रीयकरण करने से कतराते हैं। जबकि आपकी नेता, श्रीमती इंदिरा गांधी ने गोरखपुर में कहा था कि मैं आपके साथ हूं, मेरा शासन आएगा तो मैं साथ दूंगी। मगर अफसोस की बात है कि जो सहायता करनी चाहिए थी, शासन ने वह सहायता नहीं की। हमने अध्यापकों का प्रयोग अपने हित में जनता पार्टी के शासनकाल में कर लिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, मुझे अफसोस है, तकलीफ है कि इस सदन में कहने का कोई प्रभाव नहीं है। जनता यह समझती है कि हमारे विधायक जायेंगे और हमारी भावनाओं से अवगत करायेंगे सदन की ओर से उस पर कार्यवाही होगी, लेकिन मैं विश्व सपूर्वक कहना चाहता हूं कि देवरिया के एक कालेज बाबा राघवदास पी0 जी0 कालेज में घपले के बारे में मैंने इस सदन को सूचना दी थी, भाषण किया था और बताया था कि यहां पर 3-4 लोगों द्वारा एक कमेटी द्वारा जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी हैं, यह हो रहा है। दो साल की सूचना है। अम्मार साहब की जानकारी में है। आश्चर्य है कि ये स्वयं प्रिंसिपल रह चुके हैं।

एक स्कूल में एक ही समय में तीन प्रिंसिपल हैं। इसकी जानकारी स्वयं अम्मार साहब को है। इसकी जानकारी के लिए ग्रेड बैठा दें। एक दिन एक प्रिंसिपल देखता है, दूसरे दिन दूसरा देखता है और तीसरे दिन तीसरा। तीनों एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। वहां 120 की जगह 229 एडमिशन हुए बी0 एस-सी0, ए0 जी0 पार्ट-1 में, पांच हजार रुपया लेकर हुए हैं। वहां पर कलेक्टर ने दो कमेटियां बना दी हैं। दोनों आपस में लड़ती रहती हैं। बी0 सी0 जानता है। सब जानते हैं। प्रयोगशालाएं बन्द हैं, पढ़ाई हुई नहीं और परीक्षाएं होने वाली हैं। लड़कों के भविष्य का क्या होगा यह सरकार नपुंसक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस सरकार में इसके अधिकारियों में कोई नैतिकता नहीं है। बी0 एस0 सी0, ए0 जी0 के एडमिशन में रुपये लिये गये कोई कार्यवाही नहीं हुई। राष्ट्रीयकरण के लिये 34 दिन हड़ताल हुई। प्रयोगात्मक परीक्षा हुई नहीं परीक्षाएं कराने जा रहे हैं।

मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण करें लड़कियों के जो केन्द्र स्थानान्तरित कर दिये हैं, उनको अपने केन्द्रों पर ही रखा जाय। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आज विधान सभा में जो आदमी चाहे जो कुछ कह ले जिसको जो हंसियत हो कह ले, सुन ले, लेकिन इस शासन के रहते शिक्षा क्या किसी विभाग का कोई काम नहीं होगा। आप चिल्लाते रहिये। इस विश्वास के साथ कि कोई परिवर्तन की उम्मीद इस शासन से अपेक्षित नहीं है।

श्री ए0 सी0 ग्राइस--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मौका दिया बोलने के लिये, मुझे इसमें केवल दो सुझाव रखने हैं। मैं इसकी कमेटी का मेम्बर हूं और मुझे मालूम है कि शिक्षा आज सिवाय नीचे जाने के और कुछ नहीं हो रहा है। मैं सरकार को यह सुझाव दूंगा कि जो डिवीजन्स हाई स्कूल में या अन्य में फर्स्ट डिवीजन, सेकेन्ड डिवीजन देते हैं, इसको खतम कर दें। इसकी ग्रेडिंग होनी चाहिये। इसलिये होनी चाहिए कि जो बच्चे साइन्स के हैं, आर्ट्स के

हैं, 5-6 सब्जेक्ट्स कम्पलसरी होते हैं, तीन में छात्र को अच्छे मार्क्स मिले और बाकी में खराब मिले, इसके कारण डिवीजन खराब हो जाती है। साइन्स के जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, हिन्दी या आर्ट्स के दूसरे सब्जेक्ट में उनको मार्क्स कम मिलते हैं। मेरा यह सुझाव है कि उनको ग्रेडिंग हो जाय। यह हो जायगा तो जो लड़के अच्छे साइन्स के हैं आर्ट्स के हैं, जो यूनीवर्सिटी हैं, उसमें चले जायेंगे। यह जो आजकल है, इससे वे मिसफिट हो जाते हैं, इससे उनकी मेंटल एबिलिटी नहीं पता हो पाती है मैं एक चीज और सोचता हूं कि कन्सटीट्यूशन में हरिजनों और बैकवर्डस के लिए जो रिजर्वेशन है, उसे आप वेटेज के रूप में लें ताकि एकजामिनेशन में सबको 10 परसेन्ट, 15 परसेन्ट और 20 परसेन्ट का वेटेज दो जाय। आज 30 साल से ज्यादा हो गया है, शिक्षा का स्तर नीचे गिरता चला जा रहा है।

तीसरा सुझाव मेरा यह है कि जो यह एम0 एस0 एस0 है, इसे तोड़ दिया जाय, क्योंकि आज इनकी मेहरबानी से हाई स्कूल बोर्ड के इम्तिहान चौपट हो गये हैं। चूंकि मैं इसका मेम्बर हूं और इसे भली भांति जानता हूं। ये लोग कहते हैं कि नेशनलाइजेशन का झण्डा लेकर चलें। कांस्टीट्यूशन में आर्टिकल 30 में लिखा है कि "एवरी कम्युनिटीज बेस्ड आन दि लैंगवेज एण्ड रिलीजन," उसे अपनी बात कहने का अधिकार है, चाहे वह मुसलमान हो, सिक्ख हो या फिर क्रिश्चियन। जिस तरह से आज नेशनलाइजेशन की बात की जा रही है उस तरह से नेशनलाइजेशन नहीं हो सकता है। क्या फाइट के शक्ल में हम इसे करें? नेशनलाइजेशन केवल मैजोरिटी के स्कूलों में हो सकता है और यह स्कूल हैं सरकार के? प्राइवेट स्कूल हैं, मुसलमानों के, सिक्खों के और क्रिश्चियन के हैं। एम0 एस0 एस0 के के लोगों को डिस्ट्रेन्ड करना चाहिए और उनको अक्ल करनी चाहिए।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय शिक्षा मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत शिक्षा राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक बजट अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव माननीय श्री सरदार सिंह जी ने रखा है, उसके पक्ष में बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, राष्ट्रीयकरण को देख कर ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष समूचा राष्ट्रीयकरण के खिलाफ है और राष्ट्रीयकरण आज की परिस्थितियों में उचित नहीं लगता है। तो जिस जनवाद को आप आधारशीला रखे हुए हैं तो क्या उस आधार पर शिक्षा का जनवादीकरण नहीं हो सकता है? आज जो यह मैनेजमेन्ट है, जो चार लाख या 5 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करता है और सरकार का अनुदान पाकर खर्च करता है, आज जब उसका चुनाव होता है काफी विवाद पैदा होता है और सरकारी अधिकारी उसम हस्तक्षेप करके मैनेजर को बदलते रहते हैं, इससे शिक्षा का कल्याण नहीं हो सकता है। अगर जनवादीकरण कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से आंशिक रूप में उस पर ग्राम प्रधान का प्रभाव पड़ेगा। आज गांव में ग्राम प्रधान किसी टीचर को एबसेन्ट नहीं कह सकता है और न ही रिपोर्ट लिखकर दे सकता है और न ही शिकायत कर सकता है और यदि वह करता है तो उसकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि शिक्षा का जनवादीकरण अवश्य होना चाहिए और उसके लिए बाइलाज बनाये जाने चाहिये। उसमें इस बात का प्राविधान कर दिया जाना चाहिए कि कोई भी आदमी इतना पैसा देकर उसका मेम्बर बन सकता है, जो कुछ भी आपकी स्कीम मैनिफिस्टेशन हो। उसके लिए एक

रजिस्ट्रर इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के कार्यालय में खोल दिया जाना चाहिए, जिसको आवश्यकता हो, वह वहां से ले सकता है । इसी प्रकार हाईस्कूल और हायर सेकेन्डरी स्कूल्स के लिए भी चुनाव होने चाहियें । इसमें न तो किसी कम्युनिटी को खतरा पैदा होता है, न किसी धर्म को खतरा पैदा होता है और न ही कोई बात होती है, सिर्फ एक डेमोक्रेटिक तरीके से शिक्षा पर जनता का असर बढ़ता है । निश्चित ही इससे जनता का असर बढ़ेगा और शिक्षा में सुधार होगा । आज जितने गार्जियन्स के बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको शिक्षा में कोई भागीदारी नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है । निश्चय ही, कलेक्टर के बच्चे पब्लिक स्कूल्स में जाते हैं, डायरेक्टर के बच्चे पब्लिक स्कूल्स में भेजे जाते हैं, डिप्टी डायरेक्टर के बच्चे पब्लिक स्कूल्स में भेजे जाते हैं, वे और समाज के आगे कहे जाने वाले व्यक्ति, एम० एल० ए०, एम० पी० हैं, उनके बच्चे कान्वेन्ट स्कूल्स भेजे जाते हैं, तो वह किस तरह से शिक्षा पद्धति में कुछ क्रान्तिकारी सुधार की बात कह सकते हैं ? वहीं से टाल मटोल हो जाता है । ताकि कम्पटीशन आदि में पब्लिक और कान्वेंट स्कूल्स के बच्चे आ जायं और गांव की 80 प्रतिशत जनता के बच्चे ऐसे ही बेकार घूमें, जैसे आज घूम रहे हैं ।

माननीय शिक्षा मंत्री जी एक बात और कहना चाहता हूं कि 1973–74 में जिन लोगों ने नार्मल कोर्स किया, बी० टी० सी० की ट्रेनिंग की थी, उनमें से अधिकांश आज तक सेवा में नहीं आये । आप खुद सोचिये कि हाईस्कूल करने के बाद, इन्टरमीडिएट करने के बाद, जिसने इन्टरमीडिएट पास किया था 1968 में या 70 में और बी० टी० सी० की ट्रेनिंग की 1973 और 74 में दो साल का कोर्स है उनको आज 8 साल, 10 साल हो गये, लेकिन अभी तक सेवा करने का अवसर नहीं मिला है । आज जो शिक्षा का स्तर है, उसमें अगर यह उम्मीद की जाय कि एक ने 1968 में हाईस्कूल किया, 1970 में इन्टर किया उसके बाद 1973 और 74 में बी० टी० सी० की ट्रेनिंग किया तो उसे 1974 के बाद अगर 1985–86 में सेवा का मौका मिलेगा, तो वह कैसे पढ़ा पायेगा, किस तरह से अपने कार्य का भली प्रकार से संचालन कर सकेगा ? और उसके पढ़ाने का तरीका क्या रह जायेगा ? आप इस बात का ख्याल रखें या तो आप निश्चित यह कर दें कि 5 वर्ष तक यदि सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा, बेरोजगार रहेगा, तो 5 वर्ष के बाद उसको रिफ्रेशर कोर्स, या किसी दूसरी ट्रेनिंग की सुविधा होगी जो कि सरकारी खर्चे पर दी जायेगी । तभी तो वह भली प्रकार ट्रेंड रह सकता है और शिक्षा में सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है । एक बात यह कही जाती है कि भवन के साथ हम स्कूल देते हैं, तो मेरा दावा है कि यह सरकार एक कमेटी इस सदन की बना दे, जो इसकी बाबत देखें । मान्यवर, सन् 1964–65 के प्लान में जो स्कूल खुले थे, प्राइमरी और जूनियर हाई-स्कूल, उसमें 50 प्रतिशत प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल ऐसे हैं, जो 1964–65 में कायम किये गये, लेकिन उनके आज तक भवन नहीं बने । और भवन के साथ स्कूल देने से क्या होता है ? अगर 1983–84 में भवन के साथ स्कूल खोल दिया, उसके लिये 85 हजार रुपया दे दिया, तो 1984–85 में जो इसका इस्टीमेट बनता है, वह उससे ड्योढ़े या लगभग सवाये का इस्टीमेट बनता है, उससे कहीं अधिक का इस्टीमेट बनता है और इसके अलावा एक साल में कोई भी आर० ई० एस० या कोई भी जिला परिषद् स्कूल नहीं बनाते हैं, वह इसके लिये 3–4 साल में बनते हैं, इतना समय लेते हैं, तो जब एक स्कूल 4 साल में बनता है तो उस स्थिति में उसकी लागत 4 स्कूलों

की लागत एक स्कूल के बराबर ही हो जाती है। इतना इस्टीमेट बढ़ जाता है।

(लाल बत्ती जलने पर।)

मान्यवर, एक मिनट और लूंगा मान्यवर, राष्ट्रीय एकीकरण के नाम पर राष्ट्रीय एकता और सुलेहकुल और महारानी लक्ष्मी बाई, म्युजियम और इसी तरह की तमाम बातें कही जाती हैं। मान्यवर, यह जो बृज भूमि है, इसके अन्तर्गत जो मैनपुरी जिला है, यह एकीकरण और संस्कृति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। वहां एक स्थान है, जहां पर जनमेजय नाग का यज्ञ किया गया था। जहां के महाराजा तेज सिंह शासक थे और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के योद्धा थे। उन्होंने ढाई सौ अंग्रेजों को अपनी तलवार से मारा था और मान्यवर महाराजा तेज सिंह बनारस में आजन्म कारावास में भी रहे थे। मैं चाहता हूं कि उनकी स्मृति में एक साइंस का डिग्री कालेज, मैनपुरी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में खोला जाय।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हो गया। आप बैठें।

श्री लल्लू सिंह चौहान---

इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं फिर एक बार माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जिस तरफ मैंने उनका ध्यान दिलाया है, उस पर कार्यवाही कराने का कष्ट करें। इसी के साथ में प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री पंचानन राय---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय शिक्षा मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, शिक्षा मन्त्री जी ने बजट प्रस्तुत करते समय दो मौलिक बातें कही हैं। एक, उन्होंने यह कहा कि हमारी शिक्षा दिशाहीन हो रही है। अर्थात् उन्होंने कहा कि हम शिक्षा की कोई दिशा नहीं निर्धारित कर सके हैं। दूसरी बात कही कि गुलामी से तो आजाद में आ गये लेकिन जेहनियत अभी नहीं बदली है। इसके लिये मैं इनको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर आप इस बात से सहमत होंगे कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। गत 7 तारीख को शिक्षा मन्त्री जी इस सदन में वक्तव्य दे रहे थे हड़ताल के बारे में, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा के बजट में कमी कटौती नहीं होनी चाहिये। लेकिन 526 करोड़ का जो यह बजट है उसमें 510 करोड़ केवल तनख्वाहों पर खर्च करेंगे। आप सोच लीजिये कि हमारे यहां साक्षरता का प्रतिशत क्या है? जब शिक्षा के विकास के लिये संसाधन लगाना नहीं चाहते तो इस प्रदेश की गरीब जनता को कैसे साक्षर कर सकते हैं?

जनसंख्या, शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा मेरा कहना यह है कि जनसंख्या की वृद्धि को भी अब तक नहीं रोका जा सकता जब तक अज्ञानता के अन्धकार को मिटा न दिया जाय। जब तक अज्ञानता रहेगी तब तक गरीबी रहेगी। जब तक गरीबी को नहीं दूर करेंगे तब तक जनसंख्या के बढ़ते हुए बोझ को समाप्त नहीं कर सकते हैं। अगर बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करना है तो शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। ऐसा नहीं है कि गत वर्ष 19 प्रतिशत खर्च कर रहे थे तो इस वर्ष 17 प्रतिशत करेंगे और वह भी सारे का सारा व्यय तनख्वाहों में चला जायेगा। अगर हमें शिक्षा की दिशा निर्धारित करनी है, तो इसके लिये (इस समय 3 बजकर 53 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।) राजनीतिक

इच्छा शक्ति की आवश्यकता है । "पोलिटिकल विल" पैदा करनी होगी तभी परिवर्तन कर सकते हैं । हमारे जो राष्ट्रीय लक्ष्य हैं किसी भी देश की शिक्षा का लक्ष्य वही होता है जो उस देश के राष्ट्रीय लक्ष्य होता है । हमने अपने संविधान में धर्म निरपेक्षता जनतन्त्र और समाजवाद को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है । आज कोई अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहा है, कोई जातिवाद की दुहाई दे रहा है । चौहान साहब अभी कह रहे थे ।

श्री अध्यक्ष---

क्या आप हेल्थ बना रहे हैं ?

श्री पंचानन राय--

हेल्थ तो पहले से बनी हुई है, मान्यवर, क्योंकि जो कहता हूं वही करता हूं, चिन्ता करता नहीं हूं । इस कारण पूर्ण स्वस्थ रहता हूं ।

मैं कह रहा था कि इस देश में गरीब के बच्चे के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और दूसरा कारण यह है कि जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं उन्होंने अपने लिये दूसरे प्रकार के विद्यालय खोल रखे हैं, जहां ज्ञान और विद्या खरीद-फरोख्त का विषय बन गये हैं । जिन्होंने भ्रष्टाचार के सहारे पैसा कमाया है, उनके लिये महंगी शिक्षा है, यह बात जरूर करनी होगी कि सामान्य जन के बच्चों के लिये भी कम से कम उतनी शिक्षा दी जानी चाहिये कि वह अपने अबोध शिशुओं को प्रतिभा को विकसित करने का अवसर प्राप्त कर सकें ।

कहा यह जाता है कि अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम मातृभाषा होती है । किन्तु जब यह कहा जाता है कि हमारे प्रदेश में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या राष्ट्रभाषा हो तो रोज नये-नये अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल रहे हैं, जिनके द्वारा धनी लोगों के बच्चों को शिक्षा दी जाती है । गरीब और धनवान सब लिये एक तरह की शिक्षा करा दी जाय, यही राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण है, राष्ट्र-भाषा और मातृभाषा शिक्षा का माध्यम बन सके । यह राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण है, और राष्ट्रीयकरण से कुछ लोग समझते हैं कि सरकारी या प्राइवेट स्कूल हैं, इसलिए जो राष्ट्रीयकरण की परिभाषा को नहीं समझते हैं, वही इस प्रकार का प्रचार करते हैं । शिक्षा एक तरह की हो और निर्धन तथा धनवान सबको उपलब्ध हो, इसी की मांग शिक्षक संघ कर रहे हैं और इसीलिए यह सब आन्दोलन हो रहे हैं । मान्यवर, बजट में जो कटौती का प्रस्ताव आया है, यह सही है कि उसे हर आदमी को विरोध करना चाहिए क्योंकि शिक्षा में बजट का कम करने के मायने हैं कि शिक्षा की गति को कम करना चाहते हैं शिक्षा को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी और आप सबकी है, इसलिए मैं शिक्षा पर जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका विरोध करता हूं और साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे शिक्षा विभाग का प्रशासन बिल्कुल नष्ट और भ्रष्ट हो गया है ।

मान्यवर, 250 क्लास टू के पद कई वर्षों से रिक्त हैं । इनके आफिसर्स आपस में मुकदमा लड़ रहे हैं । दूसरी तरफ रेड-क्रास का लाखों रु० एक जिला निरीक्षक खा गये और जब इस प्रश्न को मैंने इस सदन में उठाया था तो आपने ही उसे स्थगित किया था और उसी अधिकारी को डिप्टी डायरेक्टर बना दिया गया है । दूसरे एक डिप्टी डायरेक्टर जो नेपाल गये और वहां से जब कुछ खरीदा और वापस आ रहे थे, तो उन्हें पकड़ा गया वे सस्पेंड हुए, लेकिन फिर उन्हें बहाल कर दिया गया और निदेशालय में नियुक्त कर दिया गया । तो इस तरह से इस विभाग के प्रशासन में हर तरह का भ्रष्टाचार आज फैल गया है, इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस ओर ध्यान दे, धन्यवाद ।

(शोर)

*श्री धनी राम वर्मा--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा के बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसके समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, आज शिक्षा की प्रगति जिस रफ्तार से हो रही है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चित ही इसके उत्थान में कम से कम दो सौ बरस लगेंगे, तब कहीं देश और प्रदेश में शिक्षा का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। क्योंकि मान्यवर, इसके पहले इस प्रदेश का शिक्षा में जो प्रतिशत था, वह मात्र 14 परसट थी, आज की 36 साल की आजादी के बाद इस ओर जो वृद्धि हुई है।

श्री अध्यक्ष--

सभी माननीय सदस्यों को अब 5-5 मिनट का समय रखा गया है।

[समय 3 बजकर 58 मिनट]

श्री धनी राम वर्मा--

तो मान्यवर, मैं कह रहा था शिक्षा की गति केचुए की चाल की तरह चल रही है, जिससे देश और प्रदेश का उद्धार होने वाला नहीं है। मान्यवर, आज प्राइमरी शिक्षा पर पूरे बजट का 50 प्रतिशत खर्च किया जा रहा है, लेकिन उसकी दशा आज भी बहुत ही दयनीय है, अक्सर देखने को मिलता है कि कहीं पर अगर भवन है तो स्कूल नहीं और कहीं पर यदि स्कूल है तो भवन नहीं और जहां पर स्कूल और भवन दोनों हैं तो वहां पर अध्यापक नहीं और जहां पर अध्यापक भी हैं तो वहां पर पढ़ाई नहीं और कहीं पर टाट नहीं बैठने के लिए और यदि कहीं पर टाट भी है तो अध्यापकों के बैठने के लिए कुर्सी नहीं तो मान्यवर, इस तरह से इसकी बहुत दीन दशा हो रही है। प्राइमरी स्कूल जो हमारे जनपद में है उनमें हेडमास्टर नहीं हैं और इसी तरह से लगभग 198 स्कूलों में आज हेडमास्टर नहीं हैं तो मान्यवर, ऐसे स्कूलों को शिक्षा कैसे ठीक हो सकती है जहां पर कोई व्यवस्था ही सही न हो? दूसरी बात एक चीज मैंने अपने प्रश्नों के समय में प्रश्न के रूप में उठायी थी कि लगभग 4 हजार प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं, जिन पर बजट का 18 प्रतिशत खर्च भी किया जा रहा है, लेकिन उसका नतीजा कोई निकल नहीं रहा है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कक्षा 9 से लेकर 10 तक जो जनरल साइन्स का सब्जेक्ट कम्पलसरी किया गया है उस ओर कोई गाइडलाइन्स सरकार की तरफ से नहीं दी गयी है और न कोई अनुदान इनको दिया जा रहा है तो इस तरह से कुल मिलाकर जो अध्यापकों के साथ जो जनरल साइन्स पढ़ाते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और न ही उनके लिये कोई प्रयोगशालाएं हैं और न ही जनरल साइन्स को पढ़ाने वाले टीचर्स की व्यवस्था है। इस तरीके से लगातार अस्त-व्यस्त हालत चली आ रही है। इसी प्रकार से कक्षा 11 और 12 में एक विषय पढ़ाया जाता है भूगोल और इसकी प्रयोगात्मक परीक्षा ली जाती है। अब इन कक्षाओं में भूगोल विषय को पढ़ाना प्रारम्भ कर दिया गया है लेकिन इसके लिये कोई अलग से शिक्षण सामग्री नहीं उपलब्ध करायी गयी है और न सरकार की ओर से ऐसा कोई निर्देश हुआ है कि इसके लिये कोई शिक्षण शुल्क लगाया जाय और न ही सरकार इसके लिये कोई अनुदान देती है। इस तरीके से कक्षा 11 और 12 की शिक्षा एक मखौल बन कर रह गयी है और छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

इसी प्रकार से आप देखें कि देहातों के स्कूलों की हालत तो बद से बदतर है। शहरों में तो सिटी माउन्टेसरी स्कूल है जिसे सरकार अनुदान भी देती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है परन्तु देहात के स्कूलों में यह सुविधा भी नहीं प्राप्त होती है और उसी स्कूलों में बच्चे अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं और जब देहात के बच्चे और शहर के बच्चे अपनी शिक्षा प्राप्ति के बाद कम्पटीशन में बैठते हैं तो देहात की अपेक्षा शहर का बच्चा कम्पटीशन में आ जाता है तो ऐसी शिक्षा से लाभ ही क्या है ? इसलिये मैं मांग करता हूं कि दोहरी शिक्षा प्रणाली को समाप्त किया जाय और सबके लिये एक समान शिक्षा की व्यवस्था की जाय । इसके लिये साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि छात्रवृत्ति जो कि कक्षा 11 और 12 की है वह न बैकवर्ड क्लास के लड़कों को मिल रही है और न सामान्य वर्ग के लड़कों को ।

मान्यवर, इसी तरह से जो अध्यापक सी० पी० एड० से डी० पी० एड० हो रहे हैं तो उनको उसका ग्रेड कहीं-कहीं तो मिल गया है और कहीं नहीं मिला है । हमारे यहां शिव इन्टर कालेज, टिड़ुहा, याकूबपुर, इटावा में एक श्री रतिराम वर्मा नाम के अध्यापक हैं, जिन्होंने अपना प्रार्थना पत्र सी० पी० एड० से डी० पी० एड० करने के लिये दिया था, एप्रूवल के लिये उसका कागज निकलवा कर भेजा था लेकिन उनको अभी तक एल० टी० ग्रेड टीचर का वेतन नहीं मिल पा रहा है ।

इसी सन्दर्भ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपकी यह शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है जिसके कारण सारे अध्यापक असुरक्षित हैं । मान्यवर, मैं आपसे मांग करता हूं कि आप नई शिक्षा प्रणाली को लागू कीजिये । नई शिक्षा प्रणाली लागू होने से निश्चित रूप से नकल की प्रक्रिया में कमी आयेगी, उससे अध्यापक वर्ग सुरक्षित हो सकेगा, कोर्स की किताबों को फ्री कर दिया जाय तथा आब्जेक्टिव टाईप के प्रश्न परीक्षाओं में रखे जायं ।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त ।

श्री धनीराम वर्मा—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के पहले यह भी कहना चाहूंगा कि प्राइमरी स्कूल जो कि हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट से अटैच हैं उनके अध्यापकों को सरकारी खजाने से वेतन दिये जाने की व्यवस्था की जाय ।

श्री मुईद अहमद—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे शिक्षा के बजट पर, जो कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, ने सदन में पेश किया है, का समर्थन करते हुए और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हुए मैं कुछ अपने सुझाव देना चाहता हूं ।

शिक्षा जगत में बहुत दिनों से यानी पिछले 25 या 30 वर्षों से, जबसे मैं होशियार हुआ हूं—

श्री अध्यक्ष—

आप अपने को कब से होशियार समझते हैं ?

श्री मुईद अहमद—

तो मैं कह रहा था कि करीब तीस वर्षों से मैं यहां पर शिक्षा जगत में परिवर्तन लाने की या इसमें आमूल-चूल परिवर्तन किये जाने की बात को सुनता चला आ रहा हूं कि शिक्षा नौकरी से सम्बन्धित होनी चाहिये । मगर कोई भी इस प्रकार का परिवर्तन शिक्षा जगत में नहीं लाया जा रहा है, न विद्यार्थियों के स्लेबस में ही परिवर्तन किया जा रहा है जिससे कि यहां से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने व्यवहारिक जीवन में कुछ लाभप्रद साबित हो सके । यहां पर शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि शिक्षा दिशाहीन है लेकिन इसको फिर भी आप बढ़ाते चले जा रहे हैं । जिस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये, वह लोग नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं । यदि हम व्यवहार में देखें, तो प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल की हालत बहुत ही

बदतर है । यह सही है कि वहां स्कूल भवनहीन हैं, लड़कों के बैठने के लिए कुर्सियां तो क्या टाट की पट्टी भी नहीं उपलब्ध हैं, अध्यापक नहीं हैं, कुर्सियां नहीं हैं, यह वहां का स्तर है शिक्षा का, जो शिक्षकों का स्तर है, वह भी गिरत चला गया है । आज हमारे माध्यमिक शिक्षा परीक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं, राष्ट्रीयकरण की मांग कर रहे हैं । मान्यवर, उसके पीछे उनको लाभ हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीयकरण करने से शिक्षा का वही हाल होगा जो प्राइमरी शिक्षा के राष्ट्रीयकरण से हुआ है । उनकी बात नहीं चल पायी तो वह परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं । मेरा कहना है कि शिक्षा में ऐसी तरमीम होनी चाहिए कि अध्यापकों को बाध्य कर दिया जाये कि जब तक वह अध्यापन कार्य और परीक्षा का संचालन ठीक से नहीं करेंगे तब तक उनको वेतन नहीं मिलेगा । इस तरह का नियम अभी नहीं है, यह होना चाहिये । यह ठीक है कि प्राइमरी स्कूल वहीं पर खोले जायेंगे, जहां पर उनके भवनों की व्यवस्था होगी ।

मान्यवर, लेकिन हाई स्कूल खोल दिए गए हैं और उनके भवनों की व्यवस्था नहीं है, तो बच्चों की पढ़ाई कहां पर होगी, आफिस कहां पर होगा, इन सब चीजों की कोई व्यवस्था नहीं है । जब किसी क्षेत्र में स्कूल खुलता है तो अभिभावक खुश होते हैं, जब स्कूल खुल जाता है और उसमें भवन नहीं होता है, बच्चों के बैठने का स्थान नहीं होता है, अध्यापक पढ़ाने नहीं जाते हैं, तो वहीं अभिभावक नाराज होते हैं । मान्यवर, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह यह है कि शिक्षा जाब ओरिएन्टेड होना चाहिये । शिक्षा हासिल करने के बाद अपना काम कर सके । जिस प्रकार से लोग सनद या सर्टीफिकेट ले रहे हैं, उससे स्टैन्डर्ड गिरता जा रहा है, यह सभी को मालूम है । वह बच्चे कम्पटीशन में नहीं आ पाते हैं अपना अच्छा उदाहरण नहीं दे सकते हैं । इस प्रकार से शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है । उससे निश्चय ही तकलीफ होती है । सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिये ।

दूसरी बात मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उनमें कुछ ऐसी बातें रखी गयी हैं, लेखक इस तरह की बात रख देते हैं कि बजाय राष्ट्रीय एकीकरण के उल्टे उसका गलत असर पड़ता है । इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । मैं अन्त में एक बात कहकर समाप्त करता हूं कि अनुदान सूची में जो विद्यालय लिए जाते हैं, जैसे हमारे क्षेत्र में दो विद्यालय अनुदान सूची में प्रथम स्थान पर जिले में आते हैं, परन्तु शिक्षा डाइरेक्ट्रेट में वह चौथे या पांचवें नम्बर पर पहुंच जाते हैं । इस तरह की बात को सुधारना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा बजट का समर्थन करते हुए जो आपने मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं ।

*श्रीमती गौरी देवी--

मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा बजट पर बोलने का अवसर दिया । शिक्षा बजट बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है, यह समाज को एक नई दिशा देने वाला बजट है । जो शिक्षा विभाग है, मैं समझती हूं सबसे पिछड़ा विभाग है, इसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करती हूं । मैं अपने जनपद गोरखपुर के अपने निर्वाचन क्षेत्र कौड़ीराम की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहती हूं, मान्यवर, यह मेरे ही क्षेत्र की बात नहीं है, मैं समझती हूं पूरे प्रदेश की बात है कि ग्रामीण अंचलों में चाहे प्राइमरी पाठशाला हो, चाहे जूनियर हाई स्कूल हो, या इन्टरमीडिएट कालेज हो, सभी की हालत दयनीय है, उनकी हालत जर्जर हो गई है । पिछली बार शिक्षा मन्त्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बख्शी जी बोली थीं, लेकिन में समझती हूं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो भी स्कूल हैं, जर्जर हो गए हैं कहीं स्कूल भवनहीन हो गए हैं, कहीं पर उनकी छतें ऐसी लटकी हैं कि में समझती हूं कि आये दिन घटना हो जायेगी और बहुत से लड़के उसमें दब जाएंगे। अभी तक उसकी मरम्मत नहीं हो पाई। सन् 1981-82 में मैंने जिला अधिकारी, गोरखपुर को साथ में ले जाकर उनका वहां पर दौरा करवाया था और अन्दर से जाकर उनको दिखलाया था। उसके बाद उन्होंने आश्वासन भी दिया था। मैंने माननीय मन्त्री जी को भी इसके बारे में लिखकर दिया था। साथ ही विधान सभा में प्रश्न भी किया था, किन्तु वह स्कूल अभी तक उसी प्रकार पड़ा हुआ है। आज तक उसकी मरम्मत नहीं हो पायी है। मैं समझती हूं कि किसी दिन कोई घटना उसके अन्दर जरूर हो जाएगी।

इस तरह से मेरे क्षेत्र के स्कूलों की हालत है। चाहे प्राइमरी पाठशाला हो, कन्या पाठशाला हो, उनकी छतें टूटी हुई हैं, लटकी हुई हैं। डर के मारे लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं चाहे वह लड़के हों, चाहे लड़कियां हों। आपके माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यान अपने कौड़ी राम क्षेत्र की तरफ ले जाना चाहती हूं। मैं चाहूंगी कि माननीय मन्त्री जी उस स्कूल की तरफ विशेष ध्यान दें अन्यथा वहां पर कोई घटना हो जाएगी। इसी प्रकार मेरे कौड़ी राम क्षेत्र में लड़कियों का कोई इंटर कालेज नहीं है। मैं इसके बारे में कई बार इस सदन में प्रश्न उठा चुकी हूं, शिक्षा मन्त्री को लिखकर दे चुकी हूं कि वहां पर एक स्कूल इस तरह का खोल दिया जाए। वहां पर स्यानी-स्यानी लड़कियों को बहुत दूर स्कूल पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। एक इंटर कालेज लड़कियों के लिए वहां पर खोल देने से उनके लिए सुविधा हो जाएगी। जैसा कि आप माहौल आज देख रहे हैं, वहीं पर इंटरमीडिएट कालेज हो जाएगा तो उन्हें दूर स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा।

मान्यवर, प्राइमरी स्कूलों की हालत ऐसी है कि वहां पर न टाट है, न पट्टी हैं, बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। बच्चों को बैठने के लिए अपने घर से बोरा ले जाना पड़ता है। पानी पीने की कोई सुविधा न होने की वजह से बेचारों को दूर-दूर जाकर पानी पीना पड़ता है। अध्यापकों को बैठने के लिए मेज-कुर्सी की व्यवस्था नहीं है। मैं चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में सभी स्कूलों की ऐसी दशा होगी। मैं चाहूंगी कि अध्यापकों को बैठने के लिए मेज-कुर्सी की, बच्चों को पीने के लिए पानी की तथा टाट-पट्टी की व्यवस्था की जाए। मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई जगहों पर स्कूल नहीं हैं। वह बाढ़-ग्रस्त इलाका है। बाढ़ का इलाका है। कुछ विद्यालय बाढ़ से ध्वस्त हो गए हैं और वे भवनविहीन हो गए हैं बच्चों को पढ़ने का कोई साधन नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री जी से चाहूंगी कि जो बाढ़ का एरिया हो, वहां बच्चों को पढ़ने के लिए कोई साधन न हो, वहां पर प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कालेज खोल दिए जाएं।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त।

श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ जो हमारे भाई साहब ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करती हूं और माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करती हूं।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, मैं आपका बहुत ही अनुगृहीत हूं कि आपने शिक्षा जैसे बजट पर और उस शिक्षा मन्त्री जो स्वयं

अदब और इल्म से गहरा वास्ता रखते हैं, उनको जितनी तारीफ की जाए वह कम है, उनके द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये आपने मुझे मौका दिया। मान्यवर, मैं यह मानकर चलता हूं कि जहां सहकारिता समाजवादी आन्दोलन की रीढ़ की हड्डी है, वहीं शिक्षा लोकतन्त्र की आत्मा है और यह लोकतन्त्र की आत्मा तभी सही माने में इस प्रदेश में लोकतन्त्र को मजबूत बना सकेगी, जब इस देश में शिक्षा प्रत्येक प्राणी तक पहुंच जायेगी। मान्यवर, हमारे माननीय शिक्षा मन्त्री जी जैसा कि मैंने कहा, स्वयं शिक्षा जगत से एक गहरा वास्ता रखते हैं, यह उम्मीद की जाती है, जैसा कि उन्होंने नई-नई घोषणायें भी की हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उनके नेतृत्व में, उनके मन्त्रित्व-काल में प्रदेश जो अपेक्षा कर रहा है उसको जरूर पूरा करेंगे। मान्यवर, शिक्षा का बजट जितना होना चाहिये इस प्रदेश के विकास के लिये उतना नहीं है। फिर भी पिछले बजटों को देखते हुये इस बार धन में वृद्धि की है, नये स्कूल खोलने की घोषणा की है, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

अभी हमारे साथी जो शिक्षा जगत से सम्बन्ध रखते हैं, उनकी बात को मैंने सुनी और इस बीच में उनके वर्ग द्वारा जो एक बड़ा आन्दोलन हुआ और शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की मांग उठाई और आज राष्ट्रीयकरण की जो परिभाषा उन्होंने की, उससे मुझको लगा कि जो वह पहले कहते थे उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। अगर उनकी राष्ट्रीयकरण की यही मांग है जो आज कह रहे हैं कि इस देश और प्रदेश में समान शिक्षा हो, तो निश्चित रूप से मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन जिस राष्ट्रीयकरण की बात आज तक हो रही है और जो नारे लगाये जा रहे हैं उस राष्ट्रीयकरण की मांग से निश्चितरूप से प्रदेश और देश के अन्दर शिक्षा के प्रसार और प्रचार में बाधा पहुंचेगी क्योंकि मैं यह भी कहना चाहता हूं इस सम्मानित सदन में बैठे हुये सम्मानित सदस्य 90 और 95 फीसदी वह हैं जो उन्हीं शिक्षा संस्थाओं से शिक्षा ग्रहण किये हैं जिनके राष्ट्रीयकरण की वह मांग कर रहे हैं। जिन समाजसेवी लोगों ने वह शिक्षा संस्थायें खोली हैं वह धन्यवाद के पात्र हैं। आज 95 प्रतिशत प्रतिनिधि इन्हीं शिक्षा संस्थाओं से पढ़कर आये हैं, चाहे विधान सभा में हों, चाहे विधान परिषद् में हों या लोक सभा में हों ऐसी स्थिति में अगर उनके राष्ट्रीयकरण की मंशा है, उनके राष्ट्रीयकरण का इरादा है तो मैं यह कहूंगा कि वे लोग यह चाहते हैं कि इस प्रदेश और देश में शिक्षा का प्रचार और प्रसार बन्द हो जाये। क्योंकि इससे खुलने वाली शिक्षा संस्थायें न खुलेंगी तो फिर आगे क्या होगा, कि इस देश और प्रदेश के अन्दर शिक्षा का प्रचार और प्रसार रुक जायेगा।

आज इस प्रदेश के अन्दर शिक्षा का जो परसेंटेज है वह 27.17 है जो अन्य छोटे से छोटे प्रदेशों से कम है। हम केरल से भी पीछे हैं। क्या हम नहीं जानते हैं कि आज सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है। वहां छात्रों के लिए फर्नीचर तक नहीं हैं। और दूसरी ओर जिन समाज सेवी लोगों ने शिक्षा संस्थायें खोली हैं, उन्होंने लोगों से भीख मांग-मांग कर स्कूल खोले हैं और उन शिक्षा संस्थाओं को चमकाया है लेकिन दुर्भाग्य है आज उन शिक्षा संस्थाओं से पढ़े लोग यहां आकर जब प्रतिनिधि बनकर बैठते हैं तो उनका विरोध करते हैं। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि वे जनप्रतिनिधि हैं, जो अध्यापक हैं तथा अपने विद्यालयों से वेतन भी पा रहे हैं क्या न्याय कर रहे हैं क्योंकि जो दूसरे सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे डाक्टर हों या कहीं और काम करते हों उनका कोई प्रतिनिधि विधान सभा या विधान परिषद् में क्यों नहीं आ सकता है। हमारे शिक्षकों के प्रतिनिधि यहां पर आते हैं, उसका वे वेतन यहां

से लेते हैं और वहां से भी लेते हैं। जब तक वे विधान सभा या विधान परिषद् में रहते हैं तब तक वहां पर उनकी जगह में दूसरा अध्यापक नियुक्त नहीं किया जा सकता है और जिस विषय में वे वहां अध्यापक थे उस विषय में विद्यार्थी अध्ययन नहीं कर सकता है। उसका लाभ केवल प्रतिनिधि अध्यापक को मिल पाता है। आज इतने अर्से के बावजूद उनकी कोई सेवा नियमावली नहीं बन पायी है। कितना रुपया सरकारी खजाने से उनके वेतन में व्यय किया जा रहा है। उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। आज तमाम सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबन्ध हैं। वह कोई एजीटेशन नहीं कर सकते, लेकिन इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यह हड़ताल भी करते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं जीतने के बाद दोहरा वेतन भी लेते हैं और राष्ट्रीयकरण की मांग भी करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

माननीय, एक सेकेन्ड में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। माननीय, महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी द्वारा लाई गई इस देश में लोक तन्त्र की गंगाधारा तब तक साकार नहीं होगी जब तक उस गंगा की धारा की तरह सरस्वती की धारा उभर कर ऊपर न आ जाये। तब तक जब गांव का प्रत्येक प्राणी उस धारा में नहा न लें। इन शब्दों के साथ में पुनः इस बजट का समर्थन करते हुये अपने हसीन मन्त्री को धन्यवाद देता हूं।

श्री किरन पाल सिंह—

माननीय, कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिये दो-दो मिनट का समय दिया जाये।

(कई सदस्यों के दो-दो मिनट का समय दिये जाने का माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करने पर।)

श्री अध्यक्ष—

यह तो मजाक हो जायेगा लेकिन ठीक है श्री फिरंगी प्रसाद विशारद जी आप बोलें।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने शिक्षा बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, भारतवर्ष में, यह जो पुस्तिका हमको मिली है, साक्षरता का 36.17 प्रतिशत है और उत्तर प्रदेश में 27.38 प्रतिशत है। संविधान में दिया हुआ है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के छात्र और छात्राओं को अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी लेकिन ऐसा इस देश और प्रदेश में नहीं हो रहा है। इसकी तरफ आगे बढ़कर देखें तो प्रौढ़ शिक्षा 15 से 35 वर्ष के लोगों को दे रहे हैं। लेकिन यह सरकार अनिवार्य रूप से शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को तो दे नहीं पायेगी जो संविधान में है, वहां यह सरकार कल्पना करे कि प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। एक तरफ जो प्रौढ़ हो चुके हैं, उनको शिक्षित करने का एक ढोंग है और दूसरी तरफ अशिक्षितों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं।

मान्यवर, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं मुझे याद नहीं है कि श्री राम सिंह सैनी, उन्होंने भाषण किया था 1980 में, जब राष्ट्रीयकरण की बात कही थी, पता नहीं वही शिक्षा राज्य मन्त्री हैं कि दूसरे, उन्होंने कहा था कि बिहार में राष्ट्रीयकरण हो चुका है और अब उत्तर प्रदेश में होना चाहिये, यदि उनका यह कथन है, तो व्यक्तिगत बात कह कर वह बच नहीं सकते हैं। मान्यवर, आज विद्यालयों में हो रहा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति

प्रधानाचार्य करते हैं और वे मनमाने ढंग से अपने लोगों को चपरासी और चौकीदार के पद पर नियुक्त करते हैं इसमें नाम सेवायोजन कार्यालयों से मंगाना चाहिये ।

(व्यवधान)

*श्रीमती कमला साहनी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा बजट के समर्थन में बोलने का समय दिया । मान्यवर, शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसके बिना प्रदेश, समाज और परिवार का उत्थान नहीं हो सकता है । यह बजट जो माननीय मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसमें हर वर्ग के लिये पर्याप्त व्यवस्था की गयी है, फिर चाहे वह हरिजन हों, महिला हों, पिछड़े लोग हों, मुसलमान हों और ऐसे लोग जो समय पर शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकें, उनके लिये भी बजट में व्यवस्था की गयी है । मैं मन्त्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने हरिजनों के लिए शिक्षा की विशेष रूप से व्यवस्था की है जिसकी आज आवश्यकता है क्योंकि यह वर्ग हमेशा से पिछड़ा रहा है और शिक्षा से वंचित रहा है । मान्यवर, हमारे शास्त्रियों ने एक समय में कहा था कि यदि हरिजन के कानों में वेद-मन्त्र पड़ जायं तो उनके कानों में पिघला शीशा डाल दिया जाये । लेकिन खुशी है कि आज शिक्षा के बजट में हरिजनों के लिए, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है ।

मान्यवर, अब मैं एक सुझाव देना चाहती हूं कि पंचायत उद्योग द्वारा जो टाट पट्टी खरीदी गयी हैं, वह बहुत खराब है, इसलिये टाट पट्टियों को मिल द्वारा खरीदा जाये । दूसरा सुझाव है कि एन0 आर0 इ0 पी0 द्वारा विद्यालयों के भवन बनाये जाये । तीसरा सुझाव है कि प्राइमरी शिक्षा की नींव में प्रधानों को जोड़ा जाय और उनसे पूछा जाये कि अध्यापक उनके यहां स्कूलों में पढ़ाते हैं कि नहीं । मेरी जानकारी है और मेरे क्षेत्र में 50 प्रतिशत से अधिक प्राइमरी के अध्यापक अपने विद्यालयों में नियमित रूप से नहीं पढ़ाते हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं शिक्षा के बजट का समर्थन करती हूं ।

(श्री रामस्वरूप वर्मा का नाम बुलाये जाने पर श्री जसवन्त सिंह बिष्ट बोलने लगे)

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, समय बढ़ा दीजिए, तभी समस्या हल होगी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

माननीय, मंत्री जी ने एक आंकड़ा दिया कि हमने शिक्षा का बजट 3 करोड़ रुपये से 526 करोड़ पर पहुंचा दिया है ।

(श्री जसवन्त सिंह बिष्ट द्वारा सीधे आने पर ।)

श्री अध्यक्ष—

बिष्ट जी आप पीछे हट जाइये, कायदे में आइये पहले ।

(श्री बिष्ट के अपने स्थान पर वापस आने पर ।)

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, वह इधर आ रहे थे, आपने उधर भेज दिया ।

*श्री रामस्वरूप वर्मा—

मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि कितने प्रतिशत शिक्षा पर इसमें से खर्च हो रहा है । मेरी सूचना है, एक बात कहकर मंत्री जी उसका उत्तर दे देंगे तो मैं समझूंगा कि जरूर शिक्षा में तरक्की हुई है । सन् 75

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की सांख्यिकी डायरी हमारे पास है, उसके पृष्ठ 117 पर माननीय मंत्री जी देखें, उसके अनुसार सन् 1974–75 में कुल शिक्षा बजट का 58.8 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा पर खर्च हो रहा था और यह इस साल है 50 परसेन्ट तो आप देखें प्राथमिक शिक्षा तो पीछे चली गई। इसमें करीब 9 परसेंट व्यय घट गया है। उस पर निरन्तर पैसा घटता जा रहा है। मंत्री जो दूसरा दावा कर रहे हैं, उसको भी देखें। जब पहले जमाना था, शुरू में 50–51 में शिक्षा आई तो उस समय टोटल बजट का 14 परसेंट शिक्षा पर खर्च होता था, जो आज घटकर केवल 11 प्रतिशत टोटल बजट का शिक्षा पर खर्च हो रहा है। तो जो बजट है पूरे प्रदेश का, उसमें शिक्षा का अनुपात बराबर घट रहा है। इससे स्पष्ट है कि न तो प्राथमिक शिक्षा में तरक्की है और न शिक्षा में ही कोई प्रगति हो रही है। अब आप आगे देखें, पूरे भारत में 36 सैकड़ा साक्षर लोग हैं, जबकि उत्तर–प्रदेश में बिहार को छोड़कर यह सबसे कम है। हमारे सूबे में 30 सैकड़ा पुरुष और 14 सैकड़ा स्त्रियां साक्षर हैं। दूसरे यह भी देखें कि प्रति व्यक्ति शिक्षा पर खर्च बिहार को छोड़ कर उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। मंत्री जी तीन आंकड़ों पर अपना दिमाग साफ कर लें कि शिक्षा में बराबर कमी आ रही है और वह बराबर नीचे गिरती जा रही है।

यह ब्राह्मणवादी सरकार है और ब्राह्मणवादी पुस्तकों का यह सूत्र वाक्य है कि "स्त्री शूद्रोनाधीयताम" अर्थात् स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा न दो। यह सरकार बिलकुल उसी तरीके से चल रही है और हर तरह से इस बात के लिए प्रयासरत है कि स्त्रियों और शूद्रों में शिक्षा का प्रसार न होने पावे उसी के हिसाब से जो पैम्पलेट बंटा है उसमें लिखा हुआ है कि 14 सैकड़ा स्त्रियां और 30 सैकड़ा मर्द उत्तर प्रदेश में शिक्षित हैं, जबकि 36 सैकड़ा पूरे देश में हैं। तो मान्यवर, इससे स्पष्ट है कि यह सरकार और उसके शिक्षा मंत्री 'स्त्री' शूद्रोनाधीयताम के सिद्धान्त का पालन करने के लिए बराबर लगे हुए हैं और स्त्रियों व शूद्रों को शिक्षित होते नहीं देखना चाहते हैं। उसे बराबर कार्य रूप में परिणित कर रहे हैं। मंत्री जी एक आंकड़ा जरूर तैयार करा लें कि कितने लड़के अनुसूचित जाति और जनजाति के कक्षा पांच पास करके स्कूलों से निकलते हैं। आप उनके प्रवेश की संख्या और पढ़ने से न देखें, यह देखें कि कक्षा 5 पास करके इस वर्ग के कितने बच्चे स्कूलों से निकलते हैं। इसको देख लेंगे तो मैं समझूंगा कि आपकी शिक्षा कहां जा रही है? प्राइमरी का जो नाम लिया जाता है, कक्षा 1 से 5 तक में चन्द दिनों में ही पंडित जी इन बच्चों को मार मार कर घटा देते हैं।

शिक्षा मंत्री जी राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के भी मंत्री हैं, डेढ़ साल में मेरे प्रश्न पर आप यह बता नहीं पाए कि इस प्रकार कुल कितने प्राथमिक शिक्षक हैं और उनमें कितने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं? सारी शिक्षा में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को लिया ही नहीं जा रहा है। तो जब उसके अध्यापक नहीं हैं तो उनको पढ़ाने वाला कौन होगा? आज जो यहां शिक्षक हैं, वह सवर्ण हैं, जो उन वर्ग के छात्रों से घृणा करते हैं, उन्हें कभी मार–मार कर भगा देते हैं, कभी नाम ही नहीं लिखते हैं और कभी गैर हाजिर कर देते हैं और कभी नाम काट देते हैं। इन तीन शब्दों के साथ में मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि वह अपना दावा वापस ले लें और उसमें सुधार कर यह स्वीकार करें कि शिक्षा में प्रदेश पिछड़ता चला गया है और यह ब्राह्मणवादी नीति बदलें। यह उत्तर प्रदेश देश का दिल कहा जाता है, आप इसको बिमार बना दीजिए। क्योंकि

इसमें दिल तो है लेकिन दिमाग में शून्य है।

श्रीमती महारानी दोहरे—

मान्यवर, मैं आपको आभारी हूं कि आपने इस पर मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं। जो बजट माननीय शिक्षा मंत्री जो ने प्रस्तुत किया है, उसमें उस समाज के लिए, जिस समाज का मैं नेतृत्व करती हूं काफी व्यवस्था की गई ह, लेकिन फिर भी मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातों की ओर माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। देहाती अंचलों में जहां पर कुछ ऐसे प्राइमरी स्कूल चलाये जा रहे हैं, जिनके सर्वेसर्वा उनके प्रधानाध्यापक या टीचर्स ही हैं, ऐसे स्कूलों को मान्यता मिलना चाहिए तथा सरकार की तरफ से उनको सहायता एवं अन्य सुविधायें प्राप्त होनी चाहिए। किसी भी प्रवेश की शिक्षा तभी सफल मानी जाती है जब कि स्कूलों में पाठ्यक्रम आदि शान्तिपूर्ण ढंग से साल भर तक चलें और परीक्षायें आदि सभी समय से हों। परीक्षाफल भी समय से निकल सकें। परीक्षायें समय से न होने के करण छात्रों का भविष्य अन्धकारमय हो जाता है और विशेषकर ऐसे छात्रों का भविष्य जो दूसरी जगह जा कर डाक्टरी या इन्जीनियरिंग शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपना एडमीशन लेना चाहते हैं क्योंकि समय से परीक्षा न होने के कारण और परीक्षाफल समय से घोषित न होने के कारण वे दूसरी जगह जा कर दाखिला नहीं ले पाते। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि परीक्षायें समय से हों।

मान्यवर, शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को समाज में ढालती है और उसका विकास करती है। शिक्षा के कारण ही मनुष्य अपने सामाजिक दायित्व को समझता है, अपना जीविकोपार्जन करता है तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। शिक्षा ही समाज को मजबूत करने तथा देश को शक्तिशाली बनाने में मदद करती है।

मैं अपने क्षेत्र चकरनगर लखना-303 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। वहां पिछले 12-12 साल से जो परीक्षाओं के सेन्टर्स बने हुए थे, उसको बदल दिया गया है और उनको बदल कर इतनी-इतनी दूर कर दिया है कि बच्चों को दो-दो नदियां चम्बल और जमुना को पार करके जाना पड़ता है तथा जहां सेन्टर्स पड़े हैं, वहां पर बच्चों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा निवेदन ह कि हाई स्कूल व इन्टर के सेन्टर जो पहले से चले आ रहे थे उन्हीं को कायम रखा जाये उनको बदला न जाये। इससे बच्चों को तथा उनके अभिभावकों को बहुत परेशानी हो रही है।

मान्यवर, सुरक्षा की व्यवस्था न होने के कारण पिछले साल कई बच्चों को किडनैप कर लिया गया था। उन बच्चों का पूरा साल बेकार चला गया था। साथ ही माता पिता को आर्थिक हानि भी उठानी पड़ी थी। उसके कारण मेरे पूरे क्षेत्र में आंतक और असंतोष छाया हुआ था। दूसरे बच्चों के ऊपर भी किडनैप की घटना के कारण बुरा असर पड़ा और वे डरे हुये हैं। मैं चाहूंगी कि पिछली स्थिति को देखते हुये इस बार बच्चों के लिये पी० ए० सी० तथा पुलिस की तैनाती करके उनकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाये और सेन्टर्स जो पुराने थ, उनको ही कायम रखा जाये, उन्हें बदला न जाये। इन शब्दों के साथ में पुनः आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और इस बजट का समर्थन करती हूं।

सदन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

श्री बलबीर सिंह, रामपुर का यह प्रस्ताव आया है कि इस मद पर चर्चा के लिये दो घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय ।

संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, आज और भी चर्चायें हैं, आधा घंटा बढ़ा दिया जाये।

एक सदस्य--

एक घंटा कर दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष--

एक घंटा सम्भव न होगा। प्रश्न यह है कि इस सदन का यह मत है कि इस पर चर्चा का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

1984-85 के आय व्ययक में अनुदानों के लिय मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 44-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, अनुदान संख्या 56-शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 50-संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) तथा अनुदान संख्या 68-सांस्कृतिक कार्य विभाग (क्रमागत)

[समय 4 बजकर 35 मिनट]

*श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया है । माननीय सरदार सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करता हूं मान्यवर, लोकतांत्रिक प्रणाली में देश के हर नागरिक का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसको शिक्षा दी जाय और इनका यह कर्तव्य है कि हर नागरिक को शिक्षा दें । लेकिन 37 साल बीतने के बाद भी आज हमारा प्रदेश शिक्षा में पिछड़ा हुआ है । इनके आंकड़े कहते हैं कि शिक्षा 27.58 प्रतिशत है लेकिन वास्तव में शिक्षा 14 प्रतिशत है । मेरा जिला रामपुर, पूरे प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा जिला है । कुल वहां पर 16 परसेन्ट शिक्षा है । तहसील स्तर पर तो केवल 8 प्रतिशत ही शिक्षा है । वहां पर तहसील स्तर पर कहीं भी इन्टर कालेज नहीं है । लड़कियों के लिये कहीं कोई इण्टर कालेज नहीं है । तहसील स्तर पर कोई डिग्री कालेज नहीं है । तो हमारा दुर्भाग्य यह रहा है कि 1932 में हम लोग गुलाम थे, स्टेट के । उसके बाद हम आजाद हुये । मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में रामपुर पिछड़ा हुआ है । मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि हमारे यहां तहसील स्तर पर इंटर कालेज खोले जायं और रामपुर को विशेष सुविधा शिक्षा के क्षेत्र में दी जाय ।

वैसे शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसकी हर क्षेत्र में आवश्यकता है, शिक्षा केवल क, ख, ग, नहीं होती है । शिक्षा हर प्रकार की होती है, हमारी सरकार का यह परम कर्तव्य है कि हर नागरिक को हर प्रकार की शिक्षा दे । परन्तु दुर्भाग्य है, होना यह चाहिये कि हर न्याय पंचायत क्षेत्र में डिग्री कालेज खुलता, हर न्याय पंचायत क्षेत्र पर औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खुलता और हर न्याय पंचायत स्तर पर सारी व्यवस्था होती । लेकिन महात्मा गांधी का जो यह स्वप्न था, उसको यह साकार नहीं कर रहे हैं । उनकी आत्मा इनको धिक्कार रही है । यह मंत्रि मण्डल किसी चीज पर विचार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं करता केवल पैसा कमाने से इनको फुर्सत नहीं है। जो अफसरों ने लिख दिया वही उन्होंने पेश कर दिया। अभी वर्मा जी ने कहा कि शिक्षा का बजट पहले 14 प्रतिशत था, अब वह घट कर 11 प्रतिशत रह गया है। लगातार सरकार इसको घटाती जा रही है। तो लानत है ऐसी सरकार पर और ऐसे मंत्रिमण्डल पर जिन्होंने बजट बढ़ाने के बजाय घटा दिया है। मैं चाहूंगा कि मेरे रामपुर जिले में हर तहसील पर डिग्री कालेज की व्यवस्था की जाय और लड़कियों के लिए इंटर तथा डिग्री कालेज की व्यवस्था की जाय। मेरे रामपुर जिले में डेढ़ सौ ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जहां पर भवन नहीं हैं। 100 प्राइमरी भवन ऐसे हैं जो जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं। इन शब्दों के साथ माननीय सरदार सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

(डा0 बृज किशोर मिश्र का
नाम पुकारे जाने पर)

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

व्यवस्था का प्रश्न मेरा यह है कि यहां पर हम लोग रोज बराबर खड़े हो रहे हैं, 10-10 बार खड़े हो रहे हैं लेकिन आप बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

1952 से मैं चुनकर आया हूं। मैं सबेरे से लेकर सायंकाल तक खड़ा हुआ करता था। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं। आप बैठिये।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

कुछ लोग रोज बोलते हैं, हमको बोलने का मौका मिलना चाहिए। यह नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

हम लोगों को बोलने का मौका देना चाहिए हमको बोलने का मौका आप नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह मेरे विवेक पर है कि मैं किसको बुलवाऊं।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने सम्मानित माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा रखे गये शिक्षा तथा राष्ट्रीय एकीकरण के बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर,

तालीम से जाहिल की जहालत नहीं गयी,
नादान को उल्टा भी तो नादान रहा।

मान्यवर, ये तालीम की और शिक्षा की चर्चा कर रहे हैं। मान्यवर, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ ये चाहते हैं कि शिक्षा का विकास हो। दूसरी तरफ इनके जो भाषण हैं और नीति है, वह कटौती के प्रस्ताव से साबित होती है कि जनमानस के लिए या शिक्षा के लिए कितने जागरूक हैं। जहां एक तरफ आप चाहते हैं कि इसका प्रसार और प्रचार किया जाय और दूसरी तरफ आप कटौती का प्रस्ताव रखते हैं। यह कितने बड़े अफसोस की बात है। मान्यवर, मैं विचार कर रहा था कि कम से कम कटौती के प्रस्ताव में या कोई ऐसी रूप-रेखा सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे जिस पर कि शिक्षा मंत्री जी विचार करते। लेकिन कहीं कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया। मैं माननीय मंत्री जी से मान्यवर, आपके माध्यम से

निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद् के जो लोग हैं, शिक्षक जिनको कहा जा रहा है, वह अपनी जिम्मेदारी और नैतिकता को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपके इस प्रदेश के गरीब खजाने से (राजकीय कोष से) 510 करोड़ रुपया प्रति वर्ष माध्यमिक शिक्षकों के उपर राजकीय कोष से 1971 से खर्च किया जा रहा है।

मान्यवर, जब हर विभागों के लिए नियम बनते हैं, राजकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक नियम बने हुए हैं, तो फिर क्या वजह हैं कि 13 साल हो गये, इनके लिए कोई नियम नहीं बना हैं। ये माध्यमिक शिक्षक संघ जब चाहते हैं, आन्दोलन कर देते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि 510 करोड़ रुपया किस बात के लिए खर्च किया जाता है, जब ये बच्चों को शिक्षा ही नहीं देंगे ? जब उनका इम्तहान का समय या-परीक्षा का समय आता हैं, तो दुर्भाग्य की बात हैं कि ये लोग आंदोलन, सत्याग्रह आदि शुरू कर देते हैं। मान्यवर, यह कितनी बड़ी विडम्बना और अफसोस की बात हैं। मान्यवर, जब किसी भी राजकीय कर्मचारी या अधिकारी का कार्य सुनिश्चित हैं, तो उसी के आधार पर उसके वेतन का भुगतान भी होता हैं, तो फिर क्या वजह हैं कि बगैर कार्य किए हुए अध्यापकों के वेतन का भुगतान किया जाय ? जब देश के किसी भी अधिकारी कर्मचारी जो राजकीय कोष से वेतन पाता हैं और उसे किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने का अधिकार नियम के तहत नहीं हैं, तो फिर क्या वजह हैं कि यह शिक्षक संघ के लोग राजकीय कोष से तनख्वाह भी लें और चुनाव भी लड़ें। दोहरा वेतन लेने का क्या औचित्य हैं ?

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी अपनी विद्वतापूर्ण नीति को अपना करके इस दोहरी नीति को समाप्त करेंगे ? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 13 वर्षों में कोई नियमावली इनके लिए नहीं बनी, इनकी नियमावली बननी चाहिए। मैं खासतौर से माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ-साथ शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक एवं शिक्षा के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा, इसके बावजूद कि जहां माध्यमिक शिक्षक संघ के लोग इस देश और प्रदेश के दो करोड़ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया हैं, वहीं यह शिक्षा जगत के लोगों ने इसका संचालन ठीक समय से शुरू किया हैं। अन्त में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा रखे हुए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। माननीय शिक्षा मंत्री जी काफी शिक्षाविद् और विद्वान हैं। मैं समझता हूं कि शिक्षकों और छात्रों के मामलों में ये काफी सुविज्ञ हैं। परीक्षा केन्द्रों को जो परिवर्तित करके दूर-दूर कर दिया गया हैं, उनको 40-40, 50-50 किलो मीटर दूर पर परीक्षा देने के लिए केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं, आज माननीय शिक्षा मंत्री जी ने शून्य प्रहर में कहा भी था कि हम परीक्षा केन्द्रों के विषय में घोषणा करेंगे ताकि परीक्षायें जो हैं छात्राओं के अनुकूल हो सके। तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इसकी घोषणा अवश्य हो सदन में कर दें ताकि जो सारे प्रदेश के छात्रों और छात्राओं के सामने समस्या बन गयी हैं, उसका निराकरण हो सके। मान्यवर, स्वामी दयानन्द इंटर कालेज, अमृतपुर और गंगापार इंटर कालेज, राजेपुर ये फर्रुखाबाद के दोनों विद्यालय हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इनके छात्र, छात्राओं की संख्या 1,500 है और जो इंटर और हाई स्कूल की परीक्षा देता है, इनका जो सेन्टर बनाया गया है, वह इन विद्यालयों से 40 किलो मीटर की दूरी पर है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी की घोषणा केवल इन विद्यालयों के छात्रों को ही नहीं, बल्कि प्रदेश के समस्त छात्र, छात्राओं के लिए बहुत बड़ी राहत मिलेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी की जो घोषणा और राजाज्ञायें होती हैं, उनका परिपालन नहीं होता है। मान्यवर, आपकी राजाज्ञा है कि किसी भी हाई स्कूल और इंटर कालेज का अध्यापक अगर कोई पर्वतीय क्षेत्र के कैडर का नहीं है और वह तीन साल तक पहाड़ी क्षेत्र में रह लेते हैं, तो दुबारा उसे पहाड़ी क्षेत्र में नहीं भेजा जायगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं शिक्षा विभाग के अधिकारी इसमें कितनी अनियमितता बरत रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं मोहर सिंह यादव, सहायक अध्यापक, राजकीय इन्टर कालेज, बड़ायूं तीन साल तक पहाड़ पर रहने के बाद मैदानी क्षेत्र में आये और एक साल के बाद पुनः उनका स्थानान्तरण तत्कालीन शिक्षा मंत्री के पी० ए० श्री मिश्रा जो शिक्षा मंत्री से ऊपर था, नाचनी पिथौरागढ़ करा दिया। यह मैदानी कैडर के हैं।

दूसरा एक महेश कुमार 4 महीने पूर्व बीमारी के आधार पर स्थानान्तरित होकर आये लेकिन 4 महीने बाद बीच सत्र में उनका स्थानान्तरण कर दिया गया और उनके स्थान पर ऐसे अध्यापक को लाया जा रहा है जो 19 साल तक उस विद्यालय रामपुर में पढ़ा चुका है। मान्यवर, जीवन के लिये पांच अपरिहार्य चीजें हैं। खाने के लिये भोजन, पहनने के लिये कपड़ा, रहने के लिये मकान, बीमारी के लिये दवा और बच्चों के लिये पढ़ाई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्राइमरी शिक्षा, जो शिक्षा की रीढ़ है, उसकी कितनी दुर्व्यवस्था है। प्राइमरी स्कूलों में टाट-पट्टी नहीं है, अध्यापक गण पढ़ाने नहीं जाते हैं। पब्लिक स्कूलों में मंत्रियों और अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं लेकिन गांव में रहने वाले लोगों के बच्चों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करें। एक बात और कहना चाहता हूं जो अध्यापक तदर्थ रूप से पढ़ा रहे हैं, उनको हटाने की बात की जा रही है। उनको बिना लोक सेवा आयोग भेजे नियमित करने की माननीय शिक्षा मंत्री जी कृपा करें।

श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं, देर से सही आपने मुझे समय दिया, शिक्षा मंत्री के बहुत से बजट प्रस्तावों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय शिक्षा मंत्री की विशेष बात यह है कि जो जब इनके हाथ में कोई चीज आती है तो काम सुचारु रूप से होता है। किसी-किसी के लिये यह कहा जाता है कि मिट्टी भी छू लेते हैं, तो सोना हो जाता है, वही हाल शिक्षा मंत्री का है। जिस माहौल में शिक्षा के बजट पर विचार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण शिक्षार्थी और सम्पूर्ण अभिभावक बुरे रोग से ग्रसित हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अध्यापकों ने फैसला कर लिया है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो परीक्षा होने जा रही है, उसको नहीं करेंगे। इसलिये शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार करें और कर भी रहे हैं। लेकिन एक आश्वासन पूरे प्रदेश के अभिभावक और छात्रों को मिलना चाहिये कि अध्यापक चाहे कार्य करें या न करें, सरकार उनकी परीक्षा की पूरी व्यवस्था करेगी और परीक्षा ठीक से होगी।

एक निवेदन और करना चाहता हूं सरकार को अधिकार है 9(4) में कि वह ऐसे आदेश निकाल सकती है कि कोई अध्यापक परीक्षा नहीं लेगा तो ब्रेक इन सर्विस माना जा सकता है। राष्ट्रीय-करण की बात बहुत जोर शोर से चलायी जाती है राष्ट्रीकरण के सम्बन्ध में प्रबन्धकों को कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीकरण प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा की तरह होगी तो वह प्रदेश के लिये सोचनीय स्थिति होगी। न राष्ट्रीय-करण हो रहा है और न प्रबन्धाधिकरण को पूरे अधिकार दिये जा रहे हैं, बीच की स्थिति पैदा कर दी गई है, इससे प्रदेश का अध्यापक अनुशासनहीन हो गया है। कक्षा में जाते नहीं हैं, कक्षा के बाहर क्लास लेते हैं। टीचिंग आवर के पहले और बाद में प्राइवेट क्लास लेते हैं। पढ़ाई के समय में मैदान में खड़े होकर बात करते हैं, और प्रधाना-चार्य कुछ कहता है तो उसको नहीं सुनते हैं। शिक्षा का राष्ट्रीकरण होता है, तो विधान परिषद् में जो स्थान इनको दिये हैं वह समाप्त किये जायं। अगर इनको स्थान दिए गए हैं तो डाक्टरों को भी स्थान मिलने चाहिए। इंजीनियर को स्थान मिलने चाहिए इनमें कौन सी खास बात है गुरु की तरह चलते भी नहीं हैं। मान्यवर, "सरस्वती संकीर्तन बनाम सरस्वती रक्षा कीर्तन"।

उत्तर प्रदेश युवा छात्र समिति द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में उक्त घोषणा करते हुए कहा गया है कि छात्र 16 फरवरी से सार्वजनिक स्थलों पर हड़ताली शिक्षकों की करो धुनाई तभी होगी समान पढ़ाई जय सिया राम जय जय सियाराम का गान करेंगे। मान्यवर, जब यह स्थिति अध्यापकों और बच्चों के बीच पैदा हो जाए तो बड़े दुख की बात है। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा राष्ट्रीयकरण नहीं करते हैं।

मान्यवर, दो बातें कहना चाहता जलकर या सीवर कर विद्यालय में लगा है विद्यालय में सीवर फीस ली नहीं जाती है या तो इसको समाप्त कर दिया जाए या स्कूल की फीस लेने का अधिकार दिया जाए। स्कूलों में कामर्शियल बेसिस पर बिजली का चार्ज लिया जा रहा है। जबकि पंखा शुल्क विद्यालय में लिया जाता है। बिजली शुल्क नहीं लिया जाता है। मेरा निवेदन है शिक्षा मंत्री इसको माफ करें एक निवेदन और है शिक्षा मंत्री विद्यालयों में स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन में संशोधन करने को विभाग द्वारा कहा जा रहा है। चूंकि यह विभाग द्वारा स्वीकृत पहले हो चुका है। इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह आदेश विभाग वापस ले। मेरे क्षेत्र की आधुनिक कालोनी इन्दिरा नगर में लड़के लड़कियों का इन्टर कालेज खोला जाय जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें चेंज करा ले। 10 फरवरी तक स्कूल, उसको संशोधन कर लें इसके साथ ही मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री का ताल्लुक बर बिना इत्तेफाक शिक्षा से है आप पिछले चार साल से तालीमी जिन्दगी को छोड़े हुए हैं। आप हड़ताल किए हैं या फरार हैं। पेशे के खिलाफ मंत्री परिषद संभाले हुए हैं। मान्यवर, शिक्षा पर बहुत से साथियों ने बहुत कुछ कहा है। यह अच्छी बात है कि मुख्य मंत्री जी भी हमारे सामने बैठे हुए हैं। यह खबरनामा उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी नवम्बर दिसम्बर, 1983 की मेरे पास किताब है। इसमें भाषण करते हुए वजीरेआला, उत्तर प्रदेश ने कहा है कि जब अगला बजट सेशन आएगा तो वहबिल आर्डिनेन्स जो उर्दू को रियासत की दूसरी जबान बनाने के लिए नाफिज हो चुका है पेश होगा। मैं मुख्य मंत्री जी को हिम्मत की दाद देता हूं कि

उन्होंने बड़ी ईमानदारी से अपने दिल की आवाज का इजहार भी कर दिया। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं यह बिल मंजूर कराऊंगा। मैं यह कहूंगा कि उर्दू को सियासी भाषा से कतई नही जोड़ना चाहिए। इसी भाषण में मुख्य मंत्री जी ने आगे कहा उर्दू लैंगुएज के बारे में जो दूसरी सरकारी भाषा का बात थी मैं उन लोगों में से हूं कि अगर इस सिलसिले में बहस होती मैं खड़ा होता कि उर्दू को दूसरी भाषा बनाना जरुरी नहीं क्योंकि देश और रियासतों में एक भाषा रहे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1 जनवरी को अपने भाषण में कहा उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा बना दिया जाएगा। प्रधान मंत्री ने कहा कि अकालयत को खुश करने के लिए अकसरियत को नाराज नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री जी ने उर्दू को दूसरी राजभाष बनाने के लिए कहा। जब बार-बार यह कहा जा रहा है कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाया जाएगा। मुख्य मंत्री जी ने जिम्मेदारी ली है उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा बनाने के लिए। इसी भाषण में मान्यवर, मुख्य मंत्री ने कहा उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा होना चाहिए।

मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि यह जो दोहरा पैमाना दोहरा आचरण हमारी सियासत का शौर हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी का उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाने के सिलसिले में है, यह हमारे आज के खोखले निजाम के कपड़े उतार कर सरे बाजार बरहना करके खड़ा कर देता है। विधान परिषद की दीवारों पर लिखा है कि उर्दू ने पाकिस्तान बनाया। भाषा कहां से आयी। बटवारे की जिम्मेदारी उर्दू जबान पर नहीं है। उन अक्लों के दिवालियों के लिये कहा क्या जाय ? हो सकता है पाकिस्तान बनाने के लिये अंग्रेजी भाषा जिम्मेदार हो। तकसीम पाकिस्तान का नारा जिन्ना साहब ने दिया और कहा जा सकता है कि जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाया। जिन्ना साहब उर्दू का एक लफ्ज जुबान की हैसियत से नहीं जानते थे। सुना है वह मस्जिद में जूते तक पहन कर चले जाते थे। उर्दू किसी मजहब की नहीं बल्कि एक तहजीब की जुबान है। मेरा इलजाम है मुख्य मंत्री ने पूरे प्रदेश में फिरकापरस्ती का माहौल पैदा करने की कोशिश की।

आपको याद होगा 31 दिसम्बर, 1981 को विश्वनाथ प्रताप सिंह, सादिक वजीर आला ने एलान किया था कि मैं प्रदेश के मुसलमानों को नये साल के तोहफे के तौर पर उर्दू को दूसरी सरकारी जबान देने का एलान करता हूं। यह एक मर्द का वादा था बकौल उनके लेकिन अफसोस पहली जनवरी को प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अमौसी हवाई अड्डे पर लखनऊ आयीं और प्रेस वालों से कहा अकलियत को राजी करने के लिये अकसरियत को नाराज नही किया जा सकता और वादा वापस ले लिया गया। अब ऐसा ही आपने भी किया। आप हैरत करेंगे यह पूरी सदी उर्दू कि हिन्दू शायरों और अदीबों से भरी पड़ी है। काश फिरकापरस्त जहनों को मालूम होता कि उर्दू जानी जाती है रघुपति सहाय "फिराक गोरखपुरी" के नाम से, गुलशन नन्दा, राम लाल, कृश्न चन्दर वगरा के नाम से मैं अपने दिल का एक और एहसास भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि अफसोस ना तो उधर से और ना इधर से किसी साथी ने उर्दू के लिये एक लफ्ज भी कहा होता। यह सत्य है कि आपने उर्दू के साथ बद अहदी की है फिर भी यह एक अधूरा कदम है मैं समझता हूं कि जल्द ही उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाने का सरकारी बिल लाया जायगा।

श्री संकटा प्रसाद शास्त्री—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे शिक्षा के बजट पर अपने विचार व्यक्त

करने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह तो सभी लोग जानते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है और यह प्रयत्न किया जा रहा है कि शिक्षा अधिक से अधिक बढ़े। उस पर धन भी बहुत खर्च किया जा रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी दिखलाई पड़ रही है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, वह यह कि सारे प्रयत्नों के बावजूद शिक्षा में जो नैतिकता और अनुशासन होना चाहिये, उसका ह्रास हो रहा है। यह नैतिकता तथा अनुशासन बच्चों में और अध्यापकों में हो जाय तो शिक्षा का मकसद पूरा हो जायगा। शिक्षा चाहे कम लोगों को दी जाय चाहे अधिक को लेकिन जो दी जाय वह नैतिक हो, अनुशासन में हो तभी उससे जुड़ा मकसद पूरा हो पाएगा। इतनी बात शिक्षा के सम्बन्ध में कहने के बाद अब मैं अपने क्षेत्र की एक बात कहना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में एक जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटा, चन्दौली, वाराणसी है। आज 10-12 साल पहले उसको हाई स्कूल की मान्यता मिली था। उसमें 33 कमरे बने हैं। लेकिन तब से कई बार जिले के विधायकों ने कहा कि यह विद्यालय वाराणसी के पूर्वांचल में स्थित है और इस जगह से 15 किलोमीटर के अन्दर कोई इन्टर-मीडिएट विद्यालय नहीं है, ऐसी स्थिति में इस विद्यालय को इन्टरमीडिएट की मान्यता दे दी जाय। इसके बारे में पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने लिखा और सिफारिश की। श्री लोकपति त्रिपाठी जी ने देखा और लिखा, बनारस के सभी विधायकों ने लिखा तत्कालीन मंत्री चौ0 नौनिहाल सिंह जी ने 1982-83 के बजट में, मान्यता दे दी जाय, ऐसा लिखा लेकिन मान्यता नहीं मिली और मेरी स्थिति यह है कि मैं इसके लिये बेकार साबित होता जा रहा हूं। मैंने आज भी शिक्षा मंत्री जी को लिख कर दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि उसको मान्यता दे दे। बड़ी कृपा होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

वित्तीय वर्ष 1983-84 के तृतीय अनुपूरक अनुदान

वित्त एवं ऊर्जा मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1983-84 के तृतीय अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

(अनुपूरक अनुदानों से सम्बन्धित साहित्य का वितरण किया गया।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत मुझे 4 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। श्री रियासत हुसैन और श्री अकबर हुसैन को सूचना जो हाजी बदलू पुत्र श्री शब्बीर निवासी मुरादाबाद की पुलिस द्वारा हत्या किये जाने के बारे में है, को स्वीकार करता हूं बाकी सभी सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, कोई डेट तो निश्चित कर दें।

संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, इसकी तिथि होली के बाद किसी दिन निश्चित कर दें। 20 या 21 इन दोनों में से किसी भी तिथि को जब आप चाहें और जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, निश्चित कर दें।

1984-85 के आय-व्ययक पर अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 44--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, अनुदान संख्या 56--शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 59--संसदीय कार्य विभाग (विधान मंडल) तथा अनुदान संख्या 68--सांस्कृतिक कार्य विभाग (क्रमागत)

[समय 5 बजकर 2 मिनट तक]

*श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। श्रीमन्, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्रीमन्, जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ तब से एक ही मांग सामाजिक और पालिटिक्स के क्षेत्र में की जा रही है वह है इन्टरमीडिएट तक निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा बच्चों को दी जाय। आज इतने दिन हो गये हैं परन्तु इस सरकार ने इन्टरमीडिएट तक न ही निःशुल्क शिक्षा दी और न ही अनिवार्य शिक्षा ही की। मान्यवर, किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब उस देश में या प्रदेश में शत-प्रतिशत शिक्षित व्यक्ति हों। आज इस प्रदेश की हालत यह है कि इस प्रदेश में शिक्षा अन्य प्रदेशों से बहुत ही कम है। इसलिए श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से इस आदरणीय सदन में कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का स्तर बहुत ही गिर गया है, एक प्रकार से देखा जाय तो यह चौपट हो गया है। यदि प्राथमिक शिक्षा ही चौपट हो गई है तो पूरा शिक्षा जगत ही चौपट हो गया है।

आज इस दुर्व्यवस्था के कारण शिक्षा क्षेत्र में अराजकता फैल गयी है। प्राइमरी स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक शिक्षा जगत में अराजकता फैल गई है। एक प्रकार से प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा स्तर ढ़ेर हो गया है, अस्त-व्यस्त हो गया है। आज हर जगह प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। जहां पर लोग महंगी फीस देकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, परन्तु यह सरकार इण्टरमीडिएट तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा नहीं कर पायी। यदि यह सरकार ऐसा करने में असमर्थ है तो कम से कम प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन कर उसे सुदृढ़ किया जाय और जो शिक्षा जगत में अराजकता फैल गई है उसे समाप्त किया जाय।

मान्यवर, मैं बलिया जनपद के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। आज बलिया जनपद में 90 प्रतिशत प्राइमरी और मिडिल स्कूल ऐसे हैं, जिनके पास कोई भवन नहीं है। बरसात के दिनों में लगभग 3 महीने बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है। आज जिला योजना में उत्तर प्रदेश सरकार वृक्षारोपण की बात करती है। मैं चाहूंगा कि इन प्राइमरी स्कूलों और मिडिल स्कूलों के भवन बनाये जायं। एक बात और कहना चाहता हूं। श्रीमन्, हमारे क्षेत्र में नगरा ब्लाक के अन्तर्गत एक पारणी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, जिसमें 1981-82 में उस भवन को बनाने के लिये पैसा एलाट हो गया, बेसिक शिक्षा कार्यालय से इंजीनियर को लिख दिया गया, इंजीनियर आकर सर्वे कर ले गये, कुछ सामान भी वहां पहुंच गया, लेकिन न जाने, मेरे विरोधी पार्टी से सम्बद्ध होने के नाते, वहां से सारा सामान हटा दिया गया है और आज तक स्कूल वहां नहीं हुआ, वहां के लड़कों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसको नोट कर लें और इसमें स्थिति दिखवा लें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मान्यवर, आप समय तो दे नहीं रहे हैं, कटौती के प्रस्ताव का पुनः समर्थन करता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राज कुमार राय--

माननीय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये, शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया ।

माननीय, इस बजट का समर्थन होना इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि इसमें प्राथमिक शिक्षा को वरीयता दी गयी है, उसको ज्यादा महत्व दिया गया है और उसके भवनों के निर्माण के लिये 3 करोड़ रुपये का प्राविधान माननीय मंत्री जी ने इस बजट में किया है । और, इस तरह से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस प्रदेश के अन्तर्गत उन गिरे हुए, ढहे हुए सारे ध्वस्त प्राथमिक विद्यालयों को एक आंख से देखा है । माननीय, मेरा निवेदन यह है कि अगर ग्रामीण अंचलों में जायं तो शायद ही कोई गांव ऐसा मिलेगा जहां कि प्राथमिक विद्यालय का भवन गिरा न हो । इतनी गांव की संख्या पर, इतने प्राथमिक विद्यालयों की संख्या और उस पर इतनी कम राशि महज तीन करोड़ रुपये को देखते हुए—यह स्वल्प है । इसलिए निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु ज्यादा संसाधन जुटा करके अधिक बजट देने की व्यवस्था करें ।

माननीय, जहां तक शिक्षा की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि शिक्षा को प्रदेश की अन्य सारी चीजों से वरीयता प्राप्त हो जानी चाहिए और उसी प्रकार से शासन का दृष्टिकोण शिक्षा के विषय में साफ होना चाहिए । जहां तक माध्यमिक शिक्षा का सवाल है, कुछ ऐसी स्थिति कंट्रोवर्शियल है कि एक तरफ तो मैनेजिरियल सिस्टम है और जिसे पूर्ण रूप से समाप्त न करन के लिये शासन कृत संकल्प है और दूसरी तरफ शिक्षा में कार्य करने वाले बहुत सारे लोगों की मांग हो रही है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय । माननीय, मैं बधाई देता हूं माननीय शिक्षा मंत्री को, और अपने शासन को, कि उसकी इस नीति ने स्पष्ट कर दिया कि जो कुछ हो रहा है, हम जो कुछ कर पा रहे हैं शिक्षा के लिये शिक्षकों के लिये—हमने बहुत कुछ कर दिया है, उससे ज्यादा नहीं करेंगे ।

माननीय, इससे समस्या का आंशिक समाधान तो हो गया, लेकिन यह कोई स्थायी समाधान नहीं है । स्थायी समाधान के लिये कोई सिस्टम एडाप्ट करना होगा । अगर आपने मैनेजिरियल फार्म को माना है तो मैनेजर्स को आप कुछ निश्चित अधिकार दे दें । अगर अध्यापक कुछ उच्छृंखल हो गये हैं, अनुशासनहीन हो गये हैं, अध्यापन नहीं करना चाहते हैं, तो आपसे मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर अध्यापक अध्यापन न करे, वकील वकालत न करे, डाक्टर डाक्टरी न करे, यह अपने कामों को छोड़ दें, तो क्या कुछ बचता है । माननीय, अध्यापक ने पढ़ाया नहीं लगातार 4-5 महीने और दूसरे अब यह मांग करें कि शिक्षा में सुधार हो, शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन के लिये, तो उन आमूल-चूल परिवर्तन और राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त से हम समानीकरण नहीं कर पा रहे हैं । वे वही एक घिसी-पिटी लकीर पर चलकर एक घिसी-पिटी मांग करना चाहते हैं । उसके लिये ड्राफ्ट तैयार है, अगर राष्ट्रीयकरण चाहते हैं, तो क्या वे अपना स्थानान्तरण चाहेंगे, अपना इतना वेतन छोड़ेंगे, गांव में रहने के प्रलोभन की सुविधा छोड़ेंगे और दूसरी अन्य सुविधाओं को छोड़ेंगे ?

अगर नहीं, तो एक तरफ मांग करने वालों को रास्ता चुनना होगा और दूसरी तरफ सरकार को भी अपना नजरिया एक दम साफ रखना होगा । अगर मैनेजिरियल सिस्टम एडाप्ट है, तो उसमें निश्चित रूप से मैनेजर्स को कुछ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अधिकार दे दें, अगर न हो, तो सारे अधिकारों को एबालिश कर दें, या तो कह दें कि राष्ट्रीयकरण का मुआवजा नहीं मिलेगा, कोई रुपया नहीं मिलेगा, जिस तरह से समाज की गाड़ी चल रही है और जिस तरह से शिक्षा की गाड़ी चल रही है और जिस तरह से शासन चाहता है, वैसा ही होगा, मैं समझता हूं कि प्रदेश के सारे प्रबन्धक तैयार हैं रास्ता तो साफ हो नहीं तो गति क्या होगी, एक अन्धेरी गली से निकल कर दूसरी में चले जायेंगे ।

प्राथमिक शिक्षा का क्या था, जब तक जिला परिषद् में थी, उस पर काबू था । एस0 डी0 आई0 जाता था, उसको देखता था, एम0 एल0 ए0 जाता था, उसको देखता था । आज किसी का कोई सीधा कन्ट्रोल नहीं है । क्या उसी तरह से माध्यमिक शिक्षा को भी करना चाहते हैं । इस समस्या का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो यह भी अन्धेरे में भटकती हुई नीति रहेगी । इसके साथ ही मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

(श्री सरदार सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

आप मुझको समय नहीं दे रहे हैं, मुझको बोलने नहीं दे रहे हैं । मैं बार-बार खड़ा होता हूं, बार-बार कहता हूं ।

(घोर व्यवधान)

आप मेरे साथ अन्याय करते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं, आप बैठें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

(अत्यन्त तेजी से)

हाई स्कूल के प्रार्थना-पत्र इन्होंने नहीं दिये.... माननीय शिक्षा मन्त्री के विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है । इसके साथ ही मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री सरदार सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से आज मैं शिक्षा के बजट पर....

(श्री हरदेव के खड़े हो जाने के कारण व्यवधान ।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय हरदेव जी, आप बैठिये, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री किरन पाल सिंह--

जो अध्यापक थे, उनको तो बोलने का मौका नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, आपके माध्यम से उन सभी सम्मानित विधायकों का, जो इस ओर के हैं या उस ओर के हैं, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, धन्यवाद देता हूं ।

औपचारिकता को छोड़कर जो हमने कहा वही सत्ता पक्ष के साथियों ने भी कहा है । इससे यह जाहिर होता है कि मेरे कटौती के प्रस्ताव को बल मिला है । एक बात सबने कही कि जो दो तरह की शिक्षा है, समाप्त होनी चाहिये । शिक्षा में कृष्ण और सुदामा वाली बात कि गरीब अमीर एक साथ पढ़े, ऐसी शिक्षा होनी चाहिये । माननीय मुख्य मन्त्री जी भी हैं । हमारे देश की प्रधान मन्त्री और आपकी नेता ने गोरखपुर में 11 नवम्बर को और शान्ति निकेतन में 17 सितम्बर को यह भूल महसूस की

है कि आजादी के तुरन्त बाद शिक्षा में परिवर्तन कर देना चाहिए था और आमूल-चूल परिवर्तन न करने के कारण ही आज बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिये जो 90 प्रतिशत लोगों के लिए उपयोगी हो सके।

लखनऊ विश्वविद्यालय के एक डाक्टर सत्यव्रत पान्डेय हैं, उन्होंने अपनी पी० एच० डी० की रिसर्च के समय पर कुछ आंकड़े इकट्ठे किये हैं, उन्हीं के आधार पर उनको पी० एच० डी० मिली है। माननीय, उन्होंने पता लगाया है कि सरकारी नौकरियों में कितने लोग देहाती क्षेत्र के हैं और कितने लोग शहरी क्षेत्र के हैं। उन्होंने बताया कि आई० ए० एस० और पी० सी० एस० सेवा में 25 फीसदी लोग ग्रामीण-क्षेत्र के हैं और 75 फीसदी लोग शहरों के हैं। इन्जीनियर्स में 35 प्रतिशत देहात और 65 प्रतिशत शहरों के। डाक्टर्स में 30 प्रतिशत गावों के लोग और 70 फीसदी शहरों के हैं। फिर आगे उन्होंने यह पता लगाया है कि जो लोग सरकारी सेवा में हैं उनके बच्चे कितने, प्रतिशत सरकारी सेवा में हैं उसमें उन्होंने बताया कि आई० ए० एस० और पी० सी० एस० में 64 प्रतिशत हैं और जो व्यापार करते हैं, उनके बच्चे 17 फीसदी हैं, विशिष्ट धंधों वाले जैसे वज्ञानिक आदि उनके 10 प्रतिशत हैं और जो लोग कृषि से सम्बन्धित हैं उनके बच्चे केवल 9 प्रतिशत हैं। इंजीनियर्स में जो सरकारी सेवा में हैं, उनके बच्चे 47 परसेंट हैं, व्यापार वालों के 19 परसेंट, विशिष्ट धंधे वाले लोगों के बच्चों का 12 परसेंट तथा कृषि वालों के बच्चों का परसेंटेज 22 है। इसी प्रकार से डाक्टरी सेवा में 54 परसेंट, 17 परसेंट व्यापार वालों के विशिष्ट सेवा वालों का 12 परसेंट और कृषि वालों का 17 परसेंट।

तो माननीय, इस प्रकार जो टोटल आया वह 55 परसेंट तो सरकारी सेवा वालों का है, 17·9 परसेंट व्यापार, 11·09 परसेंट विशिष्ट धंधों का और कृषि वालों का कुल 16 परसेंट है तो इस प्रकार से कुल मिलाकर कृषि को छोड़कर 84 परसेंट हुआ और माननीय कृषि में जो 16 प्रतिशत आया है, वह भी उन किसानों का है, जिनके पास खेती का कारोबार अच्छा है लेकिन, जो गरीब हैं, भूमिहीन हैं, हरिजन हैं, यह लोग हर प्रकार से सरकारी सेवा में वंचित रहे, इसलिए यह समान शिक्षा नहीं कही जा सकती। अमीर और गरीब के बीच। इसलिए माननीय, मैं यह मांग करता हूं कि यदि शिक्षा समान न की गई तो देश और प्रदेश की हालत आगे चलकर क्या होगी और यह अमीर और गरीब की खाई दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। दूसरे संगठनों की तरह यदि किसान उसके लिए आन्दोलन करने लगा तो परिणाम भयंकर होंगे।

दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि एक महिला श्रीमती कटोरी देवी विधान सभा के सामने अनशन कर रही हैं और उनको 500 दिनों से अधिक हो गए हैं। उनकी मांगें कुछ भी हों वह शिक्षिका हैं, उनके अनशन को आप तुड़वाइये। अंत में जिला पुस्तकालयों के बारे में कहना चाहूंगा कि प्रदेश के जिला पुस्तकालयों में आप अपनी पसन्द को व अपने आदमियों द्वारा लिखित पुस्तकें खरीद कर उन पुस्तकालयों में भेजवा देते हैं जिनको अधिकांश पाठक पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, तो इस ओर हमारा सुझाव है कि उन जिलों के पुस्तकालय अध्यक्ष एवं पाठकों की रुचि के अनुसार पुस्तकों की सूची मंगवा लिया करें और स्वयं खरीदकर उन पुस्तकालयों के लिए भेजवा दिया करें यह अधिक उपयुक्त एवं हितकारी होगा।

मैं यह भी कहूंगा कि जो सहायता प्राप्त स्कूल्स हैं, उनको अनुदान दिये जाने चाहिये और उनके अध्यापकों को वेतन भी मिलने चाहिये और कन्याओं

के परीक्षा सेन्टर्स के बारे में जो असंतोष व्याप्त है, उसमें ध्यान देकर सुधारा जाना चाहिये और जो अध्यापकों की तदर्थ नियुक्तियां हो रही हैं उन पर भी समय से विचार करें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और मा0 शिक्षा मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं और वह शिक्षा में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन की घोषणा करें जिससे शिक्षा जगत में और शिक्षा में समानता आए।

(शिक्षा मंत्री का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मैं दो मिनट में अपनी बात को कहूंगा।

श्री अध्यक्ष--

यह कैसे होगा ? अब शिक्षा मंत्री जी को मैंने बुला लिया है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा क्योंकि बुलन्दशहर क्षेत्र के बारे में कोई नहीं बोल सका है।

संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

कटौती का प्रस्ताव पेश करने वाले माननीय सदस्य के बाद अब यह हो जायेगा तो मान्यवर, बहुत गलत परम्परा हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष--

जब उनका भाषण समाप्त हो जायेगा तो आप अपना स्पष्टीकरण मांग सकते। अभी आप बैठें।

श्री अम्मार रिजवी--

अध्यक्ष महोदय, इस शिक्षा के बजट पर जो चर्चा हुई उसमें जितने सम्मानित सदस्यों ने हिस्सा लिया और माननीय सरदार सिंह जिन्होंने कट मोशन सामने रखा है--

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

यह कट मोशन के क्या माने हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मैं जानता था कि अभी मेरी बात उधर से कट होगी। कट मोशन के माने हैं कटौती का प्रस्ताव।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग ज्यादा कट-कट न करें।

(हंसी)

श्री अम्मार रिजवी--

तो मान्यवर, मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं और शिक्षा के बारे में बहुत सी बातें कही गयीं, मैंने सबको नोट किया है परन्तु इस समय सब बातों का जवाब देना सम्भव नहीं है लेकिन मुख्य-मुख्य बातों का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा।

एक तो सरदार सिंह ने यह बात कही कि सिक्स फाइव इयर प्लान में यह जो प्राइमरी एजूकेशन का बजट है वह कम क्यों हो रहा है ? तो मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि बजट कम हो रहा है, ऐसा नहीं है। बजट दो तरह का होता है एक प्लान बजट और दूसरा नान प्लान बजट। यह 1980-81 में 10 करोड़ 23 लाख का था, 1981-82 में 9 करोड़ 12 लाख का था, 1982-83 में यह 18 करोड़ 5 लाख का था और 1983-84 में 21 करोड़ 4 लाख का है। इस तरह से 98 करोड़ 90 लाख का यह बजट है। कहीं कोई कमी इसमें नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि सिक्स फाइव ईयर प्लान में कोई प्राईमरी स्कूल नहीं खोला गया है परन्तु मैं उनको बतलाता हूं कि 1400 प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं।

नई एजूकेशन के बारे में कुछ आपत्तियां उठाई गई । यहां पर अवध यूनीवर्सिटी में इस नई एजूकेशन का प्रयोग किया जा रहा है । शिक्षा के लिए जरुरी है या किसी चीज को लागू करना है तो उसका पाईलेट प्रोजेक्ट की तरह से प्रयोग होना चाहिए । इस नई एजूकेशन में अध्यापकों के विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण की बात है, कलचरल हेरिटेज देने की बात है । नई एजुकेशन की बात यह नहीं है कि वह डिग्री को बदल दे, बल्कि यह है कि हमारी शिक्षा के अन्दर कुछ चीजें ऐसी रखी जाय जिससे कि हमारे चरित्र का निर्माण हो सके और जब वे जिन्दगी में दाखिल हों तो उससे उन्हें सहायता मिल सके । इसका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है वह मान्यवर, बहुत ही ऊंचा है और मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में जो पाईलेट प्रोजेक्ट चल रहा है इससे शिक्षा पर जरूर असर पड़ेगा ।

माननीय सरदार सिंह जी ने कहा कि बहुत से स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं तो यह बात सही है कि इस समय 28 हजार टीचर्स की कमी है । 2 लाख 50 हजार टीचर काम कर रहे हैं और 110 लाख के करीब छात्र हैं तो इस तरह से 1.44 का रेशियो पड़ता है । मैं समझता हूं कि हमारे जो वित्तीय ससाधन हैं, उनको देखते हुए यह काफी है । एक अध्यापक को जितने कम छात्र पढ़ाने के लिए मिलेंगे, उतना ही वह उस पर अपना टेन्शन दे सकता है, अपनी तवज्जुह दे सकता है । कानपुर विश्वविद्यालय के बारे में कहा, मान्यवर, उसका रिमाइन्डर दिया जा चुका है, राजस्व परिषद के सदस्य को इन्क्वायरी सुपुर्द की गई थी । अब हम फिर रिमाइन्डर भेज रहें हैं कि वह अपनी रिपोर्ट जल्दी भेज दें । मान्यवर, एक सर्वदलीय सम्मेलन की बात कही गई, और कहा गया कि प्रधान मंत्री ने अपनी गलती को रियलाइज किया है ।

श्री बिद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मंत्री जी अपने भाषण में कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है । अंग्रेजी में बोल रहे हैं, किस भाषा में बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप हिन्दी के शब्दों का उपयोग करें ।

श्री अम्मार रिजवी--

सर्वदलीय सम्मेलन किस जुबान का है, वह तो विषय के सागर हैं उनके यहां पर मन्थन होना चाहिए लेकिन मन्थन करने की शक्ति नहीं है इसलिए उनकी समझ में नहीं आता है । सर्वदलीय सम्मेलन, जैसा सरदार सिंह जी ने कहा कि प्रधान मंत्री जी ने शिक्षा के बारे में अपनी गलती का एहसास किया है । उन्होंने तो मान्यवर, शिक्षा के बारे में अपना एक दृष्टिकोण बताया है, अगर कोई अपना दृष्टिकोण बताता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपनी गलती बताता है, उसको स्वीकार करता है । अगर कोई बात है, कोई गलती है और वह कहता है कि यह गलत बात है तो मैं समझता हूं कि उसका बड़प्पन है और इतनी प्रशन्सा आप लोग नहीं कर सकेंगे ।

मान्यवर, हिन्दी संस्थान के बारे में कहा गया, कि वहां पर बहुत सी किताबें पड़ी हुई हैं । मैं इसकी जांच कराऊंगा और देखूंगा । मान्यवर, स्कूलों की इमारतों के बारे में कहा गया, तो मैं कहना चाहता हूं कि 1980-85 में 32 करोड़ रुपया का प्राविधान किया गया था, 8,297 विद्यालयों को बनना था और इस 1984-85 में 977 स्कूल बनने हैं और उसके लिए 7 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है, जितने हमारे सीमित साधन हैं उनके अन्तर्गत हम उनको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं । सच्चिदानन्द बाजपेई जी ने कहा

कि जो हमारी शिक्षा हैं, पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा हैं, के बारे में कहा, इस विषय में मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पहले ही घोषणा किया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जो दबाव है उसको देखते हुए कुछ कालेजों में महा विद्यालय स्तर की शिक्षा दी जायेगी। इसको शीघ्र ही देखा जाएगा। श्री शिवानन्द नौटियाल जो ने कहा, वह शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, कि मेरे भाषण में उनको कोई ऐसी चीज नहीं मिली, यह मेरा दुर्भाग्य है कि उनको मेरे भाषण में कोई बात नहीं मिली। मान्यवर, हर एक के भाषण में कोई न कोई बात तो मिलती ही है, जो अच्छी चीज होती है उसका अनुसरण करना चाहिए। मेरा दुर्भाग्य है कि उनको ऐसा पैगाम नहीं मिला। मान्यवर, उन्होंने कहा कि पहाड़ों पर अध्यापक पढ़ा नहीं रहे हैं और पूरी संस्था म मौजूद नहीं है, अगर मैं पूर्वान्चल के अध्यापकों के बारे में कहूं तो मोहन सिंह जी नाराज हो जायेगा मान्यवर, जो लोग वहां की भाषा को नहीं जानते हैं, ऐसे लोग वहां पर जायेंगे तो उनको कठिनाई होगी, इसीलिए हम वहां के स्थानीय लोगों को रिक्रूटमेंट में वरीयता देंगे।

(एक सदस्य के सदन में सोने पर)

श्री अध्यक्ष--

सदन में किसी माननीय सदस्य को सोने का अधिकार नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, वह सो नहीं रहे हैं कुछ चिन्तन कर रहे हैं।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, नौटियाल जी ने कहा कि गढ़वाल में म्युजियम होना चाहिए, संग्रहालय होना चाहिए मूर्ति कला को बाकी रखन के लिए। शासन इस पर विचार करेगा और वहां पर एक म्युजियम गढ़वाल रीजन में खोला जाएगा। मान्यवर, माननीय विद्यासागर नौटियाल ने प्रमाणपत्रों के बारे में कहा कि 1978 से अब तक के विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र नहीं दिए गए हैं। इसमें विलम्ब जरूर हुआ है। अब कप्यूटर की व्यवस्था हो गई है। मान्यवर, कंप्यूटर को हिन्दी मालूम नहीं है, माननीय नौटियाल साहब मुझे बता देंगे। लेकिन इस यन्त्र के लगने के बाद काफी सुविधा हो गई है। शुरू में तो कुछ दिक्कत हुई लेकिन अब वह ठीक व्यवस्था से चल रहा है और प्रमाण-पत्र दिए जा रहे हैं। अब विद्या सागर जी को कोई शिकायत नहीं होगी। माननीय जनार्दन ओझा जी ने डिग्री कालेजों में गबन की बात कही। ओझा जी जहां होंगे, वहां गबन की चर्चा होगी। मान्यवर, वह मैंने नोट कर लिया है, उसकी जांच कर ली जाएगी। माननीय राम कुमार भार्गव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में यूनियन के चुनाव की बात कही। इस पर विचार किया जायेगा। यह पूरे प्रदेश की बात है। जो अधिकार छात्रों का है वह उनको मिलना चाहिए। माननीय लल्लू सिंह चौहान ने कहा कि बेसिक एजूकेशन ऐक्ट में एक विलेज एजूकेशन कमेटी होनी चाहिए और उसमें प्रधान को ज्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए। यह बात सही है ....

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। शिक्षा की नीति के बारे में यह कहा जाता है कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो करने वाले ये खुद हैं और मंत्री जी ही खुद कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

श्री किरन पाल सिंह--

मंत्री जी कहते हैं कि छात्रों को अधिकार मिलना चाहिए । जब कि उनका खुद करना ह । इनको कहना चाहिए कि हम यह अधिकार देते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि माननीय ललू सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानों का अधिकार दिया जाय । इसको सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रधानों को ज्यादा अधिकार भी मिले और उनका संचालन भी ठीक से हो सके । जो ट्रेन्ड अध्यापक हैं, उनको अभी तक रोजगार नहीं मिल सका है उसके सिलसिले में माननीय शिवानन्द नोटियाल ने कहा था । हमने ट्रेनिंग स्कूल बन्द कर दिए । वे इसलिए बन्द कर दिए गए थे कि जितने ज्यादा ट्रेन्ड टीचर्स की संख्या बढ़ेगी और उनको वगैर रोजगार दिए उनकी संख्या बढ़ती ही जाती । आगे चलकर इतनी संख्या हो जाती कि उनको किसी तरह से रोजगार देना सम्भव नहीं था । इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि जितने ट्रेन्ट टीचर्स हैं उनको रोजगार दिया जाय । माननीय रुद्र प्रताप सिंह ने शिक्षा की डबुल पालिसी के बारे में कहा. . .

(व्यवधान)

श्री ललू सिंह चौहान--

मैनपुरी में साइन्स कालेज के बारे में मैंने कहा था ।

श्री अम्मार रिजवी--

जो व्यक्तिगत क्षेत्र की बात की गई उन सबके बारे मे जबाब देना इस समय सम्भव न होगा । जो नीति की बात कही गई उनके बारे में ही कहा जा सकता है, बाकी जो भी बातें कहीं गई हैं उस पर बिचार किया जायेगा ।

*डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि वह बात सही है । लेकिन उसका परिणाम पर्वतीय अंचल में ऐसा हुआ है कि जिससे वहां पर प्राइमरी अध्यापक बहुत कम हो गए हैं । लगभग ढाई हजार अध्यापक पर्वतीय अंचल के आठों जिलों में कम हो गए हैं जिसका परिणाम यह हुआ है कि प्राइमरी अध्यापकों को भी अब देवरिया और बलिया से लिया जा रहा है । यह नहीं होना चाहिए । मेरा कहना है कि अगर ऐसी स्थिति है तो वहां पर जो हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज बेकार लड़के हो उनके लिए ही ऐसी व्यवस्था करा दें कि वे प्राइमरी अध्यापक बन सके । विशेष परिस्थिति में आप ऐसा आश्वासन दे दें ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यह जो प्रश्न माननीय सदस्य ने रखा है इस पर विचार करेंगे और उनसे भी परामर्श कर लेंगे क्योंकि बराबर उनसे मुलाकात होती रहती है । माननीय रुद्र प्रताप सिंह जी ने दोहरी शिक्षा पालिसी के बारे में कहा । मान्यवर, दोहरी शिक्षा पालिसी का जहां तक प्रश्न है सरकार ने जो स्कूल खोले हैं उनमें एक तरह का कैरीकुलम है और एक ही तरह के विद्यालय खोले हैं दो तरह से स्कूल नहीं खोले हैं । लेकिन जो संविधान के तहत अधिकार हैं और जिनको खोलने की उन्हें इजाजत है उन पर सरकार द्वारा रोक लगाना संभव नहीं है ।

माननीया, गौरी देवी जी ने कहा कि बिल्डिगों की मरम्मत के लिए जो पैसा रखा गया है, वह बहुत कम है तो वह एक करोड़ से बढ़ा कर उनके कहने पर 3 करोड़ 16 लाख कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दिया है। माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा कि सर्वेक्षण कराया जाय और यह देखा जाय कि शिक्षा संस्थाओं में कितने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं तो इसका सर्वे कराया जायेगा। माननीय सच्चिदानन्द बाजपेयी जी ने कहा कि एन0 आर0 इ0 पी0 में जो पैसा है उसमें स्कूलों की मरम्मत और निर्माण कराया जाय। तो इस पर विचार किया जायेगा, यह सुझाव बहुत अच्छा है। एक बात माननीय चन्द्रशेखर जी ने कही कि परीक्षाओं के सिलसिले में सेक्शन 9 (4) लगाया जाय। तो सेक्शन 9 (4) में सरकार को वह अधिकार हैं जो विशेष परिस्थितियों में लगाये जाते हैं। हमारे जो अध्यापक हैं उनका जो कार्य है उसको वे हमारी अपील पर करेंगे और अध्यापकों के लिए इस प्रकार के विशेष अधिकार का इस्तेमाल करना, एक अध्यापक होने के नाते सामान्यतः अभी मैं उचित नहीं समझता हूं। जो हालात हैं वह साधारण हालत हैं। छात्रों की भलाई और शिक्षा की भलाई को देखते हुए हमारे अध्यापक पूरा सहयोग करेंग।

माननीय आजम खां साहब ने उर्दू के बारे में कहा माननीय मुख्य मंत्री जी के एक भाषण का हवाला दिया तो उसके बारे म जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है उसका यहां पर सदन में अध्यादेश प्रस्तुत भी कर दिया गया है और इसको ऐक्ट की शक्ल अब दी जायेगी।

माननाय मोहन सिंह जी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की इनक्वारी के बारे में कहा कि एस0 एन0 पंडिता इनक्वायरी कर रहे हैं और उसे वह पूरी नहीं कर सके। अब एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज को यह काम दे दिया गया है और जल्दी करने का अनुरोध किया गया है। नाम याद नहीं आ रहा है।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, पूरे प्रदेश की यह एक महत्वपूर्ण संस्था है और उसमें इन्होंने उत्तेजना का वातावरण पैदा करा दिया। इसी पर वहां के एक कुलपति ने त्याग-पत्र दे दिया और आज तक माननीय सोमनाथ पंडित कमीशन ने कोई जांच नहीं की और वह छोड़ कर चले गये और उनके खिलाफ खुद ही एक कमीशन बैठ रहा है। अब यह कह रहे हैं कि एक भूतपूर्व न्यायाधीश को मामले की जानकारी करने के लिए मुकर्रर किया गया है जिसका यह नाम बताने से कतरा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण संस्था में उपद्रव की स्थिति इन्होंने कायम कर दी है।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैंने बहुत सफाई और ईमानदारी के साथ कह दिया कि मुझे नाम नहीं मालूम नहीं है, जितनी सूचना मेरे पास थी वह मैंने बता दी। मैं अपने मन से गढ़ कर नाम कैसे बता दूं। कल बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

आप इनको बता दें।

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, बता दूंगा। मान्यवर, जानकारी मिल गयी है उनका नाम जस्टिस जी0 डी0 श्रीवास्तव है। तो जो मेरा एक प्रिवेलेज था उनके मेरे कक्ष में आने क वह भी खतम कर दिया।

श्री विद्या सागर टियानील--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का मैं समर्थन कर जाता यदि--

ये मसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब,
तुझे हम बली समझते, जो न वादा ख्वार होता।

मान्यवर, मंत्री जी बताने की कृपा करें कि क्या पहाड़ के अन्दर बुनियादी शिक्षा के लिए एक बालक को 3 कि0 मी0 से अधिक न चलना पड़े, इसका क्या सरकार आश्वासन देगी ?

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

मान्यवर, मैंने मांग किया था कि रामपुर जनपद के किसी तहसील और ब्लाक स्तर पर इन्टरमीडिएट कालेज नहीं हैं, तो वह खुलवाने का क्या आश्वासन देंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, श्री विद्या सागर जी ने मेरे बारे में कहा है कि मैं वादाखोर हूं । मैं इतना ही कह सकता हूं कि--

ये न थी हमारी किस्मत, कि विसाले यार होता,
अगर और जीते रहते, यहीं इन्तजार होता ।

मैं तो उनका लगातार इन्तजार ही करता आ रहा हूं ।

मान्यवर, उन्होंने जो विद्यालय की बात कही है तो यदि 3 कि0 मी0 के करीब स्कूल नहीं हैं और आबादी है तो इसे सुनिश्चित करवा लिया जायेगा ।

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो रसखान समारोह की बात कही है तो वह किया जायेगा और उसकी पूरी तैयारी की जा रही है और समाधि को तथा और भी जो कब्रें हैं उनको देखा जा रहा है कि लोग उनको क्षति न पहुंचायें । वहां के लिए पूरा प्लान तैयार किया गया है । मैं स्वयं और विभाग के लोग वहां गये थे । वहां पर एक टूरिस्ट सेन्टर, लाइब्रेरी और म्यूजियम बनाये जायं जिससे लोग वहां ठहर सकें और राष्ट्रीय एकीकरण की बात से फायदा उठा सकें । इसी तरह का विचार बेगम हजरत महल, लखनऊ में समारोह मनाने का है जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हिस्सा ले सकें । तो इस प्रकार राष्ट्रीय एकीकरण के सिलसिले में काफी काम किए जा रहे हैं ।

मान्यवर, कई बातें कही गयीं जिनको मैं सारांश में कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

लड़कियों के सेन्टर के बारे में आप आश्वासन दें ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, लड़कियों के सेन्टर के बारे में कहना चाहता हूं कि जैसे शहर से शहर, एक गांव से दूसरे गांव या एक कस्बे से दूसरे कस्बे में कर दिया गया है, तो उनको जहां पर पिछले साल केन्द्र था वहां पर रखा जायेगा ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मान्यवर, स्पष्ट करा दें ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, स्पष्ट है कि एक स्थान से जिस स्थान पर जैसे लखनऊ का केन्द्र है और लखनऊ के केन्द्र को बख्शी तालाब में कर दिया गया है, तो बख्शी तालाब में जहां पहले केन्द्र था लखनऊ में वहीं रहेगा । लेकिन यदि विद्यालय बदल दिया गया है उसी स्थान पर, तो वह वैसे ही रहेगा चूंकि इस समय 2 हजार स्थानों को बदलना संभव नहीं है । कठिनाई दूसरे स्थान पर जाने की थी जिसको हल कर दिया गया है ।

मान्यवर, तदर्थ अध्यापक जो डिग्री कालेज के थे उनकी समस्या थी तो उसमें शासन ने निर्णय लिया है कि जो शिक्षा आयोग है उसके कायम होने से पहले जो नियुक्तियां हुई हैं तदर्थ उनका विनियमतिकरण कर दिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मंत्री जी ने अभी डिग्री कालेज के तदर्थ अध्यापकों के बारे में चर्चा की लेकिन मैं यह स्पष्टीकरण

चाहता हूं कि जो 6 महीने का बंधन लगा दिया गया है क्या उनको शिथिल करेंगे और डिग्री कालेज हाई स्कूल एवं इन्टर कालेजों में तदर्थ नियुक्तियां जो हुई हैं उनके बारे में क्या नीति है, उसको बता दें ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यह बहुत थोड़ी संख्या में थे, इस वजह से यह किया गया । जो मैंने अभी बात कही, जो हमारा सर्विस कमीशन बना है जिस तारीख से उसने काम करना शुरू कर दिया है, उसके पहले के प्रकरण को हम समाप्त कर देना चाहते हैं । जहां तक अन्य अध्यापकों का प्रश्न है, अभी तक उस पर कोई विचार नहीं है और न हमारी वित्तीय स्थिति ऐसी है कि हम उस पर विचार कर सकें ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

शिक्षा मंत्री जी, जो हमारा बुन्देलखंड क्षेत्र है वह पर्वतीय क्षेत्र के समान है, वैसा ही पिछड़ा हुआ है और वैसी ही उसकी स्थिति है । तो मैं बुन्देलखंड क्षेत्र बारे में आपसे मांग करता हूं कि वहां के प्रत्येक जनपद को प्रत्येक तहसील में, जहां पर लड़कियों के स्कूल नहीं हैं, वहां पर एक स्कूल अवश्य खोलने का कष्ट करेंगे और वहां पर अन्य सुविधायें भी पर्वतीय क्षेत्र के समान उपलब्ध करा देने की कृपा करेंगे ? बुनियादी शिक्षा का जो अन्तर है, वह पर्वतीय क्षेत्र के समान बुन्देलखंड में भी आप कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

अग्निहोत्री जी ने जो बात कही है, उस पर विचार किया जायेगा, कोई वैसी बात नहीं है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, एक बात और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि बोर्ड के इम्तहान आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से समय से होंगे । उसकी सारी व्यवस्था हम लोगों ने की है और पूरी कर ली है । हमें उम्मीद है कि उसमें हमारे सारे विधायकों का सहयोग रहेगा । साथ ही जो हमारे शिक्षक लोग हड़ताल पर हैं, आन्दोलनरत हैं, उनसे भी अपील करता हूं कि वह छात्र-हित और प्रदेश-हित को देखते हुए उनको परीक्षाओं में सहयोग देना चाहिये, ताकि लाखों लाख बच्चों का भविष्य अन्धकार में न पड़ सके ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और

अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और

स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56--शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और

अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56--शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,95,50,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59--संसदीय कार्य विभाग (विधान मंडल) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59--संसदीय कार्य विभाग (विधान मंडल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68--सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68--सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 74,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

बुलन्दशहर मुख्यालय में एक कोतवाल द्वारा एक आई0ए0एस0 अधिकारी को पीटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

[समय 5 बजकर 50 मिनट]

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 25 फरवरी 1984 को जनपद बुलन्दशहर की जिला प्रदर्शनी में परगनाधिकारी, बुलन्दशहर की देखरेख में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था । उस कार्यक्रम में व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था । उन पुलिस कर्मियों में पुलिस कोतवाली, खुर्जा के पुलिस निरीक्षक भी थे। सांस्कृतिक कार्य क्रम आरम्भ होने के पश्चात् कतिपय व्यक्तियों के लिये उनके बैठने के स्थान को लेकर परगनाधिकारी तथा पुलिस निरीक्षक के बीच कुछ कहा-सुनी हो गयी थी जिसे तत्काल सुलझा दिया गया ।

2--सूचना में उठाये गये अन्य बिन्दु कि किसी फिएट कार को लेकर परगनाधिकारी व पुलिस निरीक्षक के बीच मतभेद थे, उन दोनों के मध्य

कोई मारपीट हुई, वे दोनों नशे में थे, घटना के पश्चात् प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन में तनाव के कारण जिला प्रशासन पंगु है, जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक में बोलचाल नहीं है, आदि समस्त आरोप जांच से निराधार पाये गये ।

3—जनपद बुलन्दशहर में स्थिति पूर्णतः सामान्य है ।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जांच जिलाधिकारी द्वारा करायी गयी है या कमिश्नर द्वारा

(व्यवधान)

क्योंकि जिस दिन मैंने यह मामला उठाया था उस दिन यह आश्वासन दिया गया था कि मेरठ मंडल के कमिश्नर द्वारा जांच करायी जायेगी । तो यह वक्तव्य किसकी जांच रिपोर्ट के ऊपर आधारित है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

जिलाधिकारी की रिपोर्ट के ऊपर ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, जब स्पष्ट यह आश्वासन दिया गया था कि कमिश्नर, मेरठ मंडल द्वारा जांच करवायी जायेगी तो उनके द्वारा जांच न करवाने का क्या कारण है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, यह कोई इतना अहम मसला नहीं समझा गया, जिलाधिकारी द्वारा ही जांच करवायी गयी और जो आरोप लगाये गये थे वे सत्य नहीं पाये गये वहां पूरी तरह से शान्ति है और सारी व्यवस्था ठीक है ।

श्री यशपाल सिंह—

इसके दूसरे पैराग्राफ में जिस फीएट कार का जिक्र है, उसके बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि वह किस सन् और किस माडल की थी, कौन इसका नीलामकर्त्ता था और किस थाने में यह नीलाम हुई ? कितने रुपयों में नीलाम हुई और किस व्यक्ति के नाम बोली छोड़ी गयी और क्या वह बुलन्दशहर का निवासी था ? इसके बारे में बताने की कृपा करें ।

श्री रणजीत सिंह जुदेब—

मान्यवर, इस फियेट कार के बारे में जो पूछा गया है तो सन् 1982 में, वहां के एक थाने गुलावटी में, किसी स्मगलर की यह कार थी जिसकी टक्कर हुयी और जीर्णशीर्ण हालत में यह थाने में आ गयी । वहां पर यह खड़ी रही । जब इसके नीलाम की अनुमति हो गयी तो इसका बाकायदा विज्ञापन हुआ । इसके बाद वहां पर इसको नीलाम किया गया । इसमें सबसे ज्यादा बोली हरिश्चन्द्र की थी, 5,150 रुपये की । दिनांक 9-12-83 को यह बिकी ।

श्री अध्यक्ष—

किस माडल की गाड़ी थी और कितने में नीलाम हुई ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

श्रीमन्, माडल का पता नहीं है । यह फीयेट कार टकरा गयी थी और स्मगलर छोड़कर भाग गया था । एक साल तक यह थाने पर रही तो माडल का पता नहीं है, बहुत खराब हालत में यह थी । इसको श्री हरिश्चन्द्र ने खरीदा । उनकी न कोई रिश्तेदारी गौड़ से है न शर्मा जी से है और न वहां के किसी अधिकारी से उनकी कोई रिश्तेदारी है ।

*श्री विमल प्रसाद तिवारी—

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकरण पर, अधिकारियों ने आई0 ए0 एस0 कैडर के श्री तुलसीदास जो वहां परगनाधिकारी हैं, उनको बचाने का निश्चित प्रयास

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किया है । मैं जानना चाहूंगा कि यह आई० ए० एस० अधिकारी 6 माह पूर्व फर्रुखाबाद जनपद में परगनाधिकारी थे, उससे पूर्व जौनपुर में परगनाधिकारी थे । तो क्या दोनों स्थानों पर उनके साथ मारपीट की घटनायें हुयीं और गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप शासन के यहां जांच में विचाराधीन हैं । एक श्री तुलसी दास उस युग में हुए थे । मैं बहुत नम्रतापूर्वक शासन से कहना चाहता हूं कि यह कलियुगी रावण के रूप में श्री तुलसी दास आई० ए० एस० अधिकारी हैं । यदि यह बात सही है तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन श्री तुलसी दास, आई० ए० एस० को शासन प्रदेश के किसी महत्वपूर्ण पागलखाने में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही करेगा क्योंकि इनके लिए उसके अलावा और कोई स्थान नहीं है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमन्, मैं कैसे कह सकता हूं ? पागलखाने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष--

क्या सदन को आप पागलखाना कह रहे हैं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

सदन को नहीं कह रहा हूं । अधिकारी को पागल कैसे कह सकता हूं ?

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, वक्तव्य में कहा गया है कि समस्त आरोप निराधार पाये गये । तो मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं, आपने भी उस दिन निर्देश किया था, यहां पर कहा गया था कि कमिश्नर से इसकी जांच करायी जायेगी। क्या यह वक्तव्य कमिश्नर की जांच के आधार पर आया है या आपके निर्देशों को और जो यहां पर घोषणा हुई है उसको ओवर रूल करके यह जांच किसी नायब तहसीलदार या तहसीलदार से करा ली गयी है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमन्, यह जांच जिलाधिकारी से करायी गयी है । मगर,

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मगर से काम नहीं चलेगा।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, मैं सवाल करने से पहले व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । मान्यवर, यह आपके संज्ञान में भी है कि जिस दिन यह प्रकरण सदन में उठा था, माननीय मंत्री जी और मान्यवर, आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि आयुक्त स्तर से जांच कराने की बात हुई थी । तो मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं जब सदन में एक बार यह कह दिया गया कि आयुक्त से जांच करायी जायगी, तो उसके बाद जिलाधिकारी मात्र की रिपोर्ट के आधार पर सदन में इसका उत्तर दिया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री कुछ आपको याद है कि आपने ऐसा आश्वासन दिया था कि कमिश्नर से इसकी जांच करायी जायगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इसकी जांच का आश्वासन मैंने दिया था कि इसकी जांच आयुक्त से करायी जायगी । लेकिन मुझे खेद है कि यह जिलाधिकारी द्वारा कराय । मान्यवर, इसकी जांच दुबारा आयुक्त से करा कर सदन के सामने रख दी जायगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह आपके निर्देश के बाद बात साफ हो गयी कि आयुक्त की जांच होने के बाद मामला साफ हो जायगा। मैं माननीय मंत्री जी को स्मरण दिलाना चाहता हूं और जांच के बिन्दुओं के झगड़े, फियटकार की खरीद सब मामले में आयुक्त की जांच होकर सदन में आ जानी चाहिये।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके विरुद्ध जो अनेक भ्रष्टाचार के आरोप 6 महीने फर्रुखाबाद के सेवाकाल में लगे थे और उनकी जांच हुई थी। मान्यवर, उनकी जांच भी हो गयी, उसकी रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है, उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

(व्यवधान)

संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी--)

मान्यवर, माननीय सदस्य ने फर्रुखाबाद के बारे में कहा है। यह सारा प्रकरण बुलन्दशहर तक सीमित है। अब वह कहां थे, कानपुर में रहे या लखनऊ में रहे, जो बुलन्दशहर से सम्बन्धित है, उसके बारे में जांच करायी जायगी।

विक्रम काटन मिल, लखनऊ में मजदूरों द्वारा हड़ताल किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्रम एवं प्राविधिक शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)--

[श्री विक्रम काटन मिल, ऐशबाग, लखनऊ संप्रति नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (यू0 पी0) की एक इकाई के रूप में कार्य कर रही है। उक्त प्रतिष्ठान में चार श्रमिक संगठन (1) श्री विक्रम काटन मिल मजदूर सभा (2) श्री विक्रम काटन मिल्स कर्मचारी संघ (3) श्री विक्रम काटन मिल्स श्रमिक संघ तथा (4) श्री विक्रम काटन मिल्स श्रम संगठन कार्यरत हैं। इन श्रमिक संगठनों के अतिरिक्त श्री रंजीत सिंह ने एक संयुक्त मोर्चा (श्री बिक्रम काटन मिल्स कर्मचारी संयुक्त मोर्चा, लखनऊ) का भी हाल में गठन किया है।

दिनांक 13 फरवरी, 1984 से उक्त प्रतिष्ठान में श्रमिकों की हड़ताल चल रही है। हड़ताल से पूर्व श्रमिकों ने कोई भी मांग-पत्र नोटिस क्षेत्रीय उप श्रमायुक्त कार्यालय, लखनऊ को प्रस्तुत नहीं किया। श्रमिक पक्ष का कहना है कि श्री विक्रम काटन मिल्स, संयुक्त मोर्चा, लखनऊ द्वारा सेवायोजकों को उन्होंने मांग-पत्र/हड़ताल नोटिस दिनांक 7 जनवरी, 1984 प्रस्तुत कर दिया था किन्तु सेवायोजकों ने भी हड़ताल के पूर्व किसी भी नोटिस या मांग पत्र के प्राप्त होने से इन्कार किया है। इस प्रकार सेवायोजकों के अनुसार श्रमिकों की हड़ताल गैर कानूनी है।

श्रमिक पक्ष का कथन है कि उन्होंने उपरोक्त मांग-पत्र के अनुसार हड़ताल से पूर्व 11 मांगें उठायी थीं। सेवायोजकों द्वारा इन्हें माना नहीं गया, इसलिए वे दिनांक 13 फरवरी, 1984 से हड़ताल पर हैं। श्रमिक पक्ष की 19 मांगों में से मुख्य मांगें दिनांक 1 अक्तूबर, 1979 से 40 रु0 की तदर्थ वृद्धि, वेतनों के पुनरीक्षित करने, निलम्बित एवं निकाले गये ऐसे श्रमिकों को बहाल करने तथा वापस लेने आदि की है। इस मांग-पत्र में वर्ष 1979-80 के समझौतों के पालन करने की मांग नहीं उठायी गयी है।

हड़ताल की सूचना प्राप्त होने पर पक्षों को क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में दिनांक 16 फरवरी, 1984 को विचार-विमर्श हेतु बुलाया गया। विचार-विमर्श में सेवायोजकों ने भाग नहीं लिया क्योंकि सेवायोजक पक्ष अपने को असुरक्षित महसूस

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कर रहा था । सेवायोजकों की सूचना के अनुसार श्रमिकों ने गेट मीटिंग में यह एलान किया था कि यदि उप श्रमायुक्त लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 16 फरवरी, 1984 को पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ तो श्रमिकों द्वारा सेवायोजकों का उस समय तक घिराव किया जायेगा जब तक समझौता नहीं हो जायेगा । दिनांक 16 फरवरी, 1984 को संयोजक श्री बिक्रम काटन मिल्स, लखनऊ श्री के0 पी0 सिंह, प्रेसीडेन्ट, श्री बिक्रम काटन मिल्स कर्मचारी संघ श्री रंजीत सिंह, संयोजक श्री विक्रम मिल्स, लखनऊ संयुक्त मोर्चा आदि बिना पूर्व सूचना के उप श्रमायुक्त, कार्यालय, लखनऊ मे लगभग 300 श्रमिकों के साथ आये, कार्यालय पोर्टिको पर जबरन कब्जा किया, नारेबाजी का तथा कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अशोभनीय बातें कहीं । श्रमिक वर्ग के इस आचरण के प्रतिक्रिया स्वरूप उक्त कार्यालय के कर्मचारियों ने अपराह्न 2-30 बजे से कार्य करना बन्द कर दिया । कर्मचारियों को समझाबुझा-कर कार्य प्रारम्भ कराया गया, साथ ही घटना की पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी । समस्या के निदान हेतु पक्षों को विचार विमर्श हेतु दिनांक 24 फरवरी, 1984, 1 मार्च, 1984, 5 मार्च, 1984 को बुलाया गया । इस बीच सेवायोजकों ने प्रतिष्ठान के 23 श्रमिकों को गम्भीर दुराचरण के आरोप में निलम्बित कर दिया तथा श्रमिकों द्वारा अवैधानिक हड़ताल पर आने की वजह से 8 दिन के वेतन की अतिरिक्त कटौती के आदेश निर्गत कर दिया । विचार विमर्श के दौरान श्रमिकों ने यह मांग की कि 23 श्रमिकों के निलम्बन आदेश एवं आरोप पत्र वापस लिए जायं, 8 दिन के वेतन के अतिरिक्त कटौती के आदेश निरस्त किये जायं तथा हड़ताल की वजह से किसी भी कर्मचारी को प्रताड़ित न किया जाय । दिनांक 7 मार्च, 1984 को सचिवालय स्तर पर भी विचार विमर्श हुआ । दिनांक 8 मार्च, 1984 को उपश्रमायुक्त कार्यालय, लखनऊ में पुनः विचार विमर्श हुआ । उप-श्रमायुक्त द्वारा यह सुझाव रखा गया कि जिन श्रमिकों के विरुद्ध हिंसा के आरोप हैं उन्हें छोड़कर शेष के निलम्बन आदेश वापस लेने के विषय पर सेवायोजक सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, किन्तु श्रमिक पक्ष ने इस बात पर बल दिया कि सभी 23 श्रमिकों के निलम्बन आदेश वापस लिए जायं । अतः गतिरोध बना रहा और पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका । समस्या को सुलझाने का प्रयास जारी है ।

यद्यपि श्रमिक पक्ष ने इस हड़ताल से सम्बन्धित मांग-पत्र में वर्ष 1979-80 में हुये समझौतों के पालन कराये जाने की मांग नहीं उठायी है फिर भी इस सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है । वर्ष 1979 में पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ । दिनांक 4 जनवरी, 1980 को पक्षों के बीच एक समझौता हुआ जो कि क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में पंजीकृत कराया गया । इस समझौते में 16 धारायें हैं । इसमें से अधिकांश का पालन कर दिया गया है । धारा 11 जो सायरन की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में है, का पालन बिजली की कटौती के कारण नहीं हो सका है । धारा 12 में उल्लिखित आवासीय व्यवस्था में कोई भी सुधार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्रतिष्ठान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है । जहां तक धारा 13 के पालन का प्रश्न है स्थिति यह है कि 40 रु0 प्रतिमाह को तदर्थ वृद्धि का मामला प्रबन्धकों द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है तथा इसकी सूचना भी श्रमिक पक्ष को दे दी गयी है । 7.50 रु0 डाई-कास्ट एलाउन्स तथा 0.75 पैसे की वार्षिक वृद्धि का मामला उपश्रमायुक्त को पंच निर्णय हेतु सौपे न जाने के अभाव में उसके द्वारा किसी निर्देश देने का प्रश्न नहीं उठता । त्योहारों की सवेतन छुट्टी पक्षों की सहमति से अब 11 दिन दी जा रही है । पक्षों की सहमति से ही दो त्योहारों की छुट्टियां अवैतनिक दी जा रही है । धारा 15 के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि पक्षों के

बीच हमेशा ही मतभेद रहे, इसलिए वेतन पुनरीक्षित करने के प्रश्न पर विचार नहीं हो सकता। यदि समझौते की किसी धारा के अनुपालन न करने की श्रमिक पक्ष कोई स्पष्ट सूचना दें तो उसे पुनः देखा जा सकता है।]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी बताने कृपा करेंगे कि यह पूरा जो उसका सजरा दिया है कि किस तरह से वहां के जो मिल मालिकान हैं, उन्होंने किस तरह से उन मजदूरों को शोषण किया है।

(व्यवधान)

मान्यवर, जो मजदूरों की न्याय संगत मांगें हैं, वह पूरी होना चाहिए जैसा कि वक्तव्य के अन्त में माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो समझौता हुआ था उसमें जो टेक्निकल कमियां रह गयी हैं, उनको हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, उनकी न्याय-संगत मांगों को मान्यवर, स्वीकार करें, जिससे कि मिल भी चालू हो सके और काम भी चल सके।

*श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, 4 जनवरी, 1980 को एक समझौता हुआ था, जिसके तहत सभी मामलों को वहां पर रखा गया था। इस समझौता में 16 धारायें हैं, जिसमें से सूत्र संख्या 13 जो है, उसे हमारे सेवायोजकों ने नहीं माना, जिसमें 40 रुपये बढ़ोत्तरी की बात कही गयी थी। इसके लिए शासन और विभाग पूरी तरह से प्रयत्नशील है। हम लोग समय-समय पर बैठकें कर रहे हैं। मान्यवर, कुछ ऐसी बातें घटीं जिससे सेवायोजकों के अन्दर ऐसा भय हो गया कि कुछ अन्य प्रकार की कार्यवाही श्रमिक वर्ग के पक्ष में होगी।

(इस समय 6 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री यशपाल सिंह पीठासीन हुए।) इस तरह हम लोग उनको बुला रहे हैं और उपश्रमायुक्त के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है और मुझे विश्वास है कि कोई न कोई हल शीघ्र निकाला जा सकेगा और श्रमिकों की जो मांगे हैं, उन पर पुनः विचार करके आवश्यकता पड़ी तो नया समझौता कराकर, श्रम विभाग उसको देखेगा कि उसका पूर्णरूप से पालन किया जाय और माना जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जितना प्रकरण चला सेवायोजक श्रमायुक्त और सरकार की बात नहीं मान रहे हैं। बैठकों में भी कोई न कोई बहाना लेकर न आने की बात करते हैं। 23 लोगों को रखने की बात पर शासन ने कोई तरीका रख दिया था, हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूं, उसको भी उन्होंने नकार दिया। मैं कहना चाहता हूं कि आपसी बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। तो क्या सरकार मजदूरों के हित को सर्वोपरि मानते हुये कोई और कदम उठायेगी ताकि मजदूरों को मजदूरी मिल सके और मिल चालू हो जाय।

श्री सुनील शास्त्री--

मैं बताना चाहूंगा कि पूर्णरूप से जानकारी प्राप्त कर ली गई है। जो नोटिस दी थी वह सम्भवतः उन्होंने आर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से दे दिया और वह सेवा योजकों को नहीं मिली और उपश्रमायुक्त को 16 फरवरी को प्राप्त हुई जबकि हड़ताल 13 से हो गई। समय-समय पर बैठकें हुयी बहुत सी बातें सेवायोजकों नहीं मान रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आवश्यकता पड़ेगी तो उच्चस्तर पर बैठक की जायेगी, श्रमायुक्त और श्रम सचिव के स्तर पर बैठक की जायेगी। ताकि श्रमिकों म

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शान्ती पैदा हो जाय और कार्य सुचारु रूप से चले ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि श्रम न्यायालयों के निर्णय हैं, नोटिस देने की तकनीकी बात को महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं । मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि सचिव स्तर पर, शासन स्तर पर बैठक होगी बैठकों का कोई असर नहीं पड़ रहा है । सरकार ने क्या कोई क्रियाशील बात सोची है जिससे इसका हल निकल सके ?

श्री सुनील शास्त्री--

आवश्यकता पड़ेगी तो कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।

टांडा (फैजाबाद) बहराइच तथा गोंडा के निवासियों को साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने पर बधाई का प्रस्ताव

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से नियम 193 के अन्तर्गत अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं । "यह सदन टांडा जनपद फैजाबाद, बहराइच तथा गोंडा नगरों के हर धर्म तथा वर्ग के वासियों को गत माह अक्तूबर, 1983 में दशहरा, मोहर्रम के अवसर पर धीरज व सहन, आपस में सद्भाव तथा नियंत्रित रहने पर बधाई देता है । प्रशासकों को अपने कर्तव्यों का पालन करने में विलम्ब करने तथा उनकी असमर्थता पर निन्दा करता है तथा समय की घटित घटनाओं पर लोगों की जानी माली हानि पर संवेदना तथा उनके साथ सहानुभूति प्रकट करता है ।"

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, इससे पहले की मैं अपनी बात शुरू करूं मैं यह चाहूंगा, मेरी प्रार्थना है चूंकि यह मसला गम्भीर और प्रदेश के लिये अहम और चिन्ता-जनक है । इस सम्बन्ध में माननीय सदन के दोनों तरफ के माननीय सदस्य जो इसमें भाग लेंगे इस बात को ध्यान में रखकर भाग लें कि इस डिबेट से कोई किसी तरह की उत्तेजना या किसी किस्म का प्रहार किसी धर्म या वर्ग पर न हो । मान्यवर, हमारे संविधान आर्टिकल 14, 15 में स्पष्ट रूप से यह व्याख्या करते हुए कि हिन्दुस्तान में इस देश में सारे ही नागरिक चाहे वह किसी भी क्रम के हों, किसी भी विचार के हों, उन सब को चर्चा का अधिकार है । श्रीमन्, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बात कही कि जियो और जीने दो उनकी बहुत बड़ी धारणा इस बात के पीछे हुई है शेख आदी ने कहा है...

दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इन्सान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करों बियां ।

उन्होंने कहा, इस दुनिया की जो रचना हुई है वह इन्सान को दूसरे इन्सान के दुख दर्द में हिस्सा बांटने के लिए ही दुनिया बनाई गई है अगर खुदा को, गौड को, ईश्वर को, इबादत करानी होती तो वह अपने फरिश्तों से भी करवा सकते थे उनके बहुसंख्यक से फरिश्ते रात दिन इबादत करते रहते । तो इन चीजों को हम देखते हैं और उस परिपेक्ष्य में मैं टांडा जनपद फैजाबाद, बहराइच और इनके साथ-साथ जहां घटनायें नहीं हुई, होते-होते रह गयीं गोंडा में इन सब चीजों का मैं रोशनी में जिक्र करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जिसमें प्रशासकों की गलती की वजह से उनकी नाअहलियत की वजह से मुरादाबाद को और मेरठ को चार छ महीने बाद भूल जाएं । तो मान्यवर

उन लोगों ने जो अपने कार्यों में बिलम्ब किया, वह मसला पूरे प्रदेश में खड़ा हो गया। मैं एक मसले का और जिक्र करना चाहता हूं। जनतन्त्र हमारा लोकशाही प्रजातन्त्र है और इसमें किसी न किसी वक्त इलेक्शन की बात होती है और इस प्रदेश में कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति में भी हैं। वह कम्युनल वाले हैं, उनके दिमाग के अन्दर सम्प्रदायिकता होती तो एक तरफ से कम्युनल का फायदा दूसरी तरफ कम्युनल को मिलेगा। चूंकि हम इलेक्शन में विश्वास रखते हैं तो उन लोगों के जजबात को भड़का कर जो बिना पढ़े-लिखे लोग हैं जो जो अराजक तत्व कम्युनल हो चाहे वह प्रशासन के हों वह इस चीज को अपने विचार के लिए वक्त-वक्त पर इस्तेमाल करते हैं और उससे समाज का नुकसान होता है। दूसरी तरफ जो संकुचित बिचार-धारा है, उससे उनका लाभ होता है। माननीय, संविधान 14-25 आर्टिकल के होते हुए भी आज हमको विचार इस चीज पर करना है। दिल को समझाने के लिए साल भर छ महीने किसी न किसी तरह से तसल्ली हो जाती है। लेकिन इस किस्म की वारदात होती हैं। तो उसके बाद यह कोशिश होती है कि यह न हो। आज दिन भर नेशनल इन्टीग्रेशन के बारे में मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया, लोगों ने चर्चा को जिक्र किया। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि उसमें हवाला दिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने नेशनल लेवल पर एक काउन्सिल बनायी है, आपने प्रदेश में इंटीग्रेशन काउन्सिल बनाई और जिलों में भी बनाना चाहते हैं। अपने गिरेबान में मुंह डालकर शासन और प्रशासन दोनों सोचें कि श्रीनगर कान्फरेंस जो हुई थी, उस कान्फरेंस में क्या-क्या प्रस्ताव किये गये थे। इन चीजों से बचने के लिये क्या कोई सिफारिश पर शासन और प्रशासन ने अमल दरामद की ? या नहीं की ? अगर की है और उसके बाद यह घटना घट गयी तो हमारा सोचने का ढंग दूसरा होगा कि सिफारिश के बाद क्या करना है। अगर अमल दरामद नहीं हुई फिर यह घटना घट गयी, तो फिर कोई नयी बात नहीं हुई। इन सिफारिशों को लागू करने की जरूरत थी। मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं कि श्रीनगर इंटीग्रेशन काउन्सिल की सिफारिश की अमल दरामद किया जाय तो इन घटनाओं से मुक्ति मिल जाय। लेकिन वह नहीं हो पा रहा है। ऐसे एक संकुचित विचार के लोग प्रशासन में भी हैं, शासन में भी हैं, इधर के बैठने वालों में भी हैं और उधर के बैठने वालों में भी हैं। लेकिन बद-किस्मती से यह भूल जाते हैं कि ऐसी छोटी-छोटी बातों से देश के अन्दर, भारत के अन्दर जो छोटे-छोटे अल्पसंख्यक हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे पारसी हों, चाहे सिख हों, जैन हो बौद्ध हों, उनको इस तरह की बातें सोचकर देश निकाला दे सकते हैं।

अब मैं वाक्यात पर आता हूं। मैंने जो प्रस्ताव रखा, वह इसलिये रखा कि गोन्डा, बहराइच में लोगों ने हिन्दू मुसलमान सारे धर्म के लोगों ने बावजूद इसके कि 14 अक्तूबर से लेकर 18 अक्तूबर तक और बहराइच में 25 अक्तूबर तक यह चला गया, वह जो फिजा थी, उसमें एक जो वातावरण पैदा किया गया, जो प्रशासन के प्रभावशाली कदम न उठाने की वजह से पैदा हुआ, लेकिन वहां के नागरिकों हिन्दुओं और मुसलमानों ने धीरज से सहन किया और सारी परेशानी बर्दाश्त की आपस में नहीं लड़े। न टांडा में रहने वाले हिन्दू-मुसलमान लड़े और न बहराइच में रहने वाले हिन्दू-मुसलमान लड़े। मसला पैदा हुआ, लेकिन हल होने की जो बात थी, प्रशासन की ओर से उसमें विलम्ब हुआ। अधिकारियों ने विलम्ब किया। इसलिये यह प्रस्ताव का पहला प्रस्ताव है। टांडा के अन्दर जो मार्च, 1983 में सीता चौरा के रास्ते का मामला हुआ, उसमें जिसकी जगह थी, उसके लिए 10 हजार रुपया तय हुआ। उन्होंने कहा ठीक ||

लाइये 10 हजार रुपये उसको 10 हजार रुपये नहीं मिले। वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने 2-10-1983 को ग्रान्डा की कम्युनिस्ट पार्टी ने अफसरों को तहरीर दी कि हालात खराब हो रहे हैं, ठीक किये जायें। उन्होंने इस बात को सुना और दूसरे कान से निकाल दिया।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय रियासत हुसैन आपको दोबारा मौका दिया जायगा।

*श्री काशी नाथ मिश्र--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे रियासत हुसैन साहब ने, जो बहुत पुराने सदस्य हैं, इस सदन के, उन्होंने इस प्रस्ताव को पढ़ा। प्रस्ताव केवल धन्यवाद का है। आपने पढ़ लिया इस प्रस्ताव को, धन्यवाद देना है। यह सिर्फ धन्यवाद देने का प्रस्ताव है। धन्यवाद देने पर बहस कहां से निकल आती है। गर्दे मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा? महीने पहले क्या प्राब्लम हुई? इसको अब उखाड़ने से क्या फायदा? यह सेंसेटिव मामला है। रियासत साहब कौमी एकता में विश्वास करते हैं। राष्ट्रीय एकता में विश्वास करते हैं। दशहरा मोहर्रम में जो हुआ, आप एकता कराइये। यह एक सेंसेटिव प्रस्ताव है। आप इस पर कितनी बहस करेंगे?

श्री अधिष्ठाता--

इसमें चर्चा और सहानुभूति प्रकट करना दोनों है।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, आप प्रस्ताव को ध्यान से देखें, इसमें चर्चा कहीं नहीं है। नियमों के अनुसार इसमें चर्चा कहीं नहीं है केवल धन्यवाद का प्रस्ताव इसमें है।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एजेन्डे को आप देखें, इसमें जो लैंगवेज दी गयी है, इसमें कहीं भी चर्चा के लिए समय निर्धारित नहीं किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ इसको पढ़ा जाना चाहिए था और उसके बाद इसपर वोटिंग होनी थी।

श्री अधिष्ठाता--

चूंकि सदन में ही कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश में इसके लिए चर्चा का निश्चय हुआ था और उसी आधार पर यह एजेन्डे में आया है। इसमें सिर्फ यही व्यवस्था हो सकती है कि माननीय श्री रियासत हुसैन जी जो बोल रहे हैं, उन्हें आप बोलने दें।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, इसमें कार्य मंत्रणा समिति द्वारा डेढ़ घन्टा चर्चा के लिए निर्धारित किया गया है..

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय श्री काशी नाथ मिश्र जी अभी व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे थे। मैं समझता हूं कि वह इस सदन के एक बहुत पुराने सदस्य हैं और नियमों की जानकारी के बारे में, इस समय 4-5 सदस्य जो इस माननीय सदन में नियमों को जानते हैं, उनमें से एक मैं उनको भी समझता हूं। श्रीमन्, आप नियम 103 को देख लें, किताब तो मेरे पास नहीं है, फिर भी मुझे जो जबानी याद है, वह मैं कह रहा हूं। उसमें स्पष्ट लिखा है "अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर प्रस्ताव द्वारा चर्चा"। यह उसका शीर्षक है और चर्चा को स्वीकार किया गया है। चूंकि उसमें "चर्चा" शब्द का इस्तेमाल किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है और न ही इस पर आप कोई अंकुश ही लगा सकते हैं। माननीय श्री रियासत हुसैन जो जो कुछ कह रहे थे, और उस पर इधर-उधर के माननीय सदस्य भी कुछ कह रहे थे, वह अलग बात है, किन्तु चर्चा न की जाय, यह नहीं कहा जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग बैठें। जब यह निर्णय हो गया और परम्परा के हिसाब से, कार्य मंत्रणा समिति ने जो निश्चय किया है, यह चर्चा है और इस पर कार्य मंत्रणा समिति ने डेढ़ घंटे का समय निश्चित किया था। यह बात सही है कि एजेन्डे में यह मेंशन नहीं है। लेकिन जो परम्परा है, उस हिसाब से कार्यवाही चलने दें।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, धन्यवाद का प्रस्ताव पढ़ कर समाप्त करें, यह कोई चर्चा का विषय तो है नहीं। इसमें चर्चा आगे न बढ़वायें।

श्री अधिष्ठाता--

उस दिन सदन में यह स्वीकार किया गया है। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। लेकिन इसमें यह कहीं नहीं है कि चर्चा और उसमें समय का निर्धारण डेढ़ घंटा। यह इसमें नहीं छपा है। केवल एक सहानुभूति का प्रस्ताव है।

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग बैठें। श्री रियासत हुसैन आप अपनी बात जारी रखें और बहुत संक्षेप में कहें।

श्री रियासत हुसैन--

तो, मैं यह कह रहा था कि टांडा, बहराइच, गोंडा बीच में रह गया, जो घटनाएं टांडा में शुरू हुई, वह 14 से लेकर 18 को सुबह तक चलीं और जो घटनाएं बहराइच में शुरू हुई वह 22 अक्तूबर से लेकर 25 को सुबह तक चलीं और जो कुछ भी हुआ उस मस्जिद में उसका कंस्ट्रक्शन और उसके बाद मुकदमा दायर करना, उसमें स्टे के लिये जाना और फिर स्टे को हटाने के लिये कार्यवाही करना और उस कुएं के ऊपर शिवलिंग रखा जाना और उसके हटाने के लिये कुछ न करना और फिर वह 25 तारीख को हटाया जाना यह सारी चीजें जो हुई यह 4 दिन के गैप के बीच में हुई। 4 दिन प्रशासन को पूरे तौर से, पूरी शक्ति के साथ इस बात का मिला था। मान लीजिए टांडा में यह हुआ और टांडा में उस वक्त 144 धारा लागू की गयी थी, तो इस 144 धारा के लिये वहां प्रशासन वालों ने कुछ क्यों नहीं किया? उसका प्रयोग उन्होंने नहीं किया। जो इन प्रशासन वालों को, 144 धारा तोड़ने वालों के खिलाफ अधिकार मिला था उसका उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। और, बाहर से चारो तरफ से टांडा के ऊपर हमला हुआ और उसमें करीब 250-300 मकान जलाये गये और तमाम लोग घायल हुए। यह प्रशासन का ही काहिलेपन और अपने कर्त्तव्य का न पालन करने की वजह से हुआ और वही बहराइच में हुआ और वही गोंडा में बच गया, अगर जो प्रोसेशन है, अगर वह जुलूस निकलता तो शायद गोंडा में भी हो जाता है।

श्री अधिष्ठाता--

आप समाप्त करें।

श्री रियासत हुसैन--

मैं समाप्त कर रहा हूं आपकी आज्ञानुसार मैं बाद में कहूंगा। लेकिन

एक बात कहकर समाप्त करूंगा। प्रशासन की अकर्मण्यता की इसमें बात कही गयी है, आप लोग तो चाहते हैं कि इसको हटा दिया जाय क्योंकि आपको तो प्रशासन की गुलामी करनी है और आप कीजिये, लेकिन हम तो नहीं करेंगे। अगर मैं यह भी कहता हूं कि अगर विरोधी पक्ष के किसी आदमी ने उसमें भाग लिया था तो जो वहां 144 धारा लगी हुई थी टांडा में तो प्रशासन न वहां उस 144 धारा में मिले अधिकारों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया ? अब यह निकम्मापन प्रशासन का है और अब इस तरह से काम में रुकावट या तो हल्ला मचवाने से और इस तरह से अपनी कमजोरी का इजहार करने से काम नहीं चलेगा। इसलिये इसमें निन्दा की बात रखी है। अब मैं माननीय सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव पर विचार कर लें। माननीय सदस्यों को कह लेने दें, उसके बाद भी मैं अपनी बात कहूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

मैं इससे पहले कि किसी और सदस्य को इसमें मौका दूं, इसमें जो संशोधन आये हैं उनको पहले से लिया जाय।

यह श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी तथा श्री हरी किशन श्रीवास्तव का है।

(श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी को पुकारे जाने तथा उनके अनुपस्थित होने पर श्री हरी किशन श्रीवास्तव को पुकारे जाने पर।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह दोनों ही सदस्य सदन में मौजूद नहीं हैं। इसलिये कोई दूसरा पेश नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने किसी को इसके लिये अधिकृत भी नहीं किया है।

गृह राज्य मन्त्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)—

जब प्रस्तावक नहीं हैं, तो वोटिंग हो सकती है। इस पर वोटिंग हो जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अम्मार साहब, बड़ा चिन्ता की बात है कि प्रस्तावक भाग लिये उपस्थित नहीं है।

श्री मुईद अहमद—

जो चर्चा चल रही है, उसके सम्बन्ध में दो-तीन मिनट सुझाव दूंगा। कोई भी साम्प्रदायिक तनाव हो या दंगा हो, वहां की आबादी के हजार, दो हजार, दस हजार में एक-दो आदमी चाहते हैं कि इस प्रकार का दंगा हो। ऐसा दो तरह के लोग चाहते हैं—एक तो गुन्डे जिनका न कोई मजहब है, न कोई जाति है, उनका धर्म और जाति सब दंगा है। दूसरा, पालीटिकल कारण भी दंगे का बन गया है। पौलिटिकल कारण यह बन गया है कि पौलिटिकल लोग हर जगह चाहे त्योहार हो चाहे मजहब का मामला हो या मन्दिर बन रहा हो, हर जगह अड़ंगेबाजी करते हैं कि तनाव बढ़ता चला जाय और साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ाया जाय। टांडा में मैं स्वयं गया था। मैंने देखा है कि कुछ अराजक तत्व [× × ×] और आगे-आगे लोक दल का डंडा था, सारा षडयन्त्र परदे के पीछे से कर रहे थे।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

जो भी आप बोल रहे हैं, उससे उत्तेजना के शब्द नहीं निकलने चाहिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

जिस समय इस पर विवाद चला कि चर्चा होनी है या नहीं, उस समय भी

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मैंने कहा था कि यह एक संवेदनशील विषय है, इस पर बोलते समय बहुत चीज को ध्यान में रखना चाहिये। चर्चा प्रारम्भ हुई। माननीय सदस्य ने "आर० एस० एस०" का नाम लिया। यह गन्दगी जो इनके दिमाग में भरी हुई है कि जहां-कहीं कोई दंगा हो आर० एस० एस० का नाम ले लेते हैं। इस तरह से अगर आरोप-प्रत्यारोप की चर्चा होगी तो माहौल बदल जायेगा। "आर० एस० एस०" के शब्द को आप कार्यवाही से निकलवा दें वरना उत्तेजना फैलेगी। टांडा में भी गया था, बहराइच गया था। वहां पर [×××] परिस्थितियों को बदनाम करने के लिये....

श्री अधिष्ठाता--

आप शान्ति की बात कर रहे थे, अब उत्तेजना की बात न करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आप "आर० एस० एस०" शब्द को कार्यवाही से निकलवा दें, तो मैं अपने शब्दों को वापस ले लूंगा। अगर सदन का संचालन नियमों के खिलाफ होगा तो मैं इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं।

श्री अधिष्ठाता--

जो शब्द निकालने लायक होंगे, कार्यवाही देख ली जायेगी, वे निकाल दिये जायेंगे।

(घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

जैसा माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने पहले कहा था कि जो प्रस्ताव आया है, यह काफी संवेदनशील है, माननीय रियासत साहब ने इसकी चर्चा को छोड़ दिया। कुछ जवाब इस तरफ से हो गये, कुछ उधर से हो गये, फार-मेलिटी पूरी हो गयी। अब मेरा निवेदन है कि इसको वोट कर लिया जाय, बहस को बन्द कर दीजिये। इस पर बहस करने से चीज बनती नहीं है, बिगड़ती है। मेरी जो बात है, आप अगर चाहें तो सदन के सामने प्रस्ताव के रूप में भी रख सकते हैं। जो कुछ औपचारिकता थी, पूरी हो चुकी है। अब इस प्रस्ताव पर वोट करा लें ताकि इस प्रकरण को समाप्त किया जा सके।

श्री रियासत हुसैन--

बस इतने में ही मैदान छोड़ भागे।

(शोर)

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह चर्चा नियम 103 के अन्तर्गत आती ही नहीं है, इसलिये इसको बन्द किया जाये, इसलिये मैं क्लोजर का प्रश्न उपस्थित करता हूं और मान्यवर, हमारा क्लोजर का प्रश्न उपस्थित करना मौलिक आधार है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग कृपया बैठिये, काशी नाथ जी ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, इसलिये आप लोग कृपया बैठिये, चौधरी साहब और गुप्त जी व अन्य सभी माननीय सदस्य कृपया बैठें, आप लोग कृपया मुझे तो सुन लें।

(घोर व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां--

अगर व्यक्तिगत रूप में गुण्डेबाजी पर उतारू हुआ जायेगा तो उसका जवाब भी उसी तरह दिया जायेगा।

श्री राम औतार दीक्षित--

फिर इस पर बल्वा भी होगा और देखा जायेगा।

श्री मुहम्मद आजम खां--

हां यह भी देखा जायेगा।

नोट--[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से कल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग किसी को सुन ही नहीं रहे हैं । जो मसला इस समय हमारे और आपके सामने है, वह बहुत ही शांति के साथ, सौहार्द्रपूर्ण ढंग से विचार करने और चर्चा करने का है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग इधर से और कुछ लोग उधर से कुछ ज्यादा बोल रहे हैं । इसलिये इस स्थिति को देखते हुये हमारा यह एक ही सुझाव है कि मामले की गम्भीरता देखते हुये एक माननीय सदस्य इधर से और एक माननीय सदस्य उधर से अपनी-अपनी बात को कह लें और कुछ बातें माननीय मन्त्री जी कह लें और कुछ बातें रियासत भाई कह लें ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है मुझे एक व्यवस्था दे दें, मैं एक व्यवस्था मांग रहा हूं । हमारा व्यवस्था का प्रश्न मान्यवर, यह है कि एक प्रश्न पर जब डेढ़ घंटे की चर्चा निश्चित हुई तो वह प्रश्न जब आज आया ।

श्री अधिष्ठाता--

नौटियाल साहब आप क्यों बगैर इजाजत बोल रहे हैं, जब मैं इजाजत दूं तब आप बोलिए, कृपया बैठ जाइये ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

लीजिए मान्यवर, बैठ गया अब इजाजत दे दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता--

नहीं, आप कृपया बैठें ।

श्री मारकण्डेय चन्द्र--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जब इधर से क्लोजर हो गया तो फिर इस पर चर्चा क्यों हो रही है ?

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर चर्चा होनी नहीं चाहिए केवल धन्यवाद करके इसको समाप्त कर देना चाहिए । मेरा प्रस्ताव है इस पर आप अधिष्ठाता महोदय, वोटिंग करा लें ।

(व्यवधान)

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, मैं सबसे पहले से व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं पर आप सुन नहीं रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

अब मैंने विद्यासागर नौटियाल को बुला लिया है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय काशी नाथ मिश्र जी ने क्लोजर मूव कर दिया है, अब इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री प्रियदर्शी जेटली--

आप इस पर वोटिंग करा लीजिये ना ।

श्री अधिष्ठाता--

पहले आप सब बैठिये ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

अधिष्ठाता जी, यह एक ऐसा मसला है जिसका कि हमारे पूरे देश और प्रदेश के जीवन से बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप भाषण न करें बल्कि आप अपनी व्यवस्था के प्रश्न के बारे में कहें ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, यदि उधर से कोई बात होती है तो उसे क्षमा कर दिया जाय, >ौकर यदि हड़ताल करे तो कुछ समझ में

(इस सयय 6 बजकर 42 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

भी आता है परन्तु सरकार यदि हड़ताल करें तो बात समझ में नहीं आतो । यह सरकार इस आदरणीय सदन के अन्दर इस विषय पर चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है । माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर इस आदरणीय सदन के अन्दर, इतने महत्वपूर्ण विषय पर यह सरकार बहस कराने के लिए तैयार नहीं है, इंकार करें तो मैं कहता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर फिर से बद किस्मती से अगर साम्प्रदायिक दंगे हो गये तो सरकार भाग खड़ी होगी । मैं इस बात पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इस पर डेढ़ घंटे की चर्चा कार्यमंत्रणा समिति में नियत की गई थी और उस कार्य मंत्रणा समिति के कार्यक्रम को इस सदन ने पास किया था तो इस सदन में इस गम्भीर और महत्वपूर्ण विषय पर डेढ़ घंटे की चर्चा जो होनी थी, उसे न करने देने का कारण क्या है ?

श्री सुरेन्द्र कपिल--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

नियम यह है कि जब कोई चर्चा होती है उसमें सदन को पूर्ण अधिकार है बीच में क्लोजर मूव करने का, यह अधिकार है हमेशा से । माननीय रियासत साहब और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त बहुत पुराने सदस्य हैं, वह जानते हैं कि सदन को यह अधिकार है चाहे उधर से या चाहे इधर से, हमेशा क्लोजर मूव हो सकता है कि हम इस पर आगे चर्चा नहीं कराना चाहते हैं ।

श्री राम गोविन्द--

अभी चर्चा हुई ही नहीं है, श्रीमन ।

श्री अध्यक्ष--

मैं संसदीय कार्य मंत्री से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं यहां था नहीं, क्या इस तरह का कोई क्लोजर आपकी तरफ से मूव हुआ है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं पूरी चीज से अवगत करा देना चाहता हूं । रियासत साहब ने भाषण दिया, उसके बाद मुईद अहमद ने भाषण दिया ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मुईद अहमद बोल रहे थे, उनको रोक दिया गया । शासन के समक्ष कुछ आया नहीं । चर्चा जारी है ।

श्री अम्मार रिजवी--

उसके बाद मान्यवर, यहां पर आरोप प्रत्यारोप होने लगे, जो माहौल था वह तनावपूर्ण था । मान्यवर, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके विषय में खामोश रहने पर शान्ति बनती है और कुछ कहने पर शांति भंग होती है । इसलिए मैंने प्रस्ताव किया कि चर्चा समाप्त कर दी जाये और उसके बाद काशी नाथ मिश्र जी ने क्लोजर मूव किया । इस पर कुछ माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठायी । काशी नाथ मिश्र जो मौजूद हैं, मैंने प्रस्ताव किया था कि बहस रोक दी जाये और मिश्र जी ने क्लोजर मूव किया । मैं चाहता हूं कि इस पर वोट करा लिया जाये और क्लोजर मूव करने के पक्ष में वोट नहीं आता है तो चर्चा करा ली जाये ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

निर्णय देने के पहले मुझे भी तो सुन लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष--

नियम 113 में है कि किसी प्रस्ताव के किए जाने के उपरान्त किसी समय भी कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकेंगे कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय और जब तक कि अध्यक्ष की यह प्रतीत न हो कि प्रस्ताव इन नियमों का दुरुपयोग है या युक्ति युक्त वाद-विवाद के अधिकार का उल्लंघन करता है अध्यक्ष प्रस्ताव रखेंगे कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाये नियम 113 में है कि अध्यक्ष को समाधान इस बात का होना चाहिए कि वाद विवाद जो चल रहा है, नियम का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, अगर मैं महसूस करूंग कि वातावरण खराब है, लोग ठीक नहीं बोल रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, कम्युनल बात कर रहे हैं जिससे सदन की शोभा नहीं बढ़ती है, तो मुझको यह अधिकार होगा कि क्लोजर मूव को ले लें, इसे संक्षेप में जारी रखता हूं इस शर्त पर कि अगर वहां वातावरण गड़बड़ होगा तो उसकी आज्ञा नही दूंगा ।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

माननीय मुईद साहब जब बोल रहे थे, तो इससे राजनैतिक वातावरण पैदा हो गया और ऐसी बातें सामने आ गयी और सदन का वातावरण अच्छा नही है जिसमें आरोप के तौर पर शब्दों का प्रयोग हुआ इसको आप सदन की कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री अध्यक्ष--

अधिष्ठाता ने कह दिया है कि कार्यवाही देखकर उनको निकलवा दिया जायेगा ।

श्री मुईद अहमद--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे किसी माननीय सदस्य के जजबात को ठेस लगे । मैं टांडा में जो घटन घटी थी उसके परिपेक्ष्य में जो मैंने देखा, वहां के अवाम ने जो महसूस किया, वह मैं सदन में रखना चाहता हूं । मान्यवर, कभी-कभी गुन्डे जो होते हैं । वे यहां पर दंगे और गड़बड़ी करना चाहते हैं और उनका मकसद होता है कि वे लूटपाट करें । उसको पोलिटिकल कलर दिया जाता है । जो त्योहार होते हैं उसमें पोलिटिकल कलर इसलिये दिया जाता है कि साम्प्रदायिक लोगों को अपने दल में लाने के लिये हम ऐसा कर सकते हैं । जो सस्ती राजनीति करते हैं, वे जनता की सेवा नहीं करते हैं, वे वहां के लोगों की सेवा नहीं करते हैं । वे इस तरह के पोलिटिकल हथियार चलाकर वातावरण को दूषित करते हैं । यह एक चीज हुई है । मैं नाम नहीं लूंगा । जो टांडा में हुआ है, मैंने देखा है, जो अवाम कह रही है, जो वहां के लोग कह रहे हैं और सारा शासन और प्रशासन इस बात को जानता है । एक बात और कह दूं कि जो बहराइच में हुआ, टांडा में हुआ उसके सम्बन्ध में पी० ए० सी० ने जो कार्य किया, मैं ही केवल उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, पूरा अवाम उसकी तारीफ कर रहा है कि जिस मजबूती और तेजी पी० ए० सी० का रोल इन जगहों पर रहा वैसा किसी भी अन्य दंगा ग्रस्त इलाकों में नहीं रहा । उसकी जितनी तारीफ की जाय, वह कम है । प्रशासन की तरफ से मैं कह सकता हूं, मैं बहराइच भी गया था ।...

श्री अध्यक्ष--

आप बहुत संक्षप में कहें ।

श्री मुईद अहमद--

जो लोग नफरत की आग को किसी उद्देश्य से भड़काते है, उसको राजनीति में नहीं लाना चाहिए और उसे राजनीतिक हथियार नहीं बनाना चाहिए । इन शब्दों के साथ जो वहां के लोगों ने वहां के अवाम ने दंगा कम करने के लिये, उसको दबाने के लिये और सामाजिक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, वह सराहनीय रहे हैं, उसके लिये धन्यवाद ।

(श्री ख्वाजा हलीम का नाम पुकारे जाने पर) ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जो बहराइच, गोंडा और टाण्डा के लोग हैं, उनसे पहले बुलवा दें।

श्री ख्वाजा हलीम--

मान्यवर, मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी बात कहां से शुरू करूं । जो दंगे मुरादाबाद में हुए, मेरठ में हुए उनके बारे में यह सरकार कोई कार्यवाही न कर सकी । यह बात समझ में नहीं आती कि सरकार की नीयत और ऐसा करने वालों की नीयत क्या है ? इसकी मैं एक मिसाल दूंगा । मिसाल के तौर पर मुरादाबाद में फसाद हुए तो वहां का एम० एल० ए० जो कि शरीफ आदमी है खून के आंसू पीकर रह गया । एक शब्द भी नहीं कह पाया...

(व्यवधान)

तो उनको मन्त्री कर दिया ।

श्री अध्यक्ष--

आप ऐसी कोई बात न कहें जिससे टेंशन पैदा हो । मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री ख्वाजा हलीम--

आप नहीं बोलने देना चाहते हैं तो मैं चला जाता हूं । (विरोध पक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे ।)

श्री अध्यक्ष--

आप ऐसी बात न कहें ।

श्री ख्वाजा हलीम--

आप सही बात सुनना नहीं चाहते । माननीय मन्जूर अहमद की सही बात को सुनने के लिये आप तैयार नहीं हुए और उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया । जहां तक टांडा का सवाल है, वहां पर जो फसाद हुए, उसमें जो वाक्या सामने आये उसमें जो 13-14 तारीख से टेंशन चल रहा था मैं उसका प्रमाण दे सकता हूं । वहां के सी० ओ० और एस० डी० एम० ने एक वायरलेस भेजा है । उसकी कापी मेरे पास है ।

15 तारीख की रात को सी० ओ०, एस० डी० एम० और एस० पी० को टेलीफून में कहते हैं यहां पर शांति चाहते हैं तो यहां आये । मेरे पास उनके वायरलेस की कापी है जो सी० ओ० ने डी० एम० और एस० एस० पी० को दी लेकिन उसके बावजूद 16 तारीख तक कोई इन्तजाम नहीं हुआ । मैं वह वायरलेस की कापी पढ़ना चाहता हूं, वह पैगाम यह है--महोदय मैं अत्यन्त परेशान हूं शांति चाहते हों तो शीघ्र टांडा आयें, यहां पर असंख्य तादात में लोग बाहर से आ रहे हैं । तुरन्त टाण्डा पहुंचे और यदि समय हो तो डी० आई० जी० महोदय से वार्ता कर लें । तो वहां पर जब 16 तारीख तक कोई इन्तजाम नहीं हुआ तो 17 तारीख को 2.30 बजे लोगों ने टांडा पर हमला कर दिया जब कि वहां पर दफा 144 लगी हुई थी और किसी को पकड़ा नहीं गया । अगर यह फसाद को रोकना चाहते थे और मरे हुए लोगों के प्रति हमदर्दी होती तो उन लोगों की सहायता करते और वहां के डी० एम० और एस० एस० पी० को ट्रांसफर कर देते क्योंकि वे मौके पर नहीं पहुंचे और कोई कार्यवाही नहीं की एस० डी० एम० और उस सी० ओ० की प्रशंसा करनी चाहिये थी जिसने कार्यवाही की और उस एस० ओ० को 302 में बन्द किया जाता, जिसने कई आदमियों को मरवाया । लेकिन जिस एस० डी० एम० ने और सी० ओ० ने लोगों की मदद की, उनको निकाल बाहर किया और जिन्होंने लोगों को मरवाया वे वहीं पर रहे । मान्यवर, काश्मीर के अन्दर...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो गया । आप फैजाबाद पर बोलना नहीं चाहते हैं ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस गम्भीर प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं इसके लिए अनुगृहीत हूं ।

श्री ख्वाजा हलीम--

यहां पर सरकार उस बात को सुनना नहीं चाहती हैं और उसने कोई कार्यवाही नहीं की...

(व्यवधान)

श्री धरम पाल---

मान्यवर, मेरा नाम आप पहले पुकार चुके हैं ।

श्री सुन्दर सिंह---

मान्यवर, बहराइच का मामला है, मुझे भी समय दें ।

श्री अध्यक्ष--

अभी समाप्त कहां हो रहा है ?

[समय 6 बजकर 57 मिनट]

श्री प्रियदर्शी जैतली--

मान्यवर, इस गम्भीर प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने की इजाजत दी । मान्यवर, धर्म के नाम पर दुनिया में मानवता का जिस प्रकार कत्ल जितना हुआ है उतना शायद ही दो महायुद्धों में नहीं हुआ है । इंगलैण्ड एक ऐसा मुल्क है जहां पर धर्म के नाम पर मेरीक्यून ने क्रोमवेल की लाश को कब्र से खुदवा कर फांसी के तख्ते पर चढ़वा दिया था । धर्म कभी भी केवल तबलोक नहीं है, धर्म अमल है जो इनसान को इनसान बनाने के लिए आया है लेकिन आज धर्म को केवल तबलीक बना कर छोड़ दिया गया है । आज हिन्दुस्तान की कुछ राजनीतिक पार्टियां जिनका कोई वसूल नहीं है, कोई नीति नहीं है ऐसी राजनीतिक पार्टियां जातिवाद और धर्म के नाम पर प्रदेश और मुल्क का बटवारा करना चाहती हैं उसका एक उदाहरण बहराइच और टाण्डा की घटनायें हैं । हिन्दुस्तान के अन्दर जब तक भारतीय जनता पार्टी और लोकदल अलग अलग थे शायद धर्म के नाम पर हिन्दुस्तान में इतना कत्ले आम नहीं हुआ लेकिन भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के मिलने के बाद हिन्दुस्तान के अन्दर उत्तर प्रदेश में बहराइच और टांडा में कत्लेआम हुआ वह उसकी मिसाल है । मान्यवर, मेरा उस घटना से सीधा सम्बन्ध है । टांडा में जब घटना घटी तो वहां पर दोनों पार्टियों में एक समझौता हुआ उसी वक्त हस्ताक्षर कर्ताओं का फर्ज होता था कि उन तमाम इलाकों में जहां लोगों ने उनकी हिमायत में अपनी मूर्तियां प्रवाहित नहीं की थी उनको सूचित करते और उस समझौते को बताते लेकिन उन्होंने ऐसा न करके अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया क्योंकि उनके इरादे नापाक थे और अकबर पुर जब इस समझौते की कापी को मंगा कर जनता को बता दिया गया तो टाण्डा के उन लोगों ने जिनके इरादे नापाक थे, आकर उनको फिर गुमराह किया और यह शर्त लगा दी कि जब तक मुलजिमान को जेल से छोड़ कर अकबरपुर होकर न लाया जाय तब तक मूर्तियों का प्रवाह न किया जाय ।

जब कि फैजाबाद और टाण्डा से सीधा रास्ता था । फिर भी वहां के अधिकारियों ने, नागरिकों ने जिस तरह मामले को दबाया है इसके लिये वह तारीफे काबिल हैं । लेकिन वे जो वहां के एम0 पी0 और एम0 एल0 ए0 थे, जिन्होंने उस समझौते पर हस्ताक्षर किये थे, अपने फर्ज का अन्जाम नहीं दिया और दूसरे दिन टाण्डा शहर को जलाने के लिये कोई कसर बाकी नहीं रखी गयी । मैं कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान और उत्तर प्रदेश के

नागरिकों को साम्प्रदायिक पार्टियों व सत्यों से आगाह होना पड़ेगा जो चाहते हैं कि इन्सान की लाशों पर अपने राजनीतिक मन्सूबों को हासिल करें और वे धर्म, मजहब, जातिवाद का जहर फैलाकर सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव आया है उसमें इस बात की गहराई से चिन्तन करने की जरूरत है कि वह कौन लोग थे, कौन राजनीतिक पार्टी थी, मैं माननीय रियासत जी से निवेदन करूंगा कि वह इस बात पर गौर करें कि वह गैर मुनासिब लोग कौन थ और कौन पार्टी के लोग थे, जो मजहब के नाम पर इस देश की जनता का बंटवारा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के समझौता के बाद इस किस्म के फिरकावाराना फसाद इस प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि न उनके पास कोई प्रोग्राम है और न कोई कार्यक्रम है केवल सत्ता हस्तगत करना उनका एक मात्र ध्येय है। इसलिये वे सस्ते से सस्ते वोट पाने के रास्तों को अख्तियार कर रहे हैं। आखिर में टान्डा व बहराइच की अमन पसन्द महान जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं।

*श्री राम गोविन्द—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। श्रीमन्, इस प्रदेश में जो साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं, मेरी समझ से हिन्दू और मुसलमान आपस में दंगे नहीं भी करते हैं तो प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही के कारण हर जगह दंगे होते हैं फिर चाहे वह टान्डा हो, बहराइच हो या गोन्डा के दंगे हों।

मान्यवर, टाण्डा को ले लें। यहां प्रस्ताव आया कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में भाषण होंगे चूंकि एमेंडमेंट देने वाले कांग्रेस आई के थे। कांग्रेस के माननीय सदस्य कह रहे हैं कि विरोध पक्ष से साम्प्रदायिकता भड़काने वाली बातें कहीं जा रही हैं चूंकि क्लोजर का प्रस्ताव आ जाये। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विरोध पक्ष की ओर से कोई भी ऐसे शब्द नहीं कहे गये जिससे साम्प्रदायिकता फैले बल्कि कांग्रेस के लोग ही ऐसा कहे हैं। मान्यवर, टांडा में 14–15 दिनों से दोनों तरफ के लोग हिन्दू और मुसलमान प्रशासन के अधिकारियों से कहने के लिये जाते हैं कि कोई ऐसा हल निकालें जिससे टांडा में शांति कायम हो सके। अधिकारी वहां जाते हैं, पंचायत करवाते हैं और चले आते हैं और टांडा में शांति और सौहार्द का वातावरण कायम करने में असफल रहे हैं।

मान्यवर, बहराइच में जिलाधिकारी का पहले से ट्रान्सफर हो गया और बाद में कहा जाता है कि स्टे दिया गया है न हटाने के लिये और बाद में हटा दिया जाता है। तो यह अधिकारियों की मिली भगत थी। मान्यवर, यह जानते हैं कि मुसलमान इनको वोट नहीं देंगे और हिन्दू वोट देने से कतरा रहे हैं। इसलिये हिन्दुस्तान में इस प्रदेश में हिन्दू और मुसलमान के नाम पर दंगे करवाकर वोट लेने का काम करना इनकी नीति हो गयी है। इसलिये शांति की स्थिति पैदा करने के बजाय तनाव की स्थिति पैदा करने में अधिकारी अपना पूरा समय दे रहे थे। बहराइच में मान्यवर प्रशासन के अधिकारी चाहते कि घटना न हो तो वहां निश्चित रूप से दंगा न होता लेकिन उनकी मंशा ऐसा नहीं थी जिसके मेरे पास सबूत हैं।

अगर प्रशासन के लोग यथा शक्ति अपने सद्भाव से निष्पक्ष रूप से काम लेते और लोगों को समझा बुझाकर दोनों पक्षों के लोगों को विश्वास में ले लेते, तो जो दर्दनाक स्थिति वहां पैदा हुई वह न होने पाती

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन् न हिन्दू का कीर्तन करना बुरा है न मुसलमान का ताजिया निकालना लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने वहां पर पूरा षडयंत्र करके दंगे को पैदा करने और उसे भड़काने का काम किया है। इसलिए मैं शासन पक्ष द्वारा प्रस्तुत संशोधन के प्रस्ताव का विरोध करते हुए प्रशासकों द्वारा अपने कर्त्तव्य का पालन न करने और उसमें विलम्ब करने के लिए उनकी निन्दा करता हूं और नगरों के लिये हिन्दू मुसलमान भाइयों को आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने के लिए उनको बधाई देने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं।

*श्री धरमपाल—

मान्यवर, बहुत ही विचित्र समस्या है जिस पर यहां पर विचार किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

क्या कह रहे हैं क्या उन्होंने एंग्लो इंडियन से शादी कर ली।

श्री धरमपाल—

बहराइच जनपद में इतिहास में पहली बार वहां पर यह दुखद कांड हुआ हैं। सन् 1948 में भी जब सारे प्रदेश में साम्प्रदायिक ताकतें एक दूसरे का खून बहाने को तैयार थीं, हिन्दू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गये थे, उस समय भी वहां पर हिन्दू–मुस्लिम एकता के नारे लगाए जा रहे थे। लेकिन इस बार बहराइच में जो छोटा बाजार मुहल्ले में एक मस्जिद है उसके सामने एक छोटा सा प्लाट पड़ा हुआ है। अनेक वर्ष पहले वहां के मुसलमानों ने उस मस्जिद के सामने पड़े प्लाट पर दुकानें बनवाने के लिए नगरपालिका से अनुमति मांगी। पर कुछ साम्प्रदायिक ताकतों को यह पसन्द नहीं था कि शहर के मुसलमान अपने पैसे से फलें फूलें और उनकी मस्जिदों का उन दुकानों की आय से विकास और विस्तार हो। इसीलिए इस अच्छे काम में अड़ंगे लगाने के लिए उन्होंने विरोध किया और परिणाम स्वरूप इसका मुकदमा मुंसिफ कोर्ट से शुरू हुआ और हाई कोर्ट तक गया और अन्त में हाई कोर्ट का फैसला मुतवल्ली के पक्ष में गया, तो उस मस्जिद की देखभाल करते थे। वहां के साम्प्रदायिक लोग इस फैसले से सन्तुष्ट नहीं हुए और उन्होंने नगर को साम्प्रदायिकता की आग में झोंक देने की तैयारी कर ली। 21 अक्तूबर की रात को जब सारा शहर सो रहा था, रात को 3 बजे रेलवे स्टेशन से अथवा अन्य कहीं से वह लोग पत्थर उठाकर ले आए और उसे मस्जिद के सामने रख दिया गया।

मैं श्रीमन्, इसके पहले की भी कुछ घटनाओं की ओर इस सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूं। जब सन् 1974 में इन्हीं साम्प्रदायिक ताकतों ने नानपारा क्षेत्र में सुअर को कटवाकर मस्जिद में फेंकवा दिया था। हमारे अल्पसंख्यक भाइयों ने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी

(व्यवधान)

जबकि सारे बहराइच में हिन्दू मुसलमान सभी सो रहे थे, रात के अंधेरे में साम्प्रदायिकता फैलाने के लिए शैतान जाग रहा था और शैतानों ने उसके सामने पत्थर को रख दिया और साम्प्रदायिक लोगों—भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस तथाकथित शंकर भगवान् पर दो लोटा पानी चढ़ा दिया

(व्यवधान)

अगर मेरी बात गलत हो जाय तो वह राजनीति से हट जाएं, वरना मैं हट जाऊंगा। मेरी आप सब को खुली चुनौती इस बात की है। उसके बाद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिला प्रशासन ने सूझबूझ से काम किया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और तथाकथित आर0 एस0 एस0 के लोगों को बुलवाया, क्योंकि वह हिन्दूओं के ठेकेदार माने जाते हैं । अपने को यह हिन्दुओं का ठेकेदार समझते हैं

(व्यवधान)

फिर वह हिन्दू मुसलमान तबके के लोगों को एक साथ बुलाते हैं और वहां एक निर्णय हुआ यह मस्जिद का निर्माण जो हो रहा है नगरपालिका की सड़क के आगे है । इसकी फाउन्डेशन आज से 10 वर्ष पहले पड़ गयी थी । मस्जिदों के समक्ष जो दुकानें बन रहीं थीं उस पर वे स्टे ले आए यह कहकर कि नगरपालिका की सड़क पर यह दुकानें बन रही हैं । जब सब लोग बातचीत में इस बात के लिए तैयार हो गये कि कोई मान्य समझौता हो जाये

(व्यवधान)

तो इन लोगों ने कहा कि यह हम लोगों को मान्य नहीं है । जिसके कारण से फिर दूसरे दिन एक मीटिंग होती है, जिसमें हमारे मुसलमान भाई इस बात पर भी तैयार हो गये कि मस्जिद की दुकानों को तोड़कर दो फीट पीछे ले आया जाए । लेकिन हिन्दुओं के तथा कथित ठेकेदारों ने दंगा करवाया ।

(व्यवधान)

यह इसलिये करवाया क्योंकि वे जानते थे कि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के पूर्व वे चाहते थे कि साम्प्रदायिक दंगा हो जाये ।

(शोर व्यवधान)

दंगा कराया गया और निर्दोष मुसलमानों पर लाठी चार्ज हुआ 200 लोगों की गिरफ्तारी हु ।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त, कृपया बैठें।

श्री धरमपाल--

जिन लोगों की मौत हुई है, मेरा निवेदन है कि उनको मुआवजा दिया जाये । इस पूरे दंगे की जांच करायी जाये और जो लोग इसके लिये जिम्मेदार हैं उनको समाज के कटघरे में खड़ा कर दिया जाये ।

(व्यवधान-शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें ।

श्री धरमपाल-

(व्यवधान)

जनता पार्टी के लोगों ने दंगा कराया ।

(व्यवधान)

मस्जिद में सुअर कटवाकर फिकवाया ।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त, कृपया बैठें, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री धरमपाल—

जिन मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है उनको छोड़ा जाये और उनके ऊपर से मुकदमें वापस लिये जायें । पूरी घटना की जांच करायी जाय । वहां के सी0 ओ0 को दंडित किया जाये ।

श्री अध्यक्ष--

इस चर्चा को 7.38 बजे समाप्त होना है ।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, जिस चीज पर हम इस समय चर्चा कर रहे हैं वह बहुत ही नाजुक विषय है और इसको बड़ी

नजाकत के साथ लेना चाहिये था। लेकिन अफसोस हैं कि सदन में इस मामले में बड़ी गरमी आ गयी। अभी मान्यवर, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के लिये हमने 26,66,000 रुपये की मांग स्वीकार की है

(शोर–व्यवधान)

हम लोगों का चर्चा का विषय ऐसा होना चाहिये था कि भविष्य में इस प्रकार के दंगे न हो

(व्यवधान)

चर्चा इस पर होना चाहिये थी कि कहां पर क्या कमी थी और उसको किस प्रकार से सुधारा जाना चाहिये। भविष्य में इस प्रकार के दंगों को किस प्रकार रोका जा सकता है।

(शोर व्यवधान)

मैं यह कहना चाहूंगा कि चाहे बहराइच के नागरिक हों, चाहे गोंडा के नागरिक हों चाहे फैजाबाद के नागरिक हों, हर जगह के स्थानीय नागरिक आपस में कोई उपद्रव नहीं करना चाहते, वे शान्ति से रहना चाहते हैं। उपद्रव बाहर के लोग आकर कराते हैं।

(व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता हूं जिस वक्त दुर्गा की प्रतिमा निकल रही थी और उसको रोक दिया गया,

(व्यवधान)

उस पर एक दूसरे सम्प्रदाय के लोगों ने अपने ताजिये के जुलूस को ककको रोक दिया। टांडा के लोगों को हम बधाई देना चाहते हैं कि एक संप्रदाय के लोगों ने दूसरे संप्रदाय के समर्थन में अपने ताजिये रोक दिये। एक सम्प्रदाय के लोग दुर्गा की प्रतिमा को अभावरण रके ले जाना चाहते थे लेकिन प्रशास– क अधिकारियों ने कहा कि ट्रक कर ले जाओ जिसके लिए उनमें रोष था और 31 लोग गिरफ्तार भी हुये।

श्री अध्यक्ष ––

आप समाप्त करें।

श्री केदार नाथ सिंह––

इसलिए मुसलमान भाइयों ने दूसरे संप्रदाय के लोगों के समर्थन में अपने ताजिये का जुलूस रोक दिया। मैं इसके लिये उन्हें बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद।

*श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती'––

मान्यवर, टाण्डा मेरे क्षेत्र से सटा हुआ एक कस्बा है। आज जो मुख्य विचार रियासत साहब ने रखा है उसकी जो पृष्ठभूमि है उस तरफ मैं आना चाहता हूं। आपने नागरिकों को बधाई दिया है और प्रशासन को दोषी ठहराया है। तो मान्यवर, टांडा के इतिहास में कभी हिन्दू मुसलिम रायट नहीं हुआ। इस बार न जाने कौन सी खास बात हो गयी कि हिन्दू मुस्लिम दंगा हुआ। इसके पीछे कोई हाथ जरूर है। जहां तक आपके बधाई देने का सवाल है, यह सही है कि नयी बस्ती में मुसलमानों के घर जल रहे थे तो जगजीवन साहू ने अपने घर में मुसलमानों को जगह देकर अपनी छत पर राइफल लेकर खड़े होकर कहा कि अगर कोई आगे बढ़ेगा तो मैं आने नहीं दूंगा। इसी तरह से अंसारियों के मुहल्ले में 4 लोहारों के घर थे। तो वहां के जो भूतपूर्व विधायक श्री निसार हुसैन है, उन्होंने लोहारों से कहा कि अगर कोई परेशानी हुई तो हम लोग इंतजाम करें और आप लोगों को कहीं पहुंचा दें। तो उन लोगों ने कहा कि अगर आप लोग प्रेम से रहने दें तो हम यहीं रहेंगे। और उन लोगों ने वहां बड़े प्रेम से 3 दिन गुजारे। उनके खाने पीने की व्यवस्था की गयी। मान्यवर, इसी प्रकार से एक कुम्हार का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लड़का जो भूल से उस मुहल्ले में फंस गया था उसको निसार साहब ने अपने घर में फौरन छिपाकर रखा। जब शांति हुयी तो पड़ोस में एक यादव रहते थे उनको बुलाकर कहा कि इस लड़के को मेरे यहां से ले जाओ और इसके घर को पहुंचा दो और लड़का शांति से अपने घर पहुंच गया।

तो मान्यवर, यह हिन्दू मुसलमान की एकता और सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाले हैं। जिन तत्वों ने यह शुरू किया, यह आग भड़कायी उसमें राजनीतिक हाथ जरूर था इसकी चर्चा भी यहां हो चुकी है। दूसरा प्रश्न जो माननीय रियासत साहब ने उठाया कि प्रशासन ने उचित इंतजाम नहीं किया इसलिये सारा दोष उनका है। तो मान्यवर, मैंने जांच किया है, मैंने हिन्दू और मुसलमानों से बात किया तो एक वर्ग सी0 ओ0 और एस0 डी0 एम0 को दोषी ठहराता है और दूसरा वर्ग दरोगा को दोषी ठहराता है। कोई कहता है कि दरोगा ने अच्छा काम किया और कोई कहता है कि सी0 ओ0 और एस0 डी0 एम0 ने अच्छा काम किया। इसके अलावा एक वर्ग है, मुसलमानों ने पी0 ए0 सी0 की तारीफ मुक्त कंठ से की है। मेरे पास इसके प्रमाण हैं आप जरूरत समझेंगे तो मैं लिखित प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हूं। गली-गली, बूढ़े, औरतों और बच्चों ने कहा कि जबसे पी0 ए0 सी0 आयी है, तब से हम शांतिपूर्वक हैं। मुझे इस पर संदेह होता है कि प्रशासन ने ढिलाई बरती और उसकी निन्दा की जाय। मैं इसका विरोध करता हूं। हिन्दू मुसलमानों ने जो सौहार्दपूर्ण वातावरण रखा उसके लिये उन्हें मैं बधाई देता हूं। पी0 ए0 सी0 ने जो सतर्कता से काम किया है, उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हुं।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष---

आप लोग 2-2 मिनट में अपनी बात कहें।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, मुझको 5 मिनट का समय दीजिये। मान्यवर, पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे हुये। टांडा, बहराइच, आजमगढ़, मऊ में दंगे हुए। टांडा में जो घटनाये हुई हैं उसकी थोड़ी सी जानकारी मैं संक्षेप में देना चाहता हूं। 14-15 अक्तूबर, 1983 को कुछ घटनायें हुई और आगे भी हुई। इसके पहले मैं दिल्ली में था। 16 तारीख को मैं जब अपने क्षेत्र में पहुंचा तो मुझे जानकारी मिलती है मैंने तुरन्त 16 तारीख को करीब 7 बजे रात्रि में जिलाधिकारी और एस0 एस0 पी0 को फोन पर इत्तला दिया। उनसे मैंने फोन पर यह कहा कि टाण्डा नगर में तनाव है, आप सारी व्यवस्था के साथ टाण्डा में आ जायं और अपनी व्यवस्था देखें। मान्यवर, पूरे तरीके से प्रशासन को और शासन को जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो वहां टाण्डा में दंगा हुआ, मेरा खुला आरोप है कि शासन और प्रशासन की नियत बिलकुल ठीक नहीं थी। इनकी शिथिलता के कारण यह सब वहां पर हुआ।

इसके पहले 1982 में हमारे क्षेत्र इरफातगंज, सलारगढ़ मे ताजिया का झगड़ा था और कुछ हिन्दू लोग जो मौर्या लोग थे, वह अपने पेड़ को टहनो नहीं काटने दे रहे थे। प्रशासन के लोग वहां पर गये, जब ये लोग फेल हो गये, तो मैं वहां पर गया। और आपसी समझौता के आधार पर दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर रात्रि 4 बजे ताजिया पास करा दिया। इस तरीके से अनेकों बार साम्प्रदायिक दुराव हुए, उसे समझौते के आधार पर निपटाया, जिसके कारण मुस्लिम हिन्दू समुदाय मेरे कार्य और निर्णय पर प्रभावित रही तथा मेरे दल पर अटूट विश्वास करने लगे। मुस्लिम

समुदाय में मेरे प्रति अच्छा माहौल बनता देखकर नगर के भूतपूर्व चेयरमैन तथा कांग्रेस (आई) के भूतपूर्व विधायक के इशारे पर प्रशासन के सहयोग से 17 अक्तूबर को साम्प्रदायिक दंगा कराया गया । बाद में इनकी कलई खुलने पर मुस्लिम समुदाय का झुकाव लोकदल की तरफ और अधिक बढ़ गया ।

मान्यवर, वहां पर जो दंगा हुआ उसकी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की तथा क्षेत्रीय कांग्रेस (आई) के भूतपूर्व विधाक व भूतपूर्व नगर चेयरमैन की रही । उक्त षड्यंत्र को राजनैतिक तौर पर मुझे तथा लोकदल को बदनाम करने के उद्देश्य से दंगे का रूप दिया गया । क्योंकि उक्त निर्वाचन क्षेत्र में लोकदल का विधायक, लोकदल का सांसद व जिला परिषद्, ब्लाक प्रमुख लोकदल के हैं, जो पूरे क्षेत्र में लोकदल की एक ताकत है, उसे खत्म करके व आने वाले चुनाव में वोट की राजनीति करने का मुख्य उद्देश्य रहा । श्रीमती इंदिरा गांधी अपने मुख्य मन्त्रियों के माध्यम से प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगा, करा कर वोट की सियासत कायम करना चाहती हैं, उक्त सम्बन्ध में कांग्रेस(आई) के विधायक, श्री मंजूर अहमद व सांसद श्री मुजफ्फर हुसैन ने पत्र लिखकर श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया है तथा श्रीचार पत्रों में भी इनके बयान प्रकाशित हुए हैं । यही नहीं कांग्रेस (आई) में विश्वास रखने वाले अधिकांश मुस्लिम सम्प्रदाय के जनप्रतिनिधियों ने कांग्रेस सरकार को अल्पसंख्यक विरोधी बताया है । तो मैं मांग करता हूं कि सम्पूर्ण मामले की जांच किसी उच्च न्यायालय के न्यायधीश से करायी जाय, तथा दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाय । साथ ही साथ मृतक परिवारों व घायलों, जले हुए मकान से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाय ।

*श्री शेर बहादुर--

मान्यवर, टांडा मेरी कांस्टीट्यूयेंसी से मिला हुआ कस्बा है । जैसा कि हमारे माननीय जियाराम शुक्ल जी ने कहा, हम लोग टांडा में गये और हिन्दू मुसलमानों के साथ-साथ सब जगह गये और यह मेरा निश्चित मत है कि लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का जब से समझौता हुआ है, उसी के नाते टांडा में यह दंगा हुआ है ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

इसकी न्यायिक जांच क्यों नहीं करा लेते ?

श्री शेर बहादुर--

करीमपुर और काशमोरिया और अनेक मोहल्ले में हरिजनों और मुसलमानों के साथ अत्याचार किये गये हैं और यह मेरा निश्चित मत है कि बी0 जे0 पी0 ने राजनैतिक भावनाओं से ओत-प्रोत होकर यह सब किया है । मान्यवर, टांडा में कोई दंगा होने का सवाल ही नहीं था । मान्यवर, उसके एक दिन पूर्व समझौता हो गया था । समझौता में हमारे जनप्रतिनिधिगण भी थे और लोग भी उपस्थित थे । मान्यवर, उन लोगों का यह दायित्व होता था कि जब अधिकारी के समक्ष जब दोनों पार्टियों में एक समझौता हो गया, तो उसका ऐलान बीच में करवा देना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी जनता को भ्रम में रखा गया और उसके बाद भी यह कहा गया कि कोई समझौता नहीं हुआ है और वहां पर जो खून-खराबी का माहौल पैदा किया गया था वह केवल राजनैतिक भावनाओं से जुड़ा हुआ था ।

श्री जटाशंकर सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपने बोलने का समय दिया इसके लिये मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं । मैं लोकदल, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी की बात नहीं रख रहा हूं । मैं सच्चाई रखने जा रहा हूं । माननीय रियासत साहब ने जो प्रस्ताव या जो संकल्प रखा है, उसमें जहां तक मैं समझ पाया हूं, उनका आशय मात्र इतना है कि हिन्दू मुसलमान दोनों सम्प्रदाय के लोग जिस सद्भाव के साथ विवाद की परिस्थिति में भी रहे, उनके लिये धन्यवाद की बात करते हैं और जहां-जहां कहीं किसी प्रकार की कोई भूल, किसी प्रकार की कोई चूक प्रशासन की ओर से रही, उसकी ओर ध्यान देकर, भविष्य में ऐसी परिस्थिति पैदा न हो, इसके लिये कार्यवाही करने का सुझाव दिया है । मान्यवर, यह बिल्कुल सही बात है । जहां पर किसी भूल के कारण दुखमय परिस्थिति आयी है, उसकी तरफ ध्यान देना आपके हित में होगा सत्ता पक्ष के हित में होगा । मान्यवर, कहा गया कि राजनीतिक चश्मे से बात न रखी जाय । लेकिन मुझे दुख है कि सत्ता पक्ष से और कुछ हमारे पक्ष से राजनीतिक चश्मे से बात हुई है । राजनीतिक चश्मे से समस्या का निदान नहीं होगा । सच्चाई क्या है । बहराइच के जिस माननीय सदस्य के क्षेत्र में घटना हुई है जब वह बोल रहे थे, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वह तथ्यों से परे कहां बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं ।

श्री धरम पाल--

जांच कमेटी बैठा दें ।

श्री जटाशंकर सिंह--

मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जिसमें रंचमात्र आपत्ति हो सके । बहराइच में जो कुछ हुआ है वह दंगा नहीं था । यह बात संशोधित कर लें । रियासत साहब और सरकार के पास जो लिखित हो । बहराइच के शासन या प्रशासन की जो कुछ रिपोर्ट आयी है, मैं संसदीय कार्य मन्त्री से और गृह मन्त्री से दोनों से आग्रह करूंगा कि बहराइच से आयी हुई रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखें, वास्तविकता यहां रखें तो यह साबित हो जायेगा कि वह राजनीतिक गदर नहीं था या कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं था । वहां की स्थिति बिगड़ती गई, वहां एक ही वर्ग द्वारा वहां कोई हिन्दू मुसलिम सवाल नहीं था ।

वहां के अधिकारियों की सराहना होनी चाहिये । जहां यह सवाल पैदा होता है कि वोट की राजनीति के लिये ऐसा न किया जाय । मैं कहना चाहता हूं अकलियत और अकसरियत की बातें कहकर, अकलियत के वोटों को प्राप्त करने की जो कोशिश की गयी है, उसकी घोर निन्दा होनी चाहिये । टांडा के एस० डी० एम० से गलती हुई मऊ के एस० डी० एम० से गलती हुई तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये । बहराइच में अधिकारियों ने अपने विवेक और अपनी प्रमाणिकता का परिचय दिया, होने वाले दंगे को रोका, किसी प्रकार की गलत परिस्थिति को रोका, तो उनको इसके लिये धन्यवाद देना चाहिये । इसी के साथ-साथ हमारे भाई बहराइच सदर के विधायक ने नानपारा की 1974 की घटना का उल्लेख किया है । मैं इस सरकार को चुनौती देना चाहता हूं कि सी० आई० डी० की रिपोर्ट निकलवा लें और जो दोषी हो, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय । मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि यह जो दल बदल करके वहां पर जाकर बैठे हैं, इनका दामन कितना खून से रंगा है, इसकी जांच करा लें । इनके कालर कितने गन्दे हैं इसको बहराइच का बच्चा-बच्चा जानता है ।

श्री अम्मार रिजवी--

अध्यक्ष जी, यह रियासत साहब ने इस फूल के गुलदस्ते में से बहुत ही

खूबसूरती से कांटे छिपा दिए । जो कुछ बहराइच में हुआ टांडा में हुआ या गोंडा में हुआ, या किसी और जगह उसका पोस्टमार्टम करना मैं समझता हूं किसी तरह से उचित न होगा । मैं उन लोगों के साथ था माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी भी थे जो चाहते हैं इतने समय के बाद उस जख्म को न कुरेदा जाए, जो जख्म भर चुका है । जब जख्म पुराना होता है, भरने लगता है तो उस पर पपड़ी पड़ जाती हैं अगर उस पपड़ी को उखाड़ा जाता है तो जख्म हरा हो जाता है । मान्यवर, जो बहुत सी बातें छिपी रह जाती हैं वह बहस और मुबाहिसे के सामने भी आ जाती हैं और आज इस देश में यही हुआ यह जो मंथन हुआ इसमें कहीं विष को निकाला जाएगा तो पानी किसी तरफ जाएगा ।

एक शेर है...

करीब है यार राजे महरार, छिपेगा कुरानों का खून क्योंकर, जो चुप रहेगी जबाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का ।

तो आस्तीन का जो लहू है पुकार रहा है साजिश कहां कहां थी ? वह कौन लोग थे ? मैं किसी दल का नाम नहीं लेता लेकिन आज सबके सामने वह चीज जाहिर हो गयी है । लेकिन आज जो लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं मिसाल दिया । शुक्ल जी ने एक दूसरे के घरों के ऊपर जाकर एक दूसरे की जान बचायी, पहली बार मान्यवर, यह बात आई । अल्पसंख्यक लोगों ने पी० ए० सी० की तारीफ की और आज उस गुलदस्ते में छिपाकर कांटे दिखाए जाएं, यह सही नहीं है । जिन लोगों ने कुछ सराहनीय कार्य किए उनका मनोबल गिराया जाय । मान्यवर, जितने अधिकारियों ने गलती की उनको सजा मिलनी चाहिए । जन प्रतिनिधि, जनसुधारक इस तरह के अन्य लोग अगर वह इंसान के खून से होली खेलने का प्रयास करते हैं वह इंसान के खून से दामन रंगने का प्रयास करते हैं तो ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

लेकिन जो हम करते हैं जो शान्ति व्यवस्था को बनाये रखना चाहते हैं, उनका खंडन किया जाए तो उनका मनोबल गिरेगा । मान्यवर, मेरा इस तरह का कहने का इरादा नहीं था लेकिन बहुत से ऐसे मसले हैं जिनको जाहिर किया है । जो इस दुनिया से चले गये, किसी भी धर्म के हों, चाहे वह किसी मजहब के हों, एक मां के बेटे का हुआ, किसी औरत के बेवा पर हुआ है किसी मजहब का हुआ है यह जानने की जरूरत नहीं है मान्यवर, खून किस इन्सान का था, यह जानने की जरूरत नहीं है खून का रंग एक ही है ।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाई ।)

जो इन्सान में बंटवारे की बात करते हैं जो कहते हैं इस धर्म के हैं उस धर्म के हैं, वह इस धरती पर कलंक हैं ।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाई ।)

यह इस तरह की घटना जो हैं वह हमारे सारे समाज के ऊपर, इतिहास के ऊपर, हम सब के ऊपर, चाहे इधर के हों या उधर के हों, एक धब्बा है । धब्बा लग गया तो प्रयास यह करना चाहिये, कोशिश यह करनी चाहिए कि इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसको दोहराया न जाय । जिन लोगों ने मदद की उनकी प्रशंसा करनी चाहिए ।

यह प्रस्ताव हम सब चाहते थे कि पारित हो, इसलिए संशोधन भी किया गया । हमारी मंशा यही थी कि वहां के लोगों को जो टांडा के रहने वाले हैं, जो गोंण्डा के हैं, जो बहराइच के हैं, जिन लोगों ने प्यार और सद्भावना

को निभाया, जिन्होंने भाई-भाई का साथ निभाया, उनको और तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं, लेकिन मान्यवर, इसमें आस्तीन के अन्दर सांप बैठा दिया। सिर्फ धन्यवाद दिया जाता तो ठीक था। इसके अन्दर जो खाना पेश किया गया वह जहर के साथ पेश किया गया। हमें दुख के साथ इस प्रस्ताव को, जिस तरह से रखा गया है, इसको हम पारित नहीं कर सकेंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से उन तमाम लोगों को, चाहे वे गोण्डा के हों, चाहे टाण्डा के हों, चाहे बहराइच के हों या उत्तर प्रदेश के या देश के किसी हिस्से के रहने वाले हों, उन्होंने जिस तरह से मसला बनाया है, जिस तरह से कर्तव्य का पालन किया है, पड़ोसी को गले लगाया है और मदद की है, जिस तरह से औरतों की मदद की है, उनको इस पूरे सदन की ओर से, कम से कम अपने दल की ओर से धन्यवाद देता हूं। अपनी कृतज्ञता आपके जरिये से भेजता हूं और प्रशंसा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भाई और भाई का रिश्ता इसी तरह से बरकरार रहेगा। उनका प्यार, मुहब्बत इसी तरह से रहेगी और जिन अधिकारियों ने अपने अधिकार को, अपने फर्ज को पूरा किया है, जिनकी तारीफ कम नहीं होती थी, अल्पसंख्यकों तक ने उनकी तारीफ की है, उन लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग, चाहे पुलिस के हों, चाहे अधिकारी हों, जिस समय कर्तव्यपालन की बात आएगी, राष्ट्रीय एकता की बात आएगी, मुहब्बत-प्यार की बात आएगी, इसी तरह से कार्य करते रहेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः बहुत दुख के साथ इस प्रस्ताव का जो माननीय रियासत हुसैन साहब ने रखा है, विरोध करता हूं। लेकिन, मैं पूरी उम्मीद करता हूं मान्यवर, कि जो हमारी भावनाएं हैं, इन लोगों को पहुंचा देंगे और कहेंगे कि क्यों इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। जब किसी जगह कैन्सर होता है, चाहे छोटी जगह ही हो, सीधे पूरा हाथ काट देना पड़ता है, इस प्रस्ताव में जो एक छोटा सा जुमला है, उसकी वजह से इस प्रस्ताव का विरोध करना पड़ रहा है। इन शब्दों के साथ उस ओर के लोग इससे पूरी तरह से सहमत हैं। इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं वहां के रहने वाले, टाण्डा, बहराइच और गोण्डा के रहने वाले जिन लोगों ने इस तरह का वातावरण बनाया है, उनकी प्रशंसा करता हूं और जिनके दामन खून से रंगे हैं, उनकी भर्त्सना करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अम्मार साहब का भाषण हम लोगों ने सुना। इसमें कोई बहस नहीं है कि जो लोग हमारे देश की एकता को नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनकी निंदा हो, इसमें कोई बहस नहीं है। मान्यवर, इधर से और उधर से आरोप लगाए गये। मुख्य रूप से मैं, इधर से वाक्-स्वातंत्र्य का लाभ उठाकर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो बात यहां रखी गई कि लोगों के हाथ खून से रंगे हुए हैं तो इस बात को साफ करने के लिये कि किसके हाथ रंगे हैं, इसकी न्यायिक जांच कराने के लिये तैयार हैं ?

(व्यवधान)

मान्यवर, मैंने मऊ, टाण्ड, बहराइच आदि सबको मिलाकर यह बात कही है।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, बहराइच में जुडिशियरी इन्क्वायरी हो रही है। पर जो घर की तरफ बढ़ता है, मैं समझता हूं।

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, मैं इस आदरणीय सदन के उन सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रगट करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिस फार्म में आज भाषण दिया, शायद ऐसा भाषण उन्होंने कभी इससे पूर्व इस सदन में दिया हो ?

श्री अध्यक्ष--

आपकी जेब में तो सांप है ?

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं वही कह रहा था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी फूल के गुलदस्ते में कुछ कांटे लगे हैं, ऐसे उन्होंने कहा। मान्यवर, मैं श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी और श्री हरिकिशन श्रीवास्तव को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रस्ताव को अमेन्डमेन्ट के जरिये से मूव किया। परन्तु उनकी कोन्शियस ने इस बात की इजाजत उन्हें नहीं दी कि वह इस अमेन्डमेन्ट को मूव करने के लिये सदन में मौजूद रहते ? आज आपको यह कांटा मालूम हो रहा है और इस प्रस्ताव में जो यह संशोधन आया है उसे आप फूल समझ रहे हैं। इसलिए वह इस सदन से उठकर चले गये।

मान्यवर, मैं तीन बात कहना चाहता हूं। क्या यह सही है कि टांडा के अन्दर, जो वहां के एस0 डी0 एम0 हैं और सी0 ओ0 है, जैसा कि यहां पर टेलेक्स भी दिखाया गया, उन्होंने लगातार एस0 पी0 और डी0 एम0, फैजाबाद को सूचना दी कि यहां की हालत बहुत खराब हो गयी है। इसके बावजूद भी ने लोग वहां नहीं पहुंचे। इसमें भी आप इन्कवायरी करवायें। दूसरा, मान्यवर, डी0 आई0 जी0, फैजाबाद ने एस0 एस0 पी0 को आदेश दिया कि वह टांडा पहुंचें। डी0 आई0 जी0 के आदेशों के बावजूद भी एस0 एस0 पी0 फैजाबाद टांडा नहीं पहुंचे। इसमें भी आप जांच करवायें। तीसरी, क्या यह सही नहीं है, जैसा कि माननीय श्री धरमपाल जी ने कहा बहराइच के अन्दर उस मस्जिद पर पत्थर रख दिया गया, यह उस वक्त रखा गया, जब सारे हिन्दू मुसलमान सो गये थे ? एस0 आई0 वाजपेयी पुलिस फोर्स के साथ यहां पहुंचे और वहां पर पत्थर रख दिया गया। और 25 तारीख को यह घटना घट गयी।

निजाम जी से और भारतीय जी से पुलिस वालों की नाराजगी थी। इन सब की आप जांच करवायें। इससे भी एक अजीब बात और है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम बुलारे उर्फ आफा था। नाम से ही मालूम होता है कि वह मुसलमान है, परन्तु वहां के प्रशासन ने उसे रामदुलारे बना दिया। उसे मुसलमान से हिन्दू बना दिया। इससे ज्यादा लज्जा-जनक बात और क्या हो सकती है। यदि आप चाहते हैं तो आप इसमें हाई कोर्ट से इन्कवायरी करवा लें और मेरी यही मांग भी है और जो लोग वहां मारे गये हैं चाहे वह हिन्दू हों या मुसलमान, प्रत्येक मृतक के परिवार को आप 10-10 हजार रुपये दें। यदि मुरादाबाद के लोगों को 10-10 हजार रुपये मिल सकता है तो टान्डा के लोगों को भी मिल सकता है।

मान्यवर, रहीम भाई ने पार्लियामेन्ट में एक बार यह कहा था कि हिन्दुस्तान से बाहर का यदि कोई मुल्क अपनी आंख बदलकर हिन्दुस्तान को देखेगा तो हम गोलियों के सामने हम भी अपने सीनों को खोल देंगे और हम कभी भी इसको बरदाश्त नहीं कर पायेंगे। आपको प्रत्येक मुसलमान को फैसला देना होगा।....

श्री अम्मार रिजवी--

10-10 हजार रुपये दे दिये जायेंगे ।

श्री रियासत हुसैन--

इन सब चीजों के बाद, मैं इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले, जिनका दिमाग चाहे छोटा हो या इतना बड़ा हो, यह कहना चाहता हूं और यह अल्लामा इकबाल का शेर कहना चाहता हूं कि "सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसकी, यह है गुलिस्तां हमारा ।" मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अपने प्रशासन को सचेत करिये, जो राष्ट्रीय विनाश में लगा हुआ है, उनको सचेत करिये कि वे कम्युनल राइट को ऐसा बोल न बनाये, जहां कम्युनल रायट्स में उनको एक मौका मिले और उससे जनता की लूट खसोट करने का और अपना बैंक बैलेंस करने का उन्हें मौका मिले । मान्यवर, प्रशासन को सचेत कीजिए । और वह सचेत रहे ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं ईश्वर शरण विद्यार्थी और हरी किशन श्रीवास्तव को बधाई देता हूं कि वे यहां संशोधन पेश करने के लिये सदन में मौजूद नहीं रहे और उन्होंने यह हिम्मत नहीं की और जो उन्होंने हमारे प्रस्ताव पर कुछ शब्दों को निकालने के लिये संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं, वह प्रस्तुत नहीं किये, मैं कहता हूं कि आप प्रशासन के गुलाम हैं उसकी गुलामी करना चाहते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो राष्ट्रीय एकीकरण और एक तरफ हिन्दू-मुसलमान की बात कहना और एक तरफ जिनका नुकसान हुआ है, उनकी संवेदना की बात है, यह भी इतिहास में लिखा जायेगा कि कांग्रेस के लोगों ने हिन्दू-मुसलमान एकता का विरोध किया और इस सदन के अन्दर कांग्रेस के लोगों ने, जिनके लोग मरे, जिनका नुकसान हुआ, जिनकी बरबादी हुई, उस पर उनकी संवेदना प्रकट करने की हिम्मत नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि "यह सदन टांडा जनपद फैजाबाद, बहराइच तथा गोंडा नगरों के हर धर्म तथा वर्ग के वासियों को गत माह अक्तूबर, 1983 में दशहरा, मोहर्रम के अवसर पर धीरज व सहनशीलता, आपस में सद्भाव तथा नियंत्रित रहने पर बधाई देता है । प्रशासकों को अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में विलम्ब करने तथा उनकी असमर्थता पर निन्दा करता है तथा समय की घटित घटनाओं पर लोगों की जानी व माली हानि पर संवेदना तथा उनके साथ सहानुभूति प्रकट करता है ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

विधान सभा की विभिन्न समितियों के लिये निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मैं यह सदन में घोषणा करना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये सदन की--

(1) लोक लेखा समिति,

(2) प्राक्कलन समिति, एवं

(3) सार्वजनिक उपक्रम एवं विगत समिति तथा

(4) अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति एवं

(5) मंत्रियों के परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के ।

निर्वाचन के सम्बन्ध में दिनांक 1 मार्च, 1984 को सदन में दी गयी सूचना के अनुक्रम में उक्त निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है--

(क) नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय	22 मार्च, 1984 को अपराह्न 4 बजे तक ।
(ख) नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	23 मार्च, 1984 को अपराह्न 2 बजे (सचिव, विधान सभा का कार्यालय कक्ष) ।
(ग) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय	28 मार्च, 1984 को अपराह्न 4 बजे तक ।
(घ) निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान--	
(1) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिये	9 अप्रैल, 1984 को
तथा	
(2) मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के लिये	11 अप्रैल, 1984 को

पूर्वाह्न 10-30 बजे से अपराह्न 4-30 बजे तक विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा ।

प्रदेश के ग्रामों में जल निगम द्वारा लगाये गये हस्तचालित पम्प उचित रख-रखाव के अभाव में खराब होने के विषय में दिनांक 25 फरवरी, 1984 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 16 नत्थी (घ) के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष--

माननीय जयदीप सिंह बरार जी, अपने प्रस्ताव के बारे में आप कुछ कह रहे हैं ?

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, इसमें ऐसा है कि सभी लोगों का मत है, वैसे काफी समय हो गया है, लेकिन अगर आप 7-8 मिनट का समय दें, तो इसमें कुछ कहा जाय ।

श्री अध्यक्ष--

आप कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं तो अब हम उठते हैं । कल 11 बजे पूर्वाह्न में फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित किया गया ।)

आज्ञा से,

लखनऊ :

भाल चन्द्र शुक्ल,

13 मार्च, 1984

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

नत्थो "क"

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 5 पर।)

सूची

1--संस्कृत विद्यालयों का समूल घातक नवीन मानक तुरन्त निरस्त किया जाय ।

2--रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु 8 मार्च, 1983 का उपशिक्षा निदेशक (संस्कृत) का पत्र निरस्त किया जाय तथा सन् 1981-82 में नियुक्त, अनुमोदित व विधिवत् कार्यरत अध्यापकों के वेतन के भुगतान का आदेश तत्काल दिया जाय और रिक्त पदों की नियुक्ति पूर्ववत् होती रहे । तदर्थ नियुक्ति की रोक भी हटायी जाय ।

3--अन्य शिक्षा-संवर्गों की तरह संस्कृत अध्यापकों को भी आवास भत्ता तथा सेलेक्शन ग्रेड तथा सामूहिक बीमा जुलाई, 1979 से दिया जाय ।

4--अन्य शिक्षकों की तरह संस्कृत विद्यालयों को भी राजकीय कर्मचारियों की तरह पेंशन तथा प्राविडेंट फंड की भी व्यवस्था लागू की जाय ।

5--अन्य शिक्षा संवर्गों की भांति संस्कृताध्यापकों को भी वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत मासिक वेतन भुगतान किया जाय ।

6--सभी श्रेणियों के संस्कृत विद्यालयों में एक-एक लिपिक, भृत्य व पुस्तकालयाध्यक्ष के पद सृजित कर उन्हें नवीन वेतनमान दिया जाय ।

7--सभी श्रेणियों के शिक्षकों को न्यूनतम सी0 टी0 ग्रेड (450-720) वेतनमान दिया जाय ।

8--समस्त आधुनिक विषय एवम् राष्ट्रभाषा हिन्दी के लिये कम से कम एक-एक लेक्चरार (650-1280) का पद सृजित किये जायें ।

9--विगत कई वर्षों से अवरुद्ध मान्यता अविलम्ब चालू की जाय ।

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर)

तालिका

क्रम-सं0	उपभोक्ता का नाम	रसीद संख्या	दिनांक	कनेक्शन का वर्ग
1	श्री सरवन	23/196230	22-2-78	पंखा एवं बत्ती
2	श्री वफानी	24/196230	22-2-78	"
3	श्री राम नाथ यादव	25/196230	22-2-78	"
4	श्री राम नाथ राय	26/196230	22-2-78	"
5	श्री राम बसन्त राय	27/196230	22-2-78	"
6	श्री उदय राय	28/196230	22-2-78	"
7	श्री रामानन्द राय	29/196230	22-2-78	"
8	श्री राम सेवक राय	30/196230	22-2-78	"
9	श्री गिरिजा शंकर राय	31/196230	22-2-78	"
10	श्री इन्द्रासन राय	32/196230	22-2-78	"
11	श्री मोहन	33/196230	22-2-78	"
12	श्री श्रीराम राय	34/196230	22-2-78	"
13	श्री मोहम्मद नबी	35/196230	22-2-78	"
14	श्री नजीर अहमद	36/196230	22-2-78	"
15	श्री हरिशचन्द्र राय	37/196230	22-2-78	"

उत्तर प्रदेश खण्ड

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 22 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर ।)

विषय :--जरीना हत्या कांड के सम्बन्ध में ।

सेवा में,

श्रीमान् डी० आई० जी०,

वाराणसी ।

महोदय,

निवेदन है कि नेहरू स्मृति संघ मदोही के कार्यकर्त्ता गण जरीना हत्या कांड का परदाफास करने में सक्रिय हैं । तथा अपराधी तत्वों के खिलाफ जनता के सहयोग से आवाज उठा रहे हैं । इस विषय को लेकर अपराधी तत्व के सहयोगी द्वारा हर नेहरू स्मृति संघ के कार्यकर्ताओं को एवं प्रमुख जनता को डरवाया-धमकाया जा रहा है ।

अतः श्रीमन् जी से प्रार्थना है कि नेहरू स्मृति संघ के प्रमुख कार्यकर्त्ता एवं प्रमुख जनता के जान-माल को सुरक्षा प्रदान की जाय । जो निम्नलिखित हैं--

1--एकबाल अहमद खां ।

2--सगीर अहमद अंसारी ।

3--इजहार अहमद खां ।

4--डा० अजीज हसन ।

5--इश्तियाक अहमद ।

6--बसन्त लाल संघर्ष ।

7--राम आसरे भारती ।

8--अशोक कुमार सेठ ।

9--पन्ना लाल यादव ।

10--सर्वजीत सरोज ।

11--उमरबेग ।

12--मजहर अली ।

13--निजामुद्दीन ।

14--रूस्तम अली ।

15--मोहम्मद सज्जाद ।

16--मोहम्मद मसीम आलम ।

17--मोहम्मद अय्यूब ।

18--मकबूल अहमद ।

19--मोहम्मद जावेद ।

20--जमील अहमद अं0 ।

21--कलीम अहमद ।

22--वकील अहमद ।

23--नियाज अहमद ।

24--एकलाख अहमद ।

25--मोहम्मद अय्यूब खां ।

ह0/

(एजाज अहमद अंसारी)

संरक्षक,

ह0/

(सगीर अहमद) ।

नेहरू स्मृति संघ भदोही,

वाराणसी, अध्यक्ष

खबरदार एकता

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 68 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर)

जनपद कानपुर नगर व लखनऊ के शस्त्र व्यवसायियों द्वारा दिनांक 1-4-82 से 31-3-83 तक बिक्री हेतु प्राप्त 315 बोर की राइफलों का विवरण

जनपद कानपुर नगर

क्रम-संख्या	शस्त्र व्यवसायिक फर्म का नाम	प्राप्त राइफलों की संख्या	बिक्री की तिथि
1	महबूब आलम एण्ड सन्स	12	1-4-82 से 31-3-83 की अवधि में विभिन्न तिथियों में
2	पी0 डी0 गुप्ता एण्ड सन्स	12	
3	कानपुर आर्म्स कारपोरेशन	12	
4	यादव आर्म्स कम्पनी	12	
5	अब्दुल रहमान एण्ड सन्स	12	
6	ए0 के0 नियोगी एण्ड कम्पनी	12	
7	चौधरी गन हाउस	12	
8	कैपिटल गन हाउस	12	
9	भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारी	12	
10	नेशनल गन हाउस	12	
11	जिनी एण्ड कम्पनी	12	
12	गंजज आर्म्स कारपोरेशन	12	
13	कानपुर आर्मरी	12	
14	जय जवान आर्म्स कम्पनी	12	
15	पी0 एन0 विश्वास एण्ड कम्पनी	12	
16	एशियन आर्म्स कम्पनी	12	
17	अनुराग आर्म्स	12	
18	विजय आर्म्स	12	
19	पंजाब आर्मरी	12	
20	हरीश गन हाउस	12	
21	प्रिज्म गन हाउस	12	

क्रम-संख्या	शस्त्र व्यवसायिक फर्म का नाम	प्राप्त राइफलों की संख्या	बिक्री की तिथि
	जनपद लखनऊ		
1	नेशनल गन सर्विस	10	
2	आजाद गन हाउस	10	
3	नन्दा आर्म्स कारपोरेशन	12	
4	सिंह गन हाउस	12	
5	अधिकारी गन हाउस	12	
6	करन आर्म्स कारपोरेशन	12	
7	काशी आर्म्स कारपोरेशन	12	
8	कानपुर आर्म्स कारपोरेशन	12	
9	नेशनल गन हाउस	12	
10	नन्दा गन हाउस	12	7-4-82 से 4-12-82 को अवधि में विभिन्न तिथियों में
11	अवध गन हाउस	12	
12	इलाही बक्स एण्ड कम्पनी	12	
13	संसार गन हाउस	12	
14	लखनऊ गन हाउस	12	
15	इन्डिया आर्म्स कारपोरेशन	12	
16	के0 पी0 सेल्स	12	
17	इक्को इन्डस्ट्रीज	12	
18	सोयाल ब्रदर्स	12	
19	राजधानी ट्रेडर्स	12	
20	एस0 इकरामुल हक एण्ड कम्पनी	5	

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 69 का उत्तर पीछे पृष्ठ 51 पर)

क्रम-संख्या	पम्प कैनाल का नाम	स्वीकृत भार	निर्धारित विद्युत् आपूर्ति	सब-स्टेशन का नाम जिससे विद्युत् पम्प कैनाल जुड़ा है
1	2	3	4	5
1	तातरपुर पम्प कैनाल-I	119·90 के0 डब्लू0	18 घंटे	खानपुर
2	तातरपुर पम्प कैनाल-II	49.95 के0 डब्लू0	तदेव	तदेव
3	नरूद्दीनपुर पम्प कैनाल	145·40 के0 डब्लू0	तदेव	तदेव
4	नेवादा पम्प कैनाल	149·20 के0 डब्लू0	तदेव	तदेव
5	संदपुर पम्प कैनाल	37·30 के0 डब्लू0	तदेव	संदपुर
6	चोचकपुर पम्प कैनाल	517·81 के0 डब्लू0	तदेव	चोचकपुर
7	पुरैना पम्प कैनाल	37·30 के0 डब्लू0	तदेव	तदेव
8	हंसी पम्प कैनाल	18·65 के0 डब्लू0	तदेव	अन्यत्र

1	2	3	4
9	देवकली पम्प कैनाल–II	4500 के0 वी0 ए0	24 घंटे	सैदपुर (132 के0 वी0)
10	रामगढ़ पम्प कैनाल	156·66 के0 डब्लू0	18 घंटे	कासिमाबाद
11	बारा पम्प कैनाल	175·40 के0 डब्लू0	तदेव	रेवतीपुर
12	अमौरा पम्प कैनाल	89·52 के0 डब्लू0	तदेव	दिलदारनगर
13	देवली पम्प कैनाल	150·00 के0 डब्लू0	तदेव	तदेव
14	बरेजी पम्प कैनाल	104·44 के0 डब्लू0	तदेव	तदेव
15	सयार पम्प कैनाल	152·93 के0 डब्लू0	तदेव	तदेव
16	गहमर पश्चिमी पम्प कैनाल	342·28 के0 वी0 ए0	तदेव	तदेव
17	बीरपुर पम्प कैनाल	438·82 के0 वी0 ए0	तदेव	तदेव
18	चंका बांध पम्प कैनाल	3000·00 के0 वी0 ए0	24 घंटे	जमानिया (132 के0 वी0)

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 100 का उत्तर पीछे पृष्ठ 60 पर)

प्रताप नरायन द्विवेदी,
एम0 एल0 ए0,
हमीरपुर ।

एफ-16 पार्क रोड,
लखनऊ ।
दिनांक 1-10-83

माननीय मुख्य मंत्री जी,
उत्तर प्रदेश सरकार ।

प्रिय महोदय,

मेरे संज्ञान में यह लाया गया है कि माह जुलाई, 1983 में जिला हमीरपुर के थाना कुरारा पर श्री मगन नमक एक व्यक्ति को थानाध्यक्ष श्री एस0 के0 सिंह के नेतृत्व में मारा-पीटा गया और वह पुलिस हिरासत में वह स्वर्ग सिधार गया ।

थानाध्यक्ष ने घटना स्थल से अपनी मौजूदगी को अदम मौजूदगी में अपने को अवकाश पर दिखाकर बचने का प्रयास किया, बाकी उनके अधीनस्थ कर्मचारी निलंबित कर दिये गये । जिसकी न्यायिक जांच हो रही है ।

श्री एस0 के0 सिंह, थानाध्यक्ष उपरोक्त इस घटना के बाद भी थाने पर थानाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं । घटना के गवाहान को नाना प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पतारा जो थाना कुरारा के क्षेत्र अधिकार में है वहां का निवासी एवं गांव का जमींदार ठाकुर भान सिंह जो कि काफी सक्रिय गुण्डा व पैसे वाला व्यक्ति है । जिसकी भतीजी जहां पर उसका व्याह हुआ है । वहीं पर उन्हीं के घर में थानाध्यक्ष की लड़की भी व्याही है । थानाध्यक्ष एवं भान सिंह के परस्पर सहयोग से स्थानीय जनता विशेषकर ग्राम पतारा थाना कुरारा के निवासी आतंकित एवं भयभीत हैं । ठाकुर भान सिंह भूतपूर्व जमींदार होने के नाते अपने भूतपूर्व असामियों से जबरन बेगार आदि लेते हैं और इन्कार करने पर उन्हें अपने सम्बन्धी थानाध्यक्ष उपरोक्त द्वारा झूठे मुकदमें में फंसाया जाता है, इसका एक उदाहरण मुकदमा अपराध संख्या 83 धारा 380 आई0 पी0 सी0 जो बनाम किसन कुमार शिवकुमार, महेश्वर दीन व रामआसरे के खिलाफ व मुद्दियत श्रीमती रामकुंवर बेवा जो इनके यहां काम करती है तथा इनकी नौकरानी है । फर्जी लिखाया गया है तथा यह धमकी दी है कि यदि 5,000 रुपया नहीं दोगे तो तुम्हारे मुकदमें में चार्जसीट लगा दी जायेगी तथा इसी तरह के सैकड़ों मुकदमों में और फंसा दिया जायगा ।

अतः मैं चाहूंगा कि श्री एस0 के0 सिंह थानाध्यक्ष का प्रशासनिक आधार पर तत्काल स्थानान्तरण किया जाय ताकि जांच निष्पक्ष रूप से की जा सके तथा कृत कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराने का कष्ट करें ।

सद्भावनाओं सहित,

भवदीय,
(ह0) प्रताप नरायन द्विवेदी,
एम0 एल0 ए0,
हमीरपुर ।

श्री श्रीपति मिश्र,
मुख्य मंत्री,
उत्तर प्रदेश सरकार ।

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 138 का उत्तर पीछे पृष्ठ 72 पर)

विगत तीन वित्तीय वर्षों में मे0 हिन्डलको को आपूर्ति की गई ऊर्जा का विवरण निम्नलिखित है :--

वर्ष	आपूर्ति की गई ऊर्जा (के0 डब्लू0 एच0)		
	मैन सप्लाई के अन्तर्गत	स्टैंडबाई एवं इमरजेन्सी सप्लाई के अन्तर्गत	कुल योग
1980-81	410, 887, 600	104, 586, 734	515, 474, 334
1981-82	161, 341, 000	112, 241, 667	273, 582, 667
1982-83	154, 875, 667	48, 744, 733	203, 620, 400

उपर्युक्त आपूर्ति की दरों के विवरण निम्नलिखित हैं :--

1--मेन सप्लाई की दरें--

(क) दिनांक 1-4-80 से 26-3-81 तक — @28·42 पैसे प्रति यूनिट (विद्युत् कर सम्मिलित करके)।

(ख) दिनांक 27-3-81 से 30-9-81 तक — @30·206 पैसे प्रति यूनिट।

दिनांक 1-10-81 से 31-10-82 तक — @32·66 पैसे प्रति यूनिट।

दिनांक 1-11-82 से 31-3-83 तक — @46·443 पैसे प्रति यूनिट

+ (प्लस)

उपर्युक्त (ख) में दिये गये दर के अतिरिक्त सामान्य भारी विद्युत् उपभोक्ताओं पर समय-समय में लागू विद्युत् कर (इस समय 2 पैसे प्रति यूनिट)।

+ (प्लस)

उपर्युक्त (ख) में दिये दर के अतिरिक्त सामान्य भारी विद्युत उपभोक्ताओं पर लागू ईंधन+अधिभार।

2--स्टैंडबाई एण्ड इमरजेन्सी असिस्टेन्स सप्लाई की दरें--

(1) चार्जेबुल डिमन्ड--

दिनांक 1-4-80 से 31-7-80 तक — @5·00 रु0 प्रति के0 वी0 ए0 प्रति सप्ताह।

दिनांक 1-8-80 से 31-10-82 तक — @5·50 रु0 प्रति के0 वी0 ए0 प्रति सप्ताह।

दिनांक 1-11-82 से 31-3-83 तक — @7·50 रु0 प्रति के0 वी0 ए0 प्रति सप्ताह।

('9 पावर फैक्टर पर गणना करके)

(2) चार्जेबुल इनर्जी--

(अ) दिनांक 1-4-1980 से 30-7-1980 तक @ 30 पैसे प्रति यूनिट ।

दिनांक 1-8-1980 से 30-9-1981 तक @ 33 पैसे प्रति यूनिट ।

दिनांक 1-10-1981 से 31-10-1982 तक @ 35 पैसे प्रति यूनिट ।

दिनांक 1-11-1982 से 31-3-1983 तक @ 50 पैसे प्रति यूनिट ।

(ब) (प्लस)
@ 4 पैसे प्रति यूनिट
(लेस)

(स) (अ) और (ब) में समय-समय पर हुई पावर टैरिफ को 132 के0 वी0 पर आपूर्ति हेतु छूट ।
+ (प्लस)
सामान्य भारी विद्युत् उपभोक्ताओं पर समय-समय में लागू विद्युत् कर (इस समय 2 पैसे प्रति यूनिट ।
+ (प्लस)
सामान्य भारी विद्युत् उपभोक्ताओं पर समय-समय म लागू ईंधन अधिभार

(3) न्यूनतम डिमांड चार्जेज—

दिनांक	प्रति कम्प्यूटिंग वर्ष दर रुपयों में
1-4-1980 से 31-7-1980 तक	1,23,33,333
1-8-1980 से 31-10-1982 तक	1,35,66,667
1-11-1982 से 31-3-1983 तक	1,85,00,000

माह जुलाई, 1980 से संबंधित पेनल डिमान्ड चार्ज की धनराशि 34,88,889 00 रु0 को छोड़कर मेसर्स हिन्डालको ने वर्ष 1980-81, 1981-82, एवं 1982-83 में सम्भारित ऊर्जा के लिए निर्गत समस्त बिलों का भुगतान कर दिया है । अवशेष धनर शि की वसूली के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

माह अक्तूबर, 1983 में एवं नवम्बर, 18, 1983 तक मेसर्स हिन्डालको का "मेन सप्लाई" के अन्तर्गत 20 मेगावाट एवं "स्टैंड बाई" एन्ड इमर्जेन्सी असिस्टेन्स सप्लाई के अन्तर्गत 60 मेगावाट बिजली आपूर्ति की गयी । नवम्बर, 1983 माह के शेष दिनों में "मेन सप्लाई" के अन्तर्गत 5 मेगावाट एवं "स्टैन्डर्ड बाई एन्ड एमर्जेन्सी असिस्टेन्स सप्लाई के अन्तर्गत 60 मेगावाट विद्युत् उक्त कम्पनी को आपूर्ति की गई ।

नत्थी 'ज'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 147 का उत्तर पीछे पृष्ठ 75 पर)

विधान सभा व विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य जिन्हें विधायक निवासों में एक से अधिक कक्ष आवंटित किये गये और किराया अवशेष हैं की सूची निम्नवत् है :

क्रम-संख्या	माननीय विधायक का नाम	अवशेष किराया रुपयों में (31-1-1984 तक की स्थिति)
1	2	3
1	सर्वश्री द्वारिका नाथ धवन	1,071·00
2	,, डी० पी० रांय	5,130·00
3	,, मोहम्मद कमाल युसुफ	1,368·00
4	,, मास्कर पान्डेय	916·00
5	,, सुबेदार सिंह	2,871·00
6	,, हरदेव	2,083·00
7	,, मोती लाल देहलवी	15,863·15
8	,, अकबाल हुसैन	7,852·00
9	,, वीरेन्द्र कुमार चौधरी	1,320·00
10	,, प्रभु नारायण सिंह	604·95
11	,, यदु नाथ सिंह	6,408·00
12	,, जोराज सिंह मौर्य	5,379·06
13	,, मान पाल सिंह	112·00
14	,, लोक मणि शर्मा	279.00
15	,, निर्मल खत्री	4,630·00
16	,, वीना नाथ पान्डेय	8,226 00
17	,, रिजवानुर्रहमान किदवई	2,097·00
18	,, डी० एच० अन्सारी	1,818·00
19	,, सुरेन्द्र सिंह चौहान	1,737·00
20	,, मुईद अहमद	4,842·00
21	,, खुर्शीद अहमद	7,038·00
22	,, सफीउर्रहमान अन्सारी	4,957·00

1	2	3
23	सर्वश्री जावेद अली खां	8,055·00
24	,, शेर बहादुर सिंह	1,071·00
25	,, धर्मपाल	810·00
26	,, भोला पान्डेय	9,401·00
27	श्रीमती सुमन लता	4,050·00
28	श्री दल सिंगार यादव	3,982·00
29	,, सुरेन्द्र सिंह	4,923·00
30	,, नील कुमार मुखोपाध्याय	7935·00

नत्थी 'अ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 183 का उत्तर पीछे पृष्ठ 85 पर)

वर्षवार मदें जिन पर आवंटित धनराशि व्यय की गई

लेखा शीर्ष के मद	धनराशि (लाख रुपयों में)	
	वर्ष 1981-82	वर्ष 1982-83
1	2	3
259--अनावासिक भवनो का अनुरक्षण	74·188	51·14
259--अनावासिक भवन पुलिस	0·242	0·173
283--आवासीय भवनों की मरम्मत	47·681	27·956
283--आवास भवन पुलिस	0·039	1·73
288--सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0·10	..
289--दैवी आपदाओं के कारण सहायता	..	79·19
281--परिवार कल्याण	2·10	5·20
299--भवन	1·087	2·68
337--मार्गों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	839·543	890.42
337--उपकरण एवं संयंत्र	7·24	15·60
337--उत्तर प्रदेश पुल निधि	..	2·50
337--उत्तर प्रदेश सड़क निधि	..	2 00
360--राज्य सरकार को सहायक अनुदान	0·500	0·76
459--अनावासिक भवन	..	12·35
479--वैज्ञानिक सेवाएं	2·00	6·50
459--कोषागार	9·16	..
483--नगरिक निर्माण (आवास भवन)	0·500	0·90
499--मार्ग एवं सेतु	2242·286	2278·111
499--भवन	6617·369	641·814
537--मार्ग	66·63	5·00
योग	3910·665	4024·024

पी0 एस0 यू0 पी0--8 एल0ए0--14-6-84-813 (पी0 डी0)